Monday, 7th January, 1991

नवम माला, खंड 13, अंक 7

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

AMENT LIBRARY
52
22-2-91

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 7 जनवरी, 1991/17 पौष, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	14	"अभा" के स्थान पर "सभा" पढ़िये।
61	10 से 18	पंक्तियाँ 10 से 18 को निकाल दीजिए।
65	9	"श्री सुबोध कान्य सहाय" के स्थान पर "श्री सुबोध कान्त सहाय" पढ़िये।
89	(नीचे से पंक्ति 7	(मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित कीजिए।
	(नीचे से पंक्ति 12	(प्रश्न संख्या "1667" के स्थान पर "1677" पढ़िये।
98	नीचे से पंक्ति 12	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
114	5	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित कीजिए।
131	2	प्रश्न संख्या "2735" के स्थान पर "1735" पढ़िये।
139	नीचे से पंक्ति 12	"श्री लरंगसाव" के स्थान पर "श्री ए. लरंग साय" पढ़िये।
185	(3)	मंत्री के नाम से पूर्व प्रश्न संख्या "1794" पढ़िये।
	(11)	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
207	11	"डा॰ चिन्ता महोन" के स्थान पर "डा॰ चिन्ता मोहन" पढ़िये ।
213	8	"(छ)" के स्थान पर "(च)" पढ़िये ।
219	10	"मंत्री" के नाम के पश्चात "(क)" अन्त: स्थापित कीजिए ।
220	नीचे से पंक्ति 6	नीचे से पंक्ति 5 के पश्चात् "(ख)" यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?" पढ़िये ।
222	14	शीर्षक में "बंगाल" के स्थान पर "बंगला" पढ़िये ।
223	10	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये ।
263	नीचे से पंक्ति 2	"श्री पीयूस तीरवी" के स्थान पर "श्री पीयूष तीरकी" पढ़िये ।
283	नीचे से पंक्ति 9	"श्री खेचन्द" के स्थान पर "श्री खेमचन्द" पढ़िये ।
317	नीचे से पंक्ति 12	"श्री मानधासा सिंह" के स्थान पर "श्री मान्धाता सिंह" पढ़िये ।
349	नीचे से पंक्ति 3	"60·4 म·प·" के स्थान पर "6·04 म·प·" पढ़िये ।

विषय-सूची

नवम माला, खंड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 6 सोमवार, 7 जनवरी, 1991/17 पौष, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
रिया गणतन्त्र के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	...	1
न्त्रियों का परिचय	...	2
ावेरी नदी जल के वितरण के बारे में	...	2-4
श्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 141, 142 और 144 से 146	...	4-25
श्नों के लिखित उत्तर :	...	25-234
*तारांकित प्रश्न संख्या : 147 से 161	...	25-50
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1621 से 1786, 1788 से 1860, 1860क, 1860ख और 1860 ग	...	50-234
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	234-251
प्राक्कलन समिति	...	251
सोलहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	...	251
्द्वदाख के लोगों की समस्याओं के बारे में याचिका	...	251
जम्मू क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में याचिका	...	252
प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त करने के कथित प्रयास और फरीदाबाद में थामसन प्रेस की बिजली काटने के समाचार के बारे में	...	252-267
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
माले में हुआ पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन	...	268-279
श्री चन्द्रशेखर	...	268-279
देश में विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के बारे में	...	279-285

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... 291-299

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के विवाद का निपटारा न किया जाना

श्री पी. आर. कुमारमंगलम ... 291, 293-296

श्री यशवन्त सिन्हा ... 292-298

श्री हरीश रावत ... 296

नियम 377 के अधीन मामले ... 297-305

(एक) नई राष्ट्रीय आवास नीति बनाई जाने की मांग

श्री बी. एन. रेड्डी ... 300

(दो) कडूर-चिकमगलूर-बेलूर-सकलेसपुर के बीच लिंक रेल लाइन बनाई जाने की मांग

श्री डी. एम. पुट्टे गौडा ... 300

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में अन्नावरम में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की मांग

श्री एम. एम. पल्लम राजू ... 300-301

(चार) देश में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली और डीजल उपलब्ध कराए जाने की मांग

श्री राम सागर (बाराबंकी) ... 301

(पांच) उत्तर प्रदेश के समूचे उत्तराखण्ड क्षेत्र को मण्डल आयोग की परिधि में लाए जाने की मांग

श्री एम. एस. पाल ... 301-302

(छः) हाल ही में पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी द्वारा पकड़े गए गुजरात के मछुआरों को मुक्त कराए जाने की मांग

श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा ... 302

(सात) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तत्वावधान में तमिलनाडु में डिंडिगुल में कपड़ा मिल आरम्भ किए जाने की मांग

श्री सी. श्रीनिवासन ... 302-303

(आठ) देश में, विशेषकर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में किसानों को बीज, उर्वरक और डीजल उपलब्ध कराए जाने की मांग		
श्री राम कृष्ण यादव	...	303
लोक दायित्व बीमा विधेयक	...	303-331
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री पी. आर. कुमार मंगलम	...	304
श्री दाऊ दयाल जोशी	...	304-305
श्री मनोरंजन भक्त	...	305-307
प्रो. प्रेम कुमार धूमल	...	307-308
श्री गिरधारी लाल भार्गव	...	308-309
श्री गोपी नाथ गजपति	...	309-310
श्री बान सिंह जाटव	...	310-311
श्री पी. चिदम्बरम	...	311-313
डा. शैलेन्द्रनाथ श्री वास्तव	...	313-314
श्री जग पाल सिंह	...	314-315
श्री बालगोपाल मिश्र	...	315-316
श्रीमती मेनका गांधी	...	317-323
खंडवार विचार	...	324-331
पारित करने के लिए प्रस्ताव	...	330
श्रीमती मेनका गांधी	...	330-331
श्री पी. चिदम्बरम	...	331
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा-शर्तें) विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव	...	337-347
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	337-338
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	...	339-340
डा. वेंकटेश काबडे	...	340
प्रो. एन. जी. रंगा	...	340-342

श्री एम. रमन्ना राय	...	342-344
श्री राम सजीवन	...	344-345
श्री जी. एम. बनातवाला	...	345-347
कार्य-मंत्रणा समिति		
अठारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	...	341
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	...	347-349
पूर्व रेलवे के बजबज-सियालदह सेक्शन पर 6 अगस्त, 1991 को हुई रेल दुर्घटना		
श्री जनेश्वर मिश्र	...	347-349

लोक सभा

सोमवार 7 जनवरी, 1991/17 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कोरिया गणतंत्र के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

मैं अपनी ओर से और सभा के सदस्यों की ओर से कोरिया गणराज्य की राष्ट्रीय असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री ज्यून क्यू पार्क और कोरिया गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हुए हैं।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री जा चून कू

(2) श्री जूंग वो किम

(3) श्री संग मो क्रंग

(4) श्री की सुन चोई

संसदीय शिष्टमंडल 6 जनवरी 1991 की रात को दिल्ली पहुंचा। संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम यह कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद हो। उनके माध्यम से हम कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय असेम्बली, कोरिया गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी शुभकामनायें प्रेषित करते हैं।

11.02 म. पू.

मंत्रियों का परिचय

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं रेल मंत्री, श्री जनेश्वर मिश्र और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भक्तचरण दास का इस सदन के सामने परिचय करता हूँ।

11.02 ½ म. पू.

कावेरी नदी जल के वितरण के बारे में

[अनुवाद]

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कावेरी नदी जल संबंधी मुद्दे को उठाना चाहता हूँ उसके कारण खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है। **(व्यवधान)**

इस समय श्री सी. के. कुप्पुस्वामी आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये

अध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामी जी, यह कोई तरीका नहीं है। आपकी बात भी सुनूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

इस समय श्री सी. के. कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर वापस चले गये

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : जनार्दनन जी, आप एक अनुभवी संसदविज्ञ हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुप्पुस्वामी, आपको यहां पर जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। आप मुझे पत्र नहीं दिखा सकते। कृपया मुझे बतायें कि मामला क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। यह संसद है। आपको शालीन रहना चाहिए। कुमारमंगलम जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मामला है?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सेलम) : मुझे बोलने की अनुमति दी जाये। सभा इस तथ्य

से अवगत है कि कावेरी नदी जल के वितरण के मामले में तीन दशक से भी अधिक समय तक इस पर काफी विवाद रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, मैं वह जानता हूं। आप उस मुद्दे के सम्बन्ध में मुझ से मिले थे। मैंने कहा था कि मैं आपको प्रश्न काल को समाप्ति के उपरान्त बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मामला कितना गम्भीर है। और हम इस पर जोर क्यों दे रहे है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : वास्तविकता यह है कि इस मामले को न्यायाधिकरण में भेजा गया था। परन्तु विचारार्थ विषयों में किसी भी अन्तरिम राहत का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि तुरन्त जल नहीं दिया गया तो 700 करोड़ रु. से भी अधिक कीमत की साम्बा फसलें नष्ट हो जायेंगी। सामान्यत: प्रत्येक वर्ष 5 टी एम सी से लेकर 0 टी एम सी तक पानी छोड़ा जाता है। परन्तु इस बार पानी नहीं छोड़ा गया है क्योंकि डी. एम. के. सरकार ने इस आशय से संबंधित न तो केन्द्र सरकार से कुछ बात की है और न ही उन्होंने कर्नाटक राज्य सरकार से ही इस संबंध में कुछ कहा है। डी एम के सरकार चूंकि यह भलीभांति जानती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष विचारार्थ विषयों में अन्तरिम राहत के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है अत: उसने न्यायाधिकरण से अन्तरिम राहत के लिए अनुरोध किया है। इस समय उनका अभियान अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या प्रधानमंत्री जी कुछ और बातें भी सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा साहब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तमिलनाडु के सदस्य काफी उत्तेजित हैं। अब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को मैं समझता हूं। वहां काफी खराब स्थिति है। परन्तु इस संबंध में हमारी भूमिका बहुत सीमित है। मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री से सम्पर्क बनाए रखूंगा तथा यह प्रयत्न करूंगा कि इस मामले में कुछ किया जाए। परन्तु आप हमारी स्थिति समझते हैं। हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते। मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु की समस्या पर कुछ ध्यान दें तथा इस संबंध में कुछ करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न-काल आरम्भ होगा। सभा की कार्यवाही आगे चलने दें। कुप्पु-स्वामी जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। कुमारमंगलम जी, मैंने इस मामले के संबंध में आपको बोलने की अनुमति दे दी है। अब कृपया कुप्पुस्वामी जी से कहें कि वह अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल आरम्भ होता है। श्री शिव शरण वर्मा बोलेंगे।

———

11.09 म. पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़ा कामगारों के लिए स्वास्थ्य योजना

[हिन्दी]

141. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि क्या कपड़ा कामगार क्षयरोग एवं अन्य रोगों से पीड़ित हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके लिए कोई विशेष स्वास्थ्य योजना आरम्भ करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरम्भ की जाएगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कपड़ा कर्मकारों में क्षय रोग तथा अन्य बीमारी होने के बारे में ऐसा कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, हाल ही के वर्षों में महाराष्ट्र सरकार तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा कुछ सीमित सर्वेक्षण किये गये थे। सर्वेक्षणों के दौरान कपड़ा कर्मकारों में होने वाले बायसनासिस तथा पुलमोनरी क्षय रोग की दशाओं का पता लगाया गया। अधिकतम ये कर्मकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत आते हैं जो अपेक्षित इलाज की व्यवस्था कर रहा है। कार्यस्थल पर बेहतर संवातन, निश्वसन/धूल तथा धूएं आदि के इकट्ठे होने से बचने के उपाय जैसे निवारक उपायों पर बल देने के अलावा, इस समय केवल ऐसे कर्मकारों के लिए किसी विशेष स्वास्थ्य योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कपड़ा मिलों में कामगारों को प्राय: क्षय-रोग तथा अन्य बीमारियां हो जाती हैं। मैं इस संबंध में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसी प्रकार का सर्वेक्षण कराया गया है। श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए और उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है, यदि बनाई गई है तो वह योजना क्या है और उसको कब तक लागू करने का सरकार का विचार है ?

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का सर्वेक्षण महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया है, जिसकी जानकारी हमारे पास है। आगे भी हम सर्वेक्षण कराने का इरादा रखते हैं मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम अतिशीघ्र यह सर्वेक्षण करवायेंगे।

श्री शिव शरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण कराने के बाद अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वास्तव में कामगर, जो कई प्रकार की बीमारियों से मर रहे हैं, उनके जीवन-रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में लाईफ-इंश्योरेंस या कोई अन्य प्रकार की योजना तैयार करने का क्या इनका विचार है ? अगर विचार है तो कब से इसको लागू करेंगे ?

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों का स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ प्रीवेंटिव मैजर्स लिए जायें, कुछ उपाय किए जाएं जैसे वहां आबो-हवा ठीक हो, सफाई हो, छोटे फाईबर का इस्तेमाल किया जाए। बीमारी न हो उसके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वे करने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में हमें और प्रयास करने होंगे। उसके लिए हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से नम्र आग्रह करना होगा।

[अनुवाद]

प्रो. एम. जी. रंगा : इस दिशा में हथकरघा बुनकरों की सहायता करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। क्या सरकार एक जांच करवाने की संभावना पर विचार करेगी और हथकरघा बुनकरों विशेषकर बड़े क्षेत्रों और सहकारी समितियों में लगे हुए हथकरघा बुनकरों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें चिकित्सा सहायता देने के लिए एक योजना बनायेगी।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदन को मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पावर लूम और हैंडलूम के वर्करस के कल्याण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रयास किया जाएगा कि उनके कल्याण के लिए बेहतर काम कर सकें।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनम : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से न दिखने वाले रुई आदि के फवों के धूल प्रतिशत के लिए निर्धारित मापदण्डों के बारे में जानना चाहता हूं। प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है "कार्यस्थल पर हवा के बेहतर रूप से आने-जाने जिससे धूल तथा धुएं आदि के इकट्ठे होने से बचा जा सकें और इस प्रकार के निवारक उपायों

पर बल देने के अलावा, इस समय ऐसे कर्मकारों के लिए किसी विशेष स्वास्थ्य योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।" इस क्षय रोग का मुख्य कारण कपड़ा उद्योग से उत्पन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रुई आदि की धूल के कण हैं। इसे रोकने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रतिशत कम से कम किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार कपड़ा मिलों के सरकारी और निजी उपक्रमों दोनों के लिए ही एक मापदण्ड निर्धारित करेगी। क्या सरकार कपड़ा मिलों में अप्रत्यक्ष धूल आदि के कणों के प्रतिशत को कम करने के लिए कठोर नियम बनाएगी और इसके लिए सरकार को कुछ निश्चित मापदण्ड बनाने चाहिए। सिर्फ तभी मिलों का कार्यकरण लाभप्रद होगा। और यह रोग रोका जा सकेगा। जैसे कि कहावत है कि परहेज इलाज से बेहतर है। क्या सरकार इस दिशा में एक सरकारी नीति या नियम के रूप में मापदण्ड निर्धारित करने के लिए कदम उठाएगी ? जो भी मिल उस निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पन्न को उसे क्षय रोग से प्रभावित श्रमिकों को उचित मुआवजा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि टैक्सटाइल वर्करस में जो टी. बी. का रोग है वह अन्य स्थानों को अपेक्षा ज्यादा है। वहां फेफड़े की बीमारी आदि से दो रोग होते हैं। ई. एस. आई. को जो हमारा मंत्रालय चलाता है, ई. एस. आई. के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। मंत्रालय पूरा प्रयास करता है कि उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं। हमारी पूरी कोशिश है, इसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार प्रयास जरूर करेगी।

[अनुवाद]

श्री कावम्बबुर एम. आर. जनार्दनन : यहां मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। क्या सरकार कपड़ा मिलों में रुई आदि के कणों धूल के अप्रत्यक्ष प्रतिशत के लिए एक मापदण्ड निर्धारित करेगी और एक नियम बनाएगी ? सिर्फ तभी क्षय रोग का मूल कारण दूर हो सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कपड़ा मिलों के लिए इन न्यूनतम अप्रत्यक्ष कणों के प्रतिशत लिए मापदण्ड निर्धारित करेगी। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस मामले पर विचार किया है। माननीय सदस्य की यह बात सही है कि कुछ तत्व कपड़ा कामगारों में बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। किन्तु यह सिर्फ क्षय रोग ही है ऐसा नहीं है। कई प्रकार के फेफड़े के अन्य रोग भी होते हैं। इनमें क्षय रोग भी एक है, किंतु, अहमदाबाद के कुछ कारखानों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह सिर्फ 40 प्रतिशत है। मेरे विचार से इस के पूरे पक्षों पर और तकनीकी पक्षों पर विचार करने की काफी गुंजाइश है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, सरकार निश्चय ही इन सभी पक्षों पर गौर करेगी और गलती करने वाली मिलों से स्वयं को सुधारने के लिए कहा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिम्मेदारी राज्य कर्मचारी बीमा

विभाग पर डाली है कि चिकित्सा सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा विभाग समुचित करता है मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एक बार राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल का अवलोकन करके देखिए कि कहां सुविधा मिलती है। हास्पिटल सारी सुविधा देता नहीं है। आप कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं मौजूद हैं, यह बिल्कुल गलत है। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से बीड़ी कर्मचारियों के लिए सुविधाएं मुहैया की है, उस प्रकार की सुविधाएं इन कपड़ा मिलों में जितने लोग हैं तो कृपया करके ये सुविधाएं उनके लिए भी उपलब्ध की जाएं और अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण हो। न तो महाराष्ट्र और गुजरात में करवाया है, क्या आप सब जगह करवाने के लिए तत्पर हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्पतालों की हालत सारे देश में खराब है। केवल मजदूरों के लिए है, यह नहीं बल्कि देश में जो भी चिकित्सालय हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है और आवश्यकता इस बात की है कि उनकी हालत सुधारी जाए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले दिनों में अस्पतालों को सुधारने का प्रयास किया जायेगा और विशेष तौर से कर्मचारियों के लिए जो अस्पताल हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जायेगा।

श्रीमति सुभाषिनी अली : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्युऐन्सी मे सूती मिल काफी तादाद में हैं और वहां के मजदूरों में टी. बी. का इंसीडेंस हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा अधिक है। करीब-करीब 80 फीसदी काम करने वाले मजदूरों को तपेदिक की शिकायत कानपुर की सूती मिलों में है। इसका यह भी कारण है कि उनकी तादाद बहुत कम है। पिछले पांच सालों से चाहे पब्लिक सैक्टर हों या प्राइवेट सैक्टर हो, सूती उद्योग के मजदूरों को जो तन्ख्वाह है, उसका पुनरीक्षण नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार कोई त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने वाली है सूती उद्योग मजदूरों की समस्याओं के बारे में जिसमें इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, सवाल बीमारी का है तन्ख्वाह का नहीं इसलिए तन्ख्वाह के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कानपुर सबसे पुराना टैक्सटाइल सेन्टर है। वहां की मिलें पुराने ढंग से बनी हुई हैं इसलिए वहां सुविधाएं अन्य जगहों की अपेक्षा कम हैं। माननीय सदस्या ने जो कहा है, वह सही है। वहां बीमारी और गंदगी ज्यादा है उधर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

डा. वेंकटेश काबडे : महोदय, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है, कि कपड़ा मिलों में कुछ धूल कणों के संपर्क में आने से सिर्फ क्षय रोग ही उत्पन्न नहीं होता अपितु कुछ 'न्यूमोकानिआसिस' जैसे रोग भी धूल कणों में संसर्ग के कारण होते हैं। एक आसान तरीका है जिसके द्वारा प्राथमिक चरण में ही इन बीमारी का पता लगाया जा सकता है ? 'जयपुर स्पायरोमीटर' नामक एक छोटा सा यंत्र है और यदि हर कपड़ा मिल में सिर्फ फेफड़ों की क्षमता जांचने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाए, तो हम इस बीमारी का प्राथमिक चरण में ही पता लगा सकते हैं। इसलिए, मेरा प्रश्न है : क्या मंत्री जी हर कपड़ा मिल में यह 'जयपुर स्पायरोमीटर' यंत्र उपलब्ध कराएंगें जिसकी कीमत सिर्फ 200/रुपए के लगभग है ताकि मिल के हरेक श्रमिक की जांच की जा सके ?

इस परीक्षण के द्वारा, 'न्यूमोकानि आसिस' रोग का प्राथमिक चरण में ही पता लग सकता है और उपाय किए जा सकते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इस सुझाव का हम स्वागत करते हैं। हम इस पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं

+

*142. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान पोषण स्तर बढ़ाने, माताओं को अधिक जागरूक बनाने तथा देश में अधिक से अधिक बच्चों और माताओं को टीके लगाने के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के माध्यम से इस योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवी पंचवर्षीय योजना के लिए, राज्यवार, कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ब्लाक और सर्किल स्तर पर बाल शिविर और बाल मेले आयोजित करने के लिए कोई योजना आरम्भ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) जी, हां। समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई. सी. डी. एस.) वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी स्तर ऊंचा करना तथा 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और माताओं को रोग प्रतिरोधन टीके लगाना, 3—6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा देना और माताओं में जागृति विकास करना है। अब तक आई. सी. डी. एस. योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, विश्व बैंक की सहायता से एक बहु-राज्यीय आई. सी. डी. एस. योजना भी वर्ष 1990-91 के दौरान 6 वर्ष के लिए शुरू की गई है जिससे कि कुल 303.32 करोड़ रुपए की लागत से आन्ध्र प्रदेश के 110 ब्लाकों और उड़ीसा के 191 ब्लाकों को कवर किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1985-86 में एक सर्व-व्यापक रोग प्रतिरोधन कार्यक्रम शुरू किया है, तथा 7 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसका विस्तार समूचे देश तक कर दिया गया है, इसलिए अभी धन का राज्यवार आबंटन ज्ञात नहीं है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः राज्यवार निधियों के आबंटन के बारे में अभी जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) देश के 2:0 जिलों में बालिका शिविरों का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे 02 अक्तूबर, 1990 को आई. सी. डी. एस. के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समुदाय में चेतना उत्पन्न करने के लिये 26 सितंबर और 4 अक्तूबर, 1990 के बीच ब्लाक और सर्किल स्तर पर बाल शिविरों और बाल मेलों का आयोजन करें।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री द्वारा अभी दिए गए वृत्तान्त और आश्वासनों के बावजूद, यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई समेकित बाल विकास सेवा योजना द्वारा अभी भी उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मध्यप्रदेश के कई पिछड़े क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये समुचित लाभ उपलब्ध नहीं किए किये गए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इन क्षेत्रों को आवंटित राशि में वृद्धि करेगी और नई योजनाएं शुरू करेगी।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : योजना शुरू करने की बात है, लगभग 15 हजार ब्लाक में, 2424 ब्लाक्स में यह कर दी है जहां गरीबी रेखा रेखा से नीचे लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और जहाँ के लोग बाढ़ तथा सूखे से पीड़ित हैं। कुछ निश्चित मापदण्ड बने हुई हैं इस योजना को लागू करने के लिए, सरकार के पास सीमित संसाधन हैं इसलिए हम चाहते हैं कि यह योजना आगे चले। जैसा कि मैंने निवेदन किया 7वीं पंचवर्षीय योजना तक इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। हम योजना आयोग से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान के अन्य इलाकों में भी इस योजना का लाभ हो, लेकिन सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम सब जिलों में लागू नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की भावना से अपने आपको भी जोड़ता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि आठवीं पचवर्षीय योजना में दौलत आने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिन्दुस्तान के अन्य इलाकों में भी इस योजना को ले जायें।

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति : मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूँगा कि इस परियोजना के लिए राज्यवार आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है और इन वर्षों के दौरान संबंधित व्यक्तियों के लिए इन योजनाओं को उपयोगी बनाने के लिए कितनी राशि का वास्तव में उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन : मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, उनको पढ़ने में देर लगेगी इसलिए मैं माननीय सदस्य को वह कागजात दिखला दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मेरी दृष्टि में, समेकित बाल विकास योजना में कोई भी प्रस्तावित संशोधन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि इस योजना को लागू करने में लगे हुए निचले स्तर के श्रमिकों, आंगनवाड़ी श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार न हो। महोदय, यह एक अत्यन्त शर्मनाक बात है शायद इसलिए कि वे महिला हैं कि इन आंगनवाड़ी श्रमिको को उचित और नियमित वेतन भी नहीं मिलता। उन्हें वेतन के नाम पर सिर्फ पारिश्रमिक मिलता है जो मेरे विचार से अत्यन्त गलत है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल के दौरान ये श्रमिक एक गोष्ठी में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे और तत्कालीन श्रम मंत्री से मिले। (व्यवधान) मैं वर्तमान सरकार और वर्तमान श्रम और कल्याण मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने जो आश्वासन दिया था, वह अभी भी है और आंगनवाड़ी श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए इसे लागू किया जाएगा।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : पिछली सरकार द्वारा किए गए वायदे के बारे में मैं कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता। बिना किसी बजट सम्बन्धी प्रावधान के वित्तीय निहितार्थ सम्बन्धी वायदे इस सदन और देश के लिये कोई अर्थ नहीं रखते, किन्तु मैं माननीय सदस्य से अवश्य सहमत हूं कि इन कर्मचारियों की स्थिति बहुत गम्भीर, बड़ी अनिश्चित है।

उनका ज्ञापन मुझे हाल में ही दिया गया है। सरकार इस विषय की जांच कर रही है और हम यथा सम्भव ऐसी कोशिश करेंगे जिससे उन्हें मदद मिले।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, छः साल की उम्र से नीचे जो बच्चे होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाईड करने के लिए सारी दुनिया में यह माना गया है कि बच्चों को मां का दूध देना चाहिये और बेबी फूड के लिए जो मल्टी नेशनलज़ की विज्ञापन एडवरटाईजमेंट आती हैं, उस पर रोक लगनी चाहिये ऐसा माना जाता है। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो सरकार एक विधेयक लायी थी जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा मिल सके और बेबी फूड्ज पर रोक लगायी जाये लेकिन वह विधेयक पारित नहीं हुआ। पिछली सरकार ने भी इस प्रकार के विधेयक को लाने का आश्वासन इस सभा गृह में दिया था। मैंने भी इस प्रकार का एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार भी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोमोट करने के लिए कोशिश करेगी और मल्टी-नेशनल्ज़ के बेबी फूड पर जो एडवरटाईजमेंट और दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रोग्राम्स चलते हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश करेगी ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मातायें बच्चों को अपना दूध पिलायें, सरकार इसके लिए कोई कोशिश नहीं करेगी लेकिन जहां तक दूसरा प्रश्न है, वह सही है कि जो बेबी फूड प्रोग्राम्ज पर व एडवरटाईजमेंट जगह जगह पर बुरे माने गये हैं, और हमारे देश में इससे तरह तरह की विसंगतियां पैदा हो गयी हैं, सरकार इस तरफ जरूर विचार करेगी और इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया जायेगा।

[अनुवाद]

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : केरल के छ: नए खण्डों में समन्वित बाल विकास सेवा शुरू की गई है, किन्तु दुर्भाग्य से कर्मचारी और सहायकों का चुनाव करने वाली समिति में संसद सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, क्या आप कर्मचारी और सहायकों का चुनाव करने वाली चयन समिति में संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए तुरन्त कदम उठाएंगे ?

श्री चन्द्र शेखर : हम समस्या के बारे में नहीं जानते ऐसे में मेरे लिए आश्वासन देना बहुत कठिन है।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि आंगनबाड़ी अध्यापकों का चयन करते समय, इनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों से चुने जाते हैं। हम जब भी किसी आंगनवाड़ी का दौरा करते हैं तो पाते हैं कि वहां अध्यापक उपस्थित नहीं है। इस समस्या को देखते हुए क्या सरकार एक समान नीति बनाएगी, ताकि चयन के समय क्षेत्रीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सके ? अब क्योंकि 'यूनीसेफ' ने बालिका कल्याण की बात की है, इस वर्ष के दौरान बालिकाओं को और अधिक प्रोत्साहन देने के बारे में प्रधान मंत्री क्या सोचते हैं ? क्या वे इस वर्ष समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या बढ़ा सकते हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : यह सच है कि हमें क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहिए, इससे कार्य में सुधार होगा। किन्तु केवल एक यही कारण नहीं है कि वे नगरों से या शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित होते हैं, इसलिए वे अपने कार्य-स्थान पर उपस्थित नहीं रहते। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। अपने ही क्षेत्रों में कार्य करने के वास्ते इन्हें प्रोत्साहन दिए जाने के लिए कुछ करना आवश्यक है।

श्री के. एस. राव : उक्त प्रश्न का उत्तर दर्शाता है कि 800 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में 303 करोड़ रुपये की भारी रकम खर्च की जा चुकी है। किन्तु जब हम गांवों में जाते हैं तो इस खर्च का अधिक प्रभाव हमें कभी भी महसूस नहीं होता। मुझे यह भी बताया गया है कि इस योजना को लागू करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का बड़े पैमाने पर योगदान नहीं लिया जा रहा है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह किसी कार्यदल स्वैच्छिक संस्था को और संसद के क्षेत्रीय सदस्य को, इसका सत्यापन करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिये, और यह सुनिश्चित करने के लिये कि जैसा सरकार चाहती है उसी तरीके से परिणाम प्राप्त किए जाते है अथवा नहीं शामिल करने वाले है ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में स्वैच्छिक संस्थाओं का स्वागत है और इस दिशा में उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे दुःख है कि इस योजना की कार्यप्रणाली के दोष के कारण क्षेत्रीय जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार को कार्यक्रम की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के सभी पहलूओं की जांच करनी होगी।

[हिन्दी]

"ग्रामसेट" नामक नई उपग्रह श्रृंखला

*144. श्री डी. एम. पुट्टे गौडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार और उद्योगों के लिए शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने हेतु एक पृथक उपग्रह-श्रृंखला "ग्रामसेट" को अन्तरिक्ष में स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित उपग्रह श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके कक्षा में कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में यह किस हद तक सहायक सिद्ध होगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक समर्पित उपग्रह "ग्रामसेट" के विचार की परिकल्पना की है, जिसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी. एस. एल. वी.) द्वारा प्रमोचित किया जा सकेगा। इस उपग्रह की मुख्य विशेषताओं में जी. एस. एल. वी. प्रमोचक राकेट से इसकी अनुरूपता और एक ऐसे संरूपण का होना है, जो संवर्धित टी वी अभिग्राहियो द्वारा सीधे अभिग्रहण के लिए संकेतों के सम्प्रेषण हेतु और स्थलीय पुर्नप्रसारण के लिए भी उपयुक्त होगा। परन्तु, इस प्रस्ताव पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

(ग) इसे 1995-96 की समय-सीमा में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस उपग्रह का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रो में साक्षरता उन्मूलन और प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट स्थानीय और विशिष्ट सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए, स्थानीय भाषाओं में, स्वास्थ्य स्वच्छता, बेहतर कृषि संबंधी सुविधाएं, परिवार नियोजन आदि में श्रव्य—दृश्यक शिक्षा के जरिए ग्रामीण विकास के लिए किया जा सकता है।

श्री डी. एम. पुट्टे गौड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है। हाल ही में वैज्ञानिकों की बैठक को सम्बोधित करते समय प्रधान मंत्री ने ग्रामीण कृषकों की दशा सुधारने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीक की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस पृष्ठ भूमि में, मैं माननीय प्रधान मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण लोगों और औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग द्वारा दिए गए सुझाव को सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ?

श्री कमल मोरारका : महोदय, 'ग्रामसेट' उपग्रह श्रृंखला बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है। मुख्य प्रश्न के उत्तर के अनुसार, यह केवल एक परिकल्पना है। इस पर खर्च और अन्य बातों का आकलन नहीं किया गया है। वर्तमान उपग्रह कार्यक्रम इनसेट I श्रृंखला और इनसेट 2 श्रृंखला में उपग्रह संचार के लाभ को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने की योजना है। वर्तमान उपग्रह का प्रयोग माननीय सदस्य के विचार के अनुरूप हो रहा है।

श्री डी· एम पुट्टे गौडा : अन्तरिक्ष विभाग ने कहा है कि स्वीकृति के बाद इस कार्यक्रम को लागू करने में पांच वर्ष लगेंगे। इसलिए, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि टी· वी. में प्रसारित किये जाने वाले शिक्षा सम्बन्धी और ग्रामीण कृषि कार्यक्रम, अहिन्दीभाषी क्षेत्रों राज्यों के ग्रामीण लोगों की जरूरतों के अनुसार नहीं हैं ? यदि ऐसा है तो क्या ग्रामसेट की स्थापना के पश्चात कार्यक्रमों को एक ही समय में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करने में मदद मिलेगी।

श्री कमल मोरारका : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं वर्ष प्रति वर्ष, उपग्रह तकनीक का विकास बड़ी तेजी से होता जा रहा है। इस समय उपलब्ध नवीनतम उपग्रह प्रौद्योगिकी से बहु-चैनल कार्यप्रणाली की सुविधा प्राप्त हो जाती और इससे एक उपग्रह से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न चैनलों पर कार्यक्रम प्रसारित करना सम्भव है। इसलिए, विभिन्न क्षेत्रों राज्यों की भाषा समस्या, उपग्रह कार्यक्रम की समस्या नहीं रहेगी।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, प्रधानमन्त्री कार्यालय में माननीय राज्य मन्त्री श्री कमल मोरारका ने सदन को दिये गए अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान उपग्रह प्रणाली ग्रामीण शिक्षा सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखती है। क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रामीण शिक्षा सुविधाओं को कितने प्रतिशत समय दिया गया है ? जहां तक मुझे जानकारी है, उपग्रह के उपलब्ध समय का यह उसका मुश्किल से दो प्रतिशत है। यह स्थिति बिलकुल सन्तोषजनक नहीं है। वर्तमान प्रणाली वर्ष 1995-96 में पूर्ण होगी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वर्तमान प्रणाली में ग्रामीण कृषि प्रणाली को बेहतर सुविधा प्राप्त हो, हम कौन से सुधारात्मक उपाय कर रहे हैं ?

श्री कमल मोरारका : यह तथ्य है कि उपग्रह कार्यक्रम में गतिरोध उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इनसेट I सी काम नहीं कर पाया है। हम इनसेट-I बी का ही प्रयोग कर रहे हैं। यह सच है कि बढ़ी हुई उपग्रह क्षमता से सूचना और प्रसारण चैनलों के लिये अधिक समय मिल सकेगा।

माननीय सदस्य सही कहते हैं कि उपग्रह का काफी समय दूर-संचार की आवश्यकता को पूरा करने में लग जाता है तथा सूचना और प्रसारण के लिए भी थोड़ा समय देना पड़ता है। जब तक हमें और अधिक उपग्रह क्षमता नहीं मिल जाती, सूचना और प्रसारण के लिए वर्तमान में और अधिक समय आबंटित करना कठिन होगा, क्योंकि दूर-संचार और उपग्रह का अन्य रूप से प्रयोग भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

श्री वसंत साठे : मेरे विचार में, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां हम वास्तव में ग्रामीण लोगों के लिये कोई कार्य कर सकते हैं। जैसा कि विदित है कि क्षेत्रीय समस्याओं के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे अधिकतर लोगों को केवल प्रादेशिक भाषाओं के जरिए ही समझा जा सकता है। अतः आज कल राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किये जाने वाले अधिकतर कार्यक्रम हिन्दी या अंग्रेजी में होते हैं। यदि आप प्रादेशिक चैनलों पर प्रादेशिक भाषाओं में प्रादेशिक कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति देते हैं तो अधिकतर कार्यक्रमों को जो मनोरंजन संबंधी होते हैं थोपने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, मेरे विचार राज्य स्तर पर हम शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। इस समय उपलब्ध उपग्रह के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई विचार करेगी।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। मेरे विचार से, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव रखा है और सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री एम. एम. पल्लम राजू : महोदय, मैं समझता हूँ कि इनसैट उपग्रह को छोड़ने के लिए और फिर ग्रामसैट के लिये जी. एस. एल. वी. एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है।

जी. एस. एल. वी. को लेकर जो समस्याएं हैं मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा और एक

राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में शिक्षा के महत्व को समझ कर यह जानना चाहता हूं कि 'ग्रामसेट' इसमें कैसे सहयोग कर सकता है। क्या मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री ग्रामसेट को यथाशीघ्र स्थापित करने के महत्व पर और इस परियोजना के लिए पूंजी उपलब्ध करवाने पर विचार करेंगे?

श्री कमल मोरारका : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उपग्रह तकनीक के महत्व से सरकार पूरी तरह अवगत है। सिर्फ यह 'ग्रामसेट' परियोजना ही नहीं, जो अभी अपने अन्तिम चरण में नहीं है और जिसे सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, अपितु अन्तरिक्ष मंच जैसी कई अन्य तकनीकी पर भी नेशनल इन्फार्मेटिक्स काम्पलैक्स विचार कर रहा है। और तकनीकी के नवीनतम विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार इस देश के लिए उपलब्ध अधिकतम आग्रह यंत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी जबकि मूल्य पर भी विचार किया जाएगा और जिस गति से हम परियोजना को पूरा कर सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे ताकि शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके।

जम्मू और कश्मीर में सेना तैनात करना

***145. श्री जनक राज गुप्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वहां सेना तैनात करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सीमा पार से उग्रवादियों और विघटनकारियों के आवागमन को रोकने सहित देश की रक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर में सीमा रेखा का नियंत्रण, सेना के कार्य संचालन में है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है, सेना को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाता है।

श्री जनक राज गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं। कि क्या यह दुरुस्त है कि कश्मीर में टैररिस्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है और पाकिस्तान टैररिस्ट को ट्रेनिंग देता है, हथियार दिये जाते हैं और पैसे दिये जाते हैं और फिर उनको कश्मीर भेज दिया जाता है ताकि वे वहां गड़बड़ी कर सकें? अगर यह दुरूस्त है, तो क्या पाकिस्तान की सरकार के साथ डिप्लोमैटिक लेवल पर वार्तालाप किया गया है, अगर किया गया है, तो उसके क्या नतीजे निकले हैं और उसके आधार पर क्या करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि समय समय पर हमें ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। हम पाकिस्तान की सरकार से संबंध बनाए रहते हैं। अभी, जब मैं माल में

था, तो मैंने इस संबंध मे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मामले में कुछ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार, जब श्री वी. पी. सिंह की गवर्नमेंट थी, उस दौरान उस सरकार की गलत नीतियों की वजह से जम्मू-कश्मीर में बहुत गड़बड़ी हुई और हालात काफी बिगड़ गये। जम्मू-कश्मीर जहां कभी महात्मा गांधी जी को सेकूलरिज्म के लिए रोशनी की किरण दिखाई दी थी और कभी भी पिछले साल तक दंगे नहीं हुए थे, लोगों में कम्युनल फीलिंग नहीं आई थी लेकिन उस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वहां पर सिचुएशन कम्युनलाईज हुई और बहुत से लोगों को, हिन्दू और मुसलमानों को वहां से घर छोड़कर बेघर होकर दिल्ली और दूसरी जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। इसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं कि उन्होने इनोपिऐटिव लिया और जम्मू-कश्मीर के वर्क्स को बुलाया, उनसे बातचीत की ताकि वहां हालात सुधारे जा सकें। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हालात पैदा हो चुके हैं, इसमें यह दुरुस्त है कि पिछली सरकार के जाने के बाद कुछ फर्क पड़ा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनक राज जी, आप सवाल कीजिये।

श्री जनक राज गुप्त : वहां पर हालात काफी बिगाड़ने के लिए कोशिश की जा रही है लेकिन वहां आगे से हालात बेहतर हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो हालात उनकी सरकार से पैदा किए थे उसको ठीक करने के लिये और हालात नार्मल करने के लिए क्या सरकार ने कोई एक्शन प्लान बनाया है, कोई प्रोग्राम है जिससे वहां पर हालात ठीक हो सकें?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की नीतियों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वह माननीय सदस्य की अपनी राय होगी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर के हालात आज भी बहुत अच्छे नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में परिवर्तन हुआ है लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से नहीं हुआ है, कुछ मौसम की वजह से और कुछ हमारे सुरक्षा बलों ने काम भी अच्छा किया है। वहां पर मिल-जुलकर काम करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सदन से कहूंगा कि कश्मीर जैसे सवाल पर सब लोग मिलकर सोचें तभी कोई समाधान निकल सकता है। हम एक एक्शन प्लान बना रहे है, हमने कश्मीर के नेताओं से बात की है। जहां तक सुरक्षा बल काम रहे हैं वह अपनी जगह पर मैं विभिन्न दलो के राजनीतिक नेताओं से कहूंगा कि वे जाकर वहां से जनसम्पर्क करें, सरकार इसमें पूरा सहयोग और सहायता करेगी।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, अपने उत्तर में माननीय प्रधानमंत्री ने माले की अपनी यात्रा का और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हुई वार्ता का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय प्रधानमंत्री उन समाचारों से अवगत हैं जो माले सम्मेलन के बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं जिनके अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को निरन्तर समर्थन देने का आश्वासन दिया है और क्या भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार

से इस पर विरोध प्रकट किया है। भारत के कुछ भागों में आतंकवादियों को जो समर्थन दिया जा रहा है इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कश्मीर के इतिहास से अवगत है। भारत और पाकिस्तान के विचारों में लगातार विरोध रहा है। मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है जिसमें पाकिस्तान सरकार वहाँ के प्रधान मंत्री ने यह कहा हो कि वे आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे वहाँ आंदोलन कर रहे लोगों को नैतिक और अन्य समर्थन देंगे, किन्तु यह बात भी हमें स्वीकार्य नहीं है।

हमने पाकिस्तान सरकार और वहां के प्रधानमंत्री को अपनी स्थिति पूर्णत: स्पष्ट कर दी है कि कश्मीर भारत का एक अखण्ड अंग है और कश्मीर में कोई भी हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। यह स्थिति अभी भी है।

जहां तक कार्यवाही का संबंध है, सभी संभव कदम उठाए जायेंगे ताकि कोई भी वर्तमान स्थिति के बिगाड़ न सके और कश्मीर भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और इसके लिये सरकार हर संभव उपाय करेगी; इसमें कुछ भी कमी नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिये जो कैम्प पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से सार्क सम्मेलन में बात की थी ? अगर की थी तो क्या उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वहां ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं ? अगर वहां ऐसे ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं तो उनको रोकने के लिये पाकिस्तान क्या करने जा रहा है ? इसी के साथ जुड़ा मेरा दूसरा सवाल यह है कि उन आतंकवादियों के कारण जो कश्मीरी शरणार्थी बन कर जम्मू और दिल्ली में आकर बसे हैं क्या उनके परमानेंट रिहैबिलटेशन की मांग को आप पूरा करने जा रहे हैं ? वे पिछले एक साल से बनजारों की तरह से जिन्दगी बिता रहे हैं। वे कभी यहां आते हैं और कभी वहां जाते हैं। दिल्ली में उन्हें साढ़े सात सौ रुपये महीना ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है, क्या उनके रिहैबिलटेशन के बारे में सरकार कुछ कर रही है ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि सार्क सम्मेलन में कश्मीर का मामला नहीं उठाया गया और न ही हाउस पर कोई चर्चा हुई क्योंकि हम ऐसा समझते है कि कश्मीर का मामला हमारे देश का अन्दरूनी मामला है और भारत सरकार इसे किसी विदेशी मंच पर उठाने के विरुद्ध है। सार्क सम्मेलन में तो इस बारे में बात नहीं हुई लेकिन सार्क सम्मेलन के बाद जो हमारी वहां के प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत बात हुई उसमें क्या चर्चा हुई, आप जानते हैं कि वह सार्वजनिक रूप से कहने की बात नहीं होती है। इसलिए उस चर्चा के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जहां तक दूसरा सवाल है, माननीय सदस्य वहां के शरणार्थियों के बारे में मुझसे मिले थे और उन्होंने कुछ सुझाव भी रखे थे। जहां तक उनके पुनर्वास का मामला है आप जानते हैं कि इसके बारे में दो तरह की राय है। सरकार उसको भी देख रही है। उनको हर सुविधा देने के लिये हमारे पास कुछ सुझाव आये हैं। माननीय केदारनाथ साहनी जो माननीय

सदस्य की पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने भी विस्तृत योजना बतायी है। उस दिशा में हम कुछ काम कर रहे हैं। जो लोग शरणार्थी बन कर आये हैं वे सब बड़े परिवारों या धनी परिवारों से हैं। उनको कितनी ही सुविधा दी जाये वह कम है। उन्हें वह सुविधा नहीं दी जा सकती जिसके अन्दर वह रह रहे थे। उनकी चिन्ता, उनकी बेचैनी को मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार के जो सीमित साधन हैं, उनमें पूरी सहायता की जा रही है।

[अनुवाद]

डा. विप्लव दासगुप्त : मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि प्रधान मंत्री इन आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दृढ़संकल्प हैं जिन्हें पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन न दें कुछ राजनयिक कदम उठाये गये हैं। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहूँगा कि कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया को तेज करने के लिये वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि सारी लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों के विरुद्ध ही नहीं है अपितु यह लड़ाई कश्मीर की जनता के दिल या दिमाग के लिए भी है और जब तक भारत सरकार पूरी शान्ति से यह लड़ाई जीत नहीं लेती, तब तक हम कश्मीर को अपने साथ रखने में सफल नहीं होंगे। इस वजह से मैं यह प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूं कि वे सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिससे कि राजनैतिक प्रक्रिया तेज हो और कश्मीर की जनता भारत की एकता और अखण्डता का पूर्ण समर्थन करें। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, यह सत्य है कि आतंकवादियों को सीमा पार से कुछ मदद मिल रही है किन्तु उन्हें कौन प्रोत्साहित कर रहा है और किस हद तक उन्हें बढ़ावा मिल रहा है, अभी मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ किन्तु भारत सरकार को सीमा पार से मदद दिए जाने की सूचना है। जहां तक देश के उस भाग में राजनैतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने का संबंध है, हमने कश्मीर के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से अनुरोध किया है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम उन सभी नेताओं को सभी संभव सहायता और सहयोग देंगे यदि वे वहां जाकर लोगों से सम्पर्क करें। हम कश्मीर के सभी नेताओं, यहां तक कि बाहर के नेताओं से भी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अनुरोध कर रहे हैं, कि अगर वे अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कश्मीर जाने को तैयार हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने उचित ही कहा है हमें लोगों के विचारों को बदलना है तब मैं इसका अत्यन्त स्वागत करूंगा और सरकार की ओर से उन्हें सभी प्रकार की सुविधा और सहायता दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले 14 महीने में देश में उग्रवादियों का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है और देश के इतने बुरे हालात हो गये हैं जिसका अन्दाज लगाना मुश्किल है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब बी. एस. एफ., सी. आर. पी. एफ. और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं हो तो जम्मू और कश्मीर और साथ ही लगते हुए पंजाब के हालात भी जो बद से बदतर हो गये हैं, रोजाना आप रेडियो और टी. वी., अखबार सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब 25-30 आदमी रोजाना न मरते हों। यही नहीं, पहले कोई-कोई, आदमी मरता था तो पब्लिक का मरता था लेकिन आज आर्मी तक के आफिसर

और जवान और सी. आर. पी. एफ. के जवान भी मर रहे हैं, पुलिस की चौकियों पर राकेटों से हमले हो रहे हैं, इतने आधुनिक हथियार उनके पास आ गये हैं कि उनको कण्ट्रोल करना मुश्किल हो गया है, मैं प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे हालात में पंजाब और जम्मू कश्मीर में आर्मी लगाना उचित नहीं होगा ? वहां आर्मी लगनी चाहिए और हमारे फोर्सेज के पास भी आधुनिक हथियार होने चाहिए ताकि वह भी उठकर उनका मुकाबला कर सकें ताकि लोगों की जान की सुरक्षा हो सके।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसकी वास्तविकता को मैं समझता हूं लेकिन यह सवाल नहीं है कि आर्मी लगाना उचित है या नहीं। फौज की जहां जरूरत पड़े, लगाना उचित हो जाता है। आवश्यक है कि नहीं, इस बारे में दो राय हो सकती हैं। मैं समझता हू कि हमारे सशस्त्र पुलिस बल ही इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि वहां की स्थिति को संभाल सकें। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह सुझाव सही है, उनको आधुनिक हथियार देने की व्यवस्था की गई है, की जा रही है अधिक से अधिक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को हम वहां भेज रहे हैं। जहां तक फौज का सवाल है, सरकार यह नहीं चाहती कि आन्तरिक मामलों में फौज का इस्तेमाल हो, जब तक कि यह अत्यन्त आवश्यक न हो जाय। वहां स्थिति अभी इस स्थिति में नहीं है कि जहां फौज का भेजना जरुरी हो। यह सीमावर्ती राज्य हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है इसलिए फौज को आपरेशन करने के लिए कार्यवाही करने के लिए हम नहीं भेजे हुए हैं लेकिन हम अपने सशस्त्र पुलिस बल को अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. एन. जी. रंगा : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे प्रसन्नता है कि इसे उठाया गया है। प्रधानमंत्री का उत्तर भी संतोषजनक है। किन्तु, यह संसद का अंतिम सप्ताह है और मैं चाहूंगा कि हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बल को यह विश्वास दिलाया जाए कि यह सदन उनका पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन करता है। इसलिए, मैंने अपने माननीय मित्र प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व या इसके तत्काल बाद संसद के सभी दलों के सभी नेताओं की एक बैठक बुलाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनकी ओर से, सम्पूर्ण संसद की ओर से एक वक्तव्य जारी किया जाए कि सेना और उसकी विभिन्न शाखाओं को समर्थन देने में संसद पूर्ण रूप से संगठित है चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल के हों। और यह भी विश्वास दिलाती है कि कश्मीर में जो विद्रोही गतिविधियां चल रही हैं उन्हें कोई भी प्रोत्साहन नहीं देता है और हमारी सेना और जनता के आदेश पर पूरे बल के साथ इसे दबा दिया जाएगा।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अभिवंदनीय है। देश के उस हिस्से में विप्लव को सहन नहीं किया जाएगा। राजनैतिक दलों के विभिन्न नेताओं से मैंने बात की है। इस मुद्दे पर सभी एकमत हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सम्पूर्ण देश और देश का राजनैतिक मत यही है कि कश्मीर भारत का एक अंग है और विद्रोह के किसी भी प्रयास से समय की मांग के अनुसार निपटा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी आशा है कि वहां के जिन लोगों ने गलत मार्ग चुना है वे अपने

प्रयास की निस्सारता को समझेंगे और देश की मुख्यधारा में लौट आएंगे और अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाये गए हैं। मुझे आशा है कि यह क्रम जारी रहेगा और निकट भविष्य में शायद वहां स्थिति को संभालने के लिये सेना भेजने की जरूरत न पड़े।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना

[हिन्दी]

*146. श्री धान सिंह जाटव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है,

(ख) यदि हां, तो इन्हें वर्गवार दी जा रही छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या ऐसी छात्रवृत्तियों के अलावा कुछ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र भी छात्रवृत्ति देते हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का अन्य राज्यों को भी ऐसी छात्रवृत्तियां देने का सुझाव देने का विचार है;

(च) क्या सरकार को इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने में अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें मिली हैं, और

(छ) यदि हां, तो उन पर क्या कारंवाई की गई है ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) संघ सरकार द्वारा शैक्षिक छात्रवृत्तियों/प्रोत्साहनों की निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

(एक) कल्याण मंत्रालय की योजनाएं :—

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना

इस योजना के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। इन पाठ्यक्रमों को वर्ग क से ङ में बांटा गया है। वर्ग "क" में व्यावसायिक

स्नातक और स्नातकोत्तर आते हैं अर्थात् चिकित्सा, इंजीनियरी, कृषि, पशु-चिकित्सा विज्ञान। वर्ग "ख" में भारतीय चिकित्सा के डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आते हैं और इसके साथ-साथ इंजीनियरी, प्रोद्योगिकी, वास्तुकला, चिकित्सा इत्यादि के डिप्लोमा और तुलनीय पाठ्यक्रम आते हैं। वर्ग "ग" में इंजीनियरी/प्रोद्योगिकी, वास्तुकला, चिकित्सा इत्यादि के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, बी.एड., जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी डिप्लोमा/प्रमाण पाठ्यक्रम और कृषि, पशुपालन विज्ञान तथा ग्रामीण सेवाओं के डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आते हैं। वर्ग "ड" में 10+2 पद्धति की कक्षा की कक्षा 11 और 12 शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष शामिल है। जो छात्र सुदूर शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों से पढ़ रहे हैं, उन्हें भी गैर प्रति देय शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाती है। छात्रवृत्तियों में अनुरक्षण प्रभार, अनुमोदित अध्ययन दरों से संबंधित शुल्क और खर्चे तथा शोध प्रबन्ध का टंकण/मुद्रण शामिल है। इन वर्गों (क) से (ङ) के अन्तर्गत अनुमत्य मासिक अनुरक्षण भत्ता निम्न प्रकार है :—

अध्ययन पाठ्यक्रम	छात्रावास में रहने वाले	(रुपयों में) दिवा छात्रा
क ग्रुप	280	125
ख ग्रुप	190	125
ग ग्रुप	190	125
घ ग्रुप	175	90
ङ ग्रुप	115	65

लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की दरें एक समान है। इस योजना के अंतर्गत देय छात्रवृत्तियों और शुल्कों की विभिन्न वर्गों के लिए सीमा नीचे दी गई हैं :—

(क) उन छात्रों के संबंध में जिनके माता पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1500/- मासिक से अधिक नहीं है।	पूरा आरक्षण भत्ता और पूरा शुल्क
(ख) उन छात्रों से संबंध में जिनके माता पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1500/- रु. प्रति मास से अधिक है परन्तु 2000/- रु. प्रति माह से अधिक नहीं है और जो निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं :—	

(1)	वर्ग "क" के पाठ्यक्रम	पूरा अनुरक्षण भत्ता और पूरा शुल्क
(2)	वर्ग "ख", "ग", "घ" और "ङ" के पाठ्यक्रम	
(ग)	उन छात्रों के संबंध में जो पूर्ण कालिक रोजगार में है ।	कोई छात्रवृत्ति नहीं

एक ही माता पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे हो यदि योजना के अन्तर्गत अन्यथा पात्र है, छात्रवृत्ति पाने के हकदार हैं ।

(2) मैला ढोने, चमड़ा रंगने और चमड़ा उतारने जैसे अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना

इस योजना के अन्तर्गत जाति, धर्म इत्यादि पर ध्यान दिये बिना पात्र बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती है । यदि उनके माता पिता/अभिभावक अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत हैं । इस योजना का उद्देश्य है कि चमड़ा रंगने, चमड़ा उतारने, मैला ढोने और झाड़ूकश का काम करने वाले उन लोगों के बच्चों को, जिनका मैला ढोने के काम से परम्परागत संबंध है, उस अस्वच्छ वातावरण से दूर समुचित होस्टलों में रखकर अच्छी कोटि की शिक्षा दी जाये । ऐसे छात्रों को जो कक्षा 6 से 10 में पढ़ते है, एक वर्ष में 10 मास तक निम्नप्रकार से छात्रवृत्तियां दी जाती है :—

कक्षा 6-8	200/- रु. प्रति मास
कक्षा 9-10	250/- रु. प्रति मास

पात्र छात्रों के संबंध में माता पिता/अभिभावक को आय 1000/- रु. प्रति मास से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के लिए विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु राष्ट्रवृत्ति समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां

इस योजना में ऐसे पात्रों छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो पी. एच. डी. तथा पोस्ट डाकटरल अध्ययनों सहित उत्तर स्नातक अध्ययन करना चाहते हैं तथा जो मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम या उन विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं जिनके लिए भारत में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । यह छात्रवृत्तियां कृषि तथा चिकित्सा विज्ञानों और भारतीय अध्ययनों से संबंधित विषयों के लिए नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत हर वर्ष 25 छात्रवृत्तियां उपलब्ध की जाती है ।

इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की चालू दरें निम्न प्रकार है :—

अनुरक्षण भत्ता

(क) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, 5,400/-

अमरीकी डालर प्रति वर्ष

स्नातकोत्तर और पी.एच.डी. के लिये 6,000/- अमरीकी डालर प्रति वर्ष और उत्तर डाकटरल पाठ्यक्रमों के लिए 7000/- अमरीकी डालर प्रतिवर्ष का अनुरक्षण भत्ता

(ख) पुस्तकों की वास्तविक लागत, शोध प्रबन्ध के टंकण और जिल्दसाजी, अध्ययन दौरों और अनिवार्य उपकरणों को पूरा करने के लिए 350 अमरीकी डालर प्रति वर्ष का भत्ता,

(ग) शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा चिकित्सा/स्वास्थ्य बीमा प्रभार,

(घ) 1,000/- रु. का उपस्कर भत्ता और प्रासंगिक यात्रा व्यय के लिए 12 अमरीकी पौंड के बराबर भत्ता।

(ङ) आने जाने का किराया।

इस छात्रवृत्ति के लिए एक अभिभावक/माता पिता का केवल एक बच्चा ही पात्र है। उम्मीदवार की आयु जिस वर्ष में छात्रवृत्ति ली जाती है, उस वर्ष की एक अक्तूबर, को 35 वर्ष से कम होनी चाहिए, परन्तु यदि चयन समिति यह निर्णय करती है कि उम्मीदवार बहुत योग्य है तो आयु में तीन वर्ष की ढील दी जा सकती है।

(दो) मानव संसाधन विकास (शिक्षा विभाग की योजनाएं)

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की योग्यता का स्तर बढ़ाने के लिए योजना

इस योजना में 50 स्कूलों के 1000 छात्र (670 अनुसूचित जाति और 330 अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए) शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को उपचारी और विशेष दोनों प्रकार की अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करके उनकी योग्यता का स्तर बढ़ाया जाए।

(2) अनुसोदित आवासियों माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियां

500 तक छात्रों को शामिल किया जाता है यदि उनके माता पिता/अभिभावकों की आय 25000/- रु. प्रति वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों को क्रमशः 15% और 7.5% का आरक्षण दिया जाता है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 38,000 है। इन छात्रवृत्तियों के अलग-अलग ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	छात्रवृत्तियों की कुल संख्या
सामान्य श्रेणी—तीन छात्रवृत्तियां प्रति समुदायिक विकास खंड	15,000

भूमिहीन कामगारों के बच्चे	दो छात्रवृत्तियां प्रति सामुदायिक विकास खण्ड	10,000
अनुसूचित जाति बच्चे	दो छात्रवृत्तियां प्रति सामुदायिक विकास खंड और यदि किसी सं. वि. खंड में अनुसूचित जाति जनसंख्या 20% या अधिक है तो प्रति सामुदायिक अतिरिक्त छात्रवृत्ति	11,500
अनुसूचित जनजाति बच्चे	प्रति आदिवासी सामुदायिक विकास खंड-तीन छात्रवृत्तियां	1,500

(तीन) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों से संबंधित छात्रों को डिग्री कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए परिषद् की एक योजना है जिसके अंतर्गत स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी जाती है छात्रवृत्ति की दर 300/- रु. प्रति मास है और प्रति वर्ष 750/- आकस्मिक अनुदान दिया जाता है।

(ग) से (घ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी अपनी योजनाओं में छात्रवृत्तियों/प्रोत्साहनों को योजनाएं है। यह योजनाएं हर राज्य में भिन्न-भिन्न है। ऐसी योजनाओं में आम तौर पर मैट्रिक पूर्ण स्तर पर छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति बालिकाओं को उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को वजीफे शामिल है।

(ङ) पात्र परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता और उच्च स्तरीय संस्थाओं में आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने हेतु योजना आयोग तथा यह मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालता रहा है।

(च) और (छ) छात्रवृत्तियों के भुगतान में विलम्ब आदि के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। उन्हें अपेक्षित उपचारी कार्यवाही के लिए राज्यों को भेज दिया गया है।

श्री रामसिंह जाटव : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती। उनके आवेदन पत्र ले तो लिए जाते हैं। परन्तु उन्हें रख लिया जाता है। उन्हें आगे फारवर्ड नहीं किया जाता। जो सैंक्शनिंग औथोरिटी है, वह अपने दफ्तर में रखे रहते हैं। इस कारण वक्त पर सैंक्शन न मिलने से छात्रों को पेमेंट नहीं हो पाता। पैसा लैप्स

हो जाता है। ऐसी अनेक अनियमिततायें हैं जिनकी ओर मैंने केन्द्रीय सरकार का ध्यान खींचा था, निवेदन किया था परन्तु मुझे पता नहीं चल सका कि इन अनियमितताओं की जांच हुई या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई इस तरह का सैल बनाने का विचार रखती है जिसमें कि ऐसी तमाम शिकायतों की जांच की जाये और जांच के उपरान्त उनका निराकरण कराया जाये। यदि शिकायत सही पायी जाये तो दोषी अधिकारियों को सजा दी जाये, क्या इस तरह के किसी सैल को बनाने का सरकार विचार रखती है।

श्री रामजी लाल सुमन : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह राज्य सरकारों की ओर से दी जाती है। केन्द्रीय सरकार भी छात्र-वृत्तियां देती है। इस सम्बन्ध में हमें जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका हम निपटारा करते हैं। जहां आवश्यक होता है, वहां हम राज्य सरकारों को भी लिखते हैं। मैं आभारी हूंगा, यदि माननीय सदस्य इस तरह की जितनी शिकायतें हों उन्हें लिखकर मुझे दें, जिन लोगों ने अनियमिततायें बरती हैं, हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री मानसिंह जाटव : अध्यक्ष महोदय, इन जातियों में जितने अस्वच्छ काम करने वाले लोग हैं यद्यपि उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार उनके बच्चों के लिए अलग से कोई छात्रावास खोल रखे हैं या नही, जिनके अभिभावक या माता-पिता अस्वच्छ काम करते हैं, जैसे मेहतर का काम करते हैं, या चमड़ा रंगने का काम करते हैं। यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार निकट भविष्य में इन लोगों के बच्चों के लिए छात्रावास खोलने का विचार रखती है। इसी सम्बन्ध में, मेरा दूसरा प्रश्न है कि घुमन्तू जाति के बच्चों के लिए शिक्षा कहीं भी नहीं मिलती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार घुमन्तू जाति के बच्चों के लिये कोई छात्रावास खोलने या छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है या नहीं।

श्री रामजी लाल सुमन : उनके लिए अलग से कोई छात्रावास की व्यवस्था नहीं है लेकिन यह बात दुरुस्त है कि सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद, सबसे पहला हक उनका बनता है जो समाज में उपेक्षित हैं, शोषित हैं या पीड़ित हैं। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सबसे पहले उन लोगों के साथ इन्साफ हो, जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। अगर छात्रावास खोलने की आवश्यकता हुई, तो हम छात्रावास खोलेंगे। जहां तक अन्य जातियों के शामिल करने का सवाल है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे हम से बात कर लें, जो अधिकतम संभव हो सकेगा, हम जरूर करेंगे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्कालरशिप निश्चित की हुई है वह बहुत पुरानी है, क्या वे आज की स्थिति को ध्यान में रखकर उसमें सुधार करेंगे ? दूसरे यह कि गावों से लोग शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं और यहां छात्रावास बहुत कम हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या वे छात्रावास बढ़ाने और छात्रवृत्ति बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री रामजी लाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर बढ़ाई जाए, इस सिलसिले में 1986 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशें 1989

में आई हैं और उनकी छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया था। मैं आपकी चिन्ता को भलीभाँति समझता हूँ हम इस मामले में आगे निश्चित रूप से विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

[अनुवाद]

*147. **श्री जौस फर्नान्डीज :**

श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के बारे में महाजन आयोग पंचाट का कार्यान्वयन सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की गई थी;

(ग) क्या संघ सरकार ने उक्त सीमा विवाद को हल करने हेतु दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ कुछ बैठकें की हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी बैठकें की गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त, 1967 को प्रस्तुत की थी। आयोग की सिफारिशें तभी लागू की जा सकती हैं जब संबधित महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारें उन्हें स्वीकार करें।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) कोई समय निश्चित करना तब तक संभव नहीं है जब तक दोनों राज्य सरकारें कोई समझौता नहीं करती।

विवरण

9 मई, 1988 को गृह मन्त्री के साथ दोनों मुख्यमन्त्रियों की एक बैठक करने का प्रयास किया गया लेकिन यह तिथि कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के लिए अनुकूल न थी। उसके बाद तत्कालीन गृह मन्त्री के साथ विचार-विमर्श करने के लिए कर्नाटक के मुख्य मंत्री को 17.4.89 को बुलाया गया। तथापि, उन्होंने दूसरी तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया और तदनुसार बैठक

3.5.89 को होनी तय हुई। तथापि, 21.4.89 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यह बैठक नहीं हो सकी। बाद में भूतपूर्व गृह मन्त्री ने दोनों मुख्य मन्त्रियों को 1.8.90 को संयुक्त बैठक करने के लिए बुलाया। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री को बंगलौर में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में जाने के कारण उनके बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण यह बैठक भी नहीं हो सकी।

कर्नाटक में कार्यरत ग्राउटडोर ब्राडकास्ट वैनें

*148. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विभिन्न टी.वी. रिले केन्द्रों में कितनी "आउटडोर ब्राडकास्ट वैनें" हैं तथा बंगलौर शहर में इनकी संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक को वर्ष 1990 के दौरान कितनी ग्रोर "ग्राउटडोर ब्राडकास्ट वैनें" दी जानी हैं;

(ग) क्या इन "ग्राउटडोर ब्राडकास्ट वैनों" के प्रयोग के बारे में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) कर्नाटक के दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में पहले से ही एक बाह्य प्रसारण (ग्रो. बी.) वैन उपलब्ध है, इसके ग्रलावा, राज्य में गुलबर्गा में बनाए जा रहे कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के लिए इलेक्ट्रानिक न्यूज गेदरिंग उपकरण के साथ एक छोटी गाड़ी (मिनि वेन) भी दे दी गई है। बाह्य प्रसारण वैनों के उपयोग के लिए यद्यपि कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, तथापि कवर की जाने वाली घटनाओं के स्वरूप तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए ग्रावश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जाता है।

राजस्थान के संगठनों को धनराशि का ग्रावंटन

[हिन्दी]

*149. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कल्याणकारी कार्यों में लगे विभिन्न संगठनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का ग्रावंटन किया गया तथा उन योजनाओं के नाम क्या है, जिनके लिए यह ग्रावंटन किया गया है;

(ख) क्या इन संगठनों ने, इन तीन वर्षों से पहले के वर्षों में उन्हें ग्रावंटित की गई धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र दे दिए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र नहीं दिए गए हैं ग्रौर इन्हें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) सूचना विवरण 1, 2 और 3 दी दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कोई निश्चित शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण-1

वर्ष 1987-88 अवधि में राजस्थान राज्य की संसेवी संस्थाओं को निर्मुक्त सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण .

क्रम सं.	संस्था का नाम	राशि	प्रयोजन
1	2	3	4
अनुसूचित जाति विकास :			
	सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेन्टर, टिलैनिया, राजस्थान।	6,66,700/-रु.	गुजरात के पंचमहल जिले में 50 नलकूप लगाना।
आदिवासी विकास :			
	बन्सथली विद्यापीठ, राजस्थान	7,03,550/-रु.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का आदिवासी छात्राओं को शिक्षा के लिए वृतिका।
विकलांग कल्याण :			
1.	जीवन निर्माण संस्थान, गली बाग रोड़, भरतपुर।	50,580/-रु.	विकलांग व्यक्तियों की संस्था को सहायता।
2.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर।	84,478/-रु.	—तदैव—

1	2	3	4
	3. बधिर बाल कल्याण विकास समिति, जयपुर।	1,27,440/रु.	—तदैव—
	4. बधिर बाल विकास केन्द्र, कोटा	50,000/रु.	—तदैव—
	5. विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर।	80,000/-रु.	—तदैव—
	6. इंडियन काउंसिल आफ सोशल वेलफेयर, जयपुर।	91,792/-रु.	—तदैव—
	7. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	25,00,000/-रु.	विकलांग व्यक्तियों को यंत्र/उपकरण खरीदने के लिए सहायता।
समाज रक्षा :			
	1. बृज बाल निकेतन, समिति, कांमा, भरतपुर।	20,045/-रु.	संगठनात्मक सहायता
	2. सरस्वती शिशु निकेतन प्रबन्ध समिति, महेश्वरियों का नहर, उदयपुर।	32,864/.रु.	संगठनात्मक सहायता
	3. अरविंद भारती विद्यालय समिति, जुठरा, भरतपुर।	20,716/-रु.	—तदैव—
	4. जीवन निर्माण संस्था, गोलबाग रोड, भरतपुर।	14,276/-रु.	—तदैव—
	5. अजीत विद्या निकेतन समिति, शान्ति नगर, जयपुर।	17,050/-रु.	—तदैव—
	6. एल. एल. आदर्श विद्यालय प्रबन्ध समिति, केसरी सिंगपुर, श्री गंगानगर।	15,370/-रु.	—तदैव—
	7. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर।	43,030/-रु.	—तदैव—
	8. सरोजनी बाल विद्यालय समिति, नहरी का नाका, जयपुर।	19,794/-रु.	—तदैव—
	9. भारत चिल्ड्रनस शिक्षा समिति, चांदपेल बाजार, जयपुर।	15,186/-रु.	—तदैव—

1	2	3	4
10.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति घानो नदी, अजमेर ।	20,480/-रु.	—तदैव—
11.	बाल रश्मि सोसायटी शान्ती पथ तिलक नगर, जयपुर ।	28,819/-रु.	—तदैव—
12.	सुभाष सेवा मंडल नाथवाड़ा, उदयपुर ।	20,954/-रु.	—तदैव—
13.	ए. के. पब्लिक स्कूल, मोतीकताला बाजार, जयपुर ।	28918/-रु.	—तदैव—
14.	गायत्री विद्या मन्दिर समिति, उदयपुर ।	14,581/-रु.	—तदैव—
15.	भारत बाल विद्यालय समिति, नजदीक कोटावाड़ा, जयपुर ।	19,648/-रु.	—तदैव—
16.	अरविन्द भारती विद्यालय समिति 42, पटेल नगर, कलवार रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर ।	61,020/-रु.	नशाबन्दी के लिए शिक्षण कार्य ।
17.	बाल स्कूल समिति, जय-कय कुवात-का-रास्ता, पुराना बस्ती, जयपुर ।	53,550/-रु.	—तदैव—
18.	भारत चिल्ड्रन शिक्षा समिति रास्वाराव-जी चांद पेल, जयपुर ।	46,260/-रु.	—तदैव—
19.	ज्ञानोदेय शिक्षण केन्द्र राजा शिवदास जी, का रास्ता पुरानी बस्ती, जयपुर ।	53,370/-रु.	—तदैव—
20.	मधु समिति महिला ऐवम, बाल कल्याण उत्थान संस्थान, एल-59-ए, हिमत नगर, गोकल पुरा मोड़, जयपुर ।	42,390/-रु.	—तदैव—
21.	राजस्थान लोक सेवा समाज ग्रीन हाउस, 3 क्रास कल्याण जी-का रास्ता जयपुर ।	47,340/-रु.	—तदैव—
22.	राजेन्द्रा शिक्षण समिति, 7-टी/8, जवर नगर, जयपुर ।	47,070/-रु.	—तदैव—

1	2	3	4
23.	रीतू आदर्श विद्या मन्दिर समिति, 22-बी, नन्दापुरी, दंगलोत हाउस, जयपुर।	54,090/-रु.	—तदैव—
24.	ओपियम डीएडिक्सनट्रीटमेंट ट्रेनिंग एण्ड रीसर्च ट्रस्ट, पी. ओ. मंकलोषों, जोधपुर।	1,45,620/-रु.	परामर्श केन्द्रों की स्थापना।
अल्पसंख्यक कल्याण :			
	सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल।	5,00,000/-रु.	अजमेर दरगाह बंगले का विकास।

विवरण-2

वर्ष 1988-89 के दौरान राजस्थान राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई अनुदान राशि का विवरण।

क्र. संख्या	संगठन का नाम	राशि (रुपए)	प्रयोजन
1	2	3	4
अनुसूचित जाति विकास			
	सोशल वर्क एंड रिहैबलीटेशन सेन्टर तलीनिया, राजस्थान	6,61,500	राजस्थान में 50 पम्प लगाना
जनजाति विकास			
	बनस्थली विद्यापीठ	6,85,965	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सिक्किम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए वृत्तिका
विकलांग कल्याण			
1.	एल. के. सी. श्री जगदम्बा अन्ध विद्यालय समिति अनुमानगढ़ रोड, श्री गंगा नगर	9,17,708	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत संगठनों को सहायता

1	2	3	4
	2. इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर नायब जी का बाग, मोती दरगाह रोड, जयपुर	1,00,000	—वही—
	3. दा साफिल सोसायटी लाज प्रताप बाग, स्वरूप नगर, उदयपुर	1,00,000	—वही—
	4. विकलांग कल्याण समिति, ?46/25, ओ टी सी स्कीम, उदयपुर	50,000	—वही—
	5. बधिर विकास समिति, वैशाली नगर, अजमेर	50,000	—वही—
	6. राजस्थान महिला बाल विकास समिति, विवेक बिहार, मायोलिक मोड, अजमेर	2,00,000	—वही—
	7. बधिर बाल कल्याण विकास समिति, एम. सी. हास्पिटल रोड, भीलवाड़ा	1,84,679	—वही—
	8. भगवान महावीर विकलांग समिति, जयपुर	25,00,000	सहायक यंत्रों/उपकरणों का क्रय/लगाया जाना
	9. जिला पुनर्वास केन्द्र,	4,03,000	विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास
सामाजिक सुरक्षा			
	1. सरस्वती शिशु निकेतन प्रबंध समिति, महेश्वरियों का मोहरा, उदयपुर	22,130	संगठनात्मक सहायता
	2. भारत चिल्ड्रन शिक्षा समिति, निघराव जी का रास्ता, चंदपोल बाजार, जयपुर	23,128	—वही—
	3. ब्रिज बाल निकेतन समिति, कामन भरतपुर	26,517	—वही—
	4. गायत्री विद्या मन्दिर समिति, 15 सददारपुर, उदयपुर	230.66	—वही—
	5. सुभाष सेवा मंडल, गांव उपलीओडन, नाथ द्वारा जिला उदयपुर	22,658	—वही—

1	2	3	4
	6. ए. के. पब्लिक स्कूल, मोती का लाल बाजार, उदयपुर	29548	—वही—
	7. राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर	46448	—वही—
	8. राजस्थान महिला बाल विकास समिति, घनीनाडी, भजनगंज, नई बस्ती अजमेर	16833	—वही—
	9. बाल रश्मि सोसायटी, ए-48, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर	29842	—वही—
	10. एल. के. सी. श्री जगदम्बा अंध विद्यालय, समिति, श्रीगंगानगर	35376	—वही—
	11. अरविन्द भारती विद्यालय समिति, 42, पटेल नगर, झोटवाड़ा, जयपुर	24788	—वही—
	12. भारत बाल विद्यालय समिति, 1674, हरीश चन्द्र मार्ग, खेतीवाड़ा, जयपुर	16298	—वही—
	13. अजीत विद्या निकेतन समिति, शान्ति नगर जयपुर	15738	—वही—
	14. म्युनिसिपल बोर्ड बलोतरा, जिला बाड़मेर	8,29,747	निव्यर्सन-केन्द्र-के भवन का निर्माण
	15. म्युनिसिपल काउंसिल, अजमेर	8,61,893	—वही—
	16. म्युनिसिपल काउंसिल जोधपुर	8,38,386	—वही—
	17. ओपियन डिएडीक्शन ट्रीटमेंट रिसर्च ट्रस्ट, डी. ओ. मानकलो, जिला जोधपुर	3,50,000	(1) भवन का निर्माण
		2,90,385	(2) निव्यर्संसन कैम्प लगाना
		1,54,710	(3) आफटर केयर सैंटर की स्थापना
		69,300	(4) नए परामर्श केन्द्र की स्थापना (1)
		4,20,480	(5) वाहन क्रय (1)

1	2	3	4
		3,37,162	(6) वर्तमान निव्यसंन केन्द्र का अनुरक्षण (1)
		2,49,902	(7) वर्तमान 4 परामर्श केन्द्रों का निर्माण
		2,90,385	(8) निव्यसंन कैंपों का लगाना (18)
		1,87,313	(9) वर्तमान निव्यसंन केन्द्र का अनुरक्षण (1)
		1,62,894	(10) वर्तमान परामर्श केन्द्र का अनुरक्षण (4)
18.	अरविन्द भारतीय विद्यालय समिति, 42, पटेल नगर, झोटवाड़ा, जयपुर	67,500	नशाबन्दी के लिए प्रशिक्षण कार्य
19.	आशा बाल मन्दिर शिक्षा समिति, प्लाट नं. 1-बी, कृष्णपुर मटवाड़ा रोड, जयपुर	48600	—वही—
20.	नशानिवारण एंड परिवार कल्याण परिषद श्री कृष्ण छात्रावास, बाड़मेल	83,700	—वही—
21.	संदीप लोक कल्याण समिति, 116 श्यामला कालोनी, झोटवाड़ा, जयपुर	64,350	—वही—
अल्पसंख्यक कल्याण			
1.	सैंट्रल वक्फ काउंसिल	5,00,000	दरगाह बंगला का विकास
2.	राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वेलफेयर जयपुर	15,000	केन्द्रीय वक्फ समिति द्वारा संतुलित शैक्षिक विकास के अनुसरण में

विवरण-3

1989-90 के दौरान राजस्थान राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	संगठन का नाम	धनराशि (रु.)	प्रयोजन
1	2	3	4
अनुसूचित जाति विकास			
	सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, तिलानिया, राजस्थान	8,14,725/-	तमिलनाडु और राजस्थान में 101 हैंडपम्पों को लगाना
आदिवासी विकास			
	वनस्थली विद्यापीठ	7,66,898/-	उत्तरपूर्वी क्षेत्र सिक्किम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए वृत्तिका,
विकलांग कल्याण			
1.	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	29,75,000/-	विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक यंत्र/उपकरण खरीदना
2.	इंडियन काउंसिल फार सोशल वेलफेयर नायबजी का बाग, मोती डूंगरी रोड-जयपुर-302007 (राजस्थान)	1,55,059/-	विकलांग व्यक्तियों के संगठनों की सहायता
3.	विकलांग कल्याण समिति, 346/25, सी.टी.सी. स्कीम उदयपुर,	38,480/-	—तदैव—
4.	नेत्रहीन विकास संस्थान, डी-सेक्टर, कमला नगर, नेहरू नगर, जोधपुर	1,50,000/-	—तदैव—
5.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति, विवेक विहार, मायो लिंक रोड, अजमेर	75,278/-	—तदैव—

1	2	3	4
	6. बधिर बाल कल्याण विकास समिति, एम.जी. अस्पताल रोड, बांसवाड़ा (राजस्थान)	3,98,144/-	—तदैव—
	7. एल.के.सी. श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, हनुमान गढ़ रोड, श्री गंगानगर (राजस्थान)	2,90,000/-	—तदैव—
	8. सोसायटी फार वेलफेयर आफ मैंटली हैण्डीकेप्ड, सी-67, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।	66,966/-	विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को सहायता :
	9. डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर	4,03,000/-	विकलांगों का पुनर्वास
समाज रक्षा			
	1. सरस्वती शिशु निकेतन प्रबन्ध समिति, महेश्वरों का नोहरा उदयपुर,	34,602/-	संगठनात्मक सहायता
	2. राजस्थान महिला बाल विकास समिति, भजन गंज, नई बस्ती, अजमेर	24,640/-	—तदैव—
	3. भारत चिल्ड्रन शिक्षा समिति, नीडर रामोजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर	22,926/-	—तदैव—
	4. श्री एल के. सी. जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्री गंगा नगर	39,543/-	—तदैव—
	5. जीवन निर्माण संस्थान, गोल बाग रोड भरतपुर	12,800/-	—तदैव—
	6. बृज बाल निकेतन समिति कामान, भरतपुर	25,816/-	—तदैव—

1	2	3	4
7.	राजस्थान विद्यापीठ, कुल अधिकरण, उदयपुर	50,000/-	—तदैव—
8.	ए.के. पब्लिक स्कूल, मोतीकतला बाजार, जयपुर	25,940/-	—तदैव—
9.	बाल रश्मि समिति, ए-48, शांति पथ, तिलक नगर जयपुर	31,492/-	—तदैव—
10.	बेला स्कूल समिति जाट काई कुआ का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर	13,671/-	—तदैव—
11.	अरविंद भारती विद्यालय समिति, 42, पटेल नगर, कलवार रोड, झोटवाड़ा, राजस्थान	10,102/-	—तदैव—
12.	अजीत विद्या मन्दिर समिति शांति नगर, जयपुर-6	7,598/-	—तदैव—
13.	बेल स्कूल समिति, जाट का कुआं का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर (राजस्थान)	45,856/-	संगठनात्मक सहायता
14.	चाइल्ड होम पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, प्लाट न. 2, बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर (राजस्थान)	64,800/-	—तदैव—
15.	दीप प्रगति समिति, 1032, बरकत नगर किसान मार्ग टोंक फाटक, जयपुर-15	45,450/-	—तदैव—
16.	ग्रामीण शिक्षा विकास संस्थान, प्रहसर तहसील, जिला भरतपुर (राजस्थान)	37,800/-	—तदैव—

1	2	3	4
17.	जवाहर नेशनल स्कूल सोसायटी, जीनोरेत चौक, उदयपुर, राजस्थान	61,650/-	—तदैव—
18.	कला विद्या मन्दिर समिति, पी.सी. बीच का पड़ा, नदबाई, जिला भरतपुर पिन. 321602 (राजस्थान)	45,000/-	—वही—
19.	नेहरू विद्या मंदिर समिति मथुरा गेट, भरतपुर (राजस्थान)	49,500/-	नशाबन्दी के लिए शिक्षण कार्य,
20.	अफीम डि-एडीक्शन ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, पो. आ. मानकलाओं, जिला जोधपुर (राजस्थान)	1,77,750/-	—तदैव—
21.	मानव कल्याण सोसायटी, 4/49 जवाहर नगर जयपुर (राजस्थान)	86,400/-	परामर्श केन्द्र की स्थापना (I)
22.	इंदिरा गांधी महिला प्रशिक्षण संस्थान, पिलानी (जिला झुंझनु) राजस्थान	85,050/-	—तदैव—
23.	अफीम डी-एडीक्शन ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च ट्रस्ट, पो. आ. मानकलाओ, जिला जोधपुर, राजस्थान	2,81,520/-	(1) उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र का रखरखा (I)
		7,71,660/-	(2) निर्व्यसन केन्द्र (1) रख-रखाव,
		8,06,625/-	(3) निर्व्यसन कैंपों का आयोजन
		10,99,578/-	(4) परामर्श केन्द्र (5) का रख-रखाव
		2,06,280/-	(5) वाहन खरीदना,
		1,00,000/-	(6) भवन का निर्माण

1	2	3	4
24.	वरिष्ठ नागरिक परिषद, जयपुर	(I) 17,550/-	वयोवृद्धों के कार्यक्रम के लिये फर्नीचर, उपस्कर
		(II) 39,960/-	वृद्धों के कार्यक्रम के लिए स्टाफ, किराया तथा पेट्रोल,
25.	विक्टोरिया मोटेंसरी स्कूल, जयपुर	09,000/-	दिवा देखभाल केन्द्र की स्थापना के लिये फर्नीचर खरीदना
अल्प संख्यक कल्याण			
26.	अन्जुमन तालिम, मुस्लिम, जयपुर	75,000/-	सी.डब्ल्यू. सी. द्वारा शैक्षिक विकास से संबंधित योजनाओं के अनुसरण में
27.	सर्विसेज गाइडेंस ब्यूरो जयपुर	25,000/-	
28.	राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, दरगाह	15,000/-	

क्रैश फायर टेन्डरों के आयात के लिए ठेका

*150. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1990 के अन्तिम सप्ताह में क्रैश फायर टेंडरों के आयात के लिए कोई ठेका दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी का ब्यौरा क्या है, जिसे ठेका दिया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तकनीकी विशेषज्ञों ने आयात किये जाने वाले क्रैश फायर टेंडरों की गुणवत्ता के बारे में कोई टिप्पणी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) मै. भारतीय व्होकल्स इंजीनियरिंग कम्पनी लि., नई दिल्ली ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और भारतीय वायु दल के क्रयादेशों को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रैश फायर टेन्डरों के निर्माण के लिए चेसीस के आयात की अनुमति के लिये सरकार को अभ्यावेदन किया है। इस अभ्यावेदन पर विचार किया गया था और तकनीकी आर्थिक आधार पर 51 चेसीस आयात की सिफारिश की गई थी। किन्तु अभी तक अन्तिम आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) आयात किये जाने वाले फेस कम्बर टैन्करों की गुणवत्ता के बारे में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई थी किन्तु उन्होंने स्वदेशी उपलब्धता के बारे में अपनी चुप्पी साधे रखी।

सऊदी अरब की सरकार द्वारा भारतीय ड्राइवरों को मंजूरी का भुगतान

[अनुवाद]

*151. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सऊदी अरब सरकार द्वारा वर्ष 1987 से 1990 की अवधि के दौरान भर्ती किये गये भारतीय ड्राइवरों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि वहां की सरकार उन्हें समझौते का उल्लंघन करके कम मजूरी का भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ऐसे ड्राइवरों को उनकी पूरी बकाया राशि दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) भारतीय दूतावास, रियाद से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1987 से 1990 तक की अवधि के दौरान कम मजदूरी दिये जाने के संबंध में सऊदी अरब सरकार द्वारा भर्ती किए गए किसी भारतीय ड्राईवर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू और कश्मीर सरकार के बर्खास्त अधिकारियों की बहाली

*152. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में राज्य सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों ने अपने पांच वरिष्ठ अधिकारियों के बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करने तथा उनकी सेवायें बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल की थी;

(घ) क्या बर्खास्त अधिकारियों को बहाल करने के बारे में सरकार और कर्मचारियों की समन्वय समिति के बीच कोई समझौता किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सितम्बर, 1990 में राज्य सरकार ने राज्य सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को, जिनकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल पाई गई थी, बर्खास्त कर दिया था।

(ग) कर्मचारी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे। बर्खास्त किए गए 5 अधिकारियों की सेवाओं की बहाली की मांग को बाद में शामिल किया गया था।

(घ) और (ङ) हड़ताली कर्मचारियों के साथ निम्नलिखित मुख्य विषयों को लेकर समझौता हुआ था जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल समाप्त हुई :—

(i) श्रीनगर का टी. ए. डी. ए. न्यायालय नियमित आधार पर कार्य करेगा।

(ii) डा. गुरु समेत नजरबंद किए गए सरकारी कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा की जाएगी तथा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

(iii) यह निर्णय लिया गया था कि बर्खास्त किए गये पांच अधिकारियों की सेवाओं को बर्खास्त करने के आदेशों को प्रतिसंहरण करने के लिए कारंवाई शुरू की जाए।

(iv) प्रतिनिधियों को यह आश्वःसन दिया गया था कि कार्य पर अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बदले की भावना से कोई कारंवाई नहीं की जाएगी तथा अनुपस्थिति की अवधि को वेतन/मजदूरी देने के प्रयोजन के लिए उचित रूप से नियमित किया जाएगा।

कटिहार में भविष्य निधि कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

153. **श्री युवराज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कटिहार औद्योगिक क्षेत्र (टाउन) के श्रमिक कटिहार में भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय खोले जाने के लिए लम्बे समय से मांग कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार का औद्योगिक श्रमिकों के भविष्य निधि मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कटिहार में उक्त कार्यालय कब तक खोलने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कटिहार में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है क्योंकि यह उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं करता है।

अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना

[अनुवाद]

*154. **श्री कल्पनाथ राय :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक संसद में कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा तथा आयोग की सम्भावित सदस्य-संख्या का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है।

इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के टी. वी. सेटों के अधिकृत डीलर और वितरक

[हिन्दी]

*155. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस वर्ष टी. वी. सेटों के लिये नियुक्त किए गए अधिकृत डीलरों और वितरकों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को डीलरों और वितरकों की नियुक्ति के बारे में कथित अनियमितताओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का इस संबंध में कार्यवाही करने और सभी विवादास्पद डीलरों की नियुक्ति रद्द करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने देशभर में 46 विक्रेता नियुक्त किए हैं और इन विक्रेताओं के नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

विवरण

सन् 1990 में नियुक्त किए गए विक्रेताओं की सूची

क्षेत्र		विक्रेता का नाम
1		2
मध्य क्षेत्र	1.	ए-1 इलेक्ट्रानिक्स, विभाग

1	2
	2. नार्थ एन्टरप्राइजेज, सिद्दीपेट
	3. स्नेहा एंटरप्राइजेज, छोप्पादण्डी
	4. श्रीराम एजेन्सी, तिरुपति
	5. श्री दुर्गा इलैक्ट्रानिक्स, अनन्तपुर
उत्तर क्षेत्र	1. केरे इलेक्ट्रानिक्स, लखनऊ
	2. टेलीट्रानिक्स, लखनऊ
	3. सेफेयर मार्केटिंग कारपोरेशन, लखनऊ
	4. सिंहसंस इलेक्ट्रानिक्स, लखनऊ
	5. पायनीयर इलेक्ट्रानिक्स, बाराबंकी
	6. शक्ति इलेक्ट्रानिक्स, झांसी
	7. जे. आर. इलेक्ट्रानिक्स, कानपुर
	8. खट्टर इलेक्ट्रानिक्स, दिल्ली
	9. ओम इलेक्ट्रानिक्स, दिल्ली
	10. सिटी पैलेस, शकरपुर
दक्षिण क्षेत्र	1. लक्ष्मी एजेन्सी, मंजेरी
	2. नन्दीनाथ एजेन्सी, त्रिचुर
	3. ट्रेड लिंक्स इंडिया, त्रिचुर
	4. सावन सुखी एजेन्सी, मद्रास
	5. वीनू इलेक्ट्रानिक्स, सेलम
	6. कविता एजेन्सी, तिरूपत्तुर
	7. लक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, वडेलू
	8. ऐस मार्केटिंग एजेन्सी, नाम्बीयर
	9. श्री कुमारन इलेक्ट्रानिक्स, डिन्डीगल
पश्चिम क्षेत्र	1. मालवा सीविंग मशीनरी, इंदौर
	2. सोनाली एन्टरप्राइजेज, रायपुर
	3. सिंह एंटरप्राइजेज, रायपुर
	4. एम. एस. ब्रदर्स, दुर्ग

1		2
	5.	राजश्री एन्टरप्राइजेज, भिलाई
	6.	थिवेट इलेक्ट्रानिक्स, रायगढ़
	7.	आमेयाशीश इलेक्ट्रानिक्स, कुर्ला (पूर्व)
	8.	साइक्रपा इलेक्ट्रानिक्स, नायगांव, जिला ठाणे
पूर्वी क्षेत्र	1.	मिनती टी. वी. सेंटर, सम्बलपुर
	2.	टायर एन्टरप्राइजेज, भोलंगीर
	3.	दी स्टुडियो शेडलाइट, सम्बलपुर
	4.	सेंट्रल रेडियो सर्विस, तालचेर
	5.	स्टील को., बशीरहाट
	6.	गलेक्सी, मट्टनगम
	7.	फेनीबटी इलेक्ट्रानिक्स, भंडूर
	8.	मर्केनटाइल को., कलकत्ता
	9.	पाम्पी इलेक्ट्रानिक्स, बारपेटा
	10.	गोलचा इलेक्ट्रानिक्स, कटिहार
	11.	बालाजी रेडियोज, बरहामपुर
	12.	दास इलेक्ट्रानिक्स सेंटर, पुरी
	13.	बालोनया विकास, बलसर
	14.	अनन्य, नादिया

पश्चिम बंगाल में रुग्ण औद्योगिक एकक

[अनुवाद]

*156. **डा. देवी प्रसाद पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पिछले दो वर्षों के दौरान कितने रुग्ण एकक बन्द किये गये;

(ख) इनको बन्द करने से राज्य में बेरोजगारी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इन एककों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों सम्बन्धी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र

किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1988 के अन्त में पश्चिम बंगाल राज्य में 174 गैर लघु औद्योगिक रुग्ण एकक और 22,370 लघु औद्योगिक रुग्ण एकक थे। 30.11.1990 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तिय पूर्ननिर्माण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य के 117 मामले उनके पास दर्ज किये गये हैं। श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि 1988 के दौरान 13 एकक बन्द बताये गये हैं। 1988, 1989 और 90 (जनवरी से अगस्त) के दौरान तालाबन्दी के क्रमश: 69, 65 और 56 मामले बताए गये।

पश्चिम बंगाल राज्य में एकक बन्द होने और तालाबन्दी के परिणामस्वरूप प्रभावित हुए कामगारों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	एक बन्द होने से प्रभावित हुए कामगार	तालाबन्दी से प्रभावित हुए कामगार
1988	780	51,980
1989	उपलब्ध नहीं हैं	54,177
1990	—वही—	42,609

(ग) सारे देश के लिए रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुररुत्थान के लिए भारत सरकार की एक समान नीति रही है। उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :—

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है। इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये है ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन:स्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों का निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन:स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुन:स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) लघु क्षेत्र में रूग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुन:स्थापना हेतु रूग्ण एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/-रु. से बढ़ाकर 50,000/-रु. कर दिया गया है।

(6) कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद कर राहत योजना की भी घोषणा की गई है। यह योजना किसी भी ऐसे एकक के लिए लागू होगी जिसमें किन्हीं पांच लेखा वर्षों में उनकी अधिकतम निवल मूल्य संचित हानियों के कारण 50% अथवा इससे अधिक कम हो गया हो। उक्त एकक की पुनस्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशान्तरण पैकेज मनोनित वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण का पात्र होगा जिसके लिए 3 वर्ष की राहत अवधि मिलेगी और इसे 7 वर्षों के भीतर वापस करना होगा जो योजना के अनुमोदन के बाद 3 वर्षों के लिए वास्तविक उत्पाद कर भुगतान का 50 प्रतिशत होगा। "उत्पाद ऋण" के रूप में दी जाने वाली कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशान्तरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी।

(7) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए इस वर्ष अप्रैल में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई हैं। इस बैंक की प्राधिकृत पून्जी 250 करोड़ रु. होगी और यह आई. डी. बी. आई. द्वारा दी जाएगी।

* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गई रूग्णता की परिभाषा के अनुसार गैर लघु औद्योगिक एककों में 1987 के बाद से मझोले रूग्ण उद्योग भी शामिल हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रवार धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

*157. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन क्षेत्रों के लिए अधिकतम धनराशि आवंटित किये जाने की संभावना है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए निधियों के क्षेत्रवार आबंटन से सम्बन्धित कार्य चल रहा है यह कार्य पूरा हो जाने पर, आबंटन सम्बन्धी ब्यौरों को आठवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट किया जाएगा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

*158. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय किन-किन बुनियादी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है;

(ख) इस योजना में राज्यों के लिए धनराशि आवंटित करने हेतु कौन से मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना में राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों को और अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण के ढांचे के अन्तर्गत, निम्नलिखित कतिपय प्राथमिकताओं को, विशेष रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय, ध्यान में रखा जा रहा है : रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, भूमि तथा पर्यावरण सुधार, महिला शिक्षा पर विशेष बल सहित साक्षरता तथा शिक्षा ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की 11 अक्टूबर, 1990 को हुई बैठक में सहमति के रूप में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु एक संशोधित फार्मूला अनुमोदित किया गया विवरण में संशोधित फार्मूला दिया गया है ।

(ग) और (घ) : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे है, राष्ट्रीय औसत तीन वर्षों 1984-87 के लिए औसत पर आधारित से नीचे "प्रति व्यक्ति आय" के मानदण्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए पिछड़ा माना जाता है । इसके अलावा, परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार, ये राज्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन में विशेष समस्याओं के मानदण्ड के अन्तर्गत लाभ के अधिकारी है । इसके अतिरिक्त, राज्यों को बाजार ऋणों का आबंटन करते समय, राष्ट्रीय औसत के नीचे प्रति व्यक्ति आय वाले पिछड़े राज्यों को सामान्य आबटन के अलावा विशेष आबंटन भी किया जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद फार्मूला

1. कुल केन्द्रीय सहायता में से, विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए आवश्यक राशियों को अलग रखना जैसा कि अब किया जा रहा है ।

2. शेष में से, केवल तीन विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए पृथक (उचित) राशियों का प्रावधान करना,

(क) पर्वतीय क्षेत्र

(ख) जनजातीय क्षेत्र

(ग) सीमा क्षेत्र

3. (1) शेष में से, पूर्वोत्तर परिषद सहित विशेष श्रेणी राज्यों को 30% देना ।

(2) विशेष श्रेणी राज्यों की वित्तीय समस्याओं के लिए स्थायी समाधान सुझाने के लिए विशेषज्ञों को एक समिति नियुक्ति करना।

(3) अन्य विशेष श्रेणी राज्यों की तरह असम तथा जम्मू व कश्मीर को वही अनुदान ऋण अनुपात (90 : 10) में देना।

4 निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को शेष का वितरण :

जनसंख्या	55%
प्रति व्यक्ति आय	25%
	दूरी पद्धति से 5% तथा वर्तमान के अनुसार विचलन पद्धति द्वारा 20%)
राजकोषीय प्रबंधन	5%
विशेष विकास समस्याएं	15% (अगला पृष्ठ देखें)
जोड़	100%

तथापि, किसी भी गैर विशेष श्रेणी राज्य को वर्तमान फार्मूले के अन्तर्गत मौजूदा स्थिति के मुकाबले सहायता के अपने अनुपात में 7% से अधिक की हानि या लाभ नहीं होगा।

विशेष समस्याएं

1. तटीय क्षेत्र
2. विशेष पर्यावरणीय मुद्दे
3. बाढ़ तथा सूखा प्रवेश क्षेत्र
4. असाधारण रूप से विरल या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र
5. योजना के न्यूनतम उचित आकार के लिए विशेष वित्तीय कठिनाइयां।
6. मरुस्थली समस्याएं।
7. शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की समस्या।

(दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 42 वीं बैठक में मतैक्य के रूप में अनुमोदित)

आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर

*159. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर स्थिति आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी मे किन रक्षा मदों का निर्माण किया जा रहा है,

(ख) क्या यहां मदों की प्रत्यक्ष विभाग द्वारा निर्धारित विवरण के अनुसार नहीं बनाई जा रही हैं, और

(ग) क्या इनको किन्हीं गैर-सरकारी एजेंसियों से बनवाने का भी निर्णय लिया गया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर में जिन रक्षा मदों का निर्माण किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं :—

(1) वर्दियां : सादी बुनी पोलिस्टर और सूती जैतूनी हरी कमीजें, सादी बुनी पोलिस्टर तथा सूती तथा जैतून हरी पैंटें, युद्ध में पहने जाने वाली चितकबरी पैंटें, सर्जी की पैंटें, युद्ध में पहने जाने वाले चितकबरे रंग के कोट, जैतूनी हरी/चितकबरी मिली-जुली वर्दियां।

(2) बहुत अधिक सर्दी वाले मौसम में पहने जाने वाले वस्त्र : थैलेनुमा बिस्तर-मेक 4, (स्लीपिंग बैग), अन्दर से अस्तर लगा थैलेनुमा बिस्तर, बैरक कम्बल, अन्दर और बाहर दोनों तरफ अस्तर लगा कोट, कपड़े की चटाई, जुराबें, ऊनी जर्सी, पुरुषों के मफलर, अंगोला कमीजें आदि।

(3) टैंट का सामान और दरियां।

(4) सामान गिराने वाले पैराशूट।

(ख) पैंटें, रक्षा विशिष्टियों के अनुरूप ही बनाई जाती हैं।

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध राष्ट्रीय सुविधाओं और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से आयुध निर्माणियों में निर्मित होने वाली कुछ ऐसी मदों का पता लगाया गया है जिनका निर्माण कार्य सिविल क्षेत्र को सौंपा जा सकता है। इनमें कम तकनालाजी वाली तथा कम उत्पादन लागत वाली मदें शामिल हैं। पैंटें तैयार करने का काम इसी श्रेणी की एक मद है।

आई.एन.एस. अण्डमान

[अनुवाद]

*160. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व विशाखापत्तनम पत्तन के पास आई. एन. एस. अण्डमान के डूब जाने से कितने अधिकारी और नाविकों की मृत्यु हुई थी ;

(ख) इस जहाज के डूब जाने से अनुमानतः कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या डूबे सभी अधिकारियों और नाविकों के नजदीकी रिश्तेदारों को इस बीच नौकरी दे दी गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) नौ सेना पोत अंडमान में उस समय सवार 132 व्यक्तियों के कर्मीदल में से, इस दुघटना में 3 अफसर और 12 नाविकों के लापता होने की सूचना थी। इनमें से एक अफसर और : नाविक के शवों की शिनाख्त कर ली गई थी। शेष कार्मिक संभवत: डूब गए हैं।

(ख) इस दुर्घटना से लगभग 8.12 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसमें 1973 में प्राप्त किए गए पोत और उसमें रखे बिभिन्न सामान, गोलाबारूद, हिस्से पुर्जों आदि की लागत शामिल है।

(ग) दिवंगत/लापता कार्मिकों के पांच निकट संबंधियों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है जिन पर इस विषय में विद्यमान सरकारी नीति/नियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है। पूर्वी नौ सेना कमान के प्राधिकारियों को भी इस आशय के अनुदेश दिए गए हैं कि वे उन शेष दिवंगत/लापता कर्मियों के निकट संबंधियों का पता लगाएं जो समूह "ग"/समूह "घ" की नौकरी स्वीकार करने के इच्छुक हो। यह नौकरी उन्हें इस विषय पर विद्यमान सरकारी नीति के अनुसार प्रदान कर दी जाएगी।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं पहले से की हुई रहती है। फिर भी निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) सभी ब्रांचों के नौसैनिक कार्मिकों को ऐसी क्षति को रोकने का प्रशिक्षण देने पर अधिक बल देना।

(2) नाविकों के कार्यों तथा पोत पर जीवन रक्षा के उपायों पर अधिक बल देना।

श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की वापसी

***161. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :**

श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका के कितने तमिल शरणार्थी अभी भी भारत में हैं और उन पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ख) उनके भोजन और आवास के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) उन्हें श्रीलंका वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 26.12.1990 की स्थिति के अनुसार भारत में ठहरे हुए श्रीलंका शरणार्थियों की सं. 1,10,808 थी उनमें से 1,16,363 शरणार्थी विभिन्न शिविरों में रह रहे थे। इन आंकड़ों में उन शरणार्थियों की संख्या भी शामिल है जो 24 जुलाई, 1983 तथा 30 नवम्बर 1987 के बीच आए थे। जुलाई, 1983 से नवम्बर, 1990 तक राहत सुविधायें उपलब्ध कराने और शिविरों के निर्माण/मरम्मत के कार्य में 28·57 करोड़ रुपए खर्च हुए। राज्य सरकारें कार्यान्वियन एजेंसियां हैं, परन्तु राहत तथा ठहरने की व्यवस्था का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(ख) शरणार्थियों को तमिलनाडु के 19 जिलों में 298 स्थायी/ग्रस्थायी शिवरों, टेन्ट/ग्रस्थायी शरणास्थलों/साईक्लो शेल्टर में ठहराया जा रहा है। शिविरों में ठहरे हुए शरणार्थियों को प्रत्येक पांच सदस्यों वाले परिवार को प्रतिमाह कुल लगभग 1000 रुपए की राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें नकद राशि, कपड़े, बर्तन और सस्ते दमों पर चावल और गेहूं सहित राशन सम्मिलित है।

(ग) शरणार्थियों के तमिलनाडु के माने के बजाय उनको वहां से वापसी के बारे में तभी माशा की जा सकती है जब कि उत्तर-पूर्व श्रीलंका में और अधिक अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाये, जिससे शरणार्थी अपने आप अपने घर वापस जाने में कामयाब होंगे।

टैनरी एण्ड फुटबियर कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया में घाटा

1621. श्री वो. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एण्ड फुटबियर कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया में पिछले छः महीनों के दौरान और अधिक घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निगम के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम की अल्प उत्पादकता, जीर्ण प्रौद्योगिकी, पुरानी मशीनरी, कम लाभ वाले उत्पाद, अलाभप्रद मूल्य ढांचा, श्रम-समस्या ग्रादि घाटे के मुख्य कारण हैं।

(ग) कम्पनी के बोर्ड में कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के साथ ही, जीर्ण मशीनरी के ग्राधुनिकीकरण, नवीकरण, प्रतिस्थापना के द्वारा कार्य-निष्पादन में सुधार के उपाय किए गए हैं। कम्पनी ने प्रौद्योगिकी-उन्नयन तथा अधिक लाभ वाले फुटवियर के विनिर्माण सहित एक पुनरुत्थान योजना भी बनाई है। सरकार ने ग्राई. डी. बी. ग्राई. से भी यह अनुरोध किया है कि वे टैफ्को का गहन अध्ययन करें और इसके पुनरुत्थान के उपाय बतायें।

ग्रादिवासियों और अनुसूचित जातियों का शोषण रोकने हेतु योजना

1622. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धन ग्रादिवासियो और अनुसूचित जातियों को ग्रामीण महाजनों के चंगुल से मुक्त करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में इससे पहले किसी योजना परीक्षण के तौर पर शुरु की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान हेतु तंत्र

1623. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 50 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन):

(क) से (ग) नये औद्योगिक सम्बन्ध विधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री जी. रामानुजम की अध्यक्षता में द्विपक्षीय समिति ने 22 अक्तूबर, 1990 को सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 50 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत पद्धति होनी चाहिए। इस शिकायत पद्धति में दो अवस्थाओं में अपीलें करने की व्यवस्था होगी। कर्मचारी द्वारा शिकायत करने के 30 दिन के अन्दर अपील प्राधिकारी को शिकायत का निर्णय दे देना चाहिए। यदि कर्मचारी उस निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह मध्यस्थम का सहारा ले सकता है। वह समझौता परिषद की सहायता लेने के लिए भी अनुरोध कर सकता है या सीधा किसी श्रम न्यायालय में या प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत गठित औद्योगिक सम्बन्ध आयोग के न्याय-निर्णयन विंग में भी जा सकता है। तथापि, नियोजकों के कुछ प्रतिनिधियों ने विरोध की टिप्पणियां रिकार्ड की है। इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले व्यापक सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

पंजाब में कृषि मजदूर

1624. **बाबा सुच्चा सिंह** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में प्रतिवर्ष कितने कृषि मजदूरों की आवश्यकता होती है,

(ख) स्थानीय रूप से ऐसे कितने कृषि मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं,

(ग) सरकार का अतिरिक्त कृषि मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) क्या पंजाब में कृषि मजदूरों के बीच बेरोजगारी की रोकथाम के लिए अन्य राज्यों से कृषि मजदूरों का पंजाब में आने पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

आन्दोलनकारी छात्रों से बातचीत

1625. **श्री शंकर सिंह वघेला :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने छात्रों से कोई बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वार्ताओं पर सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) सरकार के स्तर पर छात्रों के साथ कोई वार्ता नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

यमुना सफाई कार्य योजना को स्वीकृति

1626. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को यमुना नदी की सफाई के लिए कार्य योजना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी मंत्रालय के प्रस्तावों में 'प्रदूषण को कम करना—(हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश)' नामक स्कीम शामिल की गई है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये के परिव्यय की मांग की गई है। प्रस्ताव में हरियाणा के यमुनानागर, जगाधारी, पानीपत तथा सोनीपत आदि शहर और उत्तर प्रदेश के कानपुर तथा अन्य प्रथम श्रेणी के शहर शामिल हैं। इस स्कीम के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में शामिल किए जा सकने योग्य प्रस्तावों पर अन्तिम राय शीघ्र ही कायम की जाएगी।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में उत्पादन

1627. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनी स्थापित और स्वीकृत क्षमताओं से बहुत अधिक सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) (क) और (ख) मैं हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास अपनी बम्बई तथा कलकत्ता की फैक्ट्रियों में सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण के लिए दो मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र हैं, जिनमें अधिष्ठापित क्षमताओं का उल्लेख नहीं है। बाद में 1905 में अधिष्ठापित क्षमताओं का पृष्ठांकन किया गया था। कपनी में इस प्रकार पृष्ठांकित की गई क्षमताओं का विरोध किया है और मामले की जांच की जा रही है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सामयिक विषयों पर कार्यक्रम

1628. श्री ए. के. ए. अब्दुल समद :क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के अलावा उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1989-90 और अप्रैल-नवम्बर, 1990 के दौरान अकेले अथवा किसी दल के एक सदस्य के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सामयिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया किया गया था;

(ख) उनके पदनाम क्या हैं और वे किस-किस क्षेत्र में पारगत हैं;

(ग) उनका राज्य एक मूल निवास स्थान-वार ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित सूचियां रखते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) (क) से (ग) "समसामयिक घटनाओं" (करेंट अफेयर्स) के कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में समसामयिक घटनाओं पर हिन्दी/अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित करता है।

आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी में 'करेंट अफेयर्स' तथा हिन्दी में 'चर्चा का विषय है' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

चूंकि ये कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाते हैं और ये सभी विषयों पर होते हैं, इसलिए उनकी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों में कई गैर-सरकारी सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है।

ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित गैर-सरकारी सदस्यों का ब्योरा केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता।

(घ) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की ऐसी कोई अनुमोदित सूची नहीं है। तथापि, दूरदर्शन में समसामयिक घटनाओं पर आधारित कार्यक्रमों के निर्माताओं के पास सम्बद्ध क्षेत्रों के जाने-माने व्यक्तियों का कुछ संक्षिप्त ब्योरा होता है।

भारत आपथैल्मिक ग्लास लिमिटेड तथा साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाना

1629. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
श्री हाराधन राय :
क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत प्राप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड और साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सरकार द्वारा दोनों कम्पनियों के कार्यों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनके कार्य निष्पादन में सुधार के के लिए किए गए उपायों में, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयत्र और मशीनों का आधुनिकीकरण, कार्यबल का युक्तिकरण कार्यशील पूंजी के लिए पूंजी पुनर्गठन और वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं।

भोजपुर, बिहार में उद्योगों की स्थापना

[हिंदी]

1631. श्री रामेश्वर दयाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विकास के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु कितने आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं अथवा जारी करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) भोजपुर जिले में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए थे, जिनमे 1987 तथा 1988 में एक-एक आशय पत्र जारी किया गया था।

लिट्टे द्वारा हथियारों की तस्करी

[अनुवाद]

1631. श्री जनार्दन पुजारी
श्री जे. चोक्का राव
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 नवम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "एल.टी.टी.ई. स्मगलिंग आर्म्स" की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि श्रीलंका के तमिल उग्रवादी भारत से हथियार और अन्य सामान की तस्करी कर रहे हैं और तमिल चीते दक्षिण भारत में हथियार के कारखाने तथा वर्दियां बनाने वाली यूनिटें चला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने लिट्टे की इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) भारत सरकार को 23 नवम्बर, 1990 को "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "एल.टी टी.ई. स्मगलिंग आर्म्स" नामक शीर्षक समाचार की जानकारी है।

(ख) इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये तमिलनाडु सरकार को श्रीलंका विद्रोयों पर कड़ी निगरानी रखने और नौ सेना तट रक्षक प्राधिकरण के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। तटीय क्षेत्रों पर गश्त तेज कर दी गई है।

राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारण करना

1632. श्री ए. विजय राघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किसी मलयालम फिल्म का प्रसारण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) मौजूदा पात्रता मानदण्डों के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं की वे फीचर फिल्में जिन्हें निम्नलिखित राज्य स्तरीय पुरस्कारों में से एक भी पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क से प्रसारण के लिए विचार किए जाने की पात्र होती हैं :

1. सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार;
2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार;
3. फिल्म, जिन्हें उक्त पुरस्कारों से भिन्न कोई और दो राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए हों।

(ग) और (घ) निर्माताओं/टी.वी. अधिकार धारकों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली मलयालम फीचर फिल्मों के प्रसारण के प्रस्तावों पर दूरदर्शन द्वारा विधिवत विचार किया जायेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान-कार्य

1633. श्री ए. के. राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान पर कितनी धन राशि खर्च की गई तथा इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान पेटेंट इत्यादि की बिक्री से कितनी धन-राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या पूंजी-निवेशों की तुलना में कम आय प्राप्त हुई है;

(घ) क्या विदेशी सहयोगों के अधिक हो जाने के कारण औद्योगिक अनुसंधान की भावना को ठेस पहुंच रही है जिसका असर आय पर पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88, तथा 1988-89 के लिए केन्द्र, राज्य तथा प्राइवेट सेक्टरों सहित अनुसंधान व विकास पर राष्ट्रीय व्यय क्रमश: लगभग 2500.00 करोड़ रुपए, 2950.00 करोड़ रुपए तथा 3475.00 करोड़ रुपए हुआ है।

(ख) और (ग) सामान्यतया पेटन्ट पेटेन्टधारी तथा उद्यमी/संबंधित (इंटेरेस्टेड) पार्टी के बीच विक्रय शर्तों पर लाइसेंस किए जाते हैं और नाममात्र के भुगतान पर दिए जाते हैं, परिणाम-स्वरूप इन पेटेन्टों की वास्तविक वाणिज्यिक कीमत के आकलन में कठिनाई महसूस की गई है। साथ ही पिछले दो या तीन सालों में दिए गए पेटेन्टों की संख्या बहुत ही कम है।

इसे देखते हुए पेन्टों की बिक्री से प्राप्त आय पूंजी निवेश की तुलना में कम होगी।

(घ) से (च) विदेश से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि प्रौद्योगिकी का आयात केवल चुनिन्दा आधार पर किया जाता है यथा जहां आवश्यकता महसूस की गई है, प्रौद्योगिकी देश क अन्दर उपलब्ध नहीं है, और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करने में लिये गए समय के कारण विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में विलम्ब होगा। विदेश से प्रौद्योगिकी की प्राप्ति राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं की जाती है।

विदेश में होने वाले मुख्य प्रौद्योगिक विकासों की दृष्टि से प्रौद्योगिकी आयातों ने देश में औद्योगिक उत्पादन को काफी प्रभावित किया है। प्रौद्योगिकी में अपनी आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग द्वारा उद्योग में अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन दिया जाए और अनुसंधान व विकास संस्थानों, विश्वविद्यालय सेक्टर तथा उद्योग के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किए जाएं।

दिल्ली पुलिस में टंककों और आशुलिपिकों की भर्ती

[हिन्दी]

1634. डा. दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 और 1990 के दौरान दिल्ली पुलिस के कार्यालयों में अलग-अलग कितने टंकक और आशुलिपिक भर्ती किए गये;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार अंग्रेजी और हिन्दी के कितने टंकक और आशुलिपिक भर्ती किये गये;

(ग) क्या इन पदों को भरते समय राजभाषा विभाग के निदेशों का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क)

वर्ष	टंकक अनुसूचिवीय (एच. सी.)	आशुलिपिक ए. एस. आई. (आशुलिपिक)
1989	240	—
1990	190	2

(ख) वर्ष	टंकक अनुसचिवीय (एच. सी.)		आशुलिपिक ए. एस. आई- (आशुलिपिक)	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1989	208	32	—	—
1990	171	19	2	—

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

[अनुवाद]

1635. **श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में उन कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन नहीं दी गई है जिनकी सेवाएं या तो समाप्त कर दी गई थीं अथवा जिन्हें उनके मजदूर संघ गतिविधियों में शामिल होने के कारण बरखास्त कर दिया गया था;

(ख) क्या बरखास्त किये गये इन कर्मचारियों की विधवाओं से अन्य विधवाओं के समान पेंशन का भुगतान करने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन विधवाओं को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1965 के प्रावधानों के अनुसार सेवा से हटाया/बर्खास्त किया जाता है । ये नियम कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन गतिविधियों के खिलाफ लागू नहीं किए जाते ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी की

सेवा से बर्खास्त किए जाने या उसे हटाए जाने से उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। अतः ऐसे कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त कर दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं वे पेंशन पाने के हकदार नहीं होते। परिणामस्वरूप उनके परिवार भी परिवार पेंशन पाने के हकदार नहीं होते।

(ख) कुछ ऐसी विधवाओं से पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनके पति सेवा से हटा/बर्खास्त कर दिए गए थे।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाकुओं के गिरोह का भंडाफोड़

1636. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने हाल में डाकुओं और अपहरणकर्ताओं के भयंकर गिरोह का भंडाफोड़ किया है तथा दिल्ली पुलिस के भूतपूर्व कांस्टेबल सहित कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिनांक 9.10.90 को अपराध शाखा ने नौकरी से बर्खास्त दिल्ली पुलिस के एक कान्स्टेबल सहित छह व्यक्तियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे पंजाबी बाग में एक व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे थे। भा. द. सं. की धारा 402 और टी. ए. डी. ए. की धारा 5 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अन्तर्गत पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।

घनोआ समिति की सिफारिशें

1637. श्री के. एस. राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सीमेंट और भवन-निर्माण सामग्री परिषद के कार्यकरण की पुनरीक्षा के लिए नियुक्त घनोआ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घनोआ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद ने सीमेंट उद्योग से संबंधित अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त मूल संरचनात्मक आधार

का सृजन किया है, समिति ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद ने समग्र कार्मिक नीति तथा इसका कार्यान्वयन अच्छा है। स्टाफ के बीच असंतोष के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां और मुद्दे हैं जिन्हें सुधारा जाये।

(ग) और (घ) एन सी बी के शासक मण्डल के एक संकल्प के अनुसरण में सरकार द्वारा घनोधा समिति नियुक्त की गई थी और रिपोर्ट शासक मण्डल को भेज दी गई है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिए डी. एस. आर. सेट

1638. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में किन-किन स्थानों पर कितने प्रसारण सम्बन्धी डी. एस. आर. सेट स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये सेट सन्तोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे हैं ?

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इन सेटों को स्थापित करने में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) दूरदर्शन ने द्वीप समूहों मे कोई प्रत्यक्ष संग्रहण सेट (डी. एस. आर.) स्थापित नहीं किए हैं। तथापि, बताया गया है कि संघ शासित क्षेत्र शासन ने तरेशा, काचल, कदमकला, रामकृष्ण पुरम (लिटिल अण्डमान), शास्त्री नगर (ग्रेट निकोबार), डुगोंग क्रीक, हेवलाक, हटबे, बिलीग्राउंड, कालीघाट में एक-एक अर्थात् कुल दस सेट लगाए हैं। अतः संघ शासित क्षेत्र शासन द्वारा इन सेटों की स्थापना पर किये गये खर्च की जानकारी फिलहाल दूरदर्शन के पास उपलब्ध नहीं है।

संघ शासित क्षेत्र ने दूरदर्शन को इन सेटों के ठीक ढंग से कार्य न करने के बारे में सूचित किया है। संघ शासित प्रदेश शासन को मरम्मत के लिए ये सेट दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, पोर्टब्लेयर भिजवाने के वास्ते कह दिया गया है।

बेरोजगार स्नातकों को सरकारी एजेंसियां और ठेके दिया जाना

[हिन्दी]

1639. **श्री राम लाल राही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगार स्नातकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सरकारी एजेंसियां और ठेके देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के सम्पूर्ण संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र

के प्रतिष्ठानों द्वारा डीलरशीप/एजेंसियों के पंचाट में शिक्षित बेरोजगारों के बारे में कुछ प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने हेतु सुझाव दिया गया है। यह विचाराधीन है।

सरपदी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी

[अनुवाद]

1640. श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरपदी जल विद्युत परियोजना को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उत्पादन अन्श के लिए 193.12 करोड़ रु. तथा संबद्ध संचारण अन्श के लिए 4.93 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली 3×30 मेगावाट की सरपदी जल-विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर, 1990 में तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की गयी थी बशर्ते कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्वीकृतियां प्रदान की जा सके :—

(1) पर्यावरण दृष्टिकोण से दोनों उत्पादन तथा संचारण अंशों के लिए स्वीकृति।

(II) वन दृष्टिकोण से संचारण अंश के लिए स्वीकृति। राज्य द्वारा परियोजना के लिए उपर्युक्त स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद ही अन्तिम अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जाएगी ?।

(ख) से (घ) परियोजना की अन्तिम स्वीकृति के बाद समयावधि तय की जाएगी।

ई. सी. टी. वी. सेटों की गुणवत्ता तथा बिक्री में सुधार की आवश्यकता

1641. श्री जे. चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई. सी. टी. वी. सेटों के निर्माता इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड हैदराबाद यूनिट गैर सरकारी सहायक कम्पनियों से टेलीविजन के विभिन्न पुर्जे खरीदती रही है;

(ख) क्या ई. सी. टी. वी. यूनिट में उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत इन गैर सरकारी कम्पनियों को कोई अन्य कार्य-मदें सौंपी गई हैं ;

(ग) क्या ग़ैर सरकारी सहायक कम्पनियों से टी. वी. के पुर्जे खरीदने की उक्त व्यवस्था के कारण ई. सी. टी. वी. सेटों की गुणवत्ता तथा बिक्री में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो ई. सी. टी. वी. सेटों की गुणवत्ता और बिक्री में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अपने सभी सम्भरकों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पुर्जों और सैटों की गुणवत्ता की जांच बारीकी से करता है। गुणवत्ता में कमी आने का कोई प्रमाण नहीं है। तथापि, सामान्य तौर पर मांग में गिरावट आने और टी. वी. के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने की वजह से इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के टी. वी. सैटों की बिक्री में कमी आई आई है

(घ) बिक्री को बढ़ाने के लिए, आकर्षक विशिष्टताओं वाले नए माडल तैयार किए जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इलेक्ट्रानिक्स कोरपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अपने सभी सम्भरकों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पुर्जों और सैटों की गुणवत्ता की जांच बारीकी से करता है। गुणवत्ता में कमी आने का कोई प्रमाण नहीं है। तथापि, सामान्य तौर पर मांग में गिरावट आने और टी. वी. के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने की वजह से इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के टी. वी. सैटों की बिक्री में कमी आई है

(घ) बिक्री को बढ़ाने के लिये, आकर्षक विशिष्टताओं वाले नए माडल तैयार किये जा रहे हैं।

औद्योगिक नीति

1642. **श्री वी. देवराजन :**

श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री पी. सी. थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आरगेनाइजेशन ने केन्द्रीय सरकार से नई औद्योगिक नीति, विशेषकर लघु उद्योग में पूंजी निवेश सीमा को बढ़ाने से संबंधित उपबंध को तुरन्त लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफ आई ई ओ) के अनुसार, वे लघु उद्योगों के लिए

निवेश की सीमा 35 लाख रु से बढ़ाकर 60 लाख रु. करने तथा निर्यातकर्ता लघु उद्योगों के मामले में, जो अपने वार्षिक उत्पादन का कम से कम 30 प्रतिशत भाग निर्यात करने का वचन देते हैं, यह सीमा 75 लाख रु. करने से संबंधित नयी औद्योगिक नीति के उपबंधों को लागू करने के लिए सरकार से विभिन्न मंचों पर अनुरोध करते रहे हैं। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली प्रशासन के व्यय में कटौती

1643. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1990-91 के लिए योजना और गैर योजना व्यय में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में हुई प्रगति

1644. **श्री हरीश पाल :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में हुई अब तक की प्रगति के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार पूरक आहार प्राप्त करने वाले बच्चों और माताओं तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्षवार उत्तर प्रदेश में इन परियोजनाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) और (ख) जी, हां। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का मूल्यांकन कई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया गया जिनमें योजना आयोग के कार्यक्रम का मूल्यांकन संगठन भारतीय पोषाहार फाऊंडेशन और केन्द्रीय तकनीकी समिति शामिल हैं।

इन मूल्यांकनों के अलावा, भारत सरकार समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति का प्रबोधन और पुनरीक्षण तिमाही आधार पर करती है। समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अन्तर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों तथा पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे बच्चों और माताओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता में से समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1987-88	1055.99
1988-89	1490.27
1989-90	1497.87

राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के लाभप्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए किया गया व्यय इन आंकड़ों में शामिल नहीं है।

विवरण

स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों तथा पूरक पोषाहार प्राप्त कर रहे बच्चों और माताओं की राज्यवार संख्या

(30 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार लाभप्राप्तकर्ता)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	पूरक पोषाहार: 0-6 वर्ष के बच्चे	पूरक पोषाहार: माताएं	स्कूल-पूर्व शिक्षा: स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	767657	173145	438733
2.	असम	269229	45541	178454
3.	बिहार	874992	126339	492051
4.	गुजरात	902882	162317	479315
5.	हरियाणा	530159	144970	263524
6.	हिमाचल प्रदेश	96915	21432	45728
7.	जम्मू तथा कश्मीर	130242	27600	71307
8.	कर्नाटक	1032333	149582	528110

1 2	3	4	5
9. केरल	529589	102900	245983
10. मध्य प्रदेश	858935	189357	494251
11. महाराष्ट्र	1458448	310861	824610
12. मणिपुर	98449	30738	57638
13. मेघालय	59434	10104	38025
14. नागालैंड	119837	25716	53692
15. उड़ीसा	725833	120767	203103
16. पंजाब	209762	47046	155437
17. राजस्थान	635552	110929	330620
18. सिक्किम	15424	2733	5887
19. तमिलनाडु	315127	63946	220509
20. त्रिपुरा	54327	6641	35254
21. उत्तर प्रदेश	1184023	253163	708810
22. पश्चिम बंगाल	890061	115520	495343
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	18821	5097	11116
34. गोवा	32550	7719	14817
25. अरुणाचल प्रदेश	40841	9430	20061
26. चण्डीगढ़	6856	3344	6816
27. दादर और नागर हवेली	9583	3262	2941
28. दिल्ली	287560	53727	109171
29. दमन और दीव	4665	1231	2515
30. लक्षद्वीप	5227	2987	1307
31. मिजोरम	67752	14689	37944
32. पांडिचेरी	37063	10343	14417
जोड़ :	12170121	2353176	6577490

"चाणक्य" धारावाहिक को मंजूरी

1645. प्रो. मधु दंडवते : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक धारावाहिक "चाणक्य" पिछले कुछ वर्षों से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी प्रणाली है जिससे उद्यमी धारावाहिक निर्माताओं के हित में इस प्रकार के प्रशासनिक विलम्ब को दूर किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस धारावाहिक के कब तक प्रसारित किए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) धारावाहिक "चाणक्य" का अनुमोदन कर दिया गया है और निर्माता द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने के बाद इसे दिनांक 17 फरवरी, 1991 से प्रसारित किए जाने का कार्यक्रम है।

हाथी शरण स्थल के प्रस्ताव को स्वीकृति

1646. श्री बलवन्त मणवर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को हाथी शरण स्थल के समुचित प्रबन्धन के लिये चार वर्ष की अवधि में व्यय करने के लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति देने का कोई स्वीकृत प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। "प्रोजेक्ट एलिफेंट" को शुरू करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से 5 सितम्बर, 1990 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आठवीं योजना के दौरान इस पर 19 करोड़ रु. खर्च किये जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा इस प्रस्ताव के संबंध में यथा प्रेषित उद्देश्य नीचे दिए गये हैं :—

(1) अभिनिर्धारित जीवनक्षम हाथियों की आबादी के दीर्घावधिक उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना।

(2) हाथियों की उस समस्यामूलक आबादी से निपटना, जो विभिन्न क्षेत्रों में गम्भीर विनाश का कारण बनी हुई है।

(ग) शीघ्र ही इन प्रस्तावों के संबंध में अन्तिम दृष्टिकोण जिसे आठवीं योजना में सम्मिलित किया जा सकता है, तय किया जाएगा।

कर्नाटक में दूर संवेदी केन्द्र (रिमोट सेंसिंग सेंटर) की सुविधा

1647. श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस राज्य में दूर संवेदी केन्द्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता की जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार द्वारा दिये गये विशिष्ट सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के दूर संवेदी केन्द्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने अन्तरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन आर. एम. एस.) कार्यक्रम के अधीन राज्य सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र (के. एस. आर. एस. टी. यू. सी.) के लिए आवश्यक उपस्कर और आंकड़ों की खरीद हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता की मांग की है।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग ने एन. एन. आर. एम. एस. के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कर्नाटक राज्य केन्द्र की स्थापना के लिये न केवल तकनीकी सहायता प्रदान की है, अपितु राज्य केन्द्र द्वारा आयोजित की जा रही अनेक सुदूर संवेदन उपयोग परियोजनाओं, जैसे भूमि जल के संभावित क्षेत्र के मानचित्रण, कृषि सूखे का मानीटरन, परती भूमि मानचित्रण, बंगलौर शहर के लिए रिंग रोड संरक्षण मानचित्रण इत्यादि, को भी प्रायोजित किया है। राज्य केन्द्र को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे तदनुरूपी अनुदान और तकनीकी प्रगति के आधार पर अंकीय प्रतिबिम्ब विश्लेषण प्रणाली, फोटो संसाधन उपस्कर इत्यादि जैसे जरुरी उपस्कारों की खरीद के लिए भी कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

दूरदर्शन नेटवर्क

1648. डा. वेंकटेश काबडे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने केबिल दूरदर्शन नेटवर्क कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 में राज्य वार ऐसी कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ; और

(ग) केबिल दूरदर्शन नेटवर्क की अनुमति देने के संबंध में अपनायी जा रही नीति का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) मई, 1990 में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 3,500 केबल टी. वी. नेटवर्क काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) देश में केवल टी. वी. नेटवर्क की स्थापना का कार्य संचार मंत्रालय के अधीन भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत आता है। निजी स्थान पर केवल टी. वी. लगाने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तथापि, डिश एंटीना प्रणाली संचार मंत्रालय से लाइसेंस लेने के बाद ही स्थापित की जा सकती है।

खादी उद्योग का विकास

1649. श्री सी. एम. नेगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गढ़वाल जिले में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए के. वी. आई. सी. द्वारा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले सहित आदिवासी क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विकास कार्यक्रम पहले ही चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में राजसहायता के आधार पर उन्नत औजारों तथा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। आदिवासी क्षेत्र योजना में अन्य क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार की सहायता की तुलना में उदार सहायता प्रतिमानों की भी व्यवस्था है। इन क्षेत्रों में के. वी. आई. सी. की योजनाएं विभागीय रूप से तथा संस्थाओं के जरिए चलायी जाती है। इस क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाले उद्योगों में ऊनी खादी, कुटीर चमड़ा, साबुन बनाने के लिए अखाद्य तेल निकालने हेतु बीज संग्रह मधु मक्खी पालन, फाइबर तथा अनेक अन्य वन्य आधारित उद्योगों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है ?

पावागढ़ की पहाड़ियों पर उच्चशक्ति पारेषण केन्द्र की स्थापना

1650. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पावागढ़ की पहाड़ियों पर उच्च शक्ति पारेषण केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो पावागढ़ में उच्च शक्ति पारेषण केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि पावागढ़ में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है तथापि, सरकार का यह सतत् प्रयास है कि इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध साधनों पर निर्भर रहते हुए देश के कवर न हुए भागों में यथाशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जाये।

गंगटोक में टेलीविजन ट्रांसमीटर

1651. **श्री नन्दू थापा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) गंगटोक में निर्माणाधीन टेलीविजन ट्रांसमीटर समय सारिणी के अनुसार कब से कार्य करना शुरू कर देगा;

(ख) इस केन्द्र से कितने क्षेत्र तक कार्यक्रम देखे जा सकेंगे और इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा; और

(ग) इस ट्रांसमीटर को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) शुरू में, गंगटोक में, दूरदर्शन कम्पलेक्स को 1989-90 के दौरान चालू कर दिए जाने की योजना थी। इसमें एक किलोवाट टी. वी. ट्रांसमीटर और एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र की परिकल्पना की गई थी। किनारे के क्षेत्रों सहित इस ट्रांसमीटर का सेवा क्षेत्र लगभग 60 कि. मी. आंका गया था। लेकिन इस ट्रांसमीटर के अब 1991-92 के दौरान और कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के 1993-94 के दौरान शुरू हो जाने की आशा है।

(ग) गंगटोक में टी वी. ट्रांसमीटर परियोजना के पूरा होने में विलम्ब राज्य सरकार के प्राधिकारियों से स्पष्ट रूप से जगह उपलब्ध कराने में देरी, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, खराब मौसम, सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और उपकरणों की सप्लाई में देरी के कारण, हुआ। सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति का कारण यह है कि सीधी ढलान के कारण सीढ़ियां बनानी पड़ती हैं और पुश्ता दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं।

केरल के शहरों के बदले हुए नाम

1652. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम बदल दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अपने रिकार्ड में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को सूचित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

समूह "क" और "ख" पदों पर करुणामूलक आधार पर नियुक्ति

1653. **श्री कृपाल सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां केवल समूह "ग" और "घ" पदों पर ही की जाती है।

(ख) यदि हां, तो समूह "क" और "ख" पदों पर करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं जबकि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित/पत्नी के पास आवश्यक योग्यता होती है;

(ग) ऐसी स्थिति में पत्नी/आश्रित को क्या वैकल्पिक रोजगार दिया जाता है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यद्यपि समूह "क" तथा "ख" पदों पर करुणामूलक नियुक्तियों के लिए अनुरोध कभी-कभार ही प्राप्त होते हैं परन्तु ऐसे अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाते हैं तथा उम्मीदवारों को उनके अर्हक होने पर पर केवल उपयुक्त समूह "ग" अथवा "घ" पदों पर नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जाते हैं। सरकार निम्नलिखित कारणों से समूह "क" तथा "ख" पदो पर करुणामूलक नियुक्तियाँ करने के पक्ष में नहीं है :—

(I) इसका उद्देश्य केवल शोकसन्तप्त परिवार को राहत पहुंचाना है जिसे पूर्णतः करुणामूलक आधार पर सहायता की शीघ्र आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति उपयुक्त समूह "ग" अथवा "घ" पद पर नियुक्ति प्रस्ताव देकर हो जाती है।

(II) भर्ती की सामान्य प्रक्रिया का पालन किए बिना नियमों में छूट देकर समूह "क" तथा "ख" पदों पर नियुक्तियां करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे ऐसे पदों के चयन का मानक स्तर घट जाएगा जिनमें उच्चतर ड्यूटियां तथा जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समूह "क" तथा "ख" में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां भी सीमित हैं। चूंकि समूह "ग" तथा "घ" में रिक्तियों की संख्या अधिक है अतः इन स्तरों पर, दक्षता पर कोई अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सामान्य नियमों तथा प्रक्रियाओं में छूट देकर करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के मामले को समा लेना संभव है।

तटरक्षक विभाग की भूमिका

1654. **श्री बी. कृष्णराव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी चार्टर मात्स्यिकी नीति के प्रति तटरक्षक विभाग की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं;

(ख) क्या तटरक्षक विभाग ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का तटरक्षक विभाग की भूमिका और कार्यों को पुनः आकलन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो तटरक्षक विभाग को सुचारू बनाने बनाने हेतु कौन से अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत के अपने समुद्री आर्थिक क्षेत्र में जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उसके उपयोग का संबंध है और इस संबंध में नीति निर्धारित करने का यह विषय खाद्य संसाधन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालयों के अन्तर्गत आता है। तटरक्षक संगठन केवल मत्स्य संसाधनों सहित, भारत के समुद्र संबंधी हितों की रक्षा के लिए लागू कानूनों/अधिनियमों का प्रवर्तन करने वाली ऐजंसी के रूप में कार्य करता है और वह यह भी सुनिश्चित करता है कि गहरे समुद्र में मत्स्य नौकाओं की बेरोकटोक संक्रिया से से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पैदा न हो। फिर भी अपने सीमित संसाधनों के बावजूद तटरक्षक संगठन संबंधित मंत्रालयों को उनकी नीतियों को लागू करने के मामले में यथासंभव अधिकतम सहायता पहुंचाने का भरसक प्रयास करता है।

(घ) तटरक्षक संगठन 2000 ई. तक की भावी योजना और पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, तटरक्षक संगठन का उपलब्ध संसाधनों के भीतर विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

अशोक पेपर मिल्स के रामेश्वर नगर एकक को सहायता

[हिन्दी]

1655. **श्री नागेन्द्र झा :** क्या प्रधान मंत्री 7 अगस्त 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 215 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अशोक पेपर मिल्स के रामेश्वर नगर एकक को चलाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब से चालू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अशोक पेपर मिल्स लि. के रामेश्वर नगर एकक को पुनरुज्जीवित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार के पास बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में ओखलकांडा और रुद्रपुर में कम शक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

1656. श्री एच. एस. पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नैनीताल जिले में ओखलकांडा और रुद्रपुर में कम शक्ति के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक की जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) इस समय नैनीताल जिले के ओखलकांडा या रुद्रपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, जब सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीम के रूप में बरेली में लगाया जा रहा उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर वर्ष 1991-92 के दौरान सेवा के लिए चालू हो जायेगा, तब उससे दूरदर्शन सेवा रुद्रपुर शहर को प्राप्त होने लगेगी ।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

[अनुवाद]

1657. श्री समरेन्द्र कुन्डू :

श्री जगपाल सिंह :

श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व जनता दल सरकार द्वारा लाये गये प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी विधेयक को पारित कराने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सभी उद्योगों में औद्योगिक संबंधों का एक समान ढांचा बनाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) :
(क) से (ग) प्रबन्ध में कर्मकार सहभागिता, विधेयक 1990 राज्य सभा में 30 मई, 1990 को पेश किया गया था। विधेयक में संशोधन करने के लिए अनेक नोटिस प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर उस समय विचार-विमर्श किया जाएगा जब वह विधेयक विचार-विमर्श के लिए लाया जाएगा ।

सरकार द्वारा इंटक के अध्यक्ष श्री जी. रामानुजम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की

गयी थी जिसमें केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों तथा नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे ताकि 21-22 अप्रैल, 1990 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में की गयी सिफारिश के अनुसरण में नये औद्योगिक संबंध विधान के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा सकें। रामानुजम समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 अक्तूबर, 1990 को प्रस्तुत कर दी थी। अनेक प्रमुख समस्याओं पर समिति की सिफारिश सर्व-सम्मत नहीं हैं। इसलिए सरकार को राज्य सरकार के परामर्श से पूरे मामले की जांच करनी है। व्यापक सहमति होने पर ही औद्योगिक संबंध विधेयक को पेश किया जा सकता है।

नवजात बच्चियों की हत्या

1658. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, नवजात बच्चियों, की हत्या के कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ख) इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) इस जानकारी का ब्योरा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

(ख) इन अपराधों का निपटान भारतीय दण्ड संहिता के मौजूदा उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। फिर भी बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने हेतु बालिकाओं की सकारात्मक छवि तैयार करने के लिए समर्थन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

दिल्ली में जब्त किए गए हथियार

1659. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से दिल्ली प्रशासन द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के कितने हथियार जब्त किए गए हैं :

(ख) दिल्ली में जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के हथियार वर्ष 1987 से कितने व्यक्तियों को आवंटित किए गए है और उक्त आवंटन के क्या कारण है :

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा आवंटित विभिन्न प्रकार के जब्त किए गए हथियारों का मूल्य क्या है; और

(घ) "पी" बोर और "एन. पी." बोर किस्म के जब्त किए गए हथियारों के आवंटन के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जब्त किए गए अग्नेयास्त्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

(i) डी. बी. एल.	20
(ii) एस. बी. बी. एल.	?5

(iii) रिवाल्वर	72
(iv) पिस्तोल	57
(v) राईफल	34
(vi) डी. एम. बी. एल/एस. बी. एम. एल.	20
कुल :	228

(ख) 1987 से 10 व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के हथियार आवंटित किए गए। जब्त किए गए हथियारों को आवंटित करने की शक्ति दिल्ली प्रशासन के पास नहीं है, यह शक्ति केवल भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के पास है।

(ग) आवंटित किए गए 10 हथियारों की कीमत निम्न प्रकार से है :—

	क्र सं.	(रु.)
पिस्तोल	1	1050/-
	2	1000/-
	3	700/-
रिवाल्वर	4	1200/-
	5	725/-
	6	1000/-
	7	1000/-
	8	1050/-
	9	750/-
	10	1000/-

(घ) केन्द्र सरकार ने "पी" बोर और "एन. पी." बोर के जब्त किए गए हथियारों को आम जनता को आवंटित करने के लिए कोई नीति नहीं बनायी है।

राम जन्म भूमि विवाद

1660. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न पुरातात्विक प्रमाण मिलने की तारीखों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह बताया गया है कि अयोध्या में, जहाँ बाबार ने मस्जिद बनाई थी, वहाँ एक मंदिर था,

(ख) प्रत्येक मामले में प्रमाणों की संख्या कितनी है और प्रत्येक प्रमाण की विषय वस्तु क्या है ;

(ग) पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भूतपूर्व महानिदेशक के मार्गनिदेश में इस कार्य को करने वाले दल के प्रत्येक निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे सभी संबंधित प्रमाणों को सदन के पटल पर रखने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पेपर मिलें

हिन्दी

1661. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक पेपर मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देशों से वापस आये व्यक्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

1662. **श्री पी. ए. एन्टनी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने खाड़ी के देशों से वापस लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 990 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को केरल के मुख्य मंत्री से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाड़ी देशों से लौटने वाले व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास के लिए उपायों तथा इस उद्देश्य के लिए एक समिति तथा निधि के गठन का उल्लेख है। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

दूरदर्शन पर "अन्तिम राजा" धारावाहिक का प्रसारण

1663. **श्री सी पी. मुदालगिरियप्पा :**

श्री वी. कृष्णराव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. मस्ती वेंकटेश आयंगर के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त उपन्यास पर आधारित दूरदर्शन धारावाहिक "अन्तिम राजा" को 13 दिसम्बर, 1990 से प्रसारित किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रसारण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस धारावाहिक का प्रसारण कब से शुरू कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) (क) और (ख) जी हां। इस धारावाहिक को 13.12.1990 से प्रसारित किये जाने का कार्यक्रम था, परन्तु इसके निर्माता ने अल्प सूचना पर इसे वापिस ले लिया।

(ग) इस धारावाहिक को प्रसारित करने की अगली तारीख के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जालना में उपग्रह के लिए भू-नियन्त्रण केन्द्र

1664. **श्री पुडलिक हरी दानवे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जालना (महाराष्ट्र) में उपग्रहों के लिए भू-नियंत्रण केन्द्र की स्थापना के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह केन्द्र कब तक कार्य शुरू कर देगा ; और

(ग) इस केन्द्र के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) राज्य सरकार से जालना में उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् तार लगाने, सम्पर्क मार्ग आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे हो गए हैं। एंटेना संस्थापन और भवन के लिए सिविल निर्माण कार्य क्रमशः मार्च और सितम्बर, 90 में शुरू हो गया है। स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से एंटेना और विविध इलेक्ट्रॉनिकी उप-प्रणालियों, जैसे उपकरों की प्राप्ति तथा उनकी जांच अग्रिम चरण में है।

(ख) 1992 के मध्य तक।

(ग) यह केन्द्र भारत के ऊपर भू-स्थिर उपग्रह कक्षा अर्थात् 20° से 140° पूर्व दृश्यक वृत्तांश में उपग्रहों से उत्सर्जनों के तकनीकी प्राचलों के मानीटरन की क्षमता उपलब्ध कराएगा। यह केन्द्र अन्तरिक्ष रेडियो प्रणालियों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा। प्रस्तावित केन्द्र के परिमापनों से भारतीय उपग्रह और स्थलीय रेडियो सचार प्रणालियों के अबाध प्रचालन को सुनिश्चित करना संभव होगा।

खादी और ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बिहार में उद्योग स्थापित करना

1665 श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत बिहार के पश्चिम और पूर्व चम्पारन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए एक योजना बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन उद्योगों को क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए समाज के लिये कमजोर वर्गों को विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका): (क) बिहार के पश्चिमी तथा पूर्वी चम्पारन जिले में खादी तथा ग्रामोद्योगों की स्थापना के वास्ते कोई योजना बनाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उक्त जिले में के वी आई के कुछ कार्य क्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) पश्चिमी तथा पूर्वी चम्पारन जिले में निम्नलिखित उद्योग कार्यान्वित किए जा रहे हैं :—

1. दालें व अनाज संसाधन उद्योग (पी. सी. पी. आई)

2. ग्राम्य चमड़ा ;

3. गुड़ और खांडसारी ;

4. मधु-मक्खी पालन

5. ग्राम्य पोटरी;

6. बढ़ईगीरी व लोहारगीरी

7. बेंत तथा बांस;

8. ग्राम्य तेल;

9. फाइबर और

10. खादी

(ग) के. वी. आई. सी. अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए रियायती वित्त, कच्चे माल की आपूर्ति प्रशिक्षण, विपणन व तकनीकी मूलसरंचना जैसी अनुरक्षी सेवाएं देता है। सहायता के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुसार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। खादी-ऋण ब्याज मुक्त होते है जब कि ग्रामोद्योग ऋण पर 4% वार्षिक ब्याज

लगता है। के. वी. आई. सी. की ब्याज राज सहायता योजना के अधीन कार्यान्वयनकारी ऐजेंसियां खादी और ग्रामोद्योग दोनों ऋण पर 4% वार्षिक ब्याज वहन करती हैं। सहायता प्रतिमानों में कुछ सीमा तक अनुदान दिया जाता है, बशर्ते कि समिति में 100% महिलाएं हों।

(घ) जी, हां।

(ङ) के. वी. आई. सी. कार्यक्रमों से आदिवासियों, कमजोर वर्गों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि करने के लिए के वी आई सी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल है :

1. राजसहायता के आधार पर उन्नत औजारों व उपकरणों की आपूर्ति ;

2. देश के जिन चुनिंदा जिलों में अनु. जा /अनु. ज. जा. की आबादी काफी है, यहाँ विशेष कार्यक्रम आरंभ करना।

3. राज्यों के लिए किए जाने वाले के वी आई सी के कुल बजट आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित-जन-जाति के लिए अलग से आबंटन करना।

4. अलग योजनाएं सुनिश्चित करना जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों।

5. पर्वतीय सीमाओं, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग के क्षेत्रों के लिए के. वी. आई. सी. के सहायता प्रतिमान में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अनुदान की उदार राशि की व्यवस्था। उपर्युक्त उदारीकृत प्रतिमान उन संस्थाओं के लिए भी लागू हैं जिनके शत प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होते हैं और उन संस्थाओं के लिए भी है जो देश के अन्य सभी भागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लाभ के लिए ही कार्य कर रही हैं।

6. मुख्य संस्थाओं को 2.5 करोड़ रु. की सीमा से अधिक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान करने की अनुमति दी जा सकती है। बशर्ते कि वे अतिरिक्त निधि का विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लाभ के लिए इस्तेमाल करें।

"नो पे फॉर माइन्स सेफ्टी स्टाफ" शीर्षक से समाचार

1666. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसम्बर, 1990 के "स्टेटसमैन" में "नो पे फॉर माइन्स सेफ्टी स्टाफ" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसमें बताए गए विभिन्न मुद्दों की तरफ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) राष्ट्रीय खनन सुरक्षा परिषद्, धनबाद की समस्याएं सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) सन्दर्भाधीन समाचार पढ़ा गया है राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद सोसाइटी पंजीकरण

अधिनियम, 1860 के अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह केन्द्रीय सरकार का विभाग नहीं है। कुछ वर्षों से परिषद वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है। वर्ष 1985 में गठित एक विशेषज्ञ दल ने कुछ सिफारिशें की थी। यह महसूस किया गया कि संगठित क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्रियाकलापों को खान प्रबन्धकों द्वारा किया जाये तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय खानों के असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य करें। तथापि, परिषद को समाप्त किए जाने के विरोध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा मामले की पुनरीक्षा की जा रही है।

यह सच है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण, परिषद ने अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया है।

स्कूल आफ फोरन लेंग्वेजेज में पढ़ायी जाने वाली भाषाएं

1667. **श्री केशरी लाल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल आफ फोरन लेंग्वेजेज, नई दिल्ली के संचालन पर कुल व्यय में बढ़ोतरी हुई है जबकि इसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों को कुल संख्या घटी है हालांकि इसमें एक भाषा प्रयोगशाला और अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूलों में पढ़ाई जा रही भाषाओं के नाम और प्रत्येक विषय में छात्रों की वर्ष वार संख्या कितनी है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल व्यय में वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में विदेशी भाषा विद्यालय के व्यय के ब्यौरे और इसमें प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों-अफसरों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल व्यय लाख रुपयों में
1987-88	10.76
1988-89	11.30
1989-90	12.28

वर्ष	कुल भर्ती
1988	173
1989	132
1990	151

इसके अतिरिक्त, 1988 में रूसी तथा सिंहाला भाषाओं में दो क्रैश पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनमें 24 विद्यार्थी-अफसरों को प्रवेश दिया गया था। 1989 और 1990 में ऐसा कोई क्रैश पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

(ख) विदेशी भाषा विद्यालय मुख्यत: रक्षा सेवा कार्मिकों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित किए गए सरकारी कर्मचारियों को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। इसके पाठ्यक्रम 3 महीने से लेकर 26 महीने तक की अलग-अलग अवधियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। लम्बी अवधि के पाठ्यक्रमों मे भर्ती वार्षिक आधार पर नहीं की जाती।

पिछले 3 कैलेन्डर वर्षों में विद्यार्थियों की भर्ती मे अन्तर का मुख्य कारण पाठ्यक्रमों की अलग्र-अलग अवधियों का होना है। यह भर्ती, रक्षा सेनाओं द्वारा प्रायोजित किए गए विद्यार्थी-अफसरों की संख्या पर भी निर्भर करती है। व्यय में वृद्धि, स्थापना लागत में सामान्य वृद्धि के कारण होती है। पिछले तीन वर्षों में हुए कुल व्यय मे कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) विदेशी भाषा विद्यालय मे ये भाषाएं पढ़ाई जाती है—अरबी, इंडानेशियाईभाषा, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, पर्सियन, पास्तो, रूसी, सिंहला, स्पेनिश और तिब्बती। पिछले तीन वर्षों में प्रवेश दिये गये विद्यार्थी-अफसरों की भाषावार संख्या विवरण के रूप में संलग्न।

विवरण

वर्ष 1988, 1989 और 1990 में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी-अफसरों की वर्षवार संख्या

भाषा	1988	1989	1990
अरबिक	13	5	8
इंडोनेशियाई भाषा	—	16	—
बर्मी	8	—	19
चीनी	13	16	3
फ्रेंच	26	40	25
जर्मन	10	13	11
जापानी	14	6	—
पुश्तो	—	—	—
परसियन	—	4	8
रसियन	41	14	55
स्पेनिश	16	3	14
सिंहला	27	15	6
तिब्बती	5	—	2
	173	132	151

पंजाब और जम्मू और कश्मीर के नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा करना

1668. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में कितने नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा किया गया; और

(ख) उन्हें रिहा करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन नजरबन्द किये गये 7 व्यक्तियों को अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान रिहा किया गया। इनमें से 3 व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड के कहने पर छोड़ा गया था, 3 व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद छोड़ा गया और राज्य सरकार के आदेशानुसार नजरबन्दी के एक आदेश का प्रतिसंहरण किया गया।

2. जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं है। राज्य में नजरबन्दी राज्य निवारक नजरबन्द अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया जाता है। नवम्बर और दिसम्बर, 1990 के दौरान 15 नजरबन्द व्यक्तियों को पैरोल पर छोड़ा गया और 12 नजरबन्द लोगों के आदेश रद्द किये गये।

गुजरात में महिला और बाल कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय योजनाएं

1669. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल कल्याण की कुछ केन्द्रीय योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं और ये किन स्थानों में लागू हैं और ये किन संगठनों द्वारा चलाई जा रही हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं में किया गया व्यय और इन संगठनों को प्रदत्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर कितना व्यय किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) आगामी दो वर्षों में होने वाला संभावित व्यय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम सं.	ग्रामीण क्षेत्रों में चालू मुख्य योजनाओं के नाम	उस जिले का नाम जिसमें योजनाएं चलाई जा रही है	संगठन का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि/व्यय (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	समेकित बाल विकास सेवा (आईसी डी एस)	अनुबन्ध में सूचना दी गई है	राज्य सरकार	3252.98 (पोषाहार व्यय के अलावा)
2.	गेहूं पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम (डब्ल्यू. बी.एन.पी.)	खेडा ओर साबर क्रंता	राज्य सरकार	180.95
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी डब्ल्यू सी आर.ए.)	अहमदाबाद जूनागढ़, बरूच सुरेन्द्र नगर, पंचकठा कक्ष, सूरत और पंचमहल	राज्य सरकार	84.35
4.	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	गुजरात के सभी जिलों में	राज्य सरकार	77.59 (राज्य सरकार के हिस्से सहित)
5.	बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम (बी. एन.पी)	पंचमहल, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, महेशना, सुन्दर नगर, खेडा जामनगर, गांधीनगर, वलसद, बरूच, भावनगर, बंशकंठा, जूनागढ़,	भारतीय बाल कल्याण परिषद (आई सी सी डब्ल्यू), केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) भारतीय आदिम	लागू नहीं

1	2	3	4	5
		बालासिनोर, साबरकंठा	जाति सेवक संघ (बी ए जे एस एस), हरीजन सेवक संघ (एच जे एस एस), कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक, नई दिल्ली	
6.	आनन्द पद्धति समेकित परिवार कल्याण परियोजना	खेडा	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी)	268.00
7.	जागृति विकास परियोजना (ए जी पी) महिला मण्डल, सीमवर्ती क्षेत्र परियोजनाएं (बी.ए.पी.), प्रदर्शन परियोजनाएं (बालबाड़ियां)	सारे राज्य में	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी)	99.17

1989-90 तक गुजरात में कवर किए गए आई सी डी एस ब्लाकों की सूची
(केन्द्रीय क्षेत्र)

क्र.सं. जिले का नाम और परियोजना

जिला अहमदाबाद

1. देह गाम
2. ढोलका (सी)
3. वीरंम

जिला अमरेली

4. लालिया
5. राजुला

जिला सवंसकथा

6. दान्ता
7. वाव
8. थरड़
9. दियोदार
10. कंकरेज
11. राधापुर
12. धनेरा
13. डीसा
14. पालनपुर

जिला बड़ोदा

15. दभोई
16. पवीजेतपुर
17. सिनोर

जिला भड़ूच

18. अंकलेश्वर
19. जम्भूसर
20. अमोड़
21. हंसोट
22. बागरा
23. बड़च

क्र.सं. जिले का नाम और परियोजना

जिला भाव नगर

24. गधादा
25. सवारकाडला

जिला कामनगर

26. द्वारका
27. जमखम-भलिया
28. जोडिया/धरोल

जिला जामनगर

29. मनबद
30. लालपुर
31. जमजोधपुर

जिला जूनागढ़

32. तलाला
33. केशोढ़

जिला कक्ष

34. रापुर
35. मचन
36. भुज
37. अरीजाव
38. नखाथराना
39. माडवी

जिला महेशना

40. काढ़ी
41. हरीज
42. चनासमा
43. खेरालू
44. बिसानगर (सिधपुर)

जिला पंचमहल

45. सेहरा

46. जम्मू गोड़ा

47. लुनावदा

48. हलोल

49. कलोल

50. गघोरा

जिला राजकोट

51. बनकनेर

52. असदन

53. राजकोट

54. जमकन्डोराना

55. पधारी

जिला साबरकांठा

56. इडार

जिला सुरेन्द्र नगर

57. चोटीला

58. लखतर

59. दसादा

60. स्याला

61. लिम्बड़ी

62. घरन्गधरा

63. बघावा

जिला खेड़ा

64. खंबात

आदिवासी बच्चों के कल्याण की योजना

1670. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की किस हद तक पूर्ति होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) की परियोजनाएं 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, शारीरिक एवं सामाजिक विकास और अनौपचारिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए चल रही है। कुल 2424 परियोजनाओं में से 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में है।

(ग) आदिवासी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल, अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल और आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

दिल्ली दूरदर्शन के अधिकारियों पर रिश्वत लेने के तथाकथित आरोप

1671. श्री जी. एस. बासवराज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन के किसी अधिकारी/अधिकारियों को हाल ही में रिश्वत लेने के तथा कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के निर्माता को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 22.9.90 को तथा कथित रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया गया था। चूंकि उन्हें 48 घंटे से अधिक देर तक हिरासत में रखा गया था, इसलिए उन्हें सरकारी निर्देशों के अनुसार 22.9.90 से निलंबित कर दिया गया।

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ के अधिकारियों द्वारा विदेश दौरा

1672. **श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ के प्रबन्ध निदेशक और कल्याण मंत्रालय के अन्य अधिकारी विदेश दौरे पर जा रहे हैं;

(ख) क्या यह दौरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ों की "सेल" के बारे में भ्रामक विज्ञापन

[हिन्दी]

1673. **प्रो. रघुनाथ पांडेय** :
श्री गंगा चरण लोधी :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 दिसम्बर, 1990 को "जनसत्ता" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि कुछ "सेल" आयोजक आकर्षक विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं तथा कुछ विख्यात होजरी मिलों के नाम से कपड़ों की "सेल" आयोजित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या "ओसवाल ब्रैंड सेल" विज्ञापन में ओसवाल फैशन हाउस द्वारा

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36 (क) का उल्लंघन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने किस एजेंसी को जांच का काम सौंपा है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने निदेशक (अनुसंधान) के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जाँच के लिए निर्देश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या "सेल" के आयोजक किसी अनुचित व्यापार प्रथा में लिप्त हैं। आयोग को एक न्यायिक कल्प-निकाय होने के नाते एम. आर. टी. पी. अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत मामले में आवश्यक कारंवाई करने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"गोमती एक्सप्रेस में सुरक्षा

[अनुवाद]

1674. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरारती तत्वों ने 8 दिसम्बर, 1990 को अलीगढ़ के निकट गोमती एक्सप्रेस को रोका और कुछ लोगों को बाहर घसीटकर मार डाला;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस दिन रेलगाड़ी में क्या सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी; और

(ग) भविष्य में रेलगाड़ियों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 8 दिसम्बर, 1990 को लगभग 12.07 बजे एक भीड़ ने टुंडला नई दिल्ली मार्ग पर अलीगढ़ स्टेशन के होम सिगनल पर सीमेंट स्लीपर डालकर गोमती एक्सप्रेस ट्रेन सं. 2419-अप को रोका। भीड़ ने 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 5 व्यक्तियों को घायल कर दिया। ट्रेन में मार्ग रक्षा के लिए एक *हेड कांस्टेबल तथा 4 कांस्टेबल साथ जा रहे थे,* [illegible] संबद्ध अपराधिक कानून के अधीन एक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

(ग) स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार सरकारी रेलवे पुलिस सुपर फास्ट/मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में मार्ग रक्षा उपलब्ध कराती है। आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य में रेलवे सुरक्षा बल भी सरकारी रेलवे पुलिस को सहायता प्रदान करता है।

यात्री गाड़ियों की उचित मार्ग रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्राधिकारी विभिन्न राज्यों के सरकारी रेलवे पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वयन बैठकें आयोजित करते हैं। जब भी किसी विशेष क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है तो मामले को संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

बालिका शिशुओं को मृत्यु

1675. श्री आर. एन. राकेश : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अक्तूबर, 1990 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में 1.5 एम. गर्ल्स डाई बिफोर एज वन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न बालिका शिशुओं और उनकी मृत्यु का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बालिका शिशुओं की मृत्यु का क्या कारण हैं और उनके अमूल्य जीवन को बचाने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख राज्यों के संबंध में वर्ष 1985 1986 और 1987 का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए किये गये प्रस्तावित प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ सभी शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत रोग प्रतिरोधन तथा मां और बच्चे के लिए तीव्र श्वास संक्रमण के कुपोषण के कारण हुई रक्त क्षीणता से प्रतिरक्षण और दस्तों के कारण होने वाले निर्जलीकरण के उपचार के लिए मौखिक पुर्नजलीकरण चिकित्सा जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गहन और व्यापक बनाना शामिल है। सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। स्तन पान, दूध छुड़ाने के उपयुक्त तरीकों और समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषाहार पर भी समुचित बल दिया जाएगा। अधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्यों/जिलों स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाने के लिए क्षेत्र विकास परियोजनाएं चलाई गई हैं।

विवरण

भारत और प्रमुख राज्यों में लैंगिक आधार पर शिशु मृत्यु दर

	1985		1986		1987	
राज्य	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
आंध्र प्रदेश	86	79	83	80	80	77
असम	116	105	110	107	103	100
बिहार	104	107	95	107	99	104
गुजरात	97	99	104	110	90	106
हरियाणा	78	93	77	93	79	95
हिमाचल प्रदेश	77	92	89	87	77	87
जम्मू तथा काश्मीर	97	71	84	79	74	69
कर्नाटक	72	67	77	70	79	71
केरल	34	28	26	27	27	28
मध्य प्रदेश	123	122	123	112	122	118
महाराष्ट्र	68	60	54	63	73	59
उड़ीसा	137	126	134	110	137	113
पंजाब	67	76	62	75	60	66
राजस्थान	107	109	103	111	97	107
तमिलनाडु	80	83	74	86	70	82
उत्तर प्रदेश	132	153	131	133	126	128
पश्चिम बंगाल	80	67	76	67	73	68
भारत	96	98	96	97	95	96

स्रोत : आर. जी. आई. एस. आर. एम. 1985, 1986, 1987 (विवरण 30)

बेरोजगारी की समस्या

[हिन्दी]

1676. श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को सही ढंग से हल करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है तथा इसके अंतर्गत रोजगार की प्रतिवर्ष विकास दर क्या होगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री ((श्री कमल मोरारका) : (क) सन् 2000 तक सभी को रोजगार सम्बन्धी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, लाभप्रद रोजगार के अवसरों में विस्तार को आठवीं पंचवर्षीय योजना का केन्द्रीय फोकस बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1980 के दशक के दौरान 3 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से रोजगार की औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए योजना कार्यनीति और कार्यक्रमों को पुनरभिविन्यासित लिए जाने की परिकल्पना की गई है।

जोजिला पास में बर्फानी तूफान

[अनुवाद]

1667. श्री प्यारेलाल हांडू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोजिला पास में वर्ष 1985-86 के बर्फानी तूफान के परिणामस्वरूप वहां पर रुके हुए कितने यात्री मारे गये थे; और

(ख) केन्द्रीय सरकार और/अथवा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यदि इनके वैध उत्तराधिकारियों को कोई मुआवजा दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : जोजिला दर्रे में बर्फानी तूफान के कारण, मारे गए व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिक।	—3
(2) सीमा सड़क संगठन के नैमित्तिक आधार पर वेतन पाने वाले मजदूर।	—26
(3) सेना कार्मिक।	—24
(5) सिविलियन कार्मिक।	—10
कुल	=63

(ख) इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 में जोजिला दर्रे में मारे गए कार्मिकों के मामलों में अदा किए गए मुआवजे का ब्योरा इस प्रकार है :—

1. सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त किए गए कार्मिक

(1) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कार्मिक

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत दो हकदार कार्मिकों के मामले में मुआवजे के रूप में 1,44,052 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के तीसरे कार्मिक, जो कामगार श्रेणी में नहीं आता था, का परिवार ऐसे मुआवजे का हकदार नहीं है।

सीमा सड़क संगठन की विभिन्न को विभिन्न राहत निधियों से और साथ ही रेजीमेंटल निधियों के माध्यम से स्वैच्छिक अंशदान के 3 कार्मिकों के मामले में 19,649 रुपए की राशि का राहत के रूप में भुगतान किया गया है।

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के तीनों कार्मिकों को परिवार पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, केन्द्रीय सरकारी सामूहिक बीमा और सामान्य भविष्य निधि की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(2) नैमित्तिक आधार पर वेतन पाने वाले मजदूर

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत 26 ऐसे मजदूरों के मामले में 11,12,021.40 रुपए की राशि अदा की गई है। सीमा सड़क संगठन की राहत निधि से ऐसे 26 मजदूरों के लिए 500/-रुपए प्रति मजदूर के हिसाब से 13,000/-रुपए की राशि भी अदा की गई है।

2. सेना कार्मिक

इनके परिवारों को इस प्रकार अदायगियां की गई हैं :—

(क) नियमानुसार सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि/परिवार पेंशन परिवार पेंशन विशेष

(ख) पात्रता के अनुसार विशेष परिवार पेंशन भत्ता और जीवन निर्वाह/संभरण भत्ता।

(ग) कल्याण अनुदान : दिवंगत कार्मिक के रैंक के अनुसार 900/-रुपये से 2,500/-रुपए प्रति व्यक्ति अलग-अलग राशि।

3. सिविलियन

जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा या तो कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम या अनुदान सहायता के अन्तर्गत 9 सिविलियनों के मामले में 4.50 लाख रुपए की राशि अदा की गई है।

एक और सिविलयन को, जो सीमा सड़क संगठन का नैमितिक आधार पर वेतन पाने वाला भूतपूर्व मजदूर था, सीमा सड़क संगठन ने अपनी कल्याण निधि में से 500/-रुपए अदा किए।

2. उपर्युक्त 1 से 3 के अन्तर्गत सहायता के अतिरिक्त जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने अपने राहत आयुक्तों के माध्यम से सभी दिवंगत व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रहपूर्ण राहत के रूप में प्रत्येक को 5000/-रुपए की राशि मंजूर की है।

कश्मीर युवाओं को जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाना

[हिन्दी]

1678. श्री बालेश्वर यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीरी युवाओं को तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान अनुमानतः कितने युवाओं को पाकिस्तान ले जाया गया; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपचारी उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) गिरफ्तार किये गये आतंकवादियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि वर्ष 1990 के दौरान बड़ी संख्या में युवकों को शस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान ले जाया गया।

सरकार ने दोनों ओर से होने वाली घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए कई प्रशासनिक उपाय किये हैं जिनमें सीमाओं और नियंत्रण रेखा पर गहन गश्त लगाना तथा सेना, अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल है।

आंवला जिले में भारी जल संयंत्र की स्थापना

1679. श्री राजवीर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंवला जिले में एक भारी संयंत्र की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारी जल संयंत्र शीघ्र स्थापित करने के लिए आंवला स्थित 'इफको' परियोजना की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आंवला

उन स्थलों में से एक है जिनकी सिफारिश स्थल चयन समिति ने भारी पानी संयंत्र लगाने के लिए की थी। तथापि, सरकार ने इस मामले में अभी निर्णय लेना है।

(ग) से (ङ) भारी पानी संयंत्र की क्षमता उर्वरक संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करेगी। यदि "इफको" का और आगे विस्तार करने की अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद ही भारी पानी संयंत्र की क्षमता अन्तिम रूप से निर्धारित की जा सकेगी।

भारत में विदेशी मिशनरी

[अनुवाद]

1680. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री 29 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में जानकारी अब तक एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक एकत्र किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) विभिन्न राज्यों में कितनी विदेशी मिशनरी कार्य कर रहे हैं।	(ख) ये मिशनरी किन-किन देशों के हैं।	(ग) कितनी विदेशी मिशनरिय को देश छोड़कर चले जाने को कहा गया है।	(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।
1.1.1989 को भारत में 1663 पंजीकृत विदेशी मिशनरी कार्य कर रहे थे।	ये मिशनरी अफगानिस्तान, अर्जनटानिया, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बंगला देश, बेल्जियम, बर्मा, कनाड़ा, चीन, कोलोम्बिया, डेनमार्क, इथोपिया, फ्रांस, जर्मनी, गुयाना, हंगयरी, इंडोनेशिया, इरान, आयरलैण्ड, इटली, जमायिका, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मालदीव, माल्टी, मरीशश, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नाइजेरिया, नार्वे, फिलीपाइन्स, पोलैण्ड, पुर्तगाल, रोमानिया, साओ टोमा, और प्राइनसिप्प, सिंगापुर, सोमालिया स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, त्रिनीदाद, और तोम्बागों, टुनिशिया, यू. ए. एस. आर., यू. के., यू. एस. ए., वियतनाम, यूगोस्लाविया, जायरे, लिथोलेंन राष्ट्रों के राष्ट्रिक हैं।	19 विदेशी मिशनरी को देश छोड़कर चले जाने को कहा गया।	उनके विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट हैं। इन 19 मिशनरी में से 5 मिशनरी को पुन: ठहरने की अनुमति दी गई हैं। 3 मिशनरी के मामले न्यायालय में लम्बित हैं।

सशस्त्र सेनाओं के लिए कम्बलों की आवश्यकता

1681. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल, थल और वायु सेनाओं के लिये रक्षा विभाग को प्रतिवर्ष कुल कितने कम्बलों की आवश्यकता होती है;

(ख) ये रक्षा आवश्यकताएं किस राज्य से कितनी-कितनी प्रतिशत पूरी की जाती है;

(ग) क्या ये कम्बल पानीपत से भी प्राप्त किये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रतिवर्ष खरीदे जाने वाले कम्बलों की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। इनकी प्रतिवर्ष मांग 5 से 6 लाख तक हो सकती है।

(ख) इस प्रकार की सप्लाई के आर्डर आयुध निर्माणियों को उनके पास उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। सरकार के वर्तमान नीति-निर्णय के अनुसार शेष आवश्यकता के लिए आर्डर ऐसोसिएशन आफ कारपोरेशन और उच्च हथकरघा सोसाइटियों को दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) कपड़ा मन्त्रालय के अनुसार, पानीपत से कम्बलों का निर्यात नगण्य ही है।

संयुक्त स्टाक कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1682. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 में संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिये लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाने का उपबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी में लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित उपबन्ध का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या चार्टर्ड लेखा परीक्षक लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट देख सकता है; और

(घ) क्या कम्पनियों को उपभोक्ताओं के हित में लागत लेखा रिपोर्ट शेयर होल्डरों की वार्षिक आम सभा में रखने का निर्देश देने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि कम्पनी के लागत लेखाओं की लेखा-परीक्षा जिसके लिए अधिनियम की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों को रखना अपेक्षित हो, ऐसे ढंग से की जाएगी जैसे कि लागत लेखा परीक्षक द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो। लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाती है।

(ग) अधिनियम की धारा 227 के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक को हर समय कम्पनी की लेखा बहियों तथा वाउचरों की जांच करने और ऐसी अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार प्राप्त है जो लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के हेतु लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के हेतु लेखा परीक्षकों को आवश्यक हो। लेखापरीक्षक से सूचना देने की अपेक्षा भी की जाती है कि क्या लागत लेखा तथा अभिलेख तैयार कर दिए गए हैं और वे विनिर्माणकारी तथा अन्य कम्पनियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के निबंधनों के अनुसार रखे गए हैं।

(घ) अधिनियम की धारा 233ख के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी कम्पनी के लिए यह निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सदस्यों में वार्षिक साधारण बैठक की सूचना के साथ-साथ उक्त रिपोर्ट के ऐसे सपूर्ण तथा आंशिक भाग को परिचालित करें जिसका इसके द्वारा इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया हो।

साल्ट रिफायनरी एण्ड सोल्यूशन माइनिंग परियोजना की स्थापना

[हिन्दी]

1683 श्री महेश्वर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मण्डी में दुर्ग स्थित साल्ट रिफायनरी एण्ड सोल्यूशन माइनिंग परियोजना की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होगा ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दारांग में सोल्यूशन माइनिंग एवं साल्ट रिफाइनरी परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और परियोजना स्थल के विकास पर अब तक 7.57 लाख रुपये की राशि खर्च हुई है।

(ख) इस परियोजना के लिए गवेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य जनवरी, 1991 में शुरू होने की सम्भावना है और परियोजना संस्थापन पर निर्माण कार्य मार्च 1992 तक शुरू कर दिए जाने की आशा है। इसी बीच, परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने जैसे प्रारम्भिक कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य न्यायापीठ द्वारा मामलों का निपटाया जाना

[अनुवाद]

1684. श्री रामलाल सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ द्वारा वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान, वर्ष-वार कितने मामले निपटाए गए;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ को हस्तान्तरित सभी मामले निपटा दिए गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो अब कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं;

(घ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ के पास आज तक कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं; और

(ङ) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) 1988, 1989 और 1990 के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ द्वारा निपटाए गए मामलों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार से है :

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या
1988	1147
1989	1580
1990	2065

(ख) और (ग) : जी नहीं, 31-12-1990 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न अदालतों से स्थानांतरित 538 मामले लम्बित हैं।

(घ) 31-12-1990 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ में लम्बित मामलों की कुल संख्या 7700 है जिसमें उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के सामने उल्लिखित 538 स्थानांतरित मामले भी सम्मिलित हैं।

(ङ) मामलों के निपटान के लिये कार्य प्रणाली में सुधार करने के अतिरिक्त, सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के लिये दो अतिरिक्त न्यायपीठों की भी अनुमति दे दी है। सरकार द्वारा उपाध्यक्ष और सदस्यों की विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए भी कदम उठाए गये हैं ।

सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई मिलों के कामगारों को बकाया राशि

1685. प्रो. राम गणेश कापसे :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई मिलों के कामगारों की बकाया राशि के भुगतान के बारे में 5 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4516 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अधिगृहीत की गई मिलों के कामगारों की बकाया राशि के बारे में सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी हाँ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार 13 मिलों में से 12 मिलों के पूर्व मालिकों ने भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के लिए कर्मकारों के वेतन से काटी गई राशि भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों के पास जमा नहीं करवाई है। जहां तक उपदान का सम्बन्ध है कर्मकारों के वेतन से कोई कटौती नहीं की गई थी क्योंकि उपदान का भुगतान नियोजकों द्वारा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान के लिए की गई कटौती कर्मकारों को वापस नहीं की जाती है। जहां तक कर्मकारों की मजदूरी से काटी गई भविष्य निधि अंशदान की भुगतान न की गई राशि का सम्बन्ध है, पूर्व मालिकों से बकाया राशि वसूली न होने के बावजूद त्यागपत्र देने सेवा-निवृत्ति होने इत्यादि के कारण कर्मकार द्वारा सदस्यता छोड़ने पर भविष्य निधि प्राधिकारी संबद्ध कर्मकार को भविष्य निधि अंशदान की पूरी राशि का भुगतान कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना

1686. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के कार्य दल ने 'काम के अधिकार' को मौलिक अधिकार बनाने के लिए रोजगारपरक योजनाओं को लागू करने हेतु कोई उपाय सुझाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की योजना आयोग के प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाएगा ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) 'योजना आयोग का काम के अधिकार से संबंधित कोई कार्य दल' नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एन. डी. सी.) के लिए विचारार्थ प्रस्तुत दृष्टिकोण-पत्र तथा दस्तावेज में यथा उल्लिखित आयोग का दृष्टिकोण यह रहा है कि काम के अधिकार की गारंटी प्रदान करने के लिए साध्य रास्ता मात्र यही है कि राजगारोन्मुखी विकास कार्यनीति को अपनाकर रोजगार सृजन की दर को तेज किया जाए। तथापि अंतरिम रूप से विशेष रूप से गरीबों तथा जरूरतमंदों के काम की गारंटी को कुछ हद तक प्रदान करने वाली स्कीमों की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।

काम के अधिकार के लिए दृष्टिकोण तथा तौर-तरीकों के परिचालन के मुद्दों को राष्ट्रीय विकास परिषद की 11 अक्तूबर, 1990 को हुई बैठक में परिषद के निर्णय के अनुसार नियुक्त एक समिति द्वारा जांच की जा रही है।

जासूसी करने के कारण गिरफ्तार किए गए भारतीय

[हिन्दी]

1687. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्री गोपाल पचेरवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जासूसी कार्य करने के कारण कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) क्या उनमें से कुछ व्यक्ति अखिल भारतीय सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) ये व्यक्ति किन-किन देशों के लिए जासूसी कर रहे थे; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जासूसी करने संदिग्ध रूप से जासूसी करने के आरोप में 138 भारतीय गिरफ्तार किए गए ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में सम्बन्ध में और ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा ।

दूरदर्शन के आइजोल केन्द्र को टेलीफोन कनेक्शन देना

[अनुवाद]

1688. श्री मानिक सान्याल : क्य प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के आईजोल केन्द्र में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, क्या सुरक्षा की दृष्टि से इन केन्द्र को शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दूरदर्शन ट्रांसमिटिंग केन्द्र आईजोल में दो टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं ।

काम का अधिकार

1689. श्री नाथू सिंह :

श्री एस. बी. थोरट :

श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

श्री वी. कृष्णाराव :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री ए. के राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "काम के अधिकार" के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या "काम के अधिकार" के बारे में बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाई की है और विधेयक को कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के अनुसरण में काम के अधिकार पर गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

दंगों में मारे गए सुरक्षा कर्मी

[हिन्दी]

1690. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक दंगों में कितने सुरक्षाकर्मी मारे गए और गत एक वर्ष के दौरान उन्हें राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा के पटेल पर रख दी जाएगी ।

अशिक्षित, मैट्रिकुलेट, स्नातक और बेरोजगार व्यक्ति

[अनुवाद]

1691. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1988, 1989 और 1990 तथा 1 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने-कितने अशिक्षित, मेट्रिकुलेट, स्नातक और बेरोजगार व्यक्ति हैं;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक अवधि के दौरान प्रत्येक श्रेणी के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये;

(ग) उपरोक्त तारीखों की स्थिति के अनुसार बेरोजगारों का कुल पिछली बकाया कितना था;

(घ) इस बारे में क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय अपनाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस समस्या के समाधान के लिए उपचारात्मक उपाय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों से संबंधित हैं लेकिन यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, । इससे नीचे दर्शाया गया है :—

पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी	(संख्या लाखों में) की स्थिति के अनुसार		
	31.12.87	31.12.88	30.6.89×
(I) मैट्रिक से नीचे	135.1	125.4	127.9
(II) मैट्रिक (इनमें हायर सैकेंडरी, इंटरमीडियेट/अडर ग्रेजुएट शामिल हैं)	139.2	146.0	152.1
(III) स्नातक (स्नातकोत्तर सहित)	28.1	29.1	30.1
योग :	302.4	300.5	310.1

× = अद्यतन उपलब्ध

(ख) इस तरह की सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, 1987, 1988 और 1989 के दौरान, क्रमश: 60.01, 5.43 और 6.00 लाख रिक्तियां सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई।

(ग) जैसाकि उक्त भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

(घ) और (ङ) आठवीं योजना दृष्टिकोण दस्तावेज में रोजगार का योजना के केन्द्रीय बल के रूप में प्रस्ताव है, इस प्रयोजन के लिए उत्पादन के प्रति यूनिट के लिए कम पुंजी और अधिक श्रम का उपयोग करते हुए क्षेत्रा और कार्यकलापों के लिए निवेश के ढांचे में अत्यधिक परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिया गया है, प्रस्तावित नीति में विकास की सामान्य प्रक्रिया में उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों के सृजन पर बल दिया गया है, और इसके साथ-साथ इसमें अन्तरिम उपाय के रूप में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को गारन्टीशुदा रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किये गये विशेष रोजगार कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में कंटई. हड़िया इगरा में दूरदर्शन रिले केन्द्र

1692. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कंटई, हड़िया अथवा इगरा में रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) इस समय पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले कंटई, हड़िया अथवा इगरा नामक स्थानों में से किसी में भी दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

प्रक्षेपास्त्र परीक्षणों के कारण बलियापाल के प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

[हिन्दी]

1693. श्री अनादि चरण दास :
श्री भजनम बेहेरा :
श्री गंगाराम मलिक :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उड़ीसा के बलियापाल टेस्ट रेंज से कोई प्रक्षेपास्त्र छोड़ा है और उस क्षेत्र में इनका बार-बार परीक्षण किया जाता है;

(ख) प्रक्षेपास्त्र से होने वाली दुर्घटना और प्रक्षेपास्त्र के धमकों/निशाना चूक जाने की स्थिति में पर्याप्त राहत और मुआवजा देने के लिए क्या एहतियाती उपाय किये गये हैं;

(ग) प्रदूषण संबंधी इसके प्रभावों और प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाने के बाद, तूफान के संभावित कारणों, जिससे बाढ़ और विनाश होता है, का पता लगाने के संबंध में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध मे राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है, यह किस प्रयोजन के लिए दी जायेगी और प्रभावित ग्रामीणों के उचित पुनर्वास और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए अब तक की गयी कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। उड़ीसा के बलियापाल में अभी राष्ट्रीय रेंज स्थापित नहीं की गई है।

(ग) बलियापाल स्थित राष्ट्रीय रेंज से किए जाने वाले प्रस्तावित प्रक्षेपास्त्र परीक्षणों का स्वरूप ऐसा होगा जिनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा और इससे चक्रवात भी नहीं आयेंगे।

(घ) प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और स्व:रोजगार की योजनाओं की स्थापना करने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार के लिए आरम्भिक निवेश (सीड मनी) के रूप में 17 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। यदि आवश्यक होगा तो राज्य सरकार वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार भी आदर्श गांवों की स्थापना की लागत का भार वहन करेगी। इन गांवों में प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास के लिए अपेक्षित नागरिक सुविधाएं और आधार-भूत सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त, अर्जित की जाने वाली भूमि और अन्य परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त मुआवजे की अदायगी की जाएगी।

भोजपुर बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

1694. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भोज जिले के सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भोजपुर जिले में कुछ और एकक लगाने का है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भोजपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का ऐसा कोई उद्यम नहीं है जिसका पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य के भोजपुर जिले में स्थित हो।

(ख) और (ग) बिहार राज्य के भोजपुर जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी नये उद्यम

के स्थापित किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश मुख्यत: संतुलित क्षेत्रीय विकास संबंधी आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुनालुर पेपर मिल को अधिकार में लेना

1695. प्रो. के. वी. थामस :

श्री के. मुरलीधरण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पुनालूर पेपर मिल को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकार में लिये जाने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, केरल को पुनालूर पेपर मिल को अपने अधिकार में लेने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार के निदेश पर हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड द्वारा कराए गए संभाव्यता अध्ययन के अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी की मौजूदा स्थिति में मिल को चलाना व्यावहारिक नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखने के लिए कानून

1696. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री मित्रसेन यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता दिवस की स्थिति के अनुसार देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) देश में धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। सरकार ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित दलों के साथ बातचीत की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव और लोक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न सुझावों पर उचित रूप से विचार करेगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संरचना के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देश

1697. श्री पी. जे. कुरियन :

श्री नन्दलाल मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मुख्यत: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की संरचना के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश दिये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) न्यायालय के निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी. ए. टी.) में मुख्यत: सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी ही नहीं होते हैं। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 5 (1) तथा (2) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और न्यायिक सदस्य उतनी संख्या में होंगे जितने कि सरकार उपयुक्त समझे और केन्द्रीय प्रशानिक अधिकरण की न्याय पीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा एक प्रशासनिक सदस्य होगा तदनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पीठ में सदस्य (न्यायिक) कानून तथा न्यायिक क्षेत्र से तथा सदस्य (प्रशासनिक) कार्यरत और सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों में से नियुक्त होते हैं।

(ख) से (घ) एस. पी. सम्पत कुमार बनाम भारत संघ मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य तथा एक प्रशासनिक सदस्य को शामिल किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का 1986 में संशोधन किया गया और इस प्रकार से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की संरचना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को क्रियान्वित किया गया।

बंद पड़े औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

1698. श्री शोपत सिंह मक्कासर :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री ए. के. राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कितने छोटे, मध्यम दर्जे के और बड़े पैमाने के औद्योगिक यूनिट बन्द पड़े हैं; और

(ख) इन रुग्ण औद्योगिक यूनिटों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) 1990 के दौरान उद्योगों के बन्द होने और प्रभावित मजदूरों के राज्यवार आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं।

जहां तक रुग्ण एककों में अन्तर्गस्त धनराशि का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1988 के अन्त में रुग्ण एककों पर कुल बकाया राशि 7,705.30 करोड़ रुपए हैं।

विवरण

जनवरी से अगस्त, 1990 के दौरान बन्द होने/ताला बन्दी और प्रभावित मजदूरों की राज्य-वार संख्या (अनंतिम)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बन्द उद्योगों की संख्या	प्रभावित मजदूरों की संख्या	तालाबंदियों की संख्या	प्रभावित मजदूरों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4	246	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
असम	2	74	2	228
बिहार	—	—	—	—

1	2	3	4	5
गोवा	—	—	—	—
गुजरात	—	—	—	—
हरियाणा	12	314	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	14	6,467
केरल	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—
महाराष्ट्र	30	707	—	—
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—
उड़ीसा	—	—	—	—
पंजाब	2	71	—	—
राजस्थान	6	154	1	8
सिक्किम	—	—	—	—
तमिलनाडु	1	46	7	382
त्रिपुरा	7	315	1	6
उत्तर प्रदेश	3	236	2	1,042
पश्चिम बंगाल	—	—	56	42,609
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	1	40
चंडीगढ़	—	—	—	—

1	2	3	4	5
दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—
दमन और द्वीव	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—
पांडिचेरी	1	4	—	—
योग :	68	2,167	84	50,782

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों का कार्यकरण

1699. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन सभी केन्द्रों को लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र के साथ जोड़ने तथा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में समन्वय लाने हेतु कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के नाम विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि अकरमपुर (कानपुर) के उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर द्वारा पहले से ही दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ के कार्यक्रम "आफ-एयर मोड" में रिले किए जाते हैं, तथापि दूरदर्शन ने दूरसंचार विभाग को दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ तथा अकरमपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर के उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटरों के बीच डेडिकेटिड टी. वी. बियरिंग माइक्रोवेव संबंध स्थापित करने के लिए पक्का आर्डर दे दिया है ताकि इन ट्रांसमीटरों से लखनऊ केन्द्र से मूल रूप से प्रसारित कार्यक्रमों को रिले किया जा सके। उपग्रह के माध्यम से उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ के साथ इन सभी ट्रांसमीटरों को जोड़ना, अन्तरिक्ष खण्ड में पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यक साधनों पर निर्भर करेगा।

विवरण

i. दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ (उच्चशक्ति 10 कि. वा.) ट्रांसमीटर एवं स्टूडियो)

ii. दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर (उच्चशक्ति 10 कि. वा.) ट्रांसमीटर एवं कार्यक्रम निर्माण सुविधा)

iii उच्चशक्ति ट्रांसमीटर : (10 कि. वाट)

1. आगरा
2. इलाहाबाद
3. कानपुर
4. मसूरी
5. वाराणसी

iv. अल्पशक्ति ट्रांसमीटर : (100 वाट)

1. अकबरपुर
2. अलीगढ़
3. आजमगढ़
4. बहराइच
5. बस्ती
6. बलिया
7. बांदा
8. बलरामपुर
9. बरेली
10. देवरिया
11. इटावा
12. फैजाबाद
13. फर्रुखाबाद
14. गौरीगंज
15. हरिद्वार
16. हरदोई
17. झांसी
18. ललितपुर
19. लालगंज
20. लखीमपुर
21. मैनपुरी
22. पीलीभीत
23. मुरादाबाद
24. नैनीताल
25. उरई
26. पौड़ी
27. जगदीशपुर
28. पिथौरागढ़
29. पूरनपुर
30. रायबरेली
31. रामपुर
32. सम्बलपुर
33. शाहजहांपुर
34. सीतापुर
35. सुल्तानपुर
36. टनकपुर
37. फतेहपुर
38. तिरवा
39. मथुरा
40. बदायूं
41. गोंडा
42. काशीपुर
43. मऊ
44. ओबरा

v अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर : (2 × 10 वाट)

1. अल्मोड़ा
2. मनकापुर
3. धारचुला

4. गोपेश्वर
5. हल्द्वानी
6. कौसानी
7. रानीखेत
8. उत्तरकाशी
9. भटियारी

vi. ट्रांसपोजर : (2 × 10 वाट)
1. नया टिहरी
2. श्रीनगर

यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम से गुप्त पत्र जब्त किया जाना

[अनुवाद]

1700. श्री कमल नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में गत महीने राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम से केन्द्रीय सरकार द्वारा असम सरकार को भेजे गये एक गुप्त पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिये कोई जांच शुरू की गई कि ऐसा गुप्त पत्र यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम के पास कैसे पहुँचा और यदि हां, तो इसके लिए जिन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। "आपरेशन बजरंग" के दौरान लखीपाथर में उल्फा शिविर से सेना द्वारा 27.9.1989 को बर्मा से उल्फा उग्रवादियों के पुन: घुसपैठ करने के बारे में एक गुप्त पत्र बरामद किया गया था।

(ग) राज्य सरकार से जांच-पड़ताल करने के लिये कहा गया है।

विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा दस्तावेज पेश किया जाना

1701. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या में विवादित स्थल पर अपने दावों के समर्थन में विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इस बीच अपने दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी एक्शन कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रमाणों की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) 23 दिसम्बर, 1990 को संबंधित पक्षों द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद प्रति-प्रत्युत्तरों के भरने के प्रयोजनार्थ पक्षों के मध्य सम्बन्धित दावों का आदान-प्रदान किया। आगामी बैठक 10 जनवरी, 1991 को होनी निश्चित है।

आंध्र प्रदेश में भारी उद्योग

1702. **श्री राज मोहन रेड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में 1991 में भारी उद्योग लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) वर्ष 1987 से 1990 (30. 11. 90 तक) के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में उद्योग की स्थापना करने के लिए 776 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 235 का अनुमोदन कर दिया गया है और आशय पत्र दे दिए गये हैं। शेष 541 आवेदनों में से 307 को नामंजूर या अन्यथा निपटा दिया गया है और 234 आवेदन कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

किसी औद्योगिक परियोजना को फलदायक बनने में प्राय: लगभग तीन से चार वर्ष लग जाते हैं। तथापि, फलदायक बनने की अवधि हर परियोजना में अलग-अलग होती है। अत: जिन परियोजनाओं के लिये 1987 से 1990 की अवधि के दौरान आशय पत्र दिए गए हैं, वे वर्ष 1991 में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हो सकते हैं।

पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

1703. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में राज्य-वार और संघ-राज्य क्षेत्र-वार कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ में और अधिक लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत अनुपात का आकलन केवल बड़े राज्यों के लिए किया जाता है। छोटे राज्यों तथा संघ क्षेत्र क्षेत्रों के लिये चूंकि प्रतिदर्श आकार इतना अपर्याप्त है कि उससे विश्वसनीय आकलन प्राप्त नहीं हो पाते। अत: उन्हें एक साथ रखा गया है तथा समूह के लिये समग्र रूप से आकलन उपलब्ध है। पंजाब तथा छोटे राज्यों तथा संघ क्षेत्र क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत अनुपात नीचे दिया गया है :—

पंजाब			छोटे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	
	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
ग्रामीण	9.6	7.2	9.3	11.8
शहरी	4.3	7.2	4.9	4.7
जोड़	13.88	7.2	14.20	7.7

(ख) जी, नहीं। भारत सरकार राज्य सरकारों की अपने राज्यों में तेजी से गरीबी उन्मूलन के लिये सहायता तो करती है, परन्तु यह किसी राज्य विशेष में अपना कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू नहीं करती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगार युवकों को मारुति कार की डीलरशिप

1704. श्री मान्धाता सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को मारुति कार की डीलरशिप देने के बारे में की गई घोषणा को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) पिछली सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए एक स्वनियोजन कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम के तहत, मारुति डीलरशिप की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन

1705. के. डी. सुल्तान पुरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल सेवा परीक्षा, 1989 में कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे और इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के कितने उम्मीदवार थे;

(ख) उक्त परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कितने पद भरे जाने थे और इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने पद आरक्षित थे;

(ग) अन्त में भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया और इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के कितने उम्मीदवार हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों को भरा गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, हां।

विवरण

	कुल उम्मीदवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रश्न का भाग (क)			
(I) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1989 में बैठे उम्मीदवारों की संख्या	89,880	18,417	5,427
(II) सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा. 1989 में बैठे उम्मीदवारों की संख्या।	9,408	1,612	756
प्रश्न का भाग (ख)			
भा. प्र. सेवा संवर्ग में रिक्तियों की संख्या तथा उक्त परीक्षा में इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या।	106	16	8
प्रश्न का भाग (ग)			
भा. प्र. सेवा संवर्ग में अंतिम रूप में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या तथा इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित उम्मीदवारों की संख्या।	106	16	8

गुजरात में उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

1706. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त उपक्रम के चेयरमैन-सह-प्रबन्ध निदेशक तथा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार यथा अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल 12-9-90 को समाप्त हो गया। फिर भी, उन्हें मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने तक बने रहने के लिए कहा गया हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उपयुक्त प्राधिकारियों ने इनकी जांच की है।

मणिपुर के पर्वतीय जिलों पर संविधान की छठी अनुसूची लागू करना

[अनुवाद]

1709. प्रो. मिजिनलंग कामसन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की छठी अनुसूची को मणिपुर के पर्वतीय जिलों पर लागू करने की मांग काफी समय से की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) भारत के संविधान की छठी अनुसूची को मणिपुर के पर्वतीय जिलों पर लागू करने के लिए समय-समय पर प्राप्त अनुरोध मणिपुर सरकार को भेजे गए हैं। राज्य सरकार से इस बारे में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश स्थित अन्नावरम में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना

1710. श्री एम. एम. पल्लम राजू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित अन्नावरम में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) इस समय अन्नावरम में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

प्रत्येक परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार

1711. **श्री एन. डेनिस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा शहरी गरीबों के लिए स्व रोजगार कार्यक्रम (एस इ पी यू पी) जैसे स्वरोजगार तथा सवेतन रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो विशेषत: गरीबों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, विकास कार्यनीति के केन्द्रीय घटक के रूप में आठवीं योजना में रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है।

इस समय, परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मुहैय्या कराने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली को राज्य का दर्जा

1712. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक कार्रवाई की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 पहले ही संसद के पास है। हाल ही में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने सम्बन्धी मामले की पुन: समीक्षा नहीं की गई है।

भारत-सोवियत संघ संयुक्त वैज्ञानिक अभियान

1713. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी ध्रुव में भारत सोवियत संघ का एक संयुक्त वैज्ञानिक अभियान चलाने का विचार है;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात में विशेष रूप से अहमदाबाद जिले में उद्योग स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस हेतु 94 आवेदन पत्र हैं जो गुजरात राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार के पास विचार हेतु लंबित पड़े हैं, जिनमें से 10 आवेदन पत्र अहमदाबाद जिले के स्थानों हेतु हैं और जो प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। परन्तु सरकार के लंबित प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिये जाने तक उनके ब्यौरे प्रकट नहीं किये जाएंगे।

पाकिस्तानी सेना का विस्तार

[अनुवाद]

1707. **श्री आर. गुंडू राव :**

श्री हरीश पाल :

श्री शांताराम पोटदुखे :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना का दिन प्रति दिन तेजी से विस्तार हो रहा है और भारतीय सेना का विस्तार कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय सेना में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना के आकार और अत्याधुनिक हथियारों की खरीद की मात्रा में वैध रक्षा आवश्यकताओं से अधिक बढ़ोतरी की है।

(ख) और (ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और वह पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त उपाय करती है।

हिन्दुस्तान साभर साल्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन-सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल

[हिन्दी]

1708. **श्री गोपाल पचेरवाल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सांभर साल्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन-सह-प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अभियान में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को सम्बद्ध करने का विचार है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-सोवियत संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रम का उद्देश्य इस बात का अध्ययन करना है कि उष्णक टिबन्धीय ग्रीष्म जलवायु से उत्तरी धन की सर्दी में आने पर मानव जीवन पर उत्तरी ध्रुव के वातावरण का शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। इन प्रयोगों के परिणाम अति लाभदायक सिद्ध होंगे क्योंकि इससे अत्यधिक सर्दी के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए पद्धतियां/प्रक्रियाएं निर्धारित की जा सकेंगी।

(ग) संयुक्त-अनुसंधान कार्यक्रम में छ: भारतीय वैज्ञानिकों के भाग लेने की सम्भावना है। इसमें लगभग 11.5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

भोपाल में टेलीविजन स्टूडियो

1714. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भोपाल में टेलीविजन स्टूडियो स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार भोपाल स्टूडियो को चालू करने के लिये क्या कदम उठा रही है ताकि क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त स्टूडियो पर कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारम्भ होने तक माइक्रोवेव चैनल के माध्यम से भोपाल को दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली के मास्टर स्विच कक्ष से सीधे जोड़ने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) भोपाल में पूर्ण रूप से सुसज्जित एक टी. वी. स्टुडियो केन्द्र की स्थापना करने की परियोजना का काम पूरा होने वाला है और चालू वर्ष के उत्तरार्ध में इसके चालू हो जाने की योजना है।

(ङ) भोपाल का उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर इस समय माइक्रोवेव सर्किट के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से नहीं जुड़ा है। यह ट्रांसमीटर उपग्रह के माध्यम से, दिल्ली के कार्यक्रमों को रिले करता है।

सीमेंट का मूल्य

1715. श्री सी. डी. गामित :

श्री छेदी पासवान :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट का कुल उत्पादन और इसकी मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जनवरी, से नवम्बर, 1990 तक सीमेंट के मूल्यों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) 1990-91 (अप्रैल—नवम्बर) के पहले 8 महीनों के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन 30.7 मिलियन मी. टन हुआ है और वर्ष 1990-91 हेतु सीमेंट की मांग 49 मिलियन मी. टन आंकी गई है।

(ख) चार महानगरों में जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990 तक प्रत्येक महीने के अन्त में खुले बाजार में सीमेंट के खुदरा मूल्य प्रति बैग का ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	दिल्ली	कलकत्ता	बम्बई	मद्रास
जनवरी	71.-74	81-85	83.-86	69.-74
फरवरी	76-78	72-83	80-83	69-74
मार्च	78-80	80-81	83-85	68-73
अप्रैल	81-84	90-95	85-88	75-81
मई	84-86	85-90	85-90	80-83
जून	81-82	86-90	88-95	79-83
जुलाई	81-83	85-91	89-93	82-85
अगस्त	92-95	87-92	90-95	85-89
सितम्बर	92-95	87-93	90-95	85-89
अक्तूबर	92-95	87-94	90-95	85-89
नवम्बर	95-97	89-97	90-95	85-89

कलपक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर

[अनुवाद]

1716. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

श्री ए. के. ए अब्दुल समद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम स्थित 40 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के निष्क्रिय हो जाने के कारण देश का परमाणु बिजली कार्यक्रम लगभग स्थिर-सा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर ने काम करना बन्द नहीं किया हैं। फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर को चालू करने के दौरान अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है और रिएक्टर को वर्ष 1991 के मध्य तक विद्युत का उत्पादन शुरू कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में, रिएक्टर कुछ विशेष परीक्षणों के लिए निम्न विद्युत स्तर पर चलाया जा रहा है।

बिहार में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

1717. श्री जनार्दन यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोड्डा (बिहार) में 900 वाट का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होगा, यदि नहीं, तो इसके क्या इसके कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ख) बिहार के गोड्डा में सिद्धान्त रूप में एक अल्पशक्ति (100 वाट) टी. वी. ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय ले लिया गया है। सरकार द्वारा औपचारिक रूप से स्कीम के अनुमोदन के बाद इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में करीब एक वर्ष का समय लग जाता है।

ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

[अनुवाद]

1718. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या की प्रतिशतता सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता संबंधी नवीनतम आँकड़े वर्ष 198 -88 के लिये उपलब्ध हैं, जो पारिवारिक खपत व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें चक्र डाटा के आधार पर अनुमानित हैं, ये नीचे दिए गए हैं :

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता-1987-88

ग्रामीण	33.4
शहरी	20 1
संयुक्त	29.9

(ख) गरीबी की रेखा से जनसंख्या को ऊपर लाने के लक्ष्य आठवीं योजना में शामिल किये जायेंगे, जिसे तैयार किया जा रहा है।

गुट निरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों के तृतीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय

1719. **श्री वसन्त साठे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाना में हुए गुट निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों के तृतीय सम्मेलन में भारत द्वारा पेश किए मुख्य प्रस्ताव क्या है;

(ख) इन पर भाग लेने वाले अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या थी;

(ग) इसमें लिए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही शुरू की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) गुट-निरपेक्ष फिल्म पूल और गुट-निरपेक्ष फोटो पूल स्थापित करने के प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) प्रथम दृष्ट्या सहयोगी देश आमतौर पर भारतीय प्रस्तावों से सहमत थे।

(ग) और (घ) इसकी औपचारिकताएं तैयार की जा रही हैं। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विकलांगों के सम्बन्ध में कानून बनाना

1720. **श्री पी. सी. थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना

1721. **श्री प्रताप सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना से विभिन्न क्षेत्रों में आरंभ करने हेतु अन्तरिक्ष कार्यक्रम के सम्बन्ध में विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को कितना प्रोत्साहन मिला है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की प्रौद्योगिकी अन्तरण योजना के अन्तर्गत भारतीय उद्योग के साथ भागीदारी को निम्न द्वारा प्रोत्साहित और मजबूत किया गया है :

— इसरो की प्रौद्योगिकी के अन्तरण के आधार पर उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों को पुन:क्रय के जरिये अन्तरिक्ष कार्यक्रम की स्वयं की परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने से;

— उपग्रह संचार, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेदन, पर्यावरणीय मानीटरन आदि के क्षेत्रों में, अन्तरिक्ष कार्यक्रम द्वारा उत्प्रेरित भारत में तेजी से बढ़ते हुए अन्तरिक्ष उपयोग के बाजार की आपूर्ति से;

— विविध (ग़ैर-अन्तरिक्ष) स्पिन-आफ उपयोगों के लिए अन्तरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित विविध प्रौद्योगिकियों की सम्पूर्ण क्षमता के उपयोग से;

— विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में, एक विशेष योजना के अधीन इसरो से भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकीय परामर्श सेवाओं के प्रावधान से;

— चुने हुए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं द्वारा विशिष्ट अनुसंधान और विकास सम्बन्धी संविरचन कार्यों के निष्पादन से।

अभी तक लगभग 168 इसरो प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक अन्तरित किया जा चुका है, जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

(1) इलेक्ट्रानिकी, इलेक्ट्रो-यांत्रिकी और कम्प्यूटर	:	29
(2) द्रव्य और रसायन संबंधी	:	47
(3) दूरसंचार, मौसम विज्ञान और टी. वी. हार्डवेयर	:	52
(4) प्रकाशिकी और प्रकाश-इलेक्ट्रानिकी	:	28
(5) यांत्रिकी और अन्य	:	12

इनमें से, 7 प्रौद्योगिकियां इसरो द्वारा पुनःक्रय के लिए, 64 अन्तरिक्ष उपयोग संवर्धन के लिए और 97 विविध अन्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए हैं। लगभग 130 प्रौद्योगिकियों का पहले ही से उत्पादनीकरण कर लिया गया है और शेष को उत्पादनीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है।

तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवेश

1722. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने तमिलनाडु के पिछड़े जिलों में गत एक वर्ष के दौरान उद्योगों के विकास के लिए कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से दक्षिण अर्काट उत्तर अर्काट, तंजावुर, पुडुकोट्टई और धरमपुरी के पिछड़े जिलों में केन्द्र द्वारा अधिक पूंजी निवेश करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन पर क्या कारंवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये समग्र देश के लिये केन्द्रीय योजना निवेश का निर्धारण किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को लांघ जाती हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का लाभ भी पूरे देश को मिलता है। योजना आयोग केन्द्रीय निवेशों के आंकड़ों का रख-रखाव राज्यों के हिस्सों के अनुसार नहीं करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई के नाम को मुंबई में बदलना

1723. श्री वामनराव महाडीक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई का नाम सभी भाषाओं में मुंबई करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) "बम्बई" का नाम बदलकर "मुम्बई" रखने के लिए कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। मामले पर पहले ही विचार किया गया था। सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि बम्बई के नाम में कोई परिवर्तन न किया जाए।

कागज उद्योग का दर्जा बढ़ाना

1724. डा. असीम बाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कागज उद्योग का दर्जा बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में बन्द पड़ी 85 कागज की मिलों, विशेष रूप से टीटागढ़ कागज मिल को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) कागज उद्योग के निरन्तर विकास तथा उत्पादकता मे वृद्धि के लिए उपाय करना एक अनवरत प्रक्रिया है। सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित मुख्य उपाय किये हैं :—

(1) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लकड़ी की लुगदी, के चिप्स, बटठों तथा रद्दी कागज के आयात की अनुमति दी गई है।

(2) खोई, कच्ची पटसन और मेस्टा से बने कम से कम 75 प्रतिशत भार वाले कागज को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

(3) जो बड़ी/मझौली/छोटी कागज मिलें कम से कम 50 प्रतिशत कृषि अवशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करती है, उनसे रियायती दर पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है।

(4) कागज तथा गत्ता उद्योग को विशद-वर्गीकरण (ब्राड-बैंडिंग) सुविधा दे दी गयी है।

(5) कृषि अपशिष्ट पर आधारित आधारित कागज और कागज बोर्ड उद्योग को न्यूनतम किफायती क्षमता योजना के अन्तर्गत रख दिया गया है जिसकी क्षमता 33,900 टी. पी. ए. निर्धारित की गई है।

(6 गैर एम. आर, टी. पी.) गैर-फेरा कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने का

अनिवार्यता से छूट दे दी गयी है, बशर्ते कि केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र में स्थित एककों में परियोजना के लिए निवेश 50 करोड़ रुपये तक अथवा किसी गैर-पिछड़े क्षेत्र में स्थित एकक में निवेश 15 करोड़ रुपये तक हो और वह कुछ मानक शर्तों को पूरा करता हो।

(7) पेपर मशीनरी को प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना में शामिल कर दिया गया।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, 77 कागज एकक उत्पादन सम्बन्धी सूचना नहीं दे रहे हैं। वित्तीय संस्थान तथा बैंक, केन्द्र राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके कागज मिलों के कार्य निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखते हैं। ये संस्थान तथा बैंक कागज मिलों को प्रत्येक मामले के आधार पर बुनियादी रियायतें तथा राहत प्रदान कर रहे हैं और आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में उदारीकृत नीति अपना रहे हैं रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार अधिनियम की सीमा में आने वाले रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए एक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड गठित किया गया है। जहां तक मैसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स का सम्बन्ध है, यह रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी है। जैसा उक्त अधिनियम में अपेक्षित है, कम्पनी ने जून, 1987 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को आवेदन दिया था। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने हाल ही में मिल को पुनरुज्जीवित करने के लिए एक योजना स्वीकृत की है।

छुट्टियां घोषित करने सम्बन्धी नीति

1725. श्री राघव जी :
श्री विद्याधर गोखले :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान श्रीराम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राष्ट्रीय/सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करने सम्बन्धी नीति क्या है; और

(घ) क्या पिछली सरकार द्वारा हजरत मोहम्मद पैगम्बर की जन्म शताब्दी के अवसर पर छुट्टी की घोषणा उक्त नीति के अनुरूप थी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) हजरत मोहम्मद पैगम्बर के जन्म दिन पर की गई छुट्टी वर्ष 1990 के दौरान होने वाली छुट्टियों के अतिरिक्त थी।

विवरण

केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों निम्नानुसार छुट्टियाँ मनाई जाती हैं :—

I. 1. गणतंत्र दिवस

2. स्वतंत्रता दिवस

3. महात्मा गांधी जन्म दिवस

4. बुद्ध पूर्णिमा

5. क्रिसमस दिवस

6. दशहरा (विजया दशमी)

7. दीवाली

8. गुड फ्राइडे

9. गुरु नानक जन्म दिवस

10. ईद-उल-जुहा

11. ईद-उल-जुहा

12. महावीर जयन्ती

13. मुहर्रम

II. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में 3 छुट्टियों का चुनाव किया जाता है :

1. दहरा के लिए एक अतिरिक्त दिन

2. होली

3. जन्माष्टमी

4. राम नवमी

5. महा शिव रात्रि

6. गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी

7. मकर संक्रान्ति

8. रथ यात्रा

9. ओनम

10. पोंगल

11. श्री पंचमी/वसंत पंचमी

12. विष्णु/वैशाखी/वैशाडी/भाग बिहु/मशाड़ी/उगाडी/चेत्रशु चैती चांव/गु. प./पहला नवरात्रा/नौरज ।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा इन तीन छुट्टियों का चुनाव दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए किया गया है । दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर के कार्यालयों में इन छुट्टियों का चुनाव केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों (जहां ऐसी समितियां कार्य कर नहीं कर रही हैं वहां कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाता है ।

उपरोक्त नीति को वर्ष 1983 से लागू किया गया था । तब से दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए इन तीन छुट्टियों में से एक छुट्टी के लिए जन्माष्टमी को चुना गया है । इसी प्रकार कुछ वर्षों से राम नवमी अथवा शिवरात्रि को चुना गया है । वर्ष 1991 में राम नवमी रविवार 24 मार्च को पड़ती हैं । छुट्टियों के सम्बन्ध में बहुत सी अन्य मांगें भी हैं परन्तु छुट्टियों की सीमित संख्या होने के कारण उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

2. केन्द्रीय सरकारी संगठन, जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा व्यापारिक स्थापनाएं सम्मिलित हैं, एक वर्ष में 16 छुट्टियां मनाते है, जिनमें से 3 छुट्टियां अर्थात् स्वतन्त्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जन्म दिन का आवश्यक रूप से लिया जाना होगा । शेष 13 छुट्टियां ऐसी स्थापनाओं/संगठनों द्वारा स्वयं वर्षानुवर्ष निर्धारित की जाती है ।

थोक व्यापारियों/स्टाकिस्टों/वितरकों की नियुक्ति

1726. **श्री नन्दलाल मीणा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोक व्यापारियों/स्टाकिस्टों/वितरकों आदि को नियुक्त करने का अधिकार निर्माता/उत्पादक को होता है;

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तियों की व्यापार में धन लगाने की सीमा का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी निर्माताओं आदि को प्रति स्टाकिस्ट/थोक-व्यापारी/वितरक की प्रतिमाह की आय पर सीमा लगाने और वर्तमान वितरकों/थोक-व्यापारियों/स्टाकिस्टों के अलावा और अधिक वितरक/थोक व्यापारी/स्टाकिस्ट नियुक्त करने के निदेश देने के प्रस्ताव हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) एक मात्र बिक्री एजेंटों को नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 294 तथा 294 कक के अन्तर्गत की जाती है । अधिनियम की धारा 294 कक के अन्तर्गत एक कम्पनी को कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 297 में निदेशक मंडल की सहमति और कतिपय परिस्थितियों में सामान या सेवाओं की बिक्री या खरीद के लिये संविदा करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भी व्यवस्था है । इन उपबन्धों के अधीन, एक कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत थोक बिक्रेताओं/स्टाकिस्टों वितरकों की नियुक्ति करने के लिए छूट प्राप्त है ।

आन्ध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

1727. **डा. विश्वनाथन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिले श्रीकाकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ यदि किन्हीं वैकल्पिक स्थानों का चयन किया गया है, तो उनका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आंध्र-प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है. तथापि, परमाणु बिजली संबंधी दीर्घावधि कार्यक्रम के समनुरूप लगातार किए जा रहे स्थल संबंधी अन्वेषणों के एक भाग के रूप में, उन स्थलों की जांच परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित एक तकनीकी समिति द्वारा अभी भी की जा रही है जो आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा श्रीकाकुलम जिले में परमाणु बिजलीघरों के लिये सुझाए गए थे।

(ग) परमाणु बिजलीघरों को किन्हीं विशेष स्थलों पर लगाने संबंधी स्थिति के बारे में अभी बताना असामयिक है। किसी परमाणु बिजलीघर के लिये स्थल का चयन, स्थल चयन समिति, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय जैसे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा समीक्षा किये जाने के बाद अपेक्षित मानदण्डों की पूर्ति पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा किसी संयंत्र को लगाने के बारे में निर्णय लिए जाने के लिए इस योजना पर विचार करना भी आवश्यक है कि बिजली के उत्पादन के और कौन से विभिन्न स्रोत उपलब्ध है, जिसमें न्यूक्लियर साधनों की उपलब्धता, देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता आदि भी शामिल है।

स्वदेशी कच्चे माल की खरीद

1728. **श्री बी. एन. रेड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डी.जी.टी.डी.' एकक अपने नियमित वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दुर्लभ स्वदेशी कच्चा माल नियंत्रित साधनों से खरीद सकते है जबकि इन एककों को डी.जी.टी डी. द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता अन्तिम उत्पादन के रूप में जारी की जाती है और इन क्षमताओं में उन कच्चे माल की कोई मात्रा और किस्म जो ये एकक प्राप्त कर सकते हैं, नहीं दर्शायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या डी.जी.टी.डी. अधिकारी उन एककों के कच्चे माल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं जिनके पास डी.जी.टी.डी. के वैध रजिस्ट्रेशन होते हैं अथवा किन्हीं अन्य अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाता है;

(घ) स्वदेशी नियंत्रित कच्चा माल वितरक सरकारी अनेक एजेंसियों द्वारा अपेक्षित दुर्लभ स्वदेशी कच्चा माल आवश्यकता प्रमाण पत्र का मूल्यांकन और जारी करने में डी.जी.टी.डी. द्वारा कितना समय लिया जाता है; और

(ङ) कच्चा माल आवश्यकता प्रमाणपत्र के लिए डी.जी.टी.डी. रजिस्ट्रेशन नम्बर धारकों द्वारा अपनाये जाने वाली औपचारिकताओं/प्रक्रिया तथा अपेक्षित कच्चे माल की किस्म और मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) डी जी टी डी आबंटन करने वाली/वितरण करने वाली एजेंसियों को अपनी सूची में शामिल एककों के लिये सिफारिश करता है जिसके लिये वह प्रवर्त्तक प्राधिकरण है।

(ग) डी जी टी डी द्वारा अपनी सूची में शामिल एककों के बारे में कच्चे माल की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) डी जी टी डी की सिफारिशें सामान्यत: 4 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाती हैं।

(ङ) डी जी टी डी के एककों द्वारा पिछली खपत के बारे में चार्टर्ड एकाउटेंट के प्रमाण पत्र के साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसके बारे में आवश्यक कच्चे माल की किस्म और मात्रा के ब्यौरों के संबंध में डी जी टी डी की सिफारिशें जारी की जाती है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

1729. श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल : प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता-संबंधी गाडगिल फार्मूला तथा काम के अधिकार संबंधी योजना को कार्यान्वित करने सहित विभिन्न विषयों पर 11 अक्तूबर, 1990 को नई दिल्ली में आयोजित की गई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) नई दिल्ली में दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में आठवीं योजना में राज्यों के योजना व्यय के लिये केन्द्रीय बजट सहायता का वितरण तथा (2) काम का अधिकार से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया था।

बैठक में राज्यों को केन्द्रीय सहायता संबंधी विद्यमान संशोधित गाडगिल फार्मूला में संशोधन करते हुए एक मतैक्य फार्मूला अनुमोदित किया गया था। काम के अधिकार से संबंधित मुद्दों के बारे में यह निर्णय लिया गया था उन मुद्दों से सम्बद्ध कानूनी, प्रचालनात्मक संगठनात्मक तथा वित्तीय पहलुओं की जांच करने तथा इसे असली जामा पहनाने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति का गठन किया जाये। राष्ट्रीय विकास परिषद् की उक्त समिति का गठन किया जा चुका है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर किए गए मामले

1730. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान कितने मुकदमे दायर किए गए और उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये गए;

(ख) मुकदमें दायर करने और निर्णय होने में औसत समय कितना लगा; और

(ग) मुकदमें दायर करने की तारीख और उस पर निर्णय होने की तारीख के बीच की अवधि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ऐसे मामलों की संख्या जिसमें मुकदमें दायर किए गए	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए
1988	512	69
1989	415	40
1990	371	6

(ख) मुकदमें दायर करने तथा निर्णय प्राप्त होने में लगने वाले औसत समय को बताना सम्भव नहीं है चूंकि यह संबंध मामले के स्वरूप तथा न्यायालयों में कार्यभार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है।

(ग) कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए, जहां कहीं सम्भव होता है, कदम उठाए जाते हैं।

होम गार्डस के कर्मचारियों को शौर्य पुरस्कार

[हिन्दी]

1731. डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों की तरह होम गार्ड्स के कर्मचारियों को भी "शौर्य पुरस्कार" दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या "शौर्य पुरस्कार" पाने वाले पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को भी उनके पूरे सेवाकाल के वित्तीय लाभ दिये जाते हैं जबकि होम गार्डस के कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) होम गार्ड कार्मिक जो आवश्यक रूप से स्वयं सेवक हैं, को जान और माल की रक्षा करने या अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में अदम्य वीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति का होम गार्डस और नागरिक रक्षा पदक और होम गार्डस और नागरिक रक्षा पदक दिये जाते हैं।

(ख) होम गार्ड को वीरता के लिए राष्ट्रपति का होम गार्डस और नागरिक रक्षा पदक के साथ कुल लगभग 3000/- रु. का आर्थिक अनुदान और वीरता के लिए होम गार्डस और नागरिक रक्षा पदक के लिए 1500/- रु. का आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

(ग) क्योंकि होम गार्ड एक स्वयंसेवी बल है जिसमें आवश्यक रूप से स्वयंसेवक शामिल है, और केवल कुछ स्टाफ को पूरा वेतन दिया जाता है इसलिये उनकी स्थिति की तुलना अन्य अर्द्ध सैनिक बलों/केन्द्रीय सुरक्षा बलों के साथ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली योजनाएं

[अनुवाद]

1732. श्री भजमन बेहेरा :

श्री अनादिचरण दास :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरा तरासाने और उस पर पालिश करने तथा हस्त शिल्प के क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं तथा बुनकर वर्गों के लोगों को व्यापक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सामूहिक स्वरोजगार परियोजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से उड़ीसा में प्रत्येक योजना के कार्यान्वियम और उसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अप्रैल, 1990 में "विभाग और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार उत्पत्ति" नामक एवं प्रौद्योगिकियों में शिल्प विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हुए मुख्यतया समाज के कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगार उत्पन्न करना है।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार उत्पत्ति नामक स्कीम को निम्नलिखित चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है :—

(क) विशिष्ट स्थानों में विभिन्न व्यवसायों के अन्तर्गत अवसरों पर प्रारम्भिक सर्वेक्षणों का संचालन।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों का चयन।

(ग) प्रशिक्षण पैकेज एवं पाठ्यक्रम सामग्री का विकास।

(घ) प्रशिक्षण का संचालन (सैद्धान्तिक कक्षाएं एवं व्यावहारिक निरूपण)

(ङ) प्रत्यक्ष रोजगार में प्रशिक्षणार्थियों के पदस्थापन द्वारा अथवा स्वयं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लघु उद्यमों की शुरूआत में इस कार्यक्रम को सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

3. अब तक, इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों में 3`46 रोजगार उत्पन्न किए गए।

4. उड़ीसा के सम्बन्ध में, प्रशिक्षण के लिए अभिनिर्धारित किए गए व्यवसाय एवं प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं :—कुकुरमुत्ते की खेती, कृषिकीय औजारों की मरम्मत एवं रख-रखाव, नारियल-जटा दस्तकारी, खाद्य-संसाधन, मधुमक्खी पालन, उपकरणों की मरम्मत, रख-रखाव एवं सज्जीकरण, इत्यादि। अब तक, उड़ीसा में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं तथा 87 रोजगार उत्पन्न किये जा चुके हैं।

पंजाब में विशेष पुलिस अधिकारियों के वेतन

1733. श्री मोरेश्वर सावे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विशेष पुलिस अधिकारियों के वेतन में कटौती किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रभावित होने वाले ऐसे कितने अधिकारी हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में लोगों को सुरक्षा प्रदान करना

[हिन्दी]

1734. श्री गंगा चरण लोधी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं; और

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति संसद सदस्य हैं?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 318

(ख) 99

राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण परिषद द्वारा हड़ताल

2735. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण परिषद के वैज्ञानिक और श्रमिक अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री की राष्ट्रीय परिषद् (एन. सी. बी.) बल्लभगढ़ के बाहर 6 दिन अर्थात् 29, 30 नवम्बर और 3, 4, 5 और 6 दिसम्बर 1990 को पदोन्नति नीति के विरुद्ध एक क्रमिक भूख हड़ताल की गई थी जिसमें एन.सी.बी. के कुल कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया था।

(ख) एन.सी.बी. स्वायत्त शासी सहकारी अनुसंधान संस्थान है जिसके ऊपर उसके अपने ही नियम व विनियम लागू होते है। पदोन्नति तथा सेवा-शर्तों से संबंधित नियम एन.सी.बी. के शासक मंडल द्वारा बनाये जाते हैं।

केरल में उद्योगों के विस्तार हेतु केन्द्रीय धन

[अनुवाद]

173-. श्री के. मुरलीधरण : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में उद्योगों का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय धन में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने विद्यमान उद्योगों में सुधार और विस्तार हेतु केन्द्रीय धन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाए करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम, केरल सहित किसी भी राज्य के उद्योगों में कोई धन नहीं लगाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

1737. श्री विद्याधर गोखले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन उद्योगों/कम्पनियों ने अपनी वस्तुओं का उत्पादन लागत के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों का ब्योरा क्या है;

(ख) यदि इनमें कोई वृद्धि पाई गई है तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) सभापटल पर ये रिपोर्ट कब-कब प्रस्तुत की जाएंगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) (क) : आमतौर पर उद्योग/कम्पनियां अपनी औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन लागत के बारे में बी. आई. सी. पी. को रिपोर्ट नहीं भेजती हैं। प्रथा यह है कि बी. आई. सी. पी. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मिले अनुरोध पर अध्ययन करता है। बी. आई. सी. पी. संबंधित औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन/वितरण करने वाले एककों के साथ-साथ विख्यात एककों से एक व्यापक प्रश्नावली के जरिए लागत, तकनीकी और आर्थिक पक्ष आदि शामिल करके सूचना/आंकड़े मांगता है। बाद में, प्राप्त आंकड़े/सूचनाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बी. आई. सी. पी. द्वारा 157 रिपोर्ट तैयार की गई हैं। उनके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्टों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, बी. आई. सी. पी. औद्योगिक एककों से सूचना मांगता है। इसका अपना अनुभव यह है कि सभी निर्माता अध्ययन के लिए अपेक्षित पूरी सूचना हमेशा नहीं देते हैं। तथापि, यह प्रयास किया जाता है कि प्रस्तुत आंकड़े उद्योग तथा घरेलू उत्पादन के बड़े हिस्से को व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रक्रिया में बी. आई. सी. पी. स्वयं के प्रयासों तथा प्रशासनिक मन्त्रालयों के उपयुक्त कार्यालयों से सभी सम्बन्धित सूचना पाने के लिए मामले का सक्रियता से अनुसरण करता है। एक बार पर्याप्त आंकड़े प्राप्त करने के लिए उद्योग संगठनों की सहायता भी ली जाती है। इस प्रकार के प्रयास कुल मिलाकर सफल रहे हैं तथा इनसे लागत सम्बन्धी अध्ययनों के लिए पर्याप्त सूचना पाने में मदद मिली है।

(ग) बी. आई. सी. पी. की लागत/मूल्य सम्बन्धी रिपोर्ट गोपनीय होती है क्योंकि इनमें कंपनी-विशेष आंकड़े अर्थात लागत, तकनीकी मानदण्ड आदि दिए होते हैं।

विवरण

क्र. सं.	शीर्षक
	वर्ष : 1988
1.	कोयला (एस सी सी एल खानें)
2.	तांबा उद्योग
3.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर
4.	लागतें कम करने के लिए नीतियां
5.	आर सी पी/सी पी सी

6. इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस (मिनी स्टील प्लांट)

7. पी एफ वाई

8. स्वदेशी अखबारी कागज

9. हाईसोताजोन

10. डायरी/डेयरी उपकरणों का अनारक्षण

11. का मानोटरिंग के लिये एल्युमिनियम डाटा बेस

12. तांबा

13. डी एम टी/पी टी ए

14. बी. टवील जूट बैग

15. इमुबुटोल हाईड्राक्लाइराइड

16. सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में प्रतियोगिता बढ़ाना—कुछ विषय।

17. ए टी एम ए द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडों के आधार पर चुनिंदा टायर विशिष्टियों में मूल्य वृद्धि का अनुमान—टिप्पणी।

18. चुनिंदा ट्रस्ट उद्योग—कास्टिंग और फोर्जिग्ग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता।

19. टैक्सटाइल मशीनें।

20. हाइड्रोक्लोरोथीएजाइड

21. डेक्सामिथेसान ट्रीमेथाइल एसोटेट

22. डिहाइड्रोलेजाइम सल्फेट

23. सल्फाथीनासोल

24. आइडोक्लोरोहाड्रोक्सी क्वीनोने

25. कुछ पेस्टिसाइड का तीव्र लागत अध्ययन

26. कागज उद्योग

27. मोनोमीथाइल एमीन—आर सी एफ द्वारा तैयार किया गया

28. एरीथ्रो माइसीन

29. डेक्सोन

30. डाइक्लोरोमीतादाइलमोल (डी सी एम एक्स)

31. मैट्रोनाइडाजोल (एसक्लेशन) मै. यूनिक कैमिकल्स लि.

32. नाइलोन फिलामेंट यार्न
33. ग्रास रूटस फर्टिलाइजर प्लांट पर पर आधारित न्यू गैस पर ग्रुप रिटेंशन मूल्य और इस पर टिप्पणी
34. फ्रूसेमाइज
35. फेनिरैमाइन मिलेट
36. आलगन कैटोन
37. क्लोरोफेनिजामाइन मेलेट
38. सैकेंड हुंगला ब्रोज
39. अखबारी कागज आबंटन समिति
40. सैंट्रिनाइट
41. टैट्रामीसोल हाइड्रोक्लोराइड
42. हरियाणा डेम्यरी विकास संघ
43. चीनी उद्योग (चरण 2)
44. इस्पात उद्योगों का ऊर्जा लेखा परीक्षा
45. एस टी सी द्वारा मार्गीकरण-कुछ विषय
46. एस्परीन
47. इफेड्रीनरेसिनेट
48. डीहाइड्रोक्लोराइडाइम डाइहाड्रोक्लोराइड
49. एमोडोक्वीन हाइड्रोक्लोराइड
50. आइसोनिएजाइड
51. प्रोबीनेसाइड
52. कम्प्यूटर पेरीपिरलस
53. आयरन और एक्सेलेशन पर टिप्पण
54. एरोमेटिक्स
55. एमोडीएक्वीन हाइड्रोक्लोराइड

वर्ष 1989

क्र. सं.	शीर्षक
56.	अखबारी कागज उद्योग
57.	दो सीमेंट संयन्त्र
58.	पी एस एफ/पी एफ वाई के मूल्य में एस्केलेशन पर नोट
59.	डा. नितिन देसाई मुख्य आर्थिक सलाहकार, लवरत मंत्रालय के अधीन समिति हेतु उपायों का आयात कन्टेन्मेंट
60.	एमिनो फिलीन
61.	पी ओ फिलीन
62.	सेफालेक्सीन
63.	पेराक्लोरो पेटा जाइलीनोए (पी सी एम ए एक्स)
64.	लीवामीसोल एच सी एल
65.	ग्लाइबिनक्लेमाइड
66.	इबूब्रोफन
67.	क्लोरोक्वीन सल्फेट
68.	क्लोरोक्वीन फास्फेट
69.	जाइलोकेन जाइलोकेन हाइड्रोक्लोराइड
70.	डेक्सामेठासोर
71.	स्पिनलेक्ट्रोन
72.	घरेलू मूल्य पर संयंत्र तथा मशीनरी पर सीमा शुल्क का निरन्तर प्रभाव
73.	ट्रब्यूलेलिन सल्फेट
74.	डाईलोक्सेनाइड फ्यूरेट
75.	क्लोरेमफेनीकोल पाउडर
76.	क्लोरेमफेनीकोल प्लेनीटेड
77.	क्लोरेमफनीकोल मोनोस्टेरायल ग्लाइकोनोनेट
78.	आइरन और एस्केलेशन पर नोट (डोनोमलाई)

79. चीनी मीलों का न्यूनतम आर्थिक आकार, आठवी पंचवर्षीय योजना
80. अमोनियम क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि पर नोट
81. सी ए/सी-3 पर नोट
82. दूर संचार पर नोट—आठवीं योजना कार्यदल
83. आ पी सी/सी पी सी पर नोट
84. आटोमोटिव टायर मैन्यु. एसोशियेशन पर बी आई सी पी के वर्तमान विचार प्रकाशित रिपोर्ट पेज 2
85. एम पी डेरी डेवलपमेंट कोप, फेडरेशन
86. रक्षा विभाग (प्रणाली और कार्यविधि) में साल्वेज तथा अतिरिक्त भण्डारों का निपटान।
87. रिफैम्पिसिन
88. मिघानी कास्ट एकाउन्टिंग सिस्टम एण्ड इन्टरनेशनल कम्पटीटिवनेस
89. टिसको (ट्यूब डिवीजन) द्वारा विनिमित 51/2" डायामीटर सीमलेस पाइप
90. मजगांव डक लि.
91. फिनोबारबीटोन एण्ड इन्दस साल्ट
92. डो. ई. सी. साइट्रेट
93. आक्सीटोसिन
94. जेन्थीनाल निकोटीनेट
95. बीफिनियम हाइड्रोक्सी नेफ्टोएट
96. किलोफाजामिन
97. डी एम पी, मूल्यों को नया करने पर नोट
98. डाइजोक्सीन
99. पाइरेजिनामाइड
100. थिनोपिलाइन स्थानोइट आफ पाइपरेजाइन
101. सल्फामेथाजाजोल
102. नाईट्रोफयूरनटोइन
103. ट्राईमेथाप्रिम
104. डी एम सी टी सी

105. सी-2 एण्ड सी-3 के मूल्यों परनोट प्राकृतिक गैस का फ्रैक्शन

106. अमोनियम क्लोराइड

107. वाटर आडिट आफ पेपर एण्ड पल्प इण्ड.

108. एल्यूमिनीयम हाईड्रोसाइड जेल

109. एनर्जी आडिट आफ पेट्रो-केमिकल इण्ड.

110. बी एच ई एल रिपोर्ट

111. पाइरेन्टल पामोएट

112. पिरोकेना पेनीसिलिन जी आई पी

113. पोटासियम पेनीसिलिन वी फस्ट क्रिस्टल एण्ड आई पी

114. प्रिडनीसोलोन एण्ड इट्स साल्ट्स

115. हाइड्रोकोल्टीसन एण्ड इट्स साल्टस

116. पोटेशियम पेनीसिलिन जी. एण्ड सोडियम पेनीसिलिन जी

117. स्ट्रेप्टो माइसिन

118. विटामिन सी

119. एनर्जी आडिट आफ फर्टीलाइजर इण्ड.

120. बी एच ई एल बिजली संयंत्र उपकरण पर टैरिफ हेमोनाइजेशन पर नोट

121. एन टी पी सी द्वारा उत्पन्न की गई बिजली हेतु माल भाड़ा नियम करने के लिये मार्ग निर्देशन सिद्धान्त तथा मानदण्ड सम्बन्धी पैरा मीटर

122. फिरोजोलीडोन

वर्ष—1990

क्र. सं.	शीर्षक
123.	इन्सुलियन
124.	सल्फाडायजिन
125.	सलफासिटामाइड सोडियम
126.	एसिटाजोलमाइड

127. एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड

128. जेन्टामाइसिन सल्फेट

129. टेटरासाईक्लिन हाइड्रोक्लोराइड एण्ड क्लोटिटरा साइक्लीन एच सी एल

130. आक्सीटेटरासाइक्लीन और इसके व्युत्पाद

131. हाइड्राक्सी इथायल थियोफिलीन

132. ई. गांधी इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा डाक टिकटों और पत्र को गोंद लगाना।

133. काले तथा सफेद टी वी पिक्चर टियूब

134. एमपिसिलीन सोडियम सटेराइल

135. बेन्जाथीन पेन्सिलीन जी

136. पेरासिटामाल

137. आई पी सी एल की पेराक्सीलीन के मूल्य का अध्ययन करना

139. विटामिन "ए"

140. पेटामेथासोन

141. सल्फामोक्जोल

142. सलेक्टीड पेस्टीसाइड

143. गैस प्राइसिंग

144. एफ सी आई अध्ययन

145. सल्यूटामोल

146. क्लोक्सीलीन सोडियम ओरल ग्रेड

147. मेबहाइड्रोलीन

148. वाटर आडिट-फर्टीलाईजर

149. रेवेन्यू सेयरिंग (हाट, एम टी एन एल और वी एस एन एल के बीच)

150. एनालजिन

151. फेनिटाइन सोडिम

152. फरामीसेटिन सल्फेट

153. फथालायल सल्फासेटामाइड

154. आइसोक्सक्षापिन

155. इस्पात उद्योग—अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा

156. मिखाइल डोपा

157. मेट्रोनिडायजोल

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रावधान

[हिन्दी]

1738. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बजट में कोई विशेष प्रावधान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) के पिछड़ेपन का मिटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) राज्य के भीतर पिछड़े क्षेत्रों के विकास का उत्तर दायित्व राज्य सरकारों पर है । राज्य के आठवीं योजना प्रस्तावों से यह देखने में आया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने "पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकीकृत विकास के लिए विशेष कार्यक्रम" नामक एक नए कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है ।

दिल्ली पुलिस कर्मियों को देय राशन भत्ता

1739. श्री लरग साव :

श्री राघवजी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के कर्मियों को राशन भत्ते के रूप में 200 रुपये प्रति माह देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को किस तिथि से लागू किया गया है अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) इस समय भारत सरकार के विचारण के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है । दिल्ली पुलिस ने अपने कार्मिकों को राशन भत्ता देने के लिए दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में उत्पादन

[अनुवाद]

1740. श्री अमल दत्त : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में असैनिक क्षेत्र के उत्पादन के लिये स्वीकृत एवं कार्यान्वित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा अभी तक विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने मूल्य की योजनाएं पूरी हो गई हैं तथा उत्पादन का अनुमानित/वास्तविक वार्षिक मूल्य कितना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम. सं.	प्रस्ताव	परियोजना की अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
	1	2	3
1.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड औद्योगिक एवं विद्युत क्षेत्र के लिए गैस टरबाइनों का निर्माण	पूंजीगत व्यय 48.5 लाख रुपये का आस्थगित राजस्व व्यय 866 लाख रुपये	कार्यान्वियन का कार्य चल रहा है।
2.	भारत इलेक्ट्रानिक्स :		
	(क) आकाशवाणी के लिए एफ. एम. ट्रांसमीटर	1.25 करोड़ रुपये	पूरा हो चुका है।
	(ख) चुनाव आयोग के लिए इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन	7.05 करोड़ रुपये	पूरा हो चुका है।
	(ग) डी ओ टी के लिए डिज्रीटल माइक्रो-वेव सिस्टम	10.23 करोड़ रुपये	कार्यान्वियन का कार्य चल रहा है
	(घ) आई एस आर ओ के लिए स्पेस इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन	1.02 करोड़ रुपये	कार्यान्वित हो चुका है।

1	2	3
(ङ) व्यावसायिक/मनोरंजन उद्योग के लिए बंगलौर काम्प्लेक्स काम्पोनेंट डिवीजन में क्षमता का विस्तार	62.90 करोड़ रुपये	57% कार्यान्वित हो चुकी है और शेष पर कार्य चल रहा है।
3. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड :		
(क) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के मैसूर काम्प्लेक्स में डीजल इंजन के निर्माण के लिए इंजन परियोजना।	30.06 करोड़ रुपये	कार्यान्वियन का कार्य चल रहा है।
(ख) 85 टन डम्प ट्रक परियोजना	9.75 करोड़ रुपये	पूरा किया जा चुका है
4. भारत डायनामिक्स लिमिटेड 5. मिश्र धातु निगम लिमिटेड 6. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड 7. मांझ गांव डाक लिमिटेड 8. गोआ शिपयार्ड लिमिटेड	सिविल क्षेत्र के लिये उत्पादन का कोई प्रस्ताव मंजूर/कार्यान्वित नहीं किया गया है।	

सिविल क्षेत्र के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के उत्पादन का कुल मूल्य 1987-88 के दौरान 808.24 करोड़ रुपये, 1988-89 में 1005.97 करोड़ रुपये और 1989-90 में 1252.52 करोड़ रुपये रहा।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के प्रधान कार्यालय

1741. श्री के॰ राममूर्ति : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके प्रधान कार्यालय दिल्ली में हैं।

(ख) इन उपक्रमों के प्रधान कार्यालयों को दिल्ली में रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें से किसी मुख्यालय को दिल्ली से अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एक विवरण I संलग्न है।

(ख) दिल्ली की जनता की सेवा करने, ऐसे कार्यकलाप करने, जो संवर्धनात्मक/विकासात्मक व्यापारिक विशिष्टताएं लिये हुए है, सम्पूर्ण देश में फैले हुए हैं तथा राज्य सरकारों के साथ निरन्तर पारस्परिक सम्बंध स्थापित करने आदि जैसे विभिन्न कारणों से सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को अपने कार्यालय दिल्ली में रखने होंगे।

(ग) और (घ) दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के 27 उपक्रमों की पहचान कर ली गई है और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल स्थानान्तरण के लिये उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दें। सरकारी क्षेत्र के इन 27 उपक्रमों को सूची विवरण-2 के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के ऐसे कार्यालयों, जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है, का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा वर्ष 1986 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों के मुख्यालय दिल्ली में स्थित हैं :—

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम
1.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
2.	दिल्ली परिवहन निगम
3.	महानगर टेलीफोन निगम
4.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
5.	भारतीय राज्य फार्म निगम लि.
6.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम
7.	भारतीय खाद्य निगम
8.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.
9.	परियोजना एवं उपस्कर निगम लि.
10.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
11.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लि.
12.	टैलीकम्युनिकेशन कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लि.
13.	एजूकेशनल कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लि.
14.	हास्पीटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपो. (इण्डिया) लि.

15. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम
16. इण्डियन एयरलाइन्स
17. भारतीय अन्तर्देशीय विमानपत्तन प्राधिकरण
18. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.
19. वाटर एण्ड पावर कन्सलटैंसी सर्विसेज (इण्डिया) लि.
20. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
21. आवास एवं नगर विकास निगम लि.
22. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण
23. वायुदूत
24. भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग लि.
25. सी. एम. सी. लि.
26. पवन हंस लि.
27. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
28. एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लि.
29. विद्युत वित्त निगम
30. इलेक्ट्रानिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपो.
31. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
32. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.
33. भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि.
34. हाइड्रो-कार्बन इण्डिया लि.
35. भारतीय तेल निगम लि.
36. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि.
37. भारतीय उर्वरक निगम
38. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि.
39. मायल इण्डिया लि.
40. पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.

41. सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि.

42. भारतीय ग्रैस प्राधिकरण लि.

43. हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपो. लि.

44. इन्जीनियर्स इण्डिया लि.

45. नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.

46. नेशनल थर्मल पावर कारपो· लि.

47. भारतीय सीमेंट निगम

48. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइट्स लि.

49. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

50. भारत लेदर कारपो. लि.

51. हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.

52. इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि.

53. नेशनल टेक्सटाइल कारपो. लि.

54. मारुति उद्योग लि.

55. पारादीप फास्फेट्स लि.

56. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि·

57. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.

58. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

59. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.

60. रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज लि.

61. ग्राम विद्युतीकरण निगम लि.

62. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि,

विवरण-2

सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की सूची जिन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है :

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.

2. भारतीय राज्य फार्म्स निगम

3. केन्द्रीय भाण्डागार निगम

4. भारतीय खाद्य निगम

5. भारतीय अस्पताल परामर्शदायी सेवाएं निगम लि.

6. वायुदूत

7. पवनहंस लि. (हेलीकाप्टर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.)

8. एयरलाइन्स एलायड सर्विसेज

9. राष्ट्रीय विमानपत्तनम प्राधिकरण

10. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

11. नेशनल फर्टिलाइजर लि.

12. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया

13. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.

14 पायराय‌ट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि.

15. पारादीप फास्फेट्स लि.

16. इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कं. लि. (रसायन प्रभाग)

17. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

18. ने. टे. का. (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लि.

19. भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि.

20. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.

21. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.

22. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.

23. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

24. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.

25. सीमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया

26. भारत एल्यूमीनियम कं. लि.

27. नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन लि.

दादरा एवं नागर हवेली में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1742. श्री मोहन भाई संजीभाई डेलकर : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि दादरा एंव नागर हवेली के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर की प्रसारण क्षमता बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो रिले क्षमता में वृद्धि करने अथवा मौजूदा ट्रांसमीटर को हटाकर एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों से उनके कार्यक्रम प्रसारित न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) दादरा और नागर हवेली में सिलवासा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को सीमित कवरेज के बारे में सरकार को जानकारी है। इस विषय पर कुछ संसद सदस्यों से भी समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सिलवासा के वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का लगाया जाना भविष्य में इस प्रयोजन के लिये साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, उस मास्ट को ऊंचाई को बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है, जिस पर ट्रांसमीटर एन्टीना लगा है। ताकि ट्रांसमीटर की सेवा रेंज को यथा-संभव बढ़ाया जा सके।

मंगोलिया के राष्ट्रीय विकास मन्त्री की भारत यात्रा

1743. डा. सी. सिलवेरा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया के राष्ट्रीय विकास मंत्री हाल में भारत आये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां, महामहिम डा. जे बत्सूर, मंगोलिया के राष्ट्रीय विकास मन्त्री ने 13-19 दिसम्बर, 1990 तक भारत का सरकारी दौरा किया।

(ख) अपने सरकारी दौरे के दौरान डा. बत्सूर ने अपने शिष्टमण्डल के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय इम्यूनोलाजी संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इन्जीनियरी एवं जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, राष्ट्रीय पादक आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो राष्ट्रीय पादप ऊतक संवर्धन आधान सुविधा तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं पुणे में राष्ट्रीय पशु ऊतक एवं कोशिका संवर्धन सुविधा' राष्ट्रीय रसायन

प्रयोगशाला, पशु चिकित्सा जैव उत्पाद संस्थान तथा भारतीय सौरभ संस्थान का दौरा किया। मंगोलिया के मंत्री विदेश मंत्री से मिले तथा उन्होंने प्रधान मंत्री से भी भेंट की। उन्होंने बायोटेक्नोलाजी विभाग द्वारा आयोजित एक अन्तमंत्रालयीय बैठक में भी भाग लिया। दोनों पक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषतः जैवप्रौद्योगिकी में सहयोग के लिये सहमत हुए। विचार विमर्श के दौरान पहचान किए-गए प्रमुख क्षेत्रों में जैव सूचना प्रणाली, वैक्सीनें, अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति प्रशिक्षण तथा मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण सम्मिलित हैं।

केरल में कतिपय आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता का विस्तार

1744. **श्री पलाई के. एम. मैथ्यू :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के कुछ आकाशवाणी केन्द्रों की प्रसारण क्षमता का विस्तार किये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी हां। कालीकट के मौजूदा 10 कि. वा मीडियम वेव ट्रांसमीटर और त्रिचूर के 20 कि. वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 100 कि. वा. करने और त्रिवेन्द्रम में प्रादेशिक सेवा के लिए शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) कालीकट और त्रिचूर के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर 100 कि. वा. करने और त्रिवेन्द्रम में 50 कि. वा. शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाने की स्कीमों पर पहले ही काम चल रहा है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा गाजियाबाद में फैक्ट्री लगाने के लिए ली गई जमीन के एवज में मुआवजा

1745. **श्री के. सी. त्यागी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री लगाने के लिए जिनकी जमीन ली थी, उन्हें उन्हें मुआवजे के रूप में कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या उन्हें ऐसा आश्वासन दिया गया था कि हर पारिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार उक्त कारखाने में उचित रोजगार दिया जायेगा, और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और अभी तक कितने लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद स्थिति निर्माणी वर्ष 1917 में यू पी एस आई डी सी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर स्थापित की गई थी। यू पी एस आई डी सी ने यह भूमि एक बहुत बड़ी औद्योगिक

एस्टेट के लिए अधिगृहीत की थी जिसका एक भाग भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद को आबंटित किया गया था। भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने इस भूमि के किसी मालिक को किसी मुआवजे की अदायगी नहीं की थी क्योंकि इसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया था। उस समय यह सामान्य आश्वासन दिया गया था कि इस औद्योगिक एस्टेट में स्थापित की जाने वाली निर्माणियों में विस्थापित भू-स्वामियों को रोजगार के लिए यथासंभव प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने गाजियाबाद के विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा कम्पनी को दी गई सूची के अनुसार, 56 भू-स्वामियों को रोजगार प्रदान कर दिया है। विस्थापित भू-स्वामी आवेदकों के रूप में रोजगार के लिए 25 अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। चूंकि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में अधिकतम स्टाफ पहले ही भर्ती किया जा चुका है इसलिए निकट भविष्य में भर्ती की कोई सम्भावना नहीं है। इसके अलावा विस्थापित किए गए अधिकतर भू-स्वामी अकुशल श्रेणी में आते हैं जिनकी निर्माणी में कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यू पी एस आई डी सी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर अन्य औद्योगिक इकाईयों की भी स्थापना की गई थी इसलिए विस्थापित भू-स्वामियों को रोजगार प्रदान करने का दायित्व केवल भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का ही नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के दौरों पर व्यय

[हिन्दी]

1746. श्री शिवशरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री 5 दिसम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या-4663 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय आयुक्तों की दिल्ली यात्रा पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	राशि
1987-88	1,72,928.80 रुपए
1988-89	2,07,319.20 रुपए
1989-90	2,00,360.00 रुपए

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को अनुदेश दिया गया है कि भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी एक या अधिक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिल्ली आ सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से विशेष पूर्वानुमति ली हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नक्सलवादियों को सुधारने की योजना

[अनुवाद]

1747. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नक्सलवादियों को सुधारने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना को लागू करने में संबंधित राज्य सरकारों को शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण इनकी मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सरकार की यह नीति है कि देश में उग्रवादी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटा जाए और इसके साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति तेज की जाए ताकि स्थानीय लोगों की वास्तविक शिकायतों का समाधान हो सके और वे उग्रवादियों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। तदनुसार, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध कर रही है कि वे सुसमन्वित कार्य योजनाएं तैयार करें ताकि राज्य के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हो सके जिससे तीव्रता से भू-सुधार, बंजर भूमि का आवंटन, विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास, आदिवासियों के पिछड़े क्षेत्रों का विकास आदि हो सके। इस संबंध में प्रभावित सभी राज्यों को केन्द्र सरकार सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रही है।

किरणीयन प्रक्रिया के माध्यम से आलू, प्याज और मसालों का परिष्करण

1748 **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किरणीयन प्रक्रिया के माध्यम से आलू, प्याज और मसालों को परिष्कृत करने की अनुमति घरेलू खपत के लिए न देकर केवल निर्यात प्रयोजन के लिए ही दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है कि किरणीयन प्रक्रिया से परिष्कृत खाद्य पदार्थों के जीवाणु होते हैं तथा इनसे विषाक्तता का खतरा उत्पन्न होता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में किरणन की तकनीक को खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की पद्यति के रूप मे स्वीकार करने के बारे में सन् 2987 में अनुमोदन द दिया था । तब स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय संवीक्षण अभिकरण नामक शीर्ष निकाय का गठन खाद्य पदार्थों के किरणन से संबंधित सभी पहलुओं पर निगरानी रखने के लिये किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रीय संवीक्षण अभिकरण ने देश से बाहर निर्यात किये जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों जैसे कि मसालों, प्रशीतित समुद्री खाद्य पदार्थों और प्याजों का किरणन की सहायता से संसाधन करने के बारे में अपनी मंजूरी दी है। आलू इस श्रेणी में नहीं आते हैं।

निम्नलिखित कारणों से कई खेपों के रद्द होने की वजह से मसाले के निर्यात के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है :

(1) मसालों का आयात करने वाले देशों द्वारा मसालों में कीड़े लगने और सूक्ष्म जीवाणुओं के संदूषण को देखते हुए मसालों की गुणवत्ता के बारे में कठोर मानदण्ड अपनाया ।

(2) मसालों का आयात करने वाले अनेक देशों द्वारा आजकल प्रयोग में लाए जा रहे रसायनिक धूमकों पर रोक लगाना ।

अत: सरकार ने देश से बाहर निर्यात किए जाने वाले मसालों के लिये किरणन प्रौद्योगिकी अपनाने के संबंध में मंजूरी दे दी है । यह प्रक्रिया मसालों का आयात करने वाले कई देशों जैसे कि अमरीका, नीदरलैण्ड और फ्रांस ने भी स्वीकार कर ली है ।

सालमोनेला जैसे रोगाणुओं के फैलने की घटना से प्रशीतित झींगा मछलियों के निर्यात पर पड़ा है। विकिरण ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसकी सहायता से प्रशीतित खाद्य पदार्थों में ऐसे रोगाणुओं को कारगर ढग से खत्म किया जा सकता है।

भारत प्याज का उत्पादन करने वाले देशों में से एक मुख्य देश है और बड़ी मात्रा में प्याज का निर्यात करता है। किरणन द्वारा प्याज में अंकुर फूटने की रोकथाम करने से प्याज का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में, राष्ट्रीय संवीक्षण अभिकरण ने घरेलू उपभोग के वास्ते भी मसालों, प्याजों और आलुओं का किरणन की सहायता से संसाधित करने के बारे में सिफारिश की है। तथापि, यह अनुमति कानूनी तौर पर तभी प्रभावी होगी जब खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने और उनका उत्पादन करने के वास्ते लाइसेन्स देने के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा।

(ग) जी, हां। जीवाणुओं को समाप्त करने के वास्ते किए गये अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि यह खाद्य पदार्थों को संसाधित करने की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः यह उपयोगी

होगा यदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परिरक्षण की अन्य पद्धतियों को भी संयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जाए। उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म जैविक भार को कम करके शैल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिये विकिरण (1.5—2.5 किलग्रे) द्वारा निर्जीवीकृत मछली को हिम-तापमान पर भंडारित करना आवश्यक है ताकि उसे खराब होने से बचाया जा सके।

ऐसे विभिन्न देशों से जो कि किरणन की सहायता से परिरक्षित किये गये विभिन्न खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं और जिन्होंने अनुसंधान के लिए इनका प्रयोग पशुओं और मनुष्यों पर किया है, एकत्र किए गए विस्तृत आंकड़ों से यह पता चलता है कि इन खाद्य पदार्थों का उपभोग करने से स्वास्थ्य पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं पड़ा है। इन आंकडों की गहराई से जांच करने के बाद, किरणित खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता संबंधी खाद्य और कृषि संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण/विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि "किसी खाद्य पदार्थ का किरणन कुल मिलाकर 10 किलोग्रे तक की औसतन मात्रा द्वारा करने से कोई विषाक्त दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अत: इस तरह संसाधित खाद्य पदार्थों में विषाक्त दुष्प्रभावों की जांच करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी पाया गया है कि खाद्य पदार्थों को 10 किलोग्रा तक की मात्रा द्वारा किरणित करने से पौष्टिकता या सूक्ष्म जैविक संबंधी कोई विशेष नई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है।"

(घ) किरणित खाद्य पदार्थों की सक्ष्म जैविकी स्थिति के बारे में किए गए अध्ययनों के परिणामों से यह सिद्ध हुआ है कि 2.5 किलोग्रे तक की मात्रा द्वारा निर्जीवीकरण करने पर, खाद्य सामग्री को खराब करने वाले सभी जीव मर जाते हैं। रोग जनक जीवों को खत्म करने के लिए 5 किलोग्रा. तक की उच्च मात्रा का प्रयोग करना आवश्यक है। तथापि, मसलों के लिए निर्धारित की गई उच्च मात्रा (10 किलोग्रा.) उन्हें बीजाणुओं और सभी जीवित जीवाणुओं से पूरी तरह से विसंदूषित करने के लिए काफी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में चूहों और चुहियों को विभिन्न किरणित खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूँ (02 किलोग्रा.) झींगा मछली (2.5 किलोग्रा.), बांगड़ा (1.5 किलोग्रा.), सम्पूर्ण मिश्रित आहार (2 किलोग्रा. और 25 किलोग्रा.) तथा प्याज (0.06 किलोग्रा.) खिलाकर मृत्यु-दर, शारीरिक वजन, खाद्य सामग्री की खपत, व्यवहार, विकृति, खून के स्वरूप, जनन निष्पादन, बच्चों में जन्म सम्बन्धी दोष और आनुवंशिक परिवर्तनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया। इसी प्रकार के अध्ययन पिछले 35 वर्ष की अवधि में अनेक देशों में अलग-अलग खाद्य पदार्थों पर किए गए जिनमें चूजे, मछली और मछली से बने पदार्थ आलू, प्याज, गेहूं और गेहूँ से बने पदार्थ, चावल, कोको बीन, खजूर, स्ट्राबरी, आम, पपीता, मशरूम, मसाले और छौंक में काम आने वाले मसाले भी शामिल हैं। इन अध्ययनों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि करे कि किरणित खाद्य पदार्थ खाने से हानिकर जैवि प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग को पेश किये गये मामले

1749. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या प्रधान मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध

एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के सामने पेश की गयी शिकायतों के मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ख) उन मामलों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्राप्त हुई एकाधिकारिक अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथा सम्बन्धी जांचों की संख्या वर्ष 1988 और 1989 के दौरान क्रमश: 910 और 350 थी। आयोग ने वर्ष 1988 और 1989 के दौरान क्रमश: 725 तथा 611 जांचों का निपटान किया। 1.1.1990 से 30.11.1990 की अवधि के दौरान, आयोग को 290 प्राप्त हुईं, और इस अवधि के दौरान 353 जांचों का निपटान किया गया।

"इंडियन मानसून विल गो आफ-कोर्स" शीर्षक से समाचार

1750. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "गल्फ वार्स आफ्टर इफैक्ट्स-इंडियन मानसून विल गो आफ-कोर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा कोई अनुसंधान अध्ययन कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मानसून के समान एक ठोस परिघटना पर युद्ध में विस्फोटकों जैसी स्थानीय घटनाओं के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार का एक नोडल विभाग है जो मौसम संबंधी मामलों के अनुसंधान और परिचालनात्मक दोनों पहलुओं का नियमित रूप से ध्यान रखता है।

समुद्र तल से द्वारका की खोज और उत्खनन

1751. **श्री शांताराम पोटदुखे :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्री पुरातत्व विदों के एक दल द्वारा पश्चिम समुद्र तट पर पौराणिक शहर द्वारका की खोज और उत्खनन के क्या परिणाम निकले हैं जो यह पता लगाने के लिए की गई है कि महाभारत की सही तारीख क्या है और शहर समुद्र में कैसे डूबा था ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : सन् 1982 से द्वारका तथा बेट द्वारका की खोज और उत्खनन से अनेक पुरावशेष यथा अन्त: तथा बाह्य दुर्ग दीवारें, जैटी तथा बुर्ज, विशाल पत्थर ब्लाकों की यथावत् दीवारें, पांच छिद्रित लंगर, एक नष्टपीत, कापर बेसल स्टोन ब्लेड्स तथा शैल बैंगल्स इत्यादि की खोज की जा चुकी है। इन खोजों के आधार पर महाभारत की तारीख तथा इसके (शहर) जल में (समुद्र) डूबने के अस्थायी निष्कर्ष निकल सकते हैं। तथापि अकाट्य वैज्ञानिक सबूत के अभाव में उनकी सत्यता स्थापित नहीं की जा सकती।

भूतपूर्व सैनिकों को परिवहन परमिट

1752. श्री ए. के. राय : क्या प्रधान मन्त्री 23 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6128 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक बिहार राज्य वित्तीय निगम से बस लेने के बाद रूट परमिट न मिलने के कारण कठिनाई में हैं;

(ख) क्या पुनर्वास महानिदेशालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) पुनर्वास महानिदेशक ने बिहार राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ भूतपूर्व सैनिकों को "रूट परमिट" जारी करने का मामला उठाया था जिन्होंने बसों को खरीदने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम से ऋण प्राप्त किया हुआ है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने सूचित किया है कि नए "मोटर वाहन अधिनियम" के अन्तर्गत "रूट परमिटों" की मंजूरी संबंधी शर्तों को अब उदार बना दिया गया है और इसलिए ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को भविष्य में "रूट परमिट" देने में संभवत: कोई कठिनाई नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश के आयुध कारखानों में उत्पादन

1753. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित आयुध कारखानों के सभी एककों ने वर्ष 1989-90 के दौरान निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 में उत्तर प्रदेश में आयुध निर्माणियों का कुल उत्पादन निर्धारित लक्ष्य का 94.3 प्रतिशत था। इस आंशिक गिरावट का मुख्य कारण-कच्चे माल की सप्लाई में देरी होना या सप्लाई न हो पाना तथा बिजली की सप्लाई में व्यवधान रहा।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा संगठन का कार्यकरण

1754. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा संगठन के कार्यकरण में कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) चिकित्सा तथा परा चिकित्सा स्टाफ की कमी, औषधियों तथा दवाइयों का अभाव, चिकित्सा उपकरणों की खराबी आदि के सम्बन्ध में छिटपुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि क. रा. बी. योजना के अधीन चिकित्सा देखभाल का प्रशासन संबद्ध राज्य सरकारों का सांविधिक उत्तरदायित्व है अतः अभ्यावेदनों को उचित कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार के पास भेजा गया था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में क. रा. बी. चिकित्सा संस्थाओं के कार्यकरण को सुधारने तथा उसे सुचारू रूप देने के लिए वह आवश्यक कदम उठा रही है।

कानपुर छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण

1755. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मन्त्री 2 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3101 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर छावनी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण करने के बारे में गत छः माह के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) छावनी प्राधिकारियों ने सितम्बर, 1990 अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक संगठित अभियान चलाया था जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर अवैध कब्जों को हटा दिया गया है।

दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

1756. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या है जिनके अपने कार्यक्रम निर्माण केन्द्र हैं अथवा जो अपने-अपने क्षेत्रों के लिए स्वयं कार्यक्रम बनाते हैं; और

(ख) शेष क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र में अपने-अपने कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) :(क) फिलहाल कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं, निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्रों पर उपलब्ध हैं :—

1. हैदराबाद	2. पटना (अंतरिम)
3. श्रीनगर	4. बम्बई
5. जालंधर	6. लखनऊ
7. पणजी	8. गुवाहाटी (अंतरिम)

9. अहमदाबाद
10. बंगलोर
11. नागपुर
12. जपुर
13. गोरखपुर
14. दिल्ली
15. रांची
16. राजकोट
17. त्रिवेन्द्रम
18. कटक
19. मद्रास
20. कलकत्ता

(ख) यद्यपि भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए) तथा पटना (स्थायी व्यवस्था) में क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना का काम विभिन्न चरणों में है. क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवाओं के वितरण हेतु शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे केन्द्रों को स्थापना का कार्य, इस प्रयोजन के लिए संसाधनों के आबटन पर निर्भर करता है।

टैंक-रोध प्रक्षेपास्त्र "नाग"

1757. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र 'नाग" का, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था, लागत सहित इसका ब्यौरा है;

(ख) क्या इस प्रक्षेपास्त्र की तकनीकी जानकारी पूर्णतः स्वदेशी है; और

(ग) इसकी मारक क्षमता कितनी है और इसे शस्त्रागार में कब तक शामिल किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) 'नाग' तृतीय पीढ़ी की एक टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है और इसमें प्रहार करने और नष्ट करने (फायर और फारग्रेट) तथा उच्चमारक (टाप अटैक) क्षमताएं हैं। इस प्रक्षेपास्त्र की अनुमानित लागत लगभग 16 लाख रुपये है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) "नाग" 4 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकता है और इसे संभवतः 1994 तक सेना को सौंप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय उत्पादकता नीति

1758. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों और प्रबन्ध मण्डल को प्रेरित करने हेतु व्यापक राष्ट्रीय उत्पादकता नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक लागत एककों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को आधुनिक और उन्नत बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों और प्रबंध मंडल को प्रेरित करने को बहुत महत्व देती है। औद्योगिक एककों में ऐसी प्रेरणा विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों इत्यादि के आधार पर दी जाती है।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली एक केन्द्रीय अभिकरण है जो देश में उत्पादकता संबंधी जागरूकता पैदा करती है और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए उत्पादकता संबंधी सेवाएं प्रदान करती है। उसने अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए श्रमिकों और प्रबन्ध मंडल को प्रेरित करने के लिए पहले भी विभिन्न कार्यकलाप किये हैं। हाल ही में किये गये कुछ कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(क) वर्कलाईफ और उत्पादकता, गुणवत्ता संबंधी-राष्ट्रीय सम्मेलन।

(ख) कार्य-संस्कृति सहयोग और उत्पादकता में सुधार करने के लिए संगठन नीतियों संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(ग) कार्य संस्कृति और उत्पादकता सम्बन्धी-राष्ट्रीय कार्यशाला।

(घ) उत्पादकता के प्रति संगठनात्मक दृष्टिकोण संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(ङ) उत्पादकता और प्रबन्ध के प्रति पुनीत दृष्टिकोण द्वितीय उन्नत कार्यक्रम।

(च) प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित द्विपक्षीय भारत युगोस्लाविया परियोजना अध्ययन।

(छ) उत्पादकता से मजदूरी को जोड़ने और कारंवाईयों के मोनोग्राफ के प्रकाशन संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(ज) प्रशिक्षण पैकेज प्रबंध सहयोग कार्य-संस्कृति और उत्पादकता का विकास।

(झ) उत्पादकता में ट्रेड यूनियन की भूमिका प्रकाशन और राष्ट्रीय संगोष्ठी।

(ञ) उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार प्रणाली संबंधी परियोजना अध्ययन।

(ट) "उत्पादकता की तलाश में और मानव संसाधन विकास और उत्पादकता की नई संभावनाएं" नामक प्रकाशन।

(ग) औद्योगिक एकक की उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में प्रौद्योगिकी विकास

निधि, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, उद्यम पूंजी वित्तीयन योजना, अनुसंधान एवं विकास के संवर्द्धन के लिए प्रौद्योगिकी सेवाएं, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी सेवा संस्था शामिल हैं।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु कानून

1759. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आरक्षण नीति लागू न करने के दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी दंडिक कार्रवाई करने हेतु कानून बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्तावित कानून संसद के समक्ष कब लाया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) और (ख) सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित मौजूदा कार्यकारी अनुदेशों को सांविधिक रूप देने के लिए एक विधान संसद में प्रस्तुत करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून के उल्लंघन पर उचित दण्ड का प्रावधान करने पर भी विचार किया जा रहा है।

सेवा निवृत्त होने वाले सैनिक कर्मियों को स्वरोजगार के अवसर

1760. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना सेवा कोर ने प्रति वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले अनेक सैनिक कर्मियों को निजी परिवहन कम्पनियों की स्थापना करके उन्हें बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में सेना मुख्यालय की एक योजना है जो अभी प्रारंभिक चरणों में है और इसके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

"विश्व चेतावनी" अध्ययन हेतु अमरीका का प्रयोग

1761. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका द्वारा जनवरी, 1991 में "विश्व चेतावनी" अध्ययन करने हेतु किये जाने वाले प्रयोग की जानकारी है जिसमें ध्वनि संकेत विश्व के समुद्रों को पार करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग में भाग ले रहे देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय सामुद्रिकी संस्थान, गोवा और राष्ट्रीय सामुद्रिकी प्रयोगशाला, कोची को इस प्रयोग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्हें इस प्रयोग में भाग लेने की अनुमति दे दी है; यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या ध्वनि संकेत डाटा का उपयोग पनडुब्बी युद्ध को पनडुब्बो के लिए लम्बी दूरी की नयी संचार व्यवस्था तैयार करके और सशक्त बनाया जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) भाग लेने वाले देश न्यूजीलैंड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, यू एस ए हैं, भारत को भी आमंत्रित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) मामला विचाराधीन है।

पंजाब में वक्फ सम्पदा

1762. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अनधिकृत कब्जे की वक्फ सम्पदा का ब्योरा क्या है;

(ख) वक्फ की उस सम्पदा का ब्योरा क्या है जिसे नाम मात्र किराए पर दिया गया है;

(ग) उन मस्जिदों अथवा मुसाफिर खानों का ब्योरा क्या है जिन्हें नष्ट कर दिया गया है अथवा इतर उपयोग मे लाया गया है; और

(घ) क्या पंजाब में सम्पूर्ण वक्फ सम्पदा की उचित देखरेख के लिए सरकार का विचार एक पृथक वक्फ बोर्ड गठित करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : पंजाब वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

(क) 5,909 वक्फ संपत्तियां अनाधिकृत कब्जे में हैं।

(ख) 2,519 वक्फ संपत्तियां नाममात्र के किराए पर हैं।

(ग) 5,320 मस्जिदें और 15 मुसाफिर खाने अवैध कब्जे में हैं।

(घ) पंजाब वक्फ बोर्ड को पुनर्गठित करने का एक प्रस्ताव 1984 में प्राप्त हुआ था ताकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड हो सके। इसे पंजाब और हरियाणा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजा गया था। प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1763. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) पंजाब में अनुसूचित जातियों में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या से निपटने के लिए एक विशेष संगठन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) से (ग) सूचना पंजाब सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को उत्पीड़ित किया जाना

1764. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को उत्पीड़ित किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) कार्मिक मंत्रालय, राज्यों में अधिकारियों को तंग तथा उत्पीड़ित करने के बारे में सूचना नहीं रखता है, फिर भी यदि कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो यदि वे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित होती हैं तो उन्हें सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को भेज दिया जाता है और यदि वे राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित होती हैं तो उन्हें संबंधित राज्य को उनके द्वारा उचित कार्यवाही करने के लिए भेज दिया जाता है।

चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी

1765. **श्री वी. वेंकटरामन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की भारी कमी होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी होगी; और

(ग) चमड़ा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए बनायी गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रांची के हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन में "वर्क आर्डर" का संकट

1766. **श्री वी. देवराजन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एच. ई. सी. फेसिंग क्राइसिस फार वाट आफ वर्क आर्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि रांची के हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को वर्ष 1991-92 के लिए व्यवहार्यतः कोई "वर्क आर्डर" न होने के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 50 प्रतिशत मशीनें निष्क्रिय पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) एच. ई. सी. के लिए और अधिक क्रयादेश प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर हाल ही में प्रयोक्ता क्षेत्र से उच्च स्तरीय बैठक में विमर्श किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, एच. ई. सी. की क्रयादेश स्थिति में पर्याप्त सुधार की सम्भावना है।

केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को मुफ्त रेल पास

1767. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों को वर्ष में एक बार मुफ्त रेलवे पास देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) गैर-रेलवे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए भी निःशुल्क रेलवे पास की सुविधा पाने के हकदार नहीं हैं। अतः सेवानिवृत्ति के बाद उनको यह सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

1768. **श्री बालगोपाल मिश्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर बोलंगीर जिले में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या इन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और उनकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :

व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
135.1	44.7

गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जिलेवार अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । भारत सरकारों को उनके राज्यों में गरीबी का तेजी से उन्मूलन करने के लिए सहायता तो करती है परन्तु केन्द्र सरकार किसी राज्य विशेष के संबंध में अपनी तरफ से कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू नहीं करती है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास

1769. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के विकास में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : प्रथम विकासात्मक ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.-डी. 1) के विकास में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

प्रथम चरण : पांच खण्डों में वृहत 125 टन का ठोस प्रणोदक बूस्टर (अपनी किस्म का संसार का तीसरा सबसे बड़ा बूस्टर) का सफलता पूर्वक निर्माण और परीक्षा कर लिया गया है। पांच में से तीन उड़ान खण्डों का संचकन कर लिया गया है ।

द्वितीय चरण : तमिलनाडु में महेन्द्रगिरि स्थित वृहत जांच सुविधाओं की स्थापना के साथ एक 37.5 टन के द्रव राकेट इंजिन का स्वदेशी रूप में निर्माण किया गया है तथा उसकी बैंटलशिप खण्ड रूपान्तर में सफलतापूर्वक जांच की गई है । देश में अपेक्षित द्रव प्रणोदकों का विकास करके उत्पादन किया गया है।

तृतीय चरण : मिश्रित आवरण सहित एक उन्नत 7 टन का ठोस प्रणोदक ऊपरी खण्ड मोटर का सफलतापूर्वक भूमि परीक्षण किया गया है। उड़ान अर्हता के लिए अगली जांचों की योजना बनाई गई है ।

चतुर्थ चरण : द्रव प्रणोदक के प्रयोग से सामूहिक (दो) इंजन की 370 सैकण्ड के लिए प्रथम सम्पूर्ण अवधि की जांच सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है, जिसके बाद आगे अर्हता जाँचें की जाएंगी।

हल्की मिश्रधातु संरचनाएं और ताप कवक : पी.एस.एल.टी. के लिए कुल 12 उप-समुच्चय वाले अन्तर-खण्ड संरचनाओं और ताप-कवक का हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) में निर्माण किया जा रहा है।

विमानन प्रणालियां : सभी उड़ान इलेक्ट्रानिकी पैकेजों के अर्हक माडलों की प्राप्ति, जांच और मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया और प्रथम उड़ान तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए उड़ान माडल पूरे हो रहे हैं। जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली हार्डवेयर और साफ्टवेयर प्राप्त कर लिए गए और उड़ान प्रणाली की तैयारी संबंधी क्रियाकलापों के साथ-साथ समानान्तर रूप से अर्हता जाँचें लगभग पूरी होने वाली हैं। इस क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये केवल विकसित देशों में ही उपलब्ध हैं।

प्रमोचन कम्पलैक्स : प्रमोचन कम्पलेक्स की 3000 टन भार वाली 75 मीटर ऊंची मोबाईल सेवा संरचना चालू हो गयी है। समाकलन और जांच-पड़ताल सुविधाओं पर कार्य चल रहा है। इसरो की प्रौद्योगिकी से स्वदेशी रूप मे विकसित अनुवर्तन राडार तैयार हो रहे हैं।

इस प्रकार पी.एस,एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान का प्रमोचन 1591-92 में किए जाने के लिए प्रयास जारी हैं।

सुपर कम्प्यूटर के लिए समानांतर संसाधन मशीन

1770. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री 16 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4918 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सुपर कम्प्यूटरों के कार्य-निष्पादन क्षेत्र में समानांतर संसाधन मशीन विकसित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : पुणे स्थित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डेक) नामक इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाली एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था ने सुपर कम्प्यूटरों के कार्य-निष्पादन की रेंज में एक समानान्तर संसाधन कम्प्यूटर प्रणाली का विकास किया है। सी-डेक द्वारा विकसित 64 नोड को समानान्तर प्रणाली में सुपर कम्प्यूटरों को 270 एम फ्लाप्स (मेगा फ्लोटिंग प्लाइंट आपरेशन्स प्रति सैकिंड) रेंज के कार्य-निष्पादन की क्षमता है।

इस लक्ष्य मशीन को वास्तुकला को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जिसके कार्य-निष्पादन की क्षमता क्रमशः बढ़कर एक मेगा फलाप्स, (फलोटिंग प्वाइंट आपरेशन्स) तथा 3000 एम आई पी एस) प्रति सैकिण्ड मिलियम इंस्ट्रक्शन्स) से अधिक होगी। कई समानान्तर संसाधन साफ्टवेयर औजारों तथा उनके प्रयोगों का विकास कर लिया है।

अनुप्रयोगों विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें ये क्षेत्र शामिल है : प्रतिबिम्ब संसाधन, सुदूर संवेदन, अभिकलात्मक द्रव्य गति की (डायनामिक्स), परिमित मूलतत्व पद्धति, तेल

भण्डार माडलिंग, भूकम्प आंकड़ा संसाधन, आणविक माडलिंग, सिग्नल (संकेत) संसाधन, सर्किट अनुकार (सिमुलेशन), विद्युत प्रणालियों का विश्लेषण, वाक् पहचान, अभिकलात्मक भौतिकी तथा रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र तथा खगोल भौतिकी, अभिकल्पनात्मक गणित तथा वैज्ञानिक मानस प्रत्यक्षीकरण।

कच्चे माल का आयात

1771. **श्री हरीश पाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक उत्पादन में आवश्यक अलौह धातुओं और पेट्रोलियम पदार्थों जैसे कच्चे माल का आयात खाड़ी संकट के कारण प्रभावित हो सकता है और जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष के लिए औद्योगिक वृद्धि के 10 प्रतिशत लक्ष्य में कमी आयेगी; और

(ख) कच्चे माल को अन्य स्रोतों से जुटाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एम एम टी सी द्वारा अलौह धातुओं का आयात खाड़ी और मध्य पूर्व से नहीं किया जा रहा। जहां तक पेट्रोलियम का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि खाड़ी संकट से पहले कच्चे तेल का आयात मूल्य 14-16/बी बी एल अमेरिकन डालर के लगभग था। किन्तु खाड़ी संकट के बाद आयातित कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर 35-40/बी बी एल अमेरिकन डालर के बीच हो गया और मूल्य लागत में इस असामान्य वृद्धि से हमारे विदेशी मुद्रा कोष पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य लगभग 22-24/बी बी एल अमेरिकन डालर है किन्तु खाड़ी क्षेत्र में मौजूद संकट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है। मुख्य बाधा बी ओ पी की कठिन स्थिति है जोकि खाड़ी संकट के कारण अधिक मूल्यों को देखते हुए और ज्यादा मुश्किल हो गई है।

चालू वित्तीय वर्ष में कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों दोनों के उत्पादन में कमी आई है। अप्रैल-नवम्बर के दौरान कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में क्रमशः 3.3% और 0 3% कमी आई है।

अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान औद्योगिक विकास की कुल दर 11.7% रही जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में विकास दर 4.3% थी।

(ख) खाड़ी संकट के कारण 2 अगस्त 1990 से कुवैत और इराक से आपूर्ति बन्द हो गई है जिसके परिणामस्वरूप इन दो देशों से संभावित आपूर्ति में कमी आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए मलेशिया, साउदी अरेबिया, ईरान और यू. ए. ई. से अतिरिक्त आपूर्ति के प्रबन्ध किये गये।

राजस्थान में दूरदर्शन स्टूडियो और आकाशवाणी केन्द्रों का कार्यकरण

[हिन्दी]

1772. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन किन स्थानों पर दूरदर्शन स्टूडियो उच्च शक्ति तथा कम शक्ति के ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे है तथा क्या इनके प्रसारण को सम्पूर्ण जनसंख्या द्वारा देखा-सुना जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को कुल कितने सामुदायिक टेलीविजन सेट दिए गए हैं तथा क्या सारे ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिल रहा है;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक प्रचार-माध्यम द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को राजस्थान की सम्पूर्ण जनसंख्या तक पहुंचाने की कोई योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रमों के धुंधले होने की शिकायतें मिली हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या है तथा उनमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) राजस्थान में मौजूदा दूरदर्शन परियोजनाओं तथा आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

इस समय राजस्थान की 51.8% जनसंख्या दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर होती है तथा 95% जनसंख्या आकाशवाणी सेवा को सुन सकती है।

(ख) राजस्थान में केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत, सामुदायिक अवलोकन के लिए 650 टी.वी. सैट प्रदान किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ऐसे टी.वी. सैटों की संख्या का ब्यौरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(च) और (छ) पर्वतसार, सवाई माधोपुर, झालरपाटन, झालावाड़, अजमेर, डूंगरपुर, लिवाली, बांटा तथा बांसवाड़ा जैसे स्थानों पर दूरदर्शन सेवा के धुंधले दिखाई देने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है। इन क्षेत्रों में, कवरेज में सुधार लाने के लिए सवाई माधोपुर, झालावाड़, चुरू, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा नागौर के वी.वी. ट्रांसमीटरों को (उनके 100 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटीनों सहित) वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने का कार्यक्रम है।

इसी तरह, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा झालावाड़ तथा चुरू इत्यादि के कुछ भाग आकाशवाणी सेवा से वंचित हैं। आकाशवाणी की सातवीं योजना में, राज्य में 10 स्थानों पर नये रेडियो स्टेशनों की स्थापना तथा सूरतगढ़ और बीकानेर के मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना शामिल किया गया। इन परियोजनाओं का काम अन्तिम चरणों में है। जैसे ही वे परियोजनाएं सेवा के लिए शुरू हो जायेंगी, वैसे ही कवर न हुए उपर्युक्त क्षेत्रों में रेडियो कवरेज में सुधार हो जायेगा।

विवरण

राजस्थान में मौजूदा दूरदर्शन परियोजनाएं

1. दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो)

2. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1.	अजमेर	2.	अलवर
3.	बांसवाड़ा	4.	बाड़मेर
5.	भीलवाड़ा	6.	अनूपगढ़
7.	बीकानेर	8.	बूंदी
9.	चित्तौड़गढ़	10.	चुरू
11.	डीग	12.	डूंगरपुर
13.	गंगानगर	14.	हनुमानगढ़
15.	झालवाड़	16.	जैसलमेर
17.	झुंझनु	18.	जोधपुर
19.	खेत्री	20.	कोटा
21.	नागौर	22.	पिलानी
23.	पाली	24.	सवाईमाधोपुर
25.	सूरतगढ़	26.	सिरोही
27.	सीकर	28.	उदयपुर
29.	जालोर	30.	ब्यावर
31.	टोंक	32.	सरदारशहर

3. अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

1. रावतभाटा

4. ट्रांसपोजर

1. लाल सोत 2. जमुआ-रामगढ़

राजस्थान में मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र

1. जयपुर	(1) 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर	—मुख्य चैनल
	(2) 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर	—विविध भारती/वाणिज्यक
2. अजमेर	— 200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	—जयपुर के मुख्य चैनल के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए
3. बीकानेर	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	

4. जोधपुर	(1)	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	मुख्य चैनल
	(2)	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	विविध भारती/वाणिज्य
5. उदयपुर		10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
6. सूरतगढ़		20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	
7. कोटा		1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	

ग्रामीण दस्तकारों को सहायता

[अनुवाद]

1773. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों को सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य मे कितने ग्रामीण दस्तकारों को सहायता दी जाती है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, अलग-अलग राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न के.वी.आई. कार्यक्रमों के लिए लागू सहायता के प्रतिमान के अनुसार उनको अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामान्यत: अनुदान एक ऋण अवयव से दिये जाते हैं। सहायता का प्रतिमान अलग-अलग उद्योग के लिये भिन्न-भिन्न है और उद्योग में अलग-अलग योजना के अनुसार है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन दस्तकारों को के.वी.आई. कार्यक्रमों के अधीन सहायता दी गई है, उनकी संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों का के.वी.आई. क्षेत्र में रोजगार का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार 1987-88	1988-89 लाख व्यक्ति	1989-90
1	2	3	4	5
राज्य				
	1. आन्ध्र प्रदेश	3.37	3.08	3.44

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.01	*	0.01
3.	असम	1 04	1.10	1.00
4.	बिहार	2.97	3.00	3.18
5.	गोवा	0.03	0.02	0.02
6.	गुजरात	1.02	0.97	9.95
7.	हरियाणा	0.61	0.62	0 66
8.	हिमाचल प्रदेश	0.39	0.50	0.50
9.	जम्मू व कश्मीर	0.63	0.73	0.76
10.	कर्नाटक	1.43	1.59	1.48
11.	केरल	1.77	1.86	2.00
12.	मध्य प्रदेश	0.53	0.67	0.81
13.	महाराष्ट्र	2.97	3.22	3.36
14.	मणीपुर	0.28	0.32	0.29
15.	मेघालय	0.06	0.06	0.08
16.	मिजोरम	0.01	*	0.02
17.	नागालैंड	0.05	0.04	0.03
18.	उड़ीसा	1.46	0.99	1.50
19.	पंजाब	1.27	1.34	1.38
20.	राजस्थान	2.93	3.28	3.94
21.	सिक्किम	0.01	0.02	0.02
22.	तमिलनाडु	8.29	8.40	8.74
23.	त्रिपुरा	0.42	0.44	0.41
24.	उत्तर प्रदेश	8.13	8.40	9.02
25.	प. बंगाल	1.99	2.14	241

1	2	3	4	5
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	*
2.	चण्डीगढ़	*	0.01	0.01
3.	दादरा और नगर हवेली	*	*	—
4.	दिल्ली	0.07	0.11	0.14
5.	दमन और दीव	—	—	—
6.	पाण्डिचेरी	0.01	*	0.05

* 500 से कम

अति लघु उद्योगों, लघु उद्योगों तथा खादी ग्रामोद्योगों का विकास

1774. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान अति लघु उद्योगों, लघु उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के लिए कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त राज्य में चालू वित्त वर्ष के दौरान अति लघु उद्योगों, लघु तथा खादी ग्रामोद्योगों के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

कर्नाटक को सहायता

1775. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक सहायता के लिए मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए कर्नाटक को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, हां। "उद्योग रहित जिलों" में पता लगाये गये विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास

हेतु केन्द्रीय सहायता की पहली योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य सरकार, बीदर तथा जिला बीदर के हुगनाबाद में विकास केन्द्रों का विकास कर रही है। कुल (2 करोड़ रु.) केन्द्रीय सहायता दी गई है, अन्तिम किश्त वित्तीय वर्ष 1988-89 में दी गई है।

पंजाब सरकार के सतर्कता विभाग में नियुक्ति

1776. बाबा सुच्चा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार के सतर्कता विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) विभाग में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति का स्रोत क्या है;

(ग) विभिन्न विभागों से आने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार के प्रयोग करने वाले सचिव, आयुक्त, वित्त आयुक्त और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच और अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रतिक्रिया क्या है और इसका अधिकार किसे हैं।

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) पंजाब सरकार के सतर्कता विभाग का संगठनात्मक ढांचा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के स्रोत राज्य सचिवालय राज्य पुलिस तथा अन्य विभाग हैं।

(ग) विभिन्न विभागों से पदधारियों के विस्तृत ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) राज्य सरकार के अधिकारों का प्रयोग करने वाले सचिव, आयुक्त वित्त आयुक्त और मुख्य सचिव स्तर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 में निर्धारित प्रक्रिया तथा प्राधिकारियों का पालन करती है।

विवरण-I

पंजाब सरकार के सतर्कता विभाग का संगठनात्मक ढांचा

सतर्कता विभाग के दो स्कन्ध हैं :—

1. सचिवालय स्कन्ध
2. निदेशालय स्कन्ध

सचिवालय स्कन्ध का संगठनात्मक चार्ट निम्न प्रकार है :

1. सचिव, पंजाब सरकार

2. संयुक्त सचिव, पंजाब सरकार
3. जाँच अधिकारी (सतर्कता) पंजाब
4. विधि सैल
5. लिपिक वर्गीय कर्मचारी

निदेशालय का संगठनात्मक चार्ट निम्न प्रकार है :

1. मुख्य निदेशक
2. निदेशक
3. संयुक्त निदेशक
4. पुलिस अधीक्षक
5. उप पुलिस अधीक्षक
6. निरीक्षक
7. लिपिक वर्गीय कर्मचारी।

इसके अतिरिक्त, निदेशालय स्तर की सहायता के लिये तकनीकी कर्मचारी भी विभिन्न विभागों के लिए जाते हैं।

विवरण-2

विभिन्न विभागों से पदधारियों के ब्यौरे

1.	जिला न्यायवादी	2
2.	सहायता जिला न्यायवादी ग्रेड-1	10
3.	कार्यकारी अभियन्ता	1
4.	अनुभाग अधिकारी	1
5.	डिप्टी कलक्टर	1
6.	एस.डी.ओ.	1
7.	जिलेदार	1
8.	राजस्व लिपिक	4
9.	तहसीलदार	1
10.	बासिल बकी नवेस	1
11.	सहायक उत्पाद शुल्क तथा कराधान आयुक्त	1
12.	जिला उद्योग अधिकारी	1

13.	जिला खाद्य तथा आपूर्ति अधिकारी	1
14.	उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ	1
15.	अनुभाग अधिकारी एस.ए.एस.	1
16.	विभागीय लेखाकार (नान-एस.ए.एस.)	1
17.	लेखा परीक्षक, सतर्कता (एस.ए.एस.)	1

पंजाब में पत्रकारों के लिए पंथिक कमेटी की आचार संहिता

1777. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**

श्री जर्नादन पुजारी :

श्री वामनराव महाडीक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पांच सदस्यीय पंथिक कमेटी द्वारा पत्रकारों के लिए आचार संहिता के उस आदेश की ओर दिलाया गया है जिसका गया है जिसका उल्लंघन करने से प्रतिशोध का शिकार होना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) सरकार पंजाब में पत्रकारों और समाचार पत्रों को सुरक्षादेने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सरकार ने पंथिक कमेटी (डा. सोहन सिंह) द्वारा बनाई गई "आचार सहिता" के बारे में समाचार देखा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रचार माध्यम के व्यक्तियों को आतंकवादी शब्द का प्रयोग न करने की चेतावनी दी गई है तथा खालिस्तानी स्वतंत्रता सैनिक" 'अथवा" खालिस्तानी मुजहादीन" की संज्ञा देने को कहा गया है। सरकार ऐसी धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। संवाददाताओं सहित प्रचार माध्यमों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है और प्रबंधों की लगातार समीक्षा को जाती है।

प्रादेशिक सेना में सैनिकों की संख्या

1778. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक सेना में इस समय कितने सैनिक हैं;

(ख) क्या देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रादेशिक सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ाने तथा इसे अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) प्रादेशिक सेना में कार्मिकों की कुल वर्तमान स्वीकृत संख्या 43.765 (सभी रैंक) है।

(ख) और (ग) सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रादेशिक सेना की कुछ विशेषज्ञता प्राप्त यूनिटें खड़ी की जाएं।

श्री चित्रा तिरुनाल अस्पताल, त्रिवेन्द्रम के विस्तार का प्रस्ताव

1779. श्री रमेश चेन्नी थाला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम के श्री चित्रा तिरुनाल अस्पताल की और अधिक विस्तार करने के लिये कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्रोतों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टैकनोलोजी, त्रिवेन्द्रम (अस्पताल स्कंध सहित) के और विकास के लिए निम्नलिखित कार्यों को करने का प्रस्ताव है :—

(1) प्रयोज्य और रोपणीय प्रयोगों के लिए जैव चिकित्साओं का विकास,

(2) रोपण की जाने वाली सामग्री का मूल्यांकन,

(3) जैव सामग्री और यंत्रों का पायलट प्लांट स्केल पर उत्पादन,

(4) अस्पताल प्रबन्ध पद्धतियों का आधुनिकीकरण,

(5) विद्यमान उपस्करों का दर्जा बढ़ाना और

(6) पुनर्वास सेवाओं की स्थापना।

अखबारी कागज संयंत्र

1780. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी कारखानों का विचार अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या शोलापुर में 23 सहकारी चीनी कारखानों द्वारा उजानी बांध के निकट आर. सी. पी. लिमिटेड के सहयोग से 400 करोड़ रुपये की लागत से अखबारी कागज निर्माण संयंत्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) मै. वेस्टर्न महाराष्ट्र विकास निगम लि. को निमगांव जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) में खोई पर आधारित अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु दिनांक 31.8.1990 को एक आशय पत्र जारी किया गया। मै. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि ने मै. वेस्टर्न महाराष्ट्र विकास निगम लि. के आसपास 23 सहकारी चीनी मिलों को गन्ने की फालतू खोई पर आधारित यह उपक्रम स्थापित करने में सहायता करने का प्रस्ताव किया था। मै. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. ने अब इस परियोजना से स्वयं को सम्बद्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस परियोजना को कार्यान्वयन के लिए आगे कार्रवाई मै. वेस्टर्न महाराष्ट्र विकास निगम लि. को करनी होगी।

बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम

1781. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सरकारों को न्यूयार्क में बच्चों के सम्बन्ध में शुरू हुए विश्व शिखर सम्मेलन के अनुसार वर्ष 1991 के अन्त तक बच्चों के कल्याण के लिए कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत में यह प्रक्रिया पहले से शुरू हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे बच्चों को कितना लाभ होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी संबंधित मन्त्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे बच्चों के विकास, उत्तरजीविता और संरक्षण के सम्बन्ध में विश्व घोषणा पर और इस घोषणा के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना पर आगे कार्यवाई करें। विश्व घोषणा के कार्यान्वयन से बाल मृत्यु दर और प्रसूति काल में महिलाओं की मृत्यु दर कम करने, गम्भीर रूप से और सामान्य कुपोषण तथा प्रौढ़ निरक्षरता घटाने के मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। इन लक्ष्यों में सुरक्षित पेयजल और बुनियादी शिक्षा आदि को सबके लिए सुलभ बनाना भी शामिल है।

गर्भ निरोधक टीका

1782. **श्री डो. एम. पुट्टे गौड़ा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोई गर्भ निरोधक टीका विकसित करने में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस टीके और इसके परीक्षण परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त गर्भ निरोधक टीके का प्रचार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां ।

(ख) यह एक एकल इंजेक्शन है जो प्रोटीन के 100 मिलीग्राम प्रति मिली लिटर में अन्त-विष्ट कवक जीवाणु से प्राप्त प्ररकों पर आधारित है । इस इंजेक्शन का नाम "तलसुर" रखा गया है । इस इंजेक्शन का 20000 से भी अधिक स्तनधारियों पर परीक्षण किया गया था । इस एक इंजेक्शन को देने के चार सप्ताह के भीतर इससे चलबीजाणुहीनता उत्पन्न हो गयी । इन परिणामों के आधार पर एन. आई. आई. द्वारा भारत के औषधि नियंत्रक से इसके विपणन के लिए अनुमति प्राप्त कर ली गई है ।

(ग) और (घ) सरकार एन. आई. आई. तथा राज्य सरकारों के माध्यम से सारे देश में फैले हुए अनेक गांवों में इस वैक्सीन के उपयोग में निदर्शन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है । इस इंजेक्शन को संघ शासित क्षेत्रों सहित भारत के 11 राज्यों में आरंभ कर दिया गया है ।

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास

1783. श्री जोस फर्नान्डीज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय न्यास गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह न्यास कब तक गठित कर दिया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विधेयक ब्यौरों सहित, चालू सत्र में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है । ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

चमखोरी में भूटान के साथ लगी सीमा को सील करना

1784. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में चमखोरी में भूटान के साथ लगी देश की सीमा को सील कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत

1785. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाओं पर शांति भंग न होने देने के रास्ते ढूंढने के लिए पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच, नवम्बर, 1990 में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इन बैठकों में सीमा क्षेत्र पर शांति तथा सदभाव बनाए रखने पर बल दिया गया। आशा है इन बैठकों से देशों की सीमा पर तैनात कार्मिकों में विश्वास की भावना पैदा करने में रचनात्मक सहयोग मिलेगा।

जाली करेंसी नोटों का परिचालन

[हिन्दी]

1786. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जाली करेंसी नोटों के परिचालन की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान बरेली से प्रकाशित समाचार पत्र "अमर उजाला" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) जाली करेंसी नोटों के परिचालन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) अपराध को दर्ज करना, जांच करना, पता लगाना और उसकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा जाली करेंसी नोटों के परिचालन संबंधी ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, यह ध्यान रखा जाए कि जाली करेंसी को रखना, प्रयोग करना इत्यादि भारतीय दंड संहिता की धारा 489-क और 489-ङ के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

(ख) प्रश्न में स्थानीय समाचार पत्र "अमर उजाला" में समाचार प्रकाशित होने की तारीख के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक के जारी कार्यालय के काउन्टर पर जाली मुद्रा नोटों का पता चलता है जो इस प्रकार के नोटों को जब्त कर लिया जाता है और नोट/नोटों को देने वाले व्यक्ति से इस प्रकार के नोटों को प्राप्त करने के श्रोतों के बारे में एक लिखित बयान लिया जाता है। बैंक द्वारा जब्त किए गए नोटों को, प्रस्तुतकर्ता के बयान के साथ, आगे जांच पड़ताल और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि जाली मुद्रा का पता लगाने के लिए मुद्रा/बैंक नोटों को इस प्रकार से बनाया जाता है जिससे जाली और असली नोटों का पता लग जाता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता खण्डपीठ में दर्ज सेवा सम्बन्धी मामले

[अनुवाद]

1788. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1989 से नवम्बर, 1990 तक अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह राज्य संघ क्षेत्र से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता खण्डपीठ में कितने सेवा सम्बन्धी मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कितने फैसले अण्डमान और निकोबार राज्य संघ क्षेत्र के प्रशासन के विरोध में सुनाये गये हैं और कितने इसके पक्ष में गये हैं;

(ग) अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा कितने मामलों में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसलों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई;

(घ) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने अपने मामलों की प्रतिरक्षा के लिए सरकारी वकीलों को नियुक्त किया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 120 मामले।

(ख) इस अवधि के दौरान प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कलकत्ता पीठ द्वारा 35 मामले निपटाये गये। इन 35 मामलों में से 16 संघ शासित प्रशासन के पक्ष में, 15 मामले संघ शासित प्रशासन के विपक्ष में गए और 4 मामले आवेदनकर्ताओं द्वारा वापस ले लिये गये।

(ग) 6 मामले।

(घ) और (ङ) सरकारी पैनल के वकीलों के अतिरिक्त अण्डमान और निकोबार ने प्रशासन के वृहत्त हित में हितों को ध्यान में रखते हुए मामलों में बचाव करने के लिए दो अन्य वकीलों की नियुक्ति की थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना

[हिन्दी]

1789. **श्री रामसिंह यादव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या ऐसी और अधिक अदालतें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड से विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गये अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की कुल संख्या दर्शाने वाला राज्यवार विवरण।

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	असम	18
3.	बिहार	13
4.	गोआ	2
5.	गुजरात	18
6.	हरियाणा	12
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	कर्नाटक	20
9.	केरल	14
10.	मध्य प्रदेश	45

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	30
12.	मणिपुर	2
13.	उड़ीसा	13
14.	पंजाब	12
15.	राजस्थान	26 (जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में 6 स्वतंत्र न्यायालय तथा 20 अन्य न्यायालय)
16.	सिक्किम	4
17.	तमिलनाडु	18
18.	त्रिपुरा	3
19.	उत्तर प्रदेश	57
20.	पश्चिमी बंगाल	17
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
22.	चंडीगढ़	1
23.	दमन और द्वीव	1
24.	दादरा और नागर हवेली	1
25.	दिल्ली	1
26.	लक्षद्वीप	1
27.	पांडिचेरी	1

(1) टिप्पणी—अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं होता।

वाहनों के पुर्जों का निर्यात

[हिन्दी]

1790. श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाहनों के पुर्जों को "ओपेन जनरल लाइसेंस" के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या वाहनों के पुर्जों के निर्यात में वृद्धि के लिए कोई योजना बनायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) हालांकि मोटरगाड़ी हिस्से-पुर्जों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये अलग से कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई है, फिर भी सरकार निर्यात के लिये अपने समग्र कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान करती है । इसमें निर्यात बढ़ाने के लिए मोटरगाड़ी पार्टी के निर्माताओं से निरन्तर कार्यवाही, निर्यात संवर्धन के लिए विशिष्ट शिष्टमण्डल प्रायोजित कराना, व्यापार प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेना और आटो-पार्टस तथा मोटरगाड़ी निर्माताओं द्वारा सहयोग के प्रस्तावों को प्रोत्साहन देना शामिल है ।

राजस्थान में केन्द्रीय निवेश

[अनुवाद]

1791. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान अन्य राज्यों में किये गए केन्द्रीय निवेशों की अपेक्षा राजस्थान में बहुत कम केन्द्रीय निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सातवी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान की तुलना में विभिन्न राज्यों को कितना-कितना केन्द्रीय निवेश किया गया;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के लिए किया जाता है । अधिकांश मामलों में ये केन्द्रीय कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य सीमाओं की परिधि को लांघ जाती हैं । इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ भी देशव्यापी होते हैं ।

फिर भी सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (अर्थात 1985-86, 1986-87, तथा 1987-88) के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय योजना व्यय के राज्यवार ब्यौरों का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया था । इन अनुमानों को समाविष्ट करते हुए एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित कार्य चल रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों की रूपरेखा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण-पत्र में दी गई है जिसे सदन के पटल पर दिनांक 24 मई, 1990 को रखा गया है।

विवरण

केन्द्रीय योजना व्यय का राज्यवार ब्यौरा—1985-86 से 1987-88

(करोड़ रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों का जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2105.90	2156.22	2321.37	6583.49
	(13.07)	(11.23)	(11.44)	(11.84)
अरुणाचल प्रदेश	15 97	28.62	54.49	99.08
	(0.10)	(0 15)	(0.27)	(0.18)
असम	713.69	621.80	730.50	2065.99
	(4 43)	(3.24)	(3.60)	(3.72)
बिहार	1133.68	1384.45	1393.83	3911.95
	(7.04)	(7.21)	(6.87)	(7.04)
गुजरात	1109.99	1573.98	1585.63	4269.60
	(6.89)	(8.20)	(7.81)	(7.68)
हरियाणा	253.14	249.46	329.64	832.24
	(1.57)	(1.30)	(1.62)	(1.50)
हिमाचल प्रदेश	200.71	298.54	325 79	825.04
	(1.25)	(1.56)	(1.61)	(1.48)
जम्मू व कश्मीर	197.11	167.02	230.64	594.77
	(1.22)	(0.87)	(1.14)	(1.07)

1	2	3	4	5
कर्नाटक	558.13	687.32	809.89	2055.34
	(3.47)	(3.50)	(3.99)	(3.70)
केरल	441.61	529.34	531.66	1502.61
	(2.74)	(2.76)	(2.62)	(2.70)
मध्य प्रदेश	1976.29	2508.83	1985.79	6380.91
	(12.27)	(13.07)	(9.34)	(11.48)
महाराष्ट्र	1302.28	1522.80	2020.66	4845.74
	(8.09)	(7.93)	(9.95)	(3.72)
मणिपुर	34.33	50.21	69.04	153.58
	(0.21)	(0.26)	(0.34)	(0.28)
मेघालय	24.50	26.49	34.36	85.35
	(0.15)	(0.14)	(0.17)	(0.15)
मिजोरम	13.38	22.13	16.45	51.96
	(0.08)	(0.12)	(0.08)	(0.09)
नागालैंड	27.60	30.08	55.46	113.14
	(0.17)	(0.16)	(0.27)	(0.20)
उड़ीसा	1176.75	951.76	1126.29	3254.80
	(7.31)	(4.96)	(5.55)	(5.85)
पंजाब	254.87	326.03	473.79	1054.69
	(1.58)	(1.70)	(2.33)	(1.90)
राजस्थान	532.23	648.12	773.42	1953.77
	(3.30)	(3.38)	(3.81)	(3.51)
सिक्किम	7.16	7.62	34.56	49.34
	(0.04)	(0.04)	(0.17)	(0.09)

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	827.80	964.45	1069.64	2862.10
	(5.14)	(5.03)	(5.17)	(5.15)
त्रिपुरा	56.82	54.75	58.23	169.80
	(0.35)	(0.29)	(0.29)	(0.31)
उत्तर प्रदेश	1702.30	2568.40	2452.45	6723.25
	(10.57)	(13.38)	(12.08)	(12.09)
पश्चिम बंगाल	974.70	1234.13	1288.73	3497.56
	(6.05)	(6.43)	(6.35)	(6.29)
कुल जोड़ (राज्य)	15640.94	18612.85	19682.30	53936 09
अंडमान और	16.62	63.62	18.63	98.27
निकोबार द्वीप समूह	(0.10)	(0.33)	(0.09)	(0.18)
चंडीगढ़	13.50	12.19	11.58	37.27
	(0.08)	(0.06)	(0.06)	(0.07)
दादरा व नगर हवेली	1.79	2.10	1.70)	5.59)
	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
दिल्ली	366.14	442.38	528.19	1336.71
	(2.27)	(2.30)	(2.60)	(2.40)
गोआ दमन और द्वीव	56.58	53.10	39.42	149.10
	(0.35)	(0.28)	(0.19)	(0.27)
लक्षद्वीप	1.69	2.43	9.29	13.4
	(0.01)	(0.01)	(0.05)	(0.01)
पांडिचेरी	7.64	9.74	7.00	24.38
	(0.05)	(0.05)	(0.03)	(0.04)
कुल जोड़ (संघ रा. क्षे.)	463.96	585.56	615.81	1665.33
कुल आवंटनीय राशि	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42
आवंटनीय राशि	3003.58	4467.82	4977.43	12448.83
कुल जोड़	19108.48	(क) 23666.23	(ख) 25275.54	(ग) 68050.25

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आवटनीय राशि के प्रतिशतता हिस्से दर्शाते हैं।

पादटिप्पणी

(क) "ग्रामीण विकास" के मामले में वास्तविक व्यय (1985-86) आंकड़े वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा दिए गए हैं।

(ख) जोड़ में निम्न शामिल हैं :

(I) "संचार" के लिए वास्तविक व्यय, (1986-87); तथा

(II) "ग्रामीण विकास" के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के संशोधित अनुमान, 1986-87

(ग) जोड़ में निम्नलिखित शामिल हैं :

(I) "संचार" के लिए संशोधित अनुमान, 1987-88; तथा

(II) "ग्रामीण विकास" के संबंध में केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के बजट अनुमान, 1987-88

टिप्पणी

केन्द्रीय योजना निवेश की आयोजना या गणना चूंकि राज्यवार नहीं होती है, अतः ऐसा ब्यौरा तैयार करते समय कुछ पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। हांलाकि इस तरह के कार्य के आधार के रूप मे ये पूर्वानुमान यथासभव उत्तम प्रतीत होते है। फिर भी इनकी वैधता सीमित किस्म की है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं :

(I) रेलवे विभाग में मामले में गाड़ियां किसी भी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके वितरण का अनुमान किसी राज्य विशेष से गुजरने वाले मार्ग के रूट/कि. मी. के आधार पर किया जाता है।

(II) इसी तरह विमानन के मामले में भी, जहां अधिकांश परिव्यय विमानों पर होता है, यह वितरण राज्य विशेष के क्षेत्र में उतरने वाले विमानों की संख्या के अनुमान के आधार पर होता है।

(III) डाक सेवाओं में व्यय के ब्यौरे का अनुमान सर्किल-वार होता है।

चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ आवश्यक आर्थिक घटक इष्टतम रूप से उपलब्ध हैं, अतः इन मामलों में क्षेत्रीय संतुलन के लक्ष्य की संगतता सीमित ही हो सकती है।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1792. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सूची में और कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज होने की संभावना है;

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है;

(घ) रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किये गये अथवा तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में (31.3.1990) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम की तलाश करने वाले व्यक्तियों की संख्या 332.49 लाख थी। तथापि यह उल्लेखनीय है कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज काम की तलाश करने वाले सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं हैं तथा रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक होने के कारण सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज भी नहीं कराते हैं।

(ख) भविष्य में चालू रजिस्टर में और कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज होने की सम्भावना है, इस सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना दृष्टिकोण पत्र में योजना का मुख्य जोर रोजगार पर देने का प्रस्ताव है। इसमें दशक के दौरान रोजगार में 3 प्रतिशत वार्षिक संवृद्धि की परिकल्पना की गई है। रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठाने वाले व्यक्ति उन व्यक्तियों में से भी होंगे जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज है। तथापि उनकी संभावित संख्या का अलग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) रोजगार सजन की कार्यनीति तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे आठवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट किए जायेंगे।

बंगाल पाटरीज लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

1793. श्री अनिल बसु : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगाल पाटरीज लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने इस एकक को अनधिसूचित करने का निर्णय टाटा आर्थिक परामर्श सेवा (टी. ई. सी. एस.) की रिपोर्ट और इसके पुनरुज्जीविन हेतु विभिन्न अन्य विकल्पों पर विचार करने के बाद ही लिया तथा सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसे आर्थिक रूप से जीव्य बनाना संभव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा अर्ध सैनिक बलों पर राकेट से हमला और बैंक लूटा जाना

श्री डी एम. पुट्टे गौड़ा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचार शीर्षक 'मिलिटंट्स फायर राकिट्स इन वैली" की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर घाटी में उग्रवादियों ने अर्ध सैनिक बलों द्वारा अधिकृत एकक भवन पर राकेटों से हमला किया और एक बैंक कर्मचारी से ज्ञात धन राशि लूट ली;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घाटी में राकेट आदि छोड़ने वाले उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचना दी है कि 9.9.1990 की शाम को राम बाग पुल के पास वाले भवन पर एक राकेट से हमला किया गया जिसमें अर्धसैनिक बलों के कार्मिक रहते थे। 5 दिसम्बर, 1990 को कुछ उग्रवादी जम्मू और कश्मीर बैंक की अनन्तनाग शाखा में घुसे और काउन्टरों से 12,900 रु. लेकर भाग गये । 6.12.1990 को हुई एक दूसरी घटना में जम्मू और कश्मीर बैंक के कर्मचारी जब एक उप-शाखा से अनन्तनाग जिले में मुख्य शाखा को पैसा ले जा रहे थे तो उग्रवादी उनसे 3,22,000 रु. छीनने में सफल हो गये ।

सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद तथा अलगाववाद को नियंत्रित करने के लिए और ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए कठोर कदम उठाए हैं जिसमें आसूचना ब्यूरों को सक्रिय बनाना, सुरक्षा बलों द्वारा छानबीन का कार्य करना, सीमा पर निगरानी बढ़ाना और साथ ही साथ सेना, अर्ध सैनिक बलों तथा राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल है।

भीड़-भाड़ वाली सड़कों का प्रयोग करने वाले मोटरवाहन चालकों पर विशेष कर लगाना

1795. श्री डी. एम. पुट्टे गौड़ा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन व्यस्ततम समय के दौरान भारी भीड़भाड़ वाली कतिपय सड़कों को प्रयोग करने वाले मोटरवाहन चालकों पर एक विशेष प्रकार का कर लगाने संबंधी प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजधानी में किन-किन सड़कों को भारी भीड़-भाड़ वाली सड़कों के रूप में माना गया है; और

(घ) मोटरवाहन चालकों पर विशेष कर लगाने सम्बन्ध नई प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) अधिक भीड़भाड़ वाली सड़कों का प्रयोग करने वाले मोटर वाहन चालकों पर एक विशेष कर लगाने का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन नहीं है।

सीमाओं पर संयुक्त गश्त

1796. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सीमाओं पर संयुक्त गश्त का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) मई, 1989 में इस्लामाबाद में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच गृह सचिव स्तर की बातचीत के दौरान हुई सहमति के आधार पर, भारत-पाक सीमा के चुनिन्दा टुकड़ों में 1 जुलाई, 1989 से सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजर्स समन्वित गश्त लगाना शुरु कर दिया है।

जम्मू में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग

1797. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जम्मू की जलवायु को बहुत ही अनुकूल है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू में इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1989—90 और 1990—91 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि रखी गई है।

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) (क) : इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए धूल रहित तथा अपेक्षाकृत कम आर्द्रता वाली जलवायु अनुकूल समझी जाती है। किन्तु इसके अन्य और महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जैसे कि प्रशिक्षित जनशक्ति, परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं

का उपलब्ध होना, बाजार अथवा मुख्य शहरी क्षेत्र का समीप होना जो उद्योग के लिए अनिवार्य है।

(ख) से (ग) केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के सभी अनुमति प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में पूरे देश में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकार सुविधाएं प्रदान करती है तथा राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा अनुमोदनों जैसे मामलों की प्रगति पर निगरानी करता है। जम्मू में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए अब तक 10 औद्योगिक लाइसेंस तथा 65 आशय-पत्र/पंजीकरण जारी किये गए हैं। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 की अवधि के दौरान जम्मू में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए विशिष्ट धन राशि निर्धारित नहीं की गई।

जम्मू में आयुध कारखाना

1798. श्री जनक राज गुप्त क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू में आयुध कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) इस समय में किसी आयुध निर्माणी करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू का आर्थिक पिछड़ापन

1799. श्री जनक राज गुप्त : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं;

(ख) इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जम्मू के मैदानी क्षेत्रों की हालत तो तुलनात्मक रूप से बेहतर है लेकिन जम्मू डिवीजन का बड़ा भू-भाग पहाड़ी तथा अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्र है वहां कम वर्षा होती है और आधारिक संरचना बहुत कम सुलभ है।

(ख) आवश्यक आधारिक संरचना जैसे सड़कें, सिंचाई, जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि की व्यवस्था के लिए विकास योजनाओं के जरिये भारी निवेश किए गये हैं। ये सतत चलने वाले कार्यक्रम हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आठवीं योजना के अन्त तक विद्युतीकरण तथा जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रकों के अन्तर्गत गांवों को शामिल करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू शहर के विकास के लिए पिछले वर्ष एक मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरु किया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी विचाराधीन है तथा इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति

[हिन्दी]

1800. श्री थानसिंह जाटव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को आगे उच्च प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार पदोन्नत किए गये अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अनुसूचित जाति के अधिकारियों के लिए श्रेणी-1 के भीतर पदोन्नति में आरक्षण उस स्थिति में उपलब्ध है, जब पदोन्नति की पद्धति वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता है तथा सम्बन्धित ग्रेड में सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, तो वह 75% से अधिक नहीं होता है।

(ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में सम्पूर्ण भारत सरकार के सम्बन्ध में ऐसी कोई केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

साबुन उद्योग का विकास

1801. श्री थानसिंह जाटव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की आपूर्ति न होने के कारण साबुन का निर्माण करने वाली छोटी यूनिटे बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारी कराधान के कारण ये यूनिटें घाटे में चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो साबुन उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाने के विचार हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) कोई ऐसी विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) साबुन उद्योग के विकास के लिये सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे :

(1) उत्पाद-कर छूट योजना के जरिये स्वदेशी अखाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाना;

(2) देश में औद्योगिक तेलों की मांग तथा पूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए तेलों का आयात करना; और

(3) उचित रूप से निर्मित राजकोषीय प्रणाली को अपनाना।

चमड़े के लघु और कुटीर उद्योग को आघात

1802. **श्री थानसिंह जाटव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के लघु और कुटीर उद्योग को आघात पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रायचूर एफ. एम. ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

1803. **श्री जौस फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रायचूर में आकाशवाणी का "फ्रीक्वेन्सी मोडुलेशन" (एफ. एम.) ट्रांसमीटर प्रसारण के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे प्रसारण के लिए कब तक चालू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) इस ट्रांसमीटर के इस वर्ष के दौरान सेवा के लिए चालू कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

बंगलौर सिटी में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव

1804. **श्री जौस फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992प्रका अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्व बंगलौर सिटी में आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस फिल्मोत्सव के आयोजन के लिये सहमत हो गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

ब्रिगेड परेड मैदान, बंगलौर

1805. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर का ब्रिगेड परेड मैदान रक्षा अधिकारियों के नियंत्रणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इसे बंगलौर सिटी कारपोरेशन को सौंपने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग सेवा संस्थान का अन्यत्र स्थानान्तरण

1806. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से लघु उद्योग सेवा संस्थान को हासन में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि औद्योगिक रूप से पिछड़े इस हासन जिले का विकास किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मारुति 1000 सी. सी. कारों का आवंटन

1807. श्री एच सी श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मारुति 1000 सी. सी. कारें जनता को आबंटित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी कारें आवंटित की गई हैं ;

(ग) इस कार के लिए अब तक कुल कितने लोगों ने बुकिंग कराई हैं;

(घ) मारुति 1000 स्टैण्डर्ड तथा वातानुकूलित माडल की कारों के कारखाना मूल्य क्या है;

(ङ) क्या मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) वर्ष 19:0 के दौरान कितनी 1000 सी. सी. कारें जारी की गई हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) दिनांक 31-12-1990 तक कर्नाटक राज्य के डीलरों को 1000 सी. सी. की 36 मारुति कारें भेज दी गई हैं। ये कारें डीलरों द्वारा उन ग्राहकों को बेची जाती हैं जिनके पास इस माडल के लिये परिपक्व बुकिंग होती है।

(ग) कर्नाटक राज्य में मारुति 1000 सी. सी. कार के लिए रोकी गई बुकिंग की कुल संख्या 920 थी।

(घ) मारुति 1000 सी. सी. कार का कारखाने से निकलते समय का मूल्य (डीलर की कमीशन को छोड़कर) निम्न प्रकार से है :—

(1) मारुति 1000 सी. सी. स्टैंण्डर्ड कार	3, 19, 152.00 रुपये
(2) मारुति 1000 सी. सी. वातानुकूलित कार	3,48,150.00 रुपये

(ङ) जी, नहीं।

(च) 1990 में 926 मारुति 1000 सी. सी. कारें भेजी गई थीं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

1808. श्री कल्पनाथ राय :

श्री के. डी. सुल्तानपुरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के मामलों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) इन समुदायों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) सूचना दो विवरणों (विवरण-1 अनुसूचित जातियों के लिये तथा विवरण-2 अनुसूचित जनजातियों के लिए रूप दी गई है।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 30 जनवरी, 1990 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के अपराधों की पहचान की गई है। ऐसे मामलों से शीघ्र निपटने के लिए प्रभावी तंत्र मुहैया किया गया है। अर्थात विशेष न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करना तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और इन गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोक सेवकों के जो, अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा करते हैं, को

सजा सहित अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को जहां-कहीं आवश्यकता हो, विशेष न्यायालयों का गठन करने और इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का तेजी परीक्षण करने की भी सलाह दी गई है, तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा अत्याचारों की रोकथाम तथा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का संकेत देते हुए 19.6.1990 को सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया था।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा यथा सूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध 1990 के दौरान किए गए अत्याचार के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित अत्याचार के ममालों की संख्या	तक संशोधित
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	348	सितम्बर
2. असम	08	फरवरी
3. बिहार	158	अप्रैल
4. गोआ	—	नवम्बर
5. गुजरात	725	नवम्बर
6. हरियाणा	76	नवम्बर
7. हिमाचल प्रदेश	54	अक्तूबर
8. जम्मू और कश्मीर	36	नवम्बर
9. कर्नाटक	सूचित नहीं किया	
10. केरल	481	सितम्बर
11. मध्य प्रदेश	3985	अक्तूबर
12. महाराष्ट्र	308	अगस्त
13. उड़ीसा	167	सितम्बर
14. पंजाब	18	अक्तूबर

1	2	3
15. राजस्थान	1150	जुलाई
16. सिक्किम	10	अक्तूबर
17. तमिलनाडू	406	सितम्बर
18. उत्तर प्रदेश	524	अक्तूबर
19. पश्चिम बंगाल	01	सितम्बर
20. दादरा और नागर हवेली	01	सितम्बर
21. दिल्ली	05	नवम्बर
22. पांडिचेरी	01	नवम्बर
कुल :	13162	

टिप्पणी :— 1. अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है,

2. लगातार अनुस्मारकों के बावजूद कर्नाटक राज्य सरकार ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराया है,

3. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सम्मिलित आंकड़े प्रस्तुत किए है।

विवरण-2

राज्यों/संघ राज्य प्रशासनो द्वारा यथासूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध 1990 के दौरान किये गये अत्याचार के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित अत्याचार के मामलों की सख्या	तक संशोधित
1	2	3	4
1.	आन्ध्रा प्रदेश	71	जनवरी से जून और अगस्त से सितम्बर
2.	असम	8	फरवरी
3.	बिहार	15	अप्रैल
4.	गोआ	—	नवम्बर

1	2	3
5. गुजरात	104	नवम्बर
6. हिमाचल प्रदेश	—	अक्तूबर
7. जम्मू और कश्मीर	—	नवम्बर
8. कर्नाटक	सूचित नहीं किया	
9. केरल	75	सितम्बर
10. मध्य प्रदेश	955	मई
11. महाराष्ट्र	134	अगस्त
12. मणिपुर	सूचित नहीं किया	
13. मेघालय	—	सितम्बर
14. नागालैंड	—	सितम्बर
15. उड़ीसा	90	अक्तूबर
16. राजस्थान	395	अक्तूबर
17. सिक्किम	9	अक्तूबर
18. तमिलनाडु	2	जनवरी से अगस्त और
19. त्रिपुरा	—	अक्तूबर
20. पश्चिम बंगाल	7	सितम्बर
21. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	अक्तूबर
22. अरूणाचल प्रदेश	—	मार्च
23. दादरा और नागर हवेली	10	नवम्बर
24. दमन और द्वीप	3	नवम्बर
25. लक्षद्वीप	—	नवम्बर
26. मिजोरम	—	अक्टूबर
कुल योग	1878	

टिप्पणी : 1. अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में जानकारी नहीं है।

2. कर्नाटक और मणिपुर की सरकारों ने बार-बार स्मरण पत्र भेजने पर भी मांगे गये आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये।

3. उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इकट्ठे आंकड़े उपलब्ध कराये है जो की विवरण संख्या-1 में दिये गये है।

हिन्दुस्तान समाचार के नाम बकाया राशि

[हिन्दी]

1809. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली पर नवम्बर, 1990 तक भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा योजना, ग्रेच्यूटी, बोनस आदि की कितनी राशि बकाया है,

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन खातों में कितनी धनराशि जमा की गई है, और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने हेतु हाल ही में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30-11-1990 तक मैसर्स हिन्दुस्तान समाचार की ओर भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशि निम्नानुसार थी :—

भविष्य निधि-28, 80, 383.70 रु.

क. रा. बी.-4, 52, 323.23 रु.

उपदान और बोनस के संबंध में कम्पनी के कोई राशि जमा नहीं करनी है। अत: कम्पनी द्वारा देय उपदान तथा बोनस की बकाया राशि से संबंधित सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।

(ख) पिछले पांच वर्षों में कम्पनी द्वारा भविष्य निधि तथा क. रा. बी. की देय राशियों के लिए कोई पैसा जमा नहीं किया गया है।

(ग) भ. नि. तथा क. रा. बी. प्राधिकारियों द्वारा की गई कारंवाई निम्नानुसार है :—

भविष्य निधि (i) क. भ. नि. अधिनियम की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाही शुरू की गई है,

(ii) 12/89 की अवधि तक के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन 45 अभियोजन मामले दायर किये गये हैं।

क. रा. बी. (क) मई, 1990 तक चूक के लिये क. रा. बी. अधिनियम की धारा 45 के अधीन राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

(ख) क. रा. बी. अधिनियम की धारा 85 के अधीन 2 अभियोजन मामले दायर किये गए हैं।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन एक आपराधिक शिकायत पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज की गई है।

नासिक में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

1810. श्री हरि शंकर महाले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालेगांव, नासिक में रात के समय दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाई नहीं देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान टावर के स्थान पर एक शक्तिशाली टावर स्थापित करने का है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम साफ-साफ देखे जा सकें; और

(घ) इस टावर के कब तक बदल दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में स्थापित अल्पशक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर से प्रसारित कार्यक्रमों के रिसेप्शन पर कुछ समय से रात्रि के दौरान दूर के किसी ट्रांसमीटर के असाधारण प्रसारण के विलक्षण सिगनलों के कारण बुरा प्रभाव पड़ा। अत: इस ट्रांसमीटर के स्थान पर दूसरे चैनल का ट्रांसमीटर लगाने की योजना है। लेकिन यह साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिकाएं, अन्य पत्रिकाएं तथा दैनिक समाचार-पत्र

1811. श्री हरि शंकर महाले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

महाराष्ट्र राज्य में इस समय जिलावार कितनी साप्ताहिक पत्रिकाएं, अन्य पत्रिकाएं और दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) :

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखे गए रिकार्ड के अनुसार, महाराष्ट्र से पंजीकृत साप्ताहिकों, पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचारपत्रों की जिलावार संख्या ।

(31.12.89 के अनुसार)

क्र. सं.	जिला	सप्ताह में दो बार/तीन बार छपने वाले साप्ताहिकों सहित दैनिक की संख्या	साप्ताहिक	अन्य पत्रिका
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	13	14	17
2.	अकोला	7	41	17
3.	अमरावती	11	34	23
4.	औरंगाबाद	14	36	20
5.	बीड	7	12	5
6.	भंडारा	8	55	2
7.	बम्बई	50	211	1798
8.	बल्डाना	1	10	6
9.	चन्द्रपुर	5	21	5
10.	धुले	6	25	10
11.	जलगांव	7	36	16
12.	जालना	4	7	2
13.	कोल्हापुर	12	17	36
14.	लादुर	3	4	—
15.	नागपुर	20	47	101
16.	नानदेड़	9	19	8
17.	नासिक	12	57	43
18.	परभनी	6	9	3

1	2	3	4	5
19.	पुणे	20	53	353
20.	रायगढ़	—	1	—
21.	रत्नागिरी	4	16	5
22.	सांगली	10	22	14
23.	सतारा	6	6	21
24.	सिन्धुदुर्ग	1	2	—
25.	शोलापुर	10	18	14
26.	थाणे	6	21	42
27.	उस्मानाबाद	1	11	1
28.	वर्धा	3	29	13
29.	उल्हासनगर	—	1	18
30.	यवतमाल	9	28	11
	कुल	265	843	2604

नई पत्रिकाओं और समाचारपत्रों के लिए महाराष्ट्र से प्राप्त आवेदन पत्र

1812. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पत्रिकाओं, समाचारपत्रों आदि के नामों की मंजूरी के लिए नई दिल्ली स्थित भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में वर्ष 1989-90 के दौरान महाराष्ट्र से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनका जिला-वार तथा भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989-90 से अब तक कितने नामों को मंजूरी दी गयी है;

(ग) इस अवधि के दौरान लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रकाशित न किये जाने के कारण कितने नाम रद्द किये गये; और

(ङ) कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क), (ख) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) शून्य।

विवरण

(1) वर्ष 1989-90 के दौरान, शीर्षकों के सत्यापन के लिए महाराष्ट्र से जिलावार प्राप्त आवेदन-पत्र तथा 3.1.1'91 की स्थिति के अनुसार जिन शीर्षकों को स्वीकृति प्रदान की गई और जिन शीर्षकों को अस्वीकृत कर दिया उनकी संख्या।

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत शीर्षकों की संख्या	अस्वीकृत शीर्षकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	104	54	50
2.	अकोला	114	64	50
3.	अमरावती	94	32	62
4.	औरंगाबाद	54	17	37
5.	बीड़	32	10	22
6.	भंडारा	136	64	72
7.	बम्बई	575	273	302
8.	बुलढाणा	76	23	53
9.	चन्द्रपुर	68	18	50
10.	धुले	75	20	55
11.	जलगांव	128	61	67
12.	जालना	38	18	20
13.	कोल्हापुर	52	30	22
14.	लातुर	22	10	12
15.	नागपुर	38	19	19
16.	नांदेड़	78	38	40
17.	नासिक	125	52	75

1	2	3	4	5
18.	परभनी	38	17	21
19.	पुणे	184	78	106
20.	रायगढ़	33	10	23
21.	रत्नागिरी	72	30	42
22.	सांगली	46	30	16
23.	सतारा	31	9	22
24.	सिन्धुदुर्ग	13	3	10
25.	शोलापुर	140	42	98
26.	थाणे	237	103	134
27.	उस्मानाबाद	58	20	38
28.	वर्धा	27	12	15
29.	उल्हासनगर	53	23	30
30.	यवतमाल	78	29	49
	योग :	2819	1207	1612

II. वर्ष 1989-90 के दौरान, शोर्षकों के सत्यापन के लिए महाराष्ट्र से भाषावार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या

भाषा	प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या
1	2
अंग्रेजी	456
गुजराती	88
हिन्दी	197
मराठी	1837

1	2
उर्दू	168
द्विभाषिक	47
बहुभाषी	38
अन्य भाषाएं	8
योग :	2[illegible]19

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं

1813. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : महाराष्ट्र की उन औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी प्रदान की है तथा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में लगाई जाने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1987	6	1
1988	8	[illegible]
1989	11	[illegible]
1990 (अक्तूबर तक)	4	1

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य से केन्द्रीय क्षेत्र में 30 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार 4776.31 करोड़ रु. अनुमानित व्यय की 31 निर्माण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जोधपुर और जयपुर खण्डपीठों में रिक्तियों का भरा जाना

1814. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या प्रधान मंत्री 3 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जोधपुर और जयपुर खण्डपीठों में सदस्यों की रिक्तियां भर दी गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है;

(ग) इन खण्डपीठों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आज तक कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारी संख्या में लम्बित मामलों को देखते हुए न्यायाधिकरण की इन खंडपीठों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का राजस्थान में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की और अधिक खण्डपीठ स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो ये खंडपीठ किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी नहीं। रिक्तियां अभी भरी जानी हैं। सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जोधपुर तथा जयपुर स्थित न्यायपीठों सहित विभिन्न न्यायपीठों में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार इन रिक्त पदों को शीघ्र ही भरे जाने की सम्भावना है।

(ग) जोधपुर तथा जयपुर स्थित न्यायपीठों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों की संख्या 3502 (विभिन्न न्यायालयों से स्थानांतरित मामले 1047 तथा नए चलाए गए मामले 2455) है।

(घ) और (ङ) गत वर्ष केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जयपुर में न्यायपीठ को मंजूरी दी गई थी और राजस्थान में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की और अधिक न्यायपीठें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

18.5. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में वर्षवार और जिलेवार कौन-कौन से आकाशवाणी केन्द्र, दूरदर्शन केन्द्र, रिले केन्द्र, टावर और स्टुडियो स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का अजमेर के टाटागढ़ पर्वत में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन टावर स्थापित करने का विचार है ताकि बेवाड़, विजयनगर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकरी, पुष्कर, सारबद और निकटवर्ती जिलों के दर्शक दूरदर्शन कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से देख सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राजस्थान के उन स्थानों (जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर स्थापित किए गए थे) के वर्षवार नामों का ब्यौरा देते हुए एक विवरण संलग्न है। तथापि, इसी अवधि के दौरान राज्य में किसी आकाशवाणी केन्द्र को सेवा के लिए चालू नहीं किया गया।

(ख) इस समय अजमेर जिले की तारागढ़ पहाड़ी में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

वर्ष	जिला
1988	सिरोही
	पाली
	नागौर
	डुंगरपुर
	चित्तौड़गढ़
	बांसवाड़ा
1989	सवाईमाधोपुर
	गंगानगर
	अजमेर
	बूंदी
	चुरू
	भरतपुर
	जालौर
	झुनझुनू
	झालावाड़
	सीकर
	टोंक
	जयपुर
1990	जयपुर

राजस्थान का औद्योगिक विकास

1816. प्रो रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए सरकार की विशेष योजनाएं क्या हैं;

(ख) अजमेर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) किसी राज्य का औद्योगीकरण करना मूलतः सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को कई प्रोत्साहन देती है, जैसे—औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी में प्राथमिकता, रियायती वित्त आदि। केन्द्र द्वारा अधिसूचित राजस्थान के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमी उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

(ख) जिला अजमेर पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था। क्योंकि यह किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए निर्धारित किए गए मापदण्डों को पूरा नहीं करता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर संस्कृत में कार्यक्रमों का प्रसारण

1817. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से संस्कृत भाषा में प्रसारित कार्यक्रमों का क्रमशः वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वेद, उपनिषद् गीता, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रन्थों से अंग्रेजी और हिन्दी में प्रसारित कार्यक्रमों की अवधि कितनी-कितनी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आकाशवाणी के 49 केन्द्रों से संस्कृत भाषा में, प्रत्येक वर्ष 500 घंटे से अधिक अवधि के कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

विभिन्न फार्मेटों में संस्कृत कार्यक्रम मुख्यतया दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली द्वारा चैनल-1 और 2 पर प्रसारित किए जाते हैं। प्रातःकालीन प्रसारण में शुक्रवार को नियमित रूप से 15 मिनट का संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा, अन्य केन्द्र भी कभी-कभी संस्कृत के कुछ कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रसारित/टेलीकास्ट संस्कृत कार्यक्रमों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किया गया है।

(ख) दूरदर्शन ने रामायण (उत्तर रामायण सहित) और महाभारत पर प्रायोजित टी. वी. धारावाहिक प्रसारित किए हैं जिनकी कुल अवधि लगभग 9957 मिनट बैठती है।

चूंकि आकाशवाणी के केन्द्रों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए केन्द्रीय रूप से यह सूचना संकलित नहीं की गई है।

कश्मीर में जम्मू कश्मीर मुक्ति संगठन (जे. के. एल. एफ.) के प्रशिक्षण केन्द्र

1818. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर मुक्ति संगठन (जे. के. एल. एफ.) के प्रशिक्षण केन्द्र चलाने जा रहे हैं और उनकी गतिविधियों को दर्शाने वाले वीडियो कैसेट भी बाजार में आसानी से उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों के होने के बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है। उन्होने आगे बताया कि उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित कुछ वीडियों कैसेट प्रकाश में आए हैं।

(ख) राज्य में अलगवादी गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कारंवाई की जा रही है।

महिलाओं और शिशुओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम

[अनुवाद]

1819. **श्री बी. देवराज** :

श्री राजमोहन रेड्डी :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पर विशेष बल देते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं और शिशुओं के विकास के लिए कोई कारगर योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इससे महिलाओं और शिशुओं का कितना विकास होने की संभवना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) महिला और बाल विकास विभाग ने महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार कर लिये हैं। परन्तु, इसका कार्यक्षेत्र, अन्तर्विषय और परिव्यय आठवीं पचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगा।

टी वी. उद्योग को निर्यात में रियायतें

1820. श्री वी. देवराजन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान संकट को देखते हुए टी. वी. उद्योग को निर्यात में कुछ रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) श्याम तथा श्वेत टी. वी. रिसीवरों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने वीडियो टेप डेक मैके-निज्म तथा संघटक पुर्जों से युक्त (पापुलेटिड) लगे हुए मुद्रित परिपथ बोर्डों के आयात के लिये श्याम तथा श्वेत टी. वी रिसीवरों के निर्यात के मामले में जारी किए गए प्रतिपूर्ति लाइसेंसों में समर्थन की अनुमति प्रदान की है। इससे निर्यात कर्ताओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने सुविधा होगी।

घुसपैठ को रोकना

[हिन्दी]

1821. श्री बालेश्वर यादव :
श्री राजमोहन रेड्डी :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
कुमारी उमा भारती :
क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादियों को घुसपैठ और सीमा पार से हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार का विचार पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा सुरक्षा बल के पीछे सेना तैनात करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो घुसपैठ और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सरकार सीमा-वर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखता है तथा सम्पूर्ण प्रतिरक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल को सशक्त बनाया गया है, अधिक सीमा चौकियों की स्थापना की गई है तथा अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। गहन गश्त लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराए गए हैं तथा घुसपैठ करने वालों का पता लगाने के लिए टेलिस्कोपिक दूरबीन जैसे संवेदनशील उपकरण दिए हैं। पंजाब की सीमा पर संवेदनशील क्षेत्र में कांटेदार तार की बाड़ तथा फलड लाईट लगाई गई है।

औद्योगिक विकास

1822. श्री आर. एन. राकेश :

डा. चिन्ता महोन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के प्रारम्भ से ही औद्योगिक विकास की गति निरन्तर रूप से धीमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान औद्योगिक विकास की दर के सम्बन्ध में तिमाही वार निर्धारित लक्ष्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक विकास की दर में आगे और गिरावट न आने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित सितम्बर, 1990 तक उपलब्ध औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान समग्र विकास दर 11.7 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4.3 प्रतिशत थी।

(ख) औद्योगिक विकास की दर के सम्बन्ध में तिमाही-वार निर्धारित लक्ष्यों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार के प्रस्तावित अवसर

1823. श्री आर. एन. राकेश :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 1990 में रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान रोजगार के कितने अवसर जुटाने का विचार है;

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले वित्त वर्ष के आरम्भ में कुल कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) आठवीं योजना के दृष्टिकोण में विहित प्रस्ताव के अनुसार, रोजगार अवसरों के विस्तार की, विकास प्रयास के केन्द्रीय फोकस के रूप में परिकल्पना की गई है। रोजगार अवसरों में 1990 के दशक में 3 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि प्रस्तावित है। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं तथा आठवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट किए जाएंगे। सृजित या संभावित रूप से सृजित होने वाले रोजगार के अनुमान अलग-अलग वर्षों के लिए नहीं लगाये गये हैं।

"खादी श्रमिक : मजदूरी में वृद्धि जरूरी" शीर्षक से समाचार

1824. **श्री आर. एन. राकेश :**
डा. चिन्ता मोहन :
क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 नवम्बर, 1990 के नव भारत टाइम्स में "खादी श्रमिक: मजदूरी में जरूरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत श्रमिकों का वार्षिक वेतन बहुत ही कम है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार ने इन श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग (के. वी. आई. सी.) ने विभिन्न खादी और ग्रामीण उद्योग संस्थानों में लागू किए जाने के लिए उजरती दर के आधार पर मजदूरी की एक प्रणाली निर्धारित की है। खादी और ग्रामीण उद्योग सैक्टर में पूर्णकालिक के साथ ही अंशकालिक रोजगार भी है। मजदूरी की राशि निर्धारित मजदूरी की उजरती दर के अनुसार कर्मकार द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करती है। ग्रामीण उद्योगों के मामले में प्रतिष्ठानों द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि मुख्यत: सहकारी क्षेत्र में हैं, जो एक उद्योग से दूसरे उद्योग तथा एक

कार्य से दूसरे कार्य में अलग-अलग होता है। तथापि, ग्रामीण उद्योग में एक कारीगर की औसत दैनिक कमाई लगभग 20 रु. (बीस रुपए) प्रति दिन है।

(घ) और (ङ) क्योंकि खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में कार्यरत कर्मकार के. वी. आई. सी. के कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए सरकार इन संस्थानों द्वारा नियोजित कर्मकारों की मजदूरी निर्धारित नहीं करती। तथापि के. वी. आई. सी. समय समय पर कर्मकारों की मजदूरी में संशोधन करती है। यह संशोधन कीमत स्तर में होने वाली सामान्य वृद्धि पर निर्भर करता है।

महिला मजदूरों की कार्य और जीवन-यापन सम्बन्धी परिस्थितियां

[अनुवाद]

1825. **श्री रामेश्वर प्रसाद :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारी पैमाने पर महिला मजदूर नियोजित करने वाली बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य निर्यातोन्मुख उद्योगों को इस आशय के समुचित निर्देश जारी करने का विचार है कि वे महिला मजदूरों को कार्य करने एवं जीवन यापन की निष्पक्ष और न्यायोचित परिस्थितियां उपलब्ध कराएं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1946 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बीडी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 आदि जैसे कई श्रम कानून हैं जो नियोक्ताओं तथा उनके महिला कर्मकारों पर रात्रि कार्य पर प्रतिबन्ध, अनिवार्य विश्राम, समान पारिश्रमिक की अदायगी तथा भर्ती में महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव पर रोक और अन्य सेवा शर्तें, प्रसूति लाभ, शिशु कक्ष सुविधाओं, अलग शौचालय, धुलाई सुविधाओं आदि के लिए बाध्य करते हैं। ये उपबन्ध सभी नियोक्ताओं पर लागू हैं, जिनमें बहु राष्ट्रीय तथा निर्यात उन्मुख उद्योग शामिल हैं, अतः विशेषतः बहु राष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य निर्यातोन्मुख उद्योगों को निदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

स्कूटरों की उत्पादन लागत

1826. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दो पहिये वाले स्कूटरों और तीन पहियों वाले आटो रिक्शाओं का उत्पादन करने वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन वाहनों का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) इन कम्पनियों की लागत लेखा रिपोर्टों के अनुसार स्कूटरों और आटो-रिक्शाओं की उत्पादन लागत कितनी है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) दो पहियों

वाले स्कूटरों और तिपाहियों के प्राइवेट क्षेत्र के मुख्य उत्पादन कर्ताओं के नाम तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित किये गये वाहनों की संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय निष्पादन, क्षमता उपयोग बिक्री लागत सहित विभिन्न निवेशों की लागत और सीमान्त लाभ जैसी सूचना शामिल होती है। इन मामलों के उत्पादन लागत को प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा।

विवरण

क्र. सं.	प्राइवेट क्षेत्र में मुख्य उत्पादकों के नाम	उत्पादन		
		1988-89	1989-90	1990-91 (नवम्बर, 1990 तक)
दो पहिये वाले स्कूटर				
1.	बजाज आटो लिमिटेड	428637	542468	392660
2.	गुजरात नर्मदा आटो मिमिटेड	30232	22823	15414
3.	कायनेटिक होंडा लिमिटेड	39549	60211	48931
4.	एल. एम. एल. लिमिटेड	135001	145225	113106
5.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	91500	101251	74189
तीन पहिये वाले स्कूटर				
1.	बजाज आटो लिमिटेड	66460	74209	54657
2.	आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड	12271	10041	6523

उड़ीसा में ग्रामीण औद्योगिकीकरण के संवर्धन के संबंध में दिशा-निर्देश

1827. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सम्बद्ध विभाग/एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्य करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटक तथा तीर्थ स्थानों का प्रचार

[हिन्दी]

1828. **श्री तेज नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पर्यटक तथा तीर्थस्थानों का प्रचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार के गया के तीर्थ स्थानों, जहां काफी संख्या में तीर्थयात्रा प्रतिवर्ष यात्रा पर आते हैं, पर एक कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि, नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) दूरदर्शन का गया जैसे स्थानों सहित पर्यटक-एवं तीर्थस्थलों पर उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयास रहता है। तथापि, यह कार्य दूरदर्शन कार्यक्रम अपेक्षाओं और संसाधनों पर निर्भर करता है।

दूरदर्शन पर "बाइबिल"/ईसा मसीह के सम्बन्धित धारावाहिक का प्रसारण

[अनुवाद]

1829. **प्रो. के.वी. थामस :**

श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री वी. कृष्ण राव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बाईबल"/ईसा मसीह से संबंधित कोई धारावाहिक प्रसारण के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूरदर्शन पर कब तक दिखाया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने "बाइबल स्टोरीज" धारावाहिक की "पायलट" कड़ी का अनुमोदन कर दिया है। लेकिन निर्माताओं ने दूरदर्शन को प्रथम चार कड़ियां अभी तक उपलब्ध

नहीं कराई हैं। दूरदर्शन इन चार कड़ियों के प्राप्त होने तथा सम्बद्ध चयन समिति उनका अनुमोदन कर दिये जाने के बाद ही इसके प्रसारण कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेगा।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा

1830. श्री जी एस. बसवराज :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

डा. चिन्ता मोहन :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

प्रो. यदुनाथ पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की समीक्षा करने का विचार है जैसाकि 22 नवम्बर, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निरन्तर घाटे में चल रहे उपक्रमों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो इन उपक्रमों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है।

(घ) क्या सरकार का इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए इन्हें निजी हाथों में देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 47 उद्यम है जो गत पांच वर्ष से लगातार घाटे में चल रहे हैं। 31.3.1989 तक इन उद्यमों में 6855 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया है। घाटा उठा रहे उद्यमों सहित, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के कार्यचालन की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संदर्भ में सम्बद्ध मन्त्रालय/विभाग द्वारा अलग-अलग उद्यमों के आधार पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

आकाशवाणी से हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

1831. श्री जी.एस. बासवराज :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव :

श्री छेदी पासवान :

श्री नानी भट्टाचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर, चण्डीगढ़ और पंजाब के अन्य आकाशवाणी केन्द्रों एवं सिलचर से भी हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या आकाशवाणी के क्षेत्रीय हिन्दी समाचार यूनिट को चण्डीगढ़ से रोहतक स्थानान्तरित किए जाने की सम्भावना है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इन प्रसारणों को कब तक पुन: चालू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सुरक्षा के गम्भीर खतरे को देखते हुए आकाशवाणी, चण्डीगढ़ के स्टाफ ने दिनांक 10.12.1990 से क्षेत्रीय हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण रोक दिया था तथा आकाशवाणी जालंधर ने भी इस बुलेटिन का प्रसारण नहीं किया था। तथापि, आकाशवाणी, जालंधर ने हिन्दी में केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों का रिले किया जाना बराबर जारी रखा है। आकाशवाणी, सिलचर ने अपने नियत प्वाइंट चार्ट में छमाही संशोधन के परिणामस्वरूप तीन समाचार बुलेटिनों का प्रसारण बन्द कर दिया था;

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) और (च) सरकार ने आकाशवाणी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। दिनांक 18 दिसम्बर, 1990 से आकाशवाणी, चण्डीगढ़ से सभी हिन्दी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शुरू हो गया है तथा आकाशवाणी, जालंधर से पहले की तरह समाचार बुलेटिनों का प्रसारण जारी है।

चीनी उद्योग के लिए तीसरे वेतन बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1832. **श्री जी. एस. बासवराज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के लिए तीसरे वेतन बोर्ड की सिफारिशें सभी चीनी उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने ये सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की है और इसके क्या कारण है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) कुल मिलाकर गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों मे तीसरे चीनी उद्योग

मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने तीसरे चीनी उद्योग मजदूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए वेतन तथा भत्तों से भी अधिक दिया है।

(ग) पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रक्षेपास्त्र

1833. श्री बी. एस. बासवराज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्र बनाने में तकनीकी विशेषता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सेना में इन लम्बी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को किस सीमा तक सम्मिलित किया जायेगा, और

(ग) क्या इसे और सुदृढ़ करने हेतु कोई अन्य कार्य योजना तैयार की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1989 में जिस "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया गया था वह लम्बी दूरी पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी स्थापित करने की दिशा में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मात्र थी। इसकी क्षमताओं को बढ़ाने अथवा इसे सेना में शामिल करने की आगे कोई कार्य-योजना नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के नजरबन्द व्यक्ति

1834. श्री प्यारे लाल हांडू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और कश्मीर के कितने नजरबन्द व्यक्तियों को राज्य क्षेत्र से बाहर की जेलों में रखा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया कि 26.11.90 की स्थिति के अनुसार 328 नजरबन्द व्यक्तियों को राज्य से बाहर की जेलों में रखा गया।

भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

1835. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिये कोई पेंशन योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या प्रस्तावित पेंशन योजना में दोनों एयर लाईनों सहित सभी केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों को शामिल किये जाने की सम्भावना है,

(घ) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी भी ऐसी ही कोई योजना शुरू किये जाने की मांग कर रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो क्या उनको भी प्रस्तावित पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी नहीं। तथापि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय न्यास बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि इस समय विचार कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगी। तथापि दो एयरलाइन्स निगम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसलिए इनमें काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रस्तावित पेंशन योजना लागू नहीं होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं। जिन बैंक की शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हैं वे अभी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती हैं और इसलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों पर प्रस्तावित पेंशन योजना लागू नहीं होगी।

तत्कालीन शासकों से शाही वस्तुओं की वापसी

1836. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों से रियासतें भारत संघ में मिलाते समय रत्नों आभूषणों और शाही वस्तुओं को अपने पास रखने की इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि अधिकृत सरकारी एजेंसियां समय समय पर उनका निरीक्षण करेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्पष्ट किया गया था कि ये शाही वस्तुएं तत्कालीन शासकों के निजी आभूषणों से अलग थी;

(ग) यदि हां, तो क्या संविधान में 26वीं संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप 28 अक्तूबर, 1972 को जारी निर्देश के बाद इन शाही वस्तुओं को उत्सवों आदि के समय पर प्रयोग करने की शर्त समाप्त हो गई है; और

(घ) क्या सरकार अब भूतपूर्व शासकों को इन शाही वस्तुओं को सरकार को वापस करने का सुझाव देगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ होने के बाद हुकूमत शाही की सरकारी मान्यता वापस ले ली गई है और इन शाही वस्तुओं को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए राज्य सरकारें भूतपूर्व शासकों को उन शाही वस्तुओं को वापस करने के लिए कह सकती है जो कि राज्य की सम्पत्ति है, परन्तु वे भूतपूर्व शासकों के पास पड़ी हैं ।

बंधुआ मजदूर

1837. डा. वेंकटेश काबड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1990 तक देश में कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया,

(ख) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में काफी संख्या में बंधुआ मजदूरों का पता चला है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें मुक्त कराकर उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगलादेश की सीमा पर रहने वाले भारतीयों को परिचय पत्र जारी करना

1838. डा. दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगला देश की सीमा के आस-पास रहने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों को फोटो लगे परिचय पत्र जारी करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार द्वारा असम, बिहार, मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में लोगों को फोटो लगे पहचान पत्र जारी करने की योजनाओं को बनाने का अनुरोध किया गया है ।

हैल्थ अक्यूपेशन सेफ्टी और रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से बातचीत

1839. डा. दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैल्थ अक्यूपेशन सेफ्टी, बौद्धिक क्षमता का विकास और रोजगार की क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से बातचीत की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) : व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनाओं, कौशलों के विकास तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि, जो सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ वार्ता की है, तथा उसके लिए सरकार द्वारा निधि के आबंटन संबंधी ब्यौरे विवरण-विवरण-2 और विवरण-3 के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-1

भारत में प्रमुख दुर्घटना जोखिम पद्धति की स्थापना तथा प्रारम्भिक संचालन

इस परियोजना का उद्देश्य उन औद्योगिक क्रियाकलापों से होने वाले जोखिमों को रोकना है जिनमें कर्मकारों तथा किसी कारखाने के निकट जनसंख्या को गम्भीर चोटें लग सकती हैं। वर्ष 1987 में आरम्भ की जाने वाली परियोजना जनवरी, 1991 के अन्त तक पूरी की जानी है। इस परियोजना के अधीन अमेरिका का योगदान 1,643,020 डालर है। भारत सरकार, तथा परियोजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारों का योगदान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के लिए सुविधाएं प्रदान करना तथा प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रण सलाहकार प्रभाग और जोखिम-पूर्ण पदार्थों संबंधी आंकड़ा बैंक, केन्द्रीय श्रम संस्थान में प्रमुख दुर्घटना संस्थापनों आदि, तथा क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और राज्य कारखाना निरीक्षकों के मुख्यालयों में सलाहकार सैलों की स्थापना करना है।

विवरण 2

परियोजना : एन. सी./सी. एन. सी. (सांख्यिकीय रूप से नियंत्रित/कम्प्यूटीकृत सांख्यिकीय रूप से नियोजित) प्रशिक्षण सुविधाओं तथा उच्च प्रशिक्षण संस्थान कानपुर तथा बम्बई में कार्यक्रमों को शुरू करना

(ख) वर्ष 1987 में उच्च प्रशिक्षण संस्थान (उ. प्र.) मद्रास में आरम्भ किए गए कार्यक्रमों के आधार पर एन. सी./सी. एन. सी. आपरेटरों, एन. सी. प्रोग्रामरों, मैंटीनेंस तकनीशियनों, अनुदेशकों तथा सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक परियोजना उच्च प्रशिक्षण

संस्थान कानपुर तथा बम्बई में प्रारम्भ की गई। परियोजना दस्तावेज पर 14.6.1989 को भारत सरकार तथा यू. एन. डी. पी. के बीच कार्यकारी एजेन्सी के रूप अ. श्र. स. के साथ हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अवधि दो वर्ष है परन्तु इसे बढ़ाये जाने की संभावना है क्योंकि उपस्कर तथा अन्य सामग्री की सप्लाई और मौजूदा कार्यस्थल भवनों मे परिवर्तन करने में देरी हुई है। 700,000 डालर का यू. एन. डी. पी. द्वारा निवेश निम्नानुसार दिया गया है।

(क) परियोजना कार्मिक	—	140,600
(ख) प्रशिक्षण फैलोशिप	—	195,000
(ग) उपस्कर	—	360,000
(घ) विविध	—	4,400
		700,000

(ग) इस परियोजना में भारत सरकार ने 6,302,000 रु. का निवेश निम्नानुसार किया है:—

(i) वेतन	—	8,02,000 रु.
(ii) उपस्कर	—	5,500,000 रु.

विवरण

परियोजना : प्राक्योरमेन्ट सर्विसेज-हाई-टेक-इक्विपमैन्ट की व्यवस्था

"प्राक्योरमेन्ट सर्विसेज-हाई टेक-इक्विपमेन्ट की व्यवस्था" पर परियोजना के दस्तावेज पर भारत सरकार तथा यू. एन डी. पी. के बीच इसकी कार्यकारी एजेन्सी आई. एल. ओ. के साथ 14.6.1989 को हस्ताक्षर किये गये हैं। इस परियोजना का उद्देश्य विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत हाई-टेक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा संपादन विशेषज्ञों और तकनीकी विशेष विवरणों तथा बिडींग दस्तावेजों की तैयारी के लिए व्यवस्था करना और रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्मिकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बिडिंग (आई सी बी.), प्रक्रिया के प्रयोग तथा कम्प्यूटर समेकित संपादन प्रचालन में प्रशिक्षण देना है। हाई-टेक उपकरणों का संपादन रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय, श्रम मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के पूरा होने के बाद किया जाएगा। इस परियोजना की अवधि एक वर्ष तथा छह माह है जिसे पाठ्यक्रम विकास के लिए अतिरिक्त निवेश के कारण 6 महीने अर्थात् सितम्बर, 1991 तक बढ़ा दिया गया है। यह परियोजना 1 अक्टूबर, 1989 से पहले से शुरू कर दी गयी है। परियोजना में यू. एन. डी. पी. का योगदान 784,200 अमेरीकन डालर है।

2. मुख्य रूप से परियोजना स्टाफ के वेतन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार का योगदान 4.665 लाख रुपये है।

केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान का स्थानांतरण

[हिन्दी]

1840. श्री हरीश रावत प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान को सहारनपुर स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सहारनपुर में संस्थान की स्थापना के लिए चुना गया स्थल पर्यावरण से उपयुक्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए संस्थान को वापस देहरादून ले जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : जी हां।

(ख) और (ग) सहारनपुर में संस्थान हेतु कार्य-स्थल का चयन करते समय सभी प्रासंगिक संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। संस्थान को देहरादून स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों/छोटे नगरों से प्रकाशित पाक्षिक पत्रिकाओं की समस्यायें

1841. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक और पाक्षिक समाचारपत्रों को विज्ञापन और अखबारी कागज का कोटा कम मिलने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां तो ऐसे पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या का पता लगाने हेतु, जिनका प्रकाशन वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रत्येक वर्ष के बीच में बंद हो जाता है, कोई अध्ययन शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कुल पत्रों और पत्रिकाओं को देखते हुए इन पत्रों और पत्रिकाओं का प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या सरकार का इन पत्रों को कठिनाइयों का अध्ययन कर इन्हें हल करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) इस प्रकार की कोई जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) और (ग) वित्तीय कठिनाईयों के कारण, प्रत्येक वर्ष बीच में ही जिन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हो जाता है, उनकी संख्या का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) से (च) लघु तथा मझौले समाचार पत्रों के लिए अगस्त, 1988 में गठित विशेषज्ञ समिति ने हाल ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सांप्रदायिक दंगा-प्रवण जिला

[अनुवाद]

1842. श्री एम रामन्ना राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सांप्रदायिक दंगा-प्रवण जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या देश में सांप्रदायिक दंगा प्रवण जिलों की संख्या में कमी आई है अथवा वृद्धि हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भाग (ख) तथा (ग) में मांगी गई सूचना बताना लोकहित में उचित नहीं होगा।

आप्रवासी श्रमिकों के बारे में सर्वेक्षण

1843. श्री ए. के. ए. अब्दुल समद : :क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आप्रवासी श्रमिकों के बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आप्रवासी श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या रन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रवास करके आए श्रमिकों की समस्याओं पर गौर करने हेतु सम्बद्ध राज्य सरकारों ने निरीक्षकों अथवा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की है। और

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी पर अनधिकृत कब्जा

1844. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर, 1990 को जयपुर स्थित आकाशवाणी पर कब्जा किया गया था ?

(ख) रेडियो स्टेशन को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों को गैर-कानूनी कब्जे से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) रेडियो स्टेशन, जयपुर में पहले से ही आवश्यक सुरक्षा उपाय विद्यमान हैं।

(ग) क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से उनके संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित रेडियो स्टेशनों और दूरदर्शन केन्द्रों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

1845. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दिसम्बर, 1989 से 31 अक्तूबर, 1990 की अवधि में पश्चिम बंगाल की विभिन्न परियोजना-वार कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष के आधार पर वार्षिक रूप से क्षेत्रवार आवंटन किया जाता है। विकास के मुख्य शीर्षों के अनुसार वर्ष 989-90 तथा वर्ष 1990-91 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के लिए अनुमोदित परिव्यय विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

विकास के मुख्य शीर्ष	अनुमोदति परिव्यय	
	1989-90	1990-91
1	2	3
1. कृषि व संबंद्ध सेवायें	7263	8466

1	2	3
2. ग्रामीण विकास	5883	9654
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1913	2051
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	11460	13976
5. ऊर्जा	38628	41018
6. उद्योग एवं खनिज	9577	14359
7. परिवहन	6591	7060
8. संचार	—	—
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	203	240
10. सामान्य आर्थिक सेवायें	2283	2528
11. सामाजिक सेवायें	26450	31792
12. सामान्य सेवायें	1249	1656
कुल जोड़	111500	132800

उड़ीसा में बंगला देश के शरणार्थी

1846. श्री डी. आमत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आए कितने शरणार्थी उड़ीसा के तटवर्ती/जिलों में बस गए हैं;

(ख) क्या इनके बसने से स्थानीय लोगों के सामाजिक और व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थानीय जनता के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) बंगला देश के स्वतन्त्र होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो उस देश से भारत में आया था, उसे सरकार द्वारा शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, 25.3.1971 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 3259 शरणार्थी परिवारों को उड़ीसा के विभिन्न जिलों में बसाया गया। इसके अलावा, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 16,577 शरणार्थी परिवारों को उड़ीसा के कोरापुट जिले में दंडकारण्य परियोजना में बसाया गया। इन शरणार्थियों के बसाए

आने से स्थानीय निवासियों के सामाजिक तथा व्यावसायिक हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान जत्था

1847. श्री रमेश चेन्नीथाला

श्री ए. के. राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में जो विज्ञान जत्था भारत आया था उसके व्यय, उपलब्धि तथा कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए वर्ष 1991 में इसे पुनः शुरू करने की कोई योजना बनाई गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) (1) भारत जन विज्ञान जत्था—1987 पर व्यय लगभग 173 लाख रुपये भारत सरकार का योगदान लगभग 61 लाख रुपये।

(2) उपलब्धियां :

— विज्ञान लोकप्रियोकरण के एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए देश भर में फैले कुछेक 26 स्वैच्छिक संगठनों को गतिशील बनाना।

— परिणाम के रूप में भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए देश के विभिन्न भागों से काफी बड़ी संख्या में अतिरिक्त समूहों और व्यक्तियों का पता लगाया गया तथा उन्हें उत्प्रेरित किया गया,

— इस कार्यक्रम के द्वारा 70-80 लाख लोगों तक सीधे पहुंचा गया तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्रों के विविध विस्तारों से परिचित कराया गया,

— विभिन्न विषयों में काफी बड़ी संख्या में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के साफ्टवेयर को विकसित और वितरित किया;

(3) कार्य-निष्पादन :

— कवरेज : 25,000 किलोमीटर, 500 पड़ाव, लगभग प्रत्येक राज्य और केन्द्र-शासित क्षेत्र में;

— मुख्य विषय : स्वावलम्बन, राष्ट्रीय एकता, जनविज्ञान आंदोलन।

(ख) कार्यक्रम को समाप्त नहीं किया गया है अपितु इसे एक समयबद्ध परियोजना के रूप में पूरा किया गया।

(ग) द्वितीय भारत जन-विज्ञान जत्थे को 1992 में संचालित करने का प्रस्ताव है। यह एक प्रमुख विज्ञान संचार होगा तथा यह संभवतया एक प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना पैदा करने में योगदान देगा।

कल्याणवास, दिल्ली में असुरक्षित फ्लैट

[हिन्दी]

1848. श्री हरीश पाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा कल्याणवास रिहायशी कालोनी में निर्मित फ्लैट असुरक्षित घोषित किये गए हैं, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं :

(ख) इस संबंध में कितने आवंटितियों को सूचित किया गया है और उनमें से कितनों ने ये फ्लैट खाली कर दिये हैं :

(ग) क्या सरकार ने तत्सम्बन्धी कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की है :

(घ) सरकार ने उन आवंटितियों को जिन्हें फ्लैट खाली करने को कहा गया है ; नये फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वर्ष 1977 और 1979 के बीच कल्याणवास के फ्लैटों का निर्माण किया गया था और जिन्हें 1980 में जनरल पूल के आवास के लिये दिल्ली प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था। 1988 में टाईप "ए" के 64 मकानों को छत से पानी रिसने के कारण असुरक्षित घोषित किया गया था। यह मकान खाली पड़े हैं। जुलाई, 1990 में टाईप "बी" के 255 मकानों के वरटीकल शैफ्ट में दरार पायी गयी। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा 210 आवंटितियों को मकानों को खाली करने के नोटिस जारी किये गये थे क्योंकि उन्हें रिहायशी आवास के योग्य असुरक्षित पाया गया। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा इन मकानों का निरीक्षण करने के लिये 3 अभियंताओं की एक टीम नामित की गई थी। टीम की रिपोर्ट के अनुसार, इन मकानों के बनावटी स्थायित्व को तुरंत कोई खतरा नहीं है तथा इस अवस्था मे मकानों को खाली कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीम द्वारा दी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि दीवारों में दिखने वली दरारों में किसी प्रकार की भराई नहीं है। टीम ने अन्य बातों के साथ साथ कुछ मरम्मत किये जाने की सिफारिश की है। समिति के निष्कर्षों को ध्यान रखते हुए इन मकानों को खाली नहीं कराया गया है तथा पहले जारी किये गये नोटिसों को रद्द कर दिया गया है।

कश्मीर में आगजनी के मामले

[अनुवाद]

1849. श्री प्यारे लाल हांडू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में 1 अगस्त, 1990 से कथित मानवजनी की घटना के सम्बन्ध में पुलिस अर्धसैनिक कार्रवाई के फलस्वरूप कितने मामलों को दर्ज किया गया और/अथवा जांच की गई ; और

(ख) कितने मामलों में जाँच के निष्कर्षों की जानकारी दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

बर्मी अपहरणकर्ताओं को शरण देना

1850. श्री मित्रसेन यादव : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कलकत्ता की जेल में कैद दो बर्मी अपहरणकर्ताओं ने भारत में राजनीतिक शरण दिये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार की दृष्टि में अपहरण करना एक गंभीर अपराध है और बर्मा के दोनों विद्यार्थियों पर सम्बन्ध नियमों के तहत भारत में अभियोग चलाया जा रहा है। भारत में शरण लेने के लिये उनकी याचिका पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने पर ही विचार किया जा सकता है।

राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में आंकड़े

1851. डा. दौलतराव सोनुजी अहेर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महासर्वेक्षक द्वारा राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में तैयार किए गए आंकड़े राज्यों के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों से भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) ऐसी कोई भिन्नता सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व शासकों के राज्याभूषण कुलागत वस्तुओं का संरक्षण

1852. प्रो मधु दण्डवते : : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों के राज्याभूषण/कुलागत वस्तुएं उनके अभिरक्षण में राज्य की सपत्ति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निजाम हैदराबाद और अन्य व्यक्तियों के पास उपरोक्त वस्तुओं के अमूल्य और विश्व विख्यात हीरों और करोड़ों रुपये मूल्य के उत्तम प्रकार की माणिक्यों का संग्रह है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं को राष्ट्रीय संग्रहालय की आभूषण दीर्घा मे प्रदर्शन करने तथा संग्रहालय के लिये धन संग्रह करने के उद्देश्य से इन्हें देखने के लिए विशेष प्रवेश शुल्क लगाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) शाही वस्तुएं, जिन्हें राज्य सम्पत्तियों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें समारोह के अवसरों पर प्रयोग करने के लिए भूतपूर्व शासकों को रखने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता हो।

(ख) भूतपूर्व शासकों की निजी सम्पत्ति को तय करते समय उनकी प्राइवेट राज्य सम्पत्तियों की विभिन्न मदों की ठीक-ठीक मूल्यांकन सूचियां नहीं बनाई गई हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित आपराधिक अपीलें

1853. **श्री पी. सी. थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपराधिक मामलों में कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया जिनकी अपीलें उच्चतम न्यायलाय में तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित है ;

(ख) ऐसे प्रथम दस मामलों का ब्यौरा क्या है जो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की प्रतीक्षा में है ; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण न्यायालय मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित जेलों का प्रशासन का कार्य मुख्यतया राज्य सरकार का कार्य है। दोषी व्यक्तियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर अपील के संबंध में आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र और प्रबोधन नहीं किए जाए जाते है।

पंजाब में जब्त हथियार

1854. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 1987 के बाद से विभिन्न प्रकार के कितने हथियार जब्त किए गए ;

(ख) वर्ष 1987 के बाद से पंजाब में जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के हथियारों को कितने व्यक्तियों को आवंटित किया गया तथा आवंटन करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्योरा क्या है जिन्होंने जब्त किए गए हथियारों के आवंटन के लिए अनुरोध किया है तथा जिनके अनुरोध अस्वीकार कर दिए हैं अथवा जो वर्ष 1987 से लंबित पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान पंजाब सरकार द्वारा आबंटित जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के हथियारों के मूल्यों का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) "पी" बोर और "एन. पी." बोर प्रकार के जब्त किए गए हथियारों के आवंटन के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में सलग्न है।

(ख) से (ङ) जब्त किए गए हथियारों के लिए दिए गए आवेदनों का मूल्यांकन करना किसी भी कारण के लिए आवंटन करना/रद्द करना इस समय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में है तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार कोई सूचना नहीं रखती। "पी" और "एन. पी." और बोर वाले जब्त किए गए हथियारों का आवंटन करने के बारे में इस समय कोई नीति नहीं है।

विवरण

1987 से 30.11.1990 तक की अवधि के दौरान पंजाब सरकार द्वारा जब्त किए गए हथियारों की कुल संख्या

हथियारों का नाम	1987	1988	1989	1990 (30 नवम्बर तक)
1	2	3	4	5
1. पिस्तौल	1187	963	910	602
2. रिवाल्वर	247	278	243	189
3. ए. के.-47 राईफल्स	34	328	285	254
4. अन्य राईफलें	59	108	118	361
5. बन्दूकें	294	330	286	267
6. स्टेनगन	—	14	16	34
7. कार्बाइन्स	55	24	14	13
8. एल. एम. जी/एस एम जी/एम जी	—	13	14	48

9. राकेट लांचर	—	21	36	37
10. मिसाइलें	—	16	—	—
11. मोर्टार्ज	2	10	35	61
12. ए. के. 54/56/74 राइफलें	—	—	29	26
कुल	1828	2105	1986	892

पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ

1855. श्री कृपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के पेंशनयाफ्ता कर्मचारियों से, जो वर्ष 1947 से मई, 1956 तक सेवा में थे, पंजाब सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान दांत शुल्क और चश्मे तथा चिकित्सा भत्ते के रूप में क्रमश: 40 रुपए और 75 रुपए का पेंशन लाभ दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे पेंशनयाफ्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इन सुविधाओं को देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) पंजाब सरकार के ऐसे पेंशनभोगियों का 40 रु. प्रतिमास का नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाता है जिन्होंने इसके लिए विकल्प दिया था। यह भत्ता तथा साथ ही चश्मे की लागत की निर्धारित प्रतिपूर्ति पंजाब सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों पर विचार किए बिना अनुज्ञेय है। पंजाब सरकार के पेंशनभोगियों के लिए "दांत शुल्क के लिए 40/-रु. जैसी कोई पेंशन प्रसुविधा" नहीं है।

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी

[हिन्दी]

1856. श्री कंकर मुंजारे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ; और

(ख) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब में 1989 में 2466 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए तथा नवम्बर, 1990 तक 1937 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर में 1989 के दौरान 124 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। 1990 में जम्मू और कश्मीर राज्य में 4593 व्यक्ति पकड़े गए जिनमें से प्रारम्भिक जांच पड़ताल के बाद टी. ए. डी. ए. के अधीन 2044 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

जम्मू और कश्मीर में टी. ए. डी. ए. मामले शुरू किए गए तथा 892 व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया। पंजाब में राज्य सरकार कानून के तहत उचित कार्रवाई कर रही है।

बोडो उग्रवादी

[अनुवाद]

1857. श्री मोरेश्वर सावे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोडो उग्रवादी परिष्कृत राकेट लांचरों से लैस हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) बोडो उग्रवादियों की संख्या लगभग कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) बोड़ो स्वयं सेवकों के पास अत्याधुनिक राकेट लांचर होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। बोड़ो स्वयंसेवकों की संख्या का सही-सही आंकलन करना कठिन हैं।

आतंकवादियों द्वारा पंजाब के शहरों में बैठकों का आयोजन

1858. श्री मोरेश्वर सावे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कई शहरों में सार्वजनिक पार्कों में आतंकवादी खुले आम बैठकें आयोजित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों पर तथा इन शहरों में हथियारों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना सुलभ नहीं है एकत्र की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर में तुरतुक के लोगों को पिछड़ेपन के लाभ देना

1859. श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में तुरतुक के लोगों को पिछड़ेपन का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर के लिए एकमुश्त आर्थिक उपाय

1860. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा करने और राज्य में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली का आधार तैयार करने के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए एकमुश्त आर्थिक उपाय तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत कितना पूंजी निवेश किया जायेगा, रोजगार के कितने अवसर पैदा किए जायेंगे, कितने किस प्रकार के और कितनी क्षमता के उद्योग स्थापित किए जायेंगे और किस प्रकार के कृषि कार्य आरम्भ किए जायेंगे; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) इस समय राज्य में व्याप्त विक्षुब्ध परिस्थितियों के कारण लोगों के उत्पीड़न को कम करने के लिए घाटी में परम्परागत आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए लोगों को सहायता देने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। प्रमुख उपायों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य में काम करने वाले लोगों की आबादी का लगभग आधे हिस्से का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कुछ परम्परागत गतिविधियों बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा सेवों और अन्य फलों/उत्पादों का विपणन आयोजित किया गया है और आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य से बाहर को जाने वाली बिक्री काफी अधिक रही है जो जुलाई से नवम्बर, 1590 के महीनों में 181,459 मिट्रिक टन थी, जबकि पिछले वर्ष के समकालीन अवधि के दौरान बिक्री केवल 162,450 मिट्रिक टन थी। इस बिक्री से उत्पादकों को उचित लाभ प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार से पारम्परिक हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कलाकारों, जो अपनी वस्तुओं का विक्रय निजी व्यापारियों के माध्यम से नियमित बिक्री केन्द्रों से घाटी में करते थे, उनकी सहायता और व्यापार को बनाए रखने के लिए राज्य हथकरघा निगम ने 6 करोड़ रुपये की हथकरघा वस्तुओं की खरीद की है। हथकरघा मेले आयोजित किए गए हैं। एक मेला दिल्ली में चल रहा है और अन्य 9 महानगरों में भी लगाया जाएगा। अनुमान है कि अब तक 5 करोड़ रुपये की लागत की हथकरघा वस्तुएं बेची गई।

रोजगार अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए राज्य से 2500 व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य रोजगार अवसर का सृजन निर्माण कार्यों, वानिकीकरण इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली में जाली स्टाम्प पेपरों की बिक्री

[हिन्दी]

1860-क श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के न्यायालयों में जाली स्टाम्प पेपर की बिक्री किये जाने के संबंध में जानकारी है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) 1990 के दौरान संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में जाली कोर्ट स्टाम्प पेपर बेचने के सम्बन्ध में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने जाली गैर-न्यायिक कोर्ट शुल्क स्टाम्प के दो मामले पकड़े हैं। दो आपराधिक मामलों को दर्ज किया गया है और पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए परिवहन राजसहायता योजना

[अनुवाद]

1860-ख **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए परिवहन राजसहायता योजना को अप्रैल, 1989 से आगामी पांच वर्षों की अवधि तक और जारी रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी की गई है और उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना बाकी है।

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) परिवहन राजसहायता योजना, 1971, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, 31 3.1990 तक वैध थी। सरकार आठवीं योजना के दौरान इस योजना को बढ़ाने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों तथा अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने दावे दायर किये हैं जिसकी राशि (31 12.1990 की स्थिति के अनुसार) 25 करोड़ रु. है।

खानों में दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

1860-ग **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान देश में कितनी खान-दुर्घटनाएं हुई,

(ख) इन दुर्घटनाओं में कुल कितने मजदूर मारे गए और कितने घायल हुए,

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान, देश में खानों में 213 घातक तथा 1149 गंभीर दुर्घटनाओं में 257 व्यक्ति मारे गए तथा 1251 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) और (घ) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के उपबन्ध खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों में दिए खान प्रबन्धको द्वारा इन उपबन्धों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित हैं तथा स्थिति की पुनरीक्षा खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में सामान्यतः कमी हुई है।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड मोहाली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर टिप्पणियां आदि

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, मोहाली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड, मोहाली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1834/91]

(2) (एक) नेशनल सेन्टर फार साफ्टवेयर टेक्नालाजी, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार साफ्टवेयर टेक्नालाजी, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1835/91]

(3) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर सेन्टर, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर सेन्टर, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी-1836/91]

असम राज्य भेषजी परिषद् आदेश, 1990 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अंतर्राज्यिक निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत असम राज्य भेषजी परिषद् (पुनर्गठन एवं पुनः संगठन) आदेश, 1990, जो 15 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ./799 (ड) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल-टी-1837/91]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (शिक्षा, विकास तथा पुनर्वास संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 7 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 410 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (इलैक्ट्रोनिकी आंकड़े प्रक्रमण संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा- का. नि. 456 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (दर्जी संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990,

जो 28 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 457 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (दर्जी संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 22 सितम्बर 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 588 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आयुधिक संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 642 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (पशु चिकित्सा सहायक सर्जन, कम्पनी कमाण्डर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 643 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1838/91]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (तीसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 503 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 18 9/91]

(4) अधिसूचना संख्या यू. 14011/160/89-दिल्ली जो, 4 सितम्बर, 1990 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू. 14011/160/89-दिल्ली (दो) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखी गई ; देखिए संख्या एल. टी. 1840/91]

(5) संघ के विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके उत्तरोत्तर उपयोग में तीव्रता लाने हेतु कार्यक्रम बनाने तथा इसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1988-89 का वार्षिक निर्धारण/प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 184 /91]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1842/91]

(7) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब फिल्म एण्ड न्यूज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) पंजाब फिल्म एण्ड न्यूज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1843/91]

(9) (एक) भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1844/91]

(10) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1845/91]

(11) जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा के खंड (ग)

(चार) के साथ पठित जम्मू और कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 91 (2) (क) के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल द्वारा 17 दिसम्बर, 1990 को प्रख्यापित जम्मू और कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश 1990 (1990 का 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1846/91]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

[हिन्दी]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनिसम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1990 जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन योजना, 1990 जो 10 नवम्बर, 1990 के भारत के राज्य में अधिसूचना संख्या 689 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1847/91]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1848/91]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1848 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1848क/91]

(4) (एक) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 1849/91]

(6) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 1990 जो 16 जून,

1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए 12 (11)/3/88-स्थाप 1 (ए) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1850/91]

(7) कम्पनी अधिनियम, 19:6 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) :—

(1) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1989-90 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सख्या एल. टी. 1851/91]

भारतीय पुलिस सेवा संशोधन नियम, 1990 और न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इण्डियन ऐयर आर्मस लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1990, जो :5 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 579 में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1852/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) न्यूक्लीयर कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1853/91]

(ख) (एक) इण्डियन एयर बर्थ्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इण्डियन एयर बर्थ्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1854/91]

(ग) (एक) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1855/91]

(4) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1856/91]

(5) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1857/91]

(6) (एक) इन्स्टिट्यूट आफ मेथमैटीकल साइंसेज, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ग्राफ मेथमेटिकल साइंसेज, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ग्राफ मेथमेटिकल साइंसेज, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1858/91]

(7) (एक) टाटा इन्स्टिट्यूट ग्राफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की गक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इन्स्टिट्यूट ग्राफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1859/91]

(8) (एक) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 1889-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1860/91]

(9) (एक) मेहता रिसर्च इन्स्टिट्यूट ग्राफ मेथमेटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मेहता रिसर्च इन्स्टिट्यूट ग्राफ मेथमेटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मेहता रिसर्च इनस्टिट्यूट ग्राफ मेथमेटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी-1861/91]

(10) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1862/91]

(14) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1863/91]

(15) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1864/91]

सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल वर्ग (ग) और वर्ग (घ) भर्ती नियम 1990, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर की गई टिप्पणियां

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल, वर्ग "ग" और वर्ग "घ" भर्ती (संशोधन) नियम, 1990, जो 13 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 638 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 1865/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1866/91]

(ख) (एक) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1867/91]

(ग) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का

वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1868/91]

(घ) (एक) मजगांव गोदी लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मजगांव गोदी लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1869/91]

(ङ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेट के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1870/91]

(च) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1871/91]

(छ) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1872/91]

(ज) (एक) मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्रा धातु निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1872/91]

(3) (एक) एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1873/91]

(4) छावनी बोर्डों के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1874/91]

(5) (एक) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 1875/91]

साईकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता, नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड कलकत्ता और मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकरण की समीक्षाएं तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर की गई टिप्पिणियां आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) साईकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1876/91]

(दो) साईकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षत की टिप्पिणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1877/91]

(ग) (एक) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1878/91]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1879/91]

(ङ) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1880/91]

(च) (एक) एन्ड्रू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) एन्ड्रू यूले एंड कपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. [1881/90

(छ) (एक) भारत ओपथलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) भारत औपचारिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1882/91]

(ज) (एक) माइनिंग एंड ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) माइनिंग एंड ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1883/91[

(झ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1884/91]

(ञ) (एक) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक विवरण।

(दो) हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे उन पर नियन्त्रक महा लेखा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1885/91[

(ट) (एक) नेशनल बाईसाईकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) नेशनल बाईसाईकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1886/91]

(ठ) (एक) भारत लेदर कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन. लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी.-1887/91]

(ड) (एक) इन्स्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक तिवरण।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-1888/91]

(ढ) (एक) सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक को टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1889/91]

(ण) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1890/91]

(त) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1891/91]

(थ) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरोक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी- 1892/91]

(द) (एक) साम्बर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1989/90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) साम्बर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1893/91]

(ध) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1894/91]

(न) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। संख्या एल. टी. 1895/91]

(प) (एक) इंजिनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां [

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1896/91]

(फ) (एक) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की की सरकार द्वारा समीक्षा का एक विवरण।

(दो) एच.एम.टी. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1897/91]

(2) (एक) इलेक्ट्रोनिकी सेवा तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कानिया के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलेक्ट्रानिकी सेवा तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कानिया के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1898/91]

(3) (एक) इन्स्टिटयूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रीकल में मेयरिंग इन्स्ट्रूमैंन्ट्स, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिटयूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रीकल मेयरिंग इन्स्ट्रूमैंट्स, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी-1899/91]

(4) (एक) सेन्ट्रल टूल रूप एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1900/91]

(5) (एक) सेन्ट्रल इन्स्टिटयूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टिटयूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालयमें रखे गये। देखिए संख्या एल. टी-1901/91]

(6) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अन्तर्गत कयर बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(दो) कयर बोर्ड कोचीन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 1902/91]

(7) (एक) खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1903/91]

(8) राष्ट्रपति द्वारा 5 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित लक्षद्वीप खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विनियम, 1990 (1990 का संख्या 4), जो संविधान के अनुच्छेद 240 के अन्तर्गत जारी किये गये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी-1904/91]

———

12.02 म.प.

प्राक्कलन समिति

सोलहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मैं दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए होस्टल आवास के संबंध में प्राक्कलन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की उससे संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

12.02½ म.प.

लद्दाख के लोगों की समस्याओं के बारे में याचिका

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल (हमीदपुर) : मैं लद्दाख के लोगों की समस्याओं के बारे में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह के महासचिव श्री रिगजिन जोरा तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.02 ³/₄ म.प.

जम्मू क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में याचिका

प्रो. राम गणेश कापसे (ठाणे) : मैं जम्मू क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में जम्मू तथा कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अध्यक्ष श्री चमनलाल गुप्ता तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.03 म. प.

प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने के कथित प्रयास और फरीदाबाद में थामसन प्रेस की बिजली काटने के समाचार के बारे में

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है, संविधान द्वारा भाग तीन में मौलिक अधिकारों के तहत गारन्टी दी गई है।

दुर्भाग्य से आज यह हो रहा है कि प्रेस की अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है और इसे नष्ट किया जा रहा है। मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा को बताना चाहता हूं कि 'इंडिया टुडे' तथा इसकी सहयोगी वीडियो न्यूज मैगजीन 'न्यूज ट्रैक' ने कु आलोचनात्मक रवैया अपनाया है और मतदाताओं की स्वतंत्रता के हनन के बारे में कुछ लेख प्रकाशित किए हैं तथा उन द्वारा न सिर्फ मतदाताओं के विरुद्ध हुए कुछ अत्याचारों के बारे में सूचित करने का प्रयास किया गया है बल्कि यह भी बताया गया है कि हिन्द मजदूर संघ यूनियन से सम्बद्ध थामसन प्रेस के कुछ कामगारों के विरुद्ध अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है उन पर हमले किए जा रहे हैं गोलीबारी हो रही है और इस सबसे अधिक इस महीने की 4 तारीख को 'इंडिया टुडे'' तथा ''न्यूज ट्रैक'' की आवाज को दबाने के लिए थामसन प्रेस की बिजली की आपूर्ति रोक दी गई यही से 'इंडिया टुडे' प्रकाशित की जा रहा है। हिन्द मजदूर संघ के कामगारों पर हमला हो रहा है। हिंसा हो रही है। गोलीबारी हो रही है। थामसन प्रेस में 95 प्रतिशत सदस्यता हिन्द मजदूर संघ यूनियन की है और उस पर हरियाणा में सत्ताधारी पार्टी द्वारा समर्थित विरोधी यूनियन द्वारा हमले किए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप वहां पर अत्यधिक असंतोष व्याप्त है। हिन्द मजदूर संघ, ए. आई. टी. यू. सी. आई टी. यू. आदि सभी संगठन इंडिया टुडे, थामसन प्रेस तथा हिन्द मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन के विरुद्ध हो रही कार्यवाही तथा श्रमिकों के दमन के विरोध में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल आयोजित कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इन सभी मामलों में केन्द्र ने हस्तक्षेप नहीं किया और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रेस की अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं की है और इसलिए मैंने प्रेस की अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की सुरक्षा में सरकार की विफलता की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैं चाहता हूं कि

आप इस पर गौर करें। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस पर गौर करें। हम इसे पार्टी का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। यह तो एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सभी व्यक्ति शामिल हैं। प्रधान मंत्री स्वयं भी 1975 के आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतत्रता के दमन के खिलाफ हुई लड़ाई में एक भागीदार थे। इसलिए मैं समझता हूं कि जब इस सभा का ध्यान श्रमजीवी वर्ग तथा प्रेस का स्वतत्रता पर हुए हमले की ओर दिलाया जाता है और जब 'इंडिया टुडे' तथा 'न्यूजट्रैक' की आवाज को दबाने के लिए सुनियोजित प्रयास किये जाते हैं, तो आप इस पर गौर करें और मैं विशेषरूप से यह चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस पर गौर करें। स्थगन प्रस्ताव की सूचना केवल सभा और प्रधान मंत्री का इस विफलता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले को प्रदेश का मसला न मानें, यह एक अत्यन्त गंभीर मसला है क्योंकि लोकतंत्र को अगर अवरुद्ध करना है तो उसके लिए प्रेस की आजादी को अवरुद्ध करना, एक सबसे ही साल उपाय है और यह मामला दो यूनियन्स की राइवलरी का काम है, लेकिन चूंकि यह सारा पत्र समूह, निर्भीकता से जहां पर भी उसको गलत दिखाई देती है, खास करके प्रदेश की सरकार की गलती दिखाई देती है, उसको उजागर करता रहा है। इसी कारण से वे प्रदेश सरकार की कोप भाजन बन रहा है और चूंकि इस मामले में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में है इसी लिये इसमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप परमावश्यक है। इस पर मैं बल देना चाहूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गुजराल बोलें

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, जिला बिजनौर के अन्दर रथ यात्रा के कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए और आज भी वहां साम्प्रदायिक तनाव बना हुए है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप जो बोल रही हैं वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती जी आप अपने स्थान पर चली जाएं। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री गुजराल को बोलने के लिए कहा है। आप जो भी कह रही हैं उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप बैठ जायें। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। पहले आप अपनी सीट पर जायें फिर मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा आपको स्पीकर की अनुमति के बिना इस तरह से उठ कर नहीं बोलना चाहिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। मायावती जी, आप कृपया बैठ जायें। आप अध्यक्ष को इस तरह आदेश नहीं दे सकती हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

12.09 म. प.

इस समय कुमारी मायावती आई और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। नहीं, नहीं।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप इजाजत लेकर बोलिए, अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चलाने के लिये सीट पर जाइए, मेरी बात मानिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाइए, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति तभी दूंगा जब आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगी। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह संसद है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए आपको। आप सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मुझे बहुत दुख है।

12.11 म. प.

इस समय कुमारी मायावती अपने स्थान पर वापस चली गईं

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालंधर) : आज सुबह मैंने आपके कार्यालय को थामसन प्रेस के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के आधुनिक समय में भी कुछ लोग राजनीति में अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रेस को खामोश करने का प्रयास करते हैं। एक महीना से भी अधिक समय से थामसन प्रेस के बाहर गुन्डागर्दी की जा रही है जिसका समाचार प्रेस द्वारा लगातार प्रकाशित किया जाता रहा। इस माह की चार तारीख से इसकी बिजली काट दी गई है। और जब बिजली बोर्ड स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा "आप कारण जानते हैं। हमसे मत पूछें।" यह ऐसी घटना है जिस पर हम सभी को चिंता होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें विशेषकर चूंकि यह कार्यवाही 'इंडिया टुडे' और 'न्यूज ट्रैक' पर इसलिये की गयी है क्योंकि उन्होंने मेहम घटना से संबंधित समाचार दिए थे। इस पर हम सभी को विचार करना होगा और हम सभी इसके लिए चिंतित हैं। इस तरह की चुनावी धांधली कुछ लोगों द्वारा की जा सकती है। इसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार हैं जो मेहम कांड के लिए उत्तरदायी हैं जो घटना स्थल पर मौजूद थे और वह चित्र प्रेस में उपलब्ध है। वह लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करने का आदेश दे रहे हैं। स्थानीय अधिकारी निष्क्रिय हो गये हैं। गुन्डागर्दी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल, हमें तथ्यों का पता लगाना होगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपके तथा आपको माध्यम से सदन को यह सलाह देता हूं और निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके लोगों के इस मौलिक अधिकार के गम्भीर हनन पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं इसका समर्थन करता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं सदन के किसी भी व्यक्ति को चुप नहीं कराना चाहता। सदस्यों को संयत करना आपका कार्य है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपको पता है कि वहां कितनी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह प्रेस की स्वतन्त्रता पर सीधा प्रहार है। यह आवश्यक हो गया है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और इसमें सुधार लाएं। और महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है। कि 'इंडिया टुडे' प्रेस की बिजली काटने के पीछे किन लोगों का हाथ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि लोग राजनीति में ऐसा व्यवहार करने लगें और ऐसी मानसिकता का परिचय देने लगें और वे प्रेस का गला घोंटने का प्रयास करते हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। प्रधान मंत्री यहां पर हैं उन्हें इस स्थिति के बारे में खड़े होकर स्पष्ट करना चाहिए और यह भी आश्वासन देना चाहिए कि इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके विरुद्ध कारंवाई की जाएगी। इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसे स्वीकार करने का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं उसे मैं सुन रहा हूं परन्तु मैंने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री पी. वी. सिंह राव (रामटेक) : यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण का है। यह गंभीर मामला है और इसलिए हम भी इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधान) हम इस मांग के साथ भी हैं कि इस मामले में सरकार को जल्द कारंवाई करनी चाहिए। इस मामले को लम्बे समय तक लटकाना नहीं चाहिए। यह उपयुक्त समय है जबकि सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए चूंकि यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : मुझे खेद के साथ यह बताना पड़ रहा है कि विगत दो महीनों से फरीदाबाद में इस्कोर्ट्स और थामसन प्रेस में काम कर रहे श्रमिकों की हत्या करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। वहां एक ही संघ है और वह है एच. एम. एस. यूनियन

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : निन्यानवे प्रतिशत।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : प्रोफेसर साहब, 95 नहीं बल्कि हमारे 99 प्रतिशत लोग वहां के यूनियन में निर्वाचित हैं बल्कि और * किसी एल. एम. एस. यूनियन के द्वारा वे हमारे यूनियन को तोड़ना चाहते हैं और विशेषकर इसलिए कि वे थामसन प्रेस को बन्द करवाने में असफल हुए हैं·········

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको नाम नहीं लेना चाहिए।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामधन (लालगंज) : इस सदन में नाम लेकर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से निकाला गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नाम नहीं लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं वहां गया हूं। एक बैठक की है। मैंने कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक से बात-चीत की है और उन्हें बता दिया है दूसरा पंजाब मत बनाइये। अभी उन्होंने मुझे बताया है—उनकी बात मैं आपको बताऊं—हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ हमारी बातचीत हुई है कि थोड़े से बहुमत के साथ उन्हें प्रेस पर यह थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे समर्थन प्राप्त नहीं है और वे समस्या उत्पन्न करने का प्रयास न करें। लेकिन परिणाम यह हुआ है कि वे हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं रोक सकें। क्योंकि 'इंडिया टुडे' ने कुछ उन व्यक्तियों के विरुद्ध लेख लिखे जो सत्तारुढ़ दल के हैं और हरियाणा में जिनकी सरकार है। यह हरियाणा सरकार की विशेषतः मेहम घटना की, जो भारत के नाम पर कंलक है, की आलोचना है। जैसा कि आपने सुना है कि बिजली पूरी तरह से काट दी गई है इसके बावजूद भी जेनेरेटर और श्रमिको की सहायता से प्रेस का कार्य चल रहा है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रेस कर्मचारी प्रेस को चलाते रहेंगे, वे प्रेस की स्वतंत्रता का गला नहीं घोंटने देगें। इस विषय पर चर्चा की जाए। इस तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए हम कैसी भी कारंवाई कर सकते हैं। आज सुबह मुझे टेलीफोन किया गया कि गुंडों की तीन जीपें आई हैं। मैं नहीं जानता कि जीपें क्यों आई। मैंने गृह मन्त्री महोदय से बातचीत की है। वह यहां उपस्थित नहीं हैं। वे कहते हैं कि वे परेशानी पैदा कर सकते हैं। मेरा गृहमंत्री तथा प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है।

डा. तम्बि दुरै (करूर) : अपने सहयोगियों के साथ-साथ मैं भी आप के माध्यम से प्रधानमंत्री को यह बताना चाहता हूँ कि देश में विशेषतः हरियाणा और तमिलनाडु में प्रेस की स्वतन्त्रता का गला घोंटा जा रहा है। हमें मालूम है कि राष्ट्रीय मोर्चा के अंग के रूप में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार ने तामिलनाडू में प्रेस की स्वतन्त्रता को किस तरह दबाया है। (व्यवधान) द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार ने पिछले तीन-चार महिनों में इण्डियन एक्सप्रेस और दिनामलार समाचार पत्रों को इन समाचारपत्रों को दिये जा रहे सरकारी विज्ञापनों में कटौती करके बहुत तंग किया है। जब इन समाचार पत्रों ने आन्दोलन की घटनाओं को प्रमुखता दी, तब द्रविड मुनेत्र कषगम सरकार ने इन समाचार पत्रों को वितरण के लिए ले जा रही वैन को गुडों से रुकवा कर इनकी प्रतियां जलवा दी और इस प्रकार तमिलनाडू में इन समाचार पत्रों को तंग किया गया। एक बार हमारी नेता कुमारी जयललिता एम. जी. रामचन्द्रन की पुणय-तिथि पर उन्हें श्रदांजली व्यक्त करने उनकी समाधि पर गयीं। उस समय थराम् के प्रेस रिपोर्टर ने श्रीलंका के एक उग्रवादी को हमारी नेता को मारने के लिए हथियार सहित पकड़ा था। दोषी को पकड़ने की बजाए उन्होंने प्रेस रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध कुछ मामले दर्ज कर दिये। अतः हमें केवल हरियाणा ही नहीं अपितु तमिलनाडू के मसले पर भी चर्चा करनी चाहिए।

श्री चित्र बसु (बारसाट) : महोदय, इस मामले को सदन के सभी पक्षों ने उठाया है। सदन के सभी पक्षों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रेस की स्वतन्त्रता और मौलिक अधिकारों का

हनन हुआ है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सरकार ने एक मजदूर संघ के कार्य-कलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : कलकत्ता की आनन्द बाजार पत्रिका के बारे में आपका क्या विचार है—(व्यवधान)

श्री चित्र बसु : महोदय, इस तरह की घटनाएं आपातकाल में भी हुई थीं। आपातकाल में कुछ समाचार पत्रों को बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में इस समय आपातकाल नहीं लगा हुआ है जब आपातकाल न हो, जब एक सरकार मौजूद हो, जब नागरिक स्वतन्त्रता हो, जब सरकार ने संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी हुई हो, उस समय यदि कोई राज्य सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के हनन का प्रयास करती है, तो प्रधानमंत्री मेरे साथ सहमत होंगे कि यह देश के लिए अफसोस की बात होगी। अतः महोदय मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए। इस राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। यह मामला संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से सीधा संबंधित है। यह प्रेस की स्वतन्त्रता से संबंधित है। अतः प्रधानमंत्री को इस संबंध में उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, हमारे देश में अक्सर प्रेस की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप का मामला उठता रहा है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो भी व्यक्ति, दल या ग्रुप सरकार में होता है, उसका विज्ञापनों के देने या इनके इन्कार करने में प्रेस पर प्रभाव रहता है। अतः मैं महसूस करता हूँ कि सदन इस बात से सहमत होगा कि सभी अधिकारिक विज्ञापनों को सरकारी गजट द्वारा जारी किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञापन उनके अपने प्रकाशनों के माध्यम से जारी होने चाहिए और इस प्रकार स्वतन्त्रता प्रेस को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए। मुझे आशा है कि प्रेस अपनी स्वतन्त्रता के लिए इसे साहस के साथ स्वीकार करेगी। लेकिन, मैं नहीं जानता कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, उसे छापने की हिम्मत भी प्रेस के पास होगी क्योंकि, मैं यह महसूस करता हूं कि अखिल भारतीय गजट और राज्य सरकारों के गजटों को सरकारी विज्ञापन छापने चाहिए और सार्वजनिक धन को गलत तरीके से प्रेस को प्रभाव में लाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सदन और सरकार से यही अनुरोध विचार के लिए है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा चावड़ा साहब, मैं आपको भी बुलाऊंगा जब आप बैठेंगे इसलिए आपको बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : संचार माध्यमों से संबद्ध होने के कारण मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का जोरदार समर्थन करता हूँ। मैं इसमें भी विस्तार चाहूंगा और यह कहूंगा कि सदन को मात्र हरियाणा में ही नहीं अपितु, अन्य स्थानों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे मसले पर गौर करना चाहिए। देश के भिन्न-भिन्न भागों में पूरे एक साल से प्रेस को दबाया जा रहा है। अतः, मैं समझता हूँ कि सदन को मात्र फरीदाबाद के मसले पर ही विचार नहीं करना चाहिए हालांकि इस पर तुरन्त, विचार किया जाना चाहिए, परन्तु, इस विषय पर एक आम चर्चा होनी चाहिए क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर खतरा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें। कृपया बैठ जाईए।

श्री इन्द्र जीत : मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस विशेष मामले पर अपना उत्तर दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : सुनाइये आपका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है।

कुमारी मायावती : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है कि हमें जीरो आवर

अध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आयें और आपका आर्डरली विहेवियर होना चाहिए, आप खड़े होकर वैल में आ जाती हैं, यह ठीक नहीं है।

कुमारी मायावती : मैं लोक सभा में पहली बार चुनकर आयी हूं। लोक सभा में अपनी पार्टी की ओर से लीडर होने के नाते जब भी जीरो आवास के बारे में पार्टीज लीडर्स की मीटिंग बुलाई जाती है···

अध्यक्ष महोदय : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, यह आदत ठीक नहीं है। आप दल की लीडर हैं। यह नहीं करना चाहिये। आप सीट पर जाईये। यह पार्लियामेंट है। आप जब अपनी सीट पर जायेंगी तब बुलाऊंगा···

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कहा है, वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री एस. बेंजामिन (बपतला) : महोदय, आपको उनको भी सुनना चाहिए। आधे घंटे से वह अपनी बारी का इन्तजार कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बेंजामिन जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, काफी देर हो चुकी है। मायावती जी, आप अपनी सीट पर जाईये। आपकी बात सुनी जायेगी। मेरा यही निवेदन है कि आपकी बात जरूर सुनी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी, आप जानते हैं मैंने उनको कह दिया है।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मायावती से निवेदन करूंगा कि यह काम अध्यक्ष का है कि किसको कब समय देना है। मुझे भी कई कामों के लिए जाना है। मुझे 12 बजे स्टेटमेंट देना था। मैं बैठा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप अपनी सीट पर जाईये। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप अपनी सीट पर जाईए। श्री संतोष मोहनदेव

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, हम सदन के सभी सदस्यों के द्वारा इण्डिया टुडे के संबंध में व्यक्त किये गये विचारों के साथ सहमत हैं। लेकिन, साथ ही हम आप से अपील करेंगे कि यदि आप इस पर विचार की अनुमति देते हैं, तो प्रेस पर लगाए जा रहे अंकुश को समूचे राष्ट्र में हो रही घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। यह पश्चिम बंगाल में भी हुआ जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दलों के काडरों द्वारा एक फोटोग्राफर श्री तारापद बनर्जी को पीटा गया जो लगभग मृत

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही हो गये थे। यह दबाव आनन्द बाजार पत्रिका 'टेलीग्राफ के सम्बन्ध में भी हुआ। श्री वी. पी. सिंह सरकार के कहने पर 'इण्डियन एक्सप्रेस' के संपादक श्री अरुण शौरी को निकाल दिया गया। अतः, केवल इण्डिया टुडे की घटनाओं पर ही नहीं अपितु, इन सभी घटनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। (व्यवधान) तभी हम आपको समर्थन देंगे (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : महोदय, जो कुछ श्री संतोष मोहन देव ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। केरल में भी ऐसा हुआ है और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है (व्यवधान) केरल में प्रेस फोटोग्राफरों को पीटा गया है। जब वी. आई. पी./गण मान्य व्यक्ति केरल आते हैं तो सरकार प्रेस वालों को रोकने के लिये रास्तों का अवरोध लगा देती है जिससे वे आगे न जा सकें। केरल में मलयाला मनोरमा' पर मार्क्सवादी गुंडों ने हमला किया है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला हमारे हरियाणा से, फरीदाबाद से ताल्लुक रखता है। थाम्सन प्रेस हरियाणा में है जहां की मैं नुमाइंदगी करता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि मेहम इश्यू सारे मुल्क के लिये बड़ा सीरियस इश्यू था और "इण्डिया टुडे न्यूजट्रैक" के द्वारा उस सम्बन्ध मे जो सच्चाई थी, वह कुछ बातें देश के सामने रखी गई। इसी बात को लेकर उनको बड़ी भारी तकलीफ हो गई। मैं उनका नाम लूंगा तो यह अच्छी बात नहीं होगी जो जनता (एस) के जनरल सेक्रेटरी भी है, वह बड़े शक्तिशाली हैं। (व्यवधान) वहां की गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जान-बूझकर के उनको बहुत भारी परेशान कर रही है वर्कर्स को और प्रेस को भी। बिजली के कनेक्शन काट दिए और उनको इतना परेशान कर रही है जिसका कोई अन्त नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय यह सारा सदन इस बात से सहमत है। हो सकता है कि कुछ थोड़े से सहानुभाव शायद हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। प्रधान मंत्री जी हाउस में विराजमान हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें कि बाकायदा पीस रिस्टोर करें। वर्कर्स के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है और जिन्होंने जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें और इसमें किसी का भी माफ नहीं करें चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं। (व्यवधान)

श्री कपिल देव शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वक्कासर जी, आप बैठ जाइए। सबको सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कपिल देव शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पूरी तौर से सहमत हूं कि देश के अखबारों को उनका जो अधिकार है, वह पूरे तौर से मिलना चाहिए और उनकी स्वतंत्रता पर कोई आघात नहीं आना चाहिए। पर यह अकेले हरियाणा का ही सवाल नहीं है। बिहार में जो वहां की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां लोगों को अखबार वालों को परेशान किया जाता है। उन्हें खिचवाकर के पिटवाते हैं, मरवाते हैं (व्यवधान) यही ज्योति बसु जी पश्चिम बंगाल में भी करवा रहे हैं। (व्यवधान) यह केवल हरियाणा का विषय नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुमति देने के लिये आपका बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि यह मसला अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के गंभीर मसले के संबंध है। कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह मसला राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है लेकिन, इससे भी ज्यादा यह संविधान की गारंटी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। सभी विवरण प्रेस में छप चुके हैं और सभा में दिये जा चुके हैं। इस सभा के सभी माननीय सदस्यों के लिए यह चिंता का विषय है। लेकिन मैं यह देख कर हैरान हूं कि आपके कार्यालय को सूचना दिए बिना, श्री संतोष मोहन देव और श्री शास्त्री जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने यहां मामले को उठाया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। इसके लिये मुझे खेद है, लेकिन मैं उनके तर्क से चकित हूं। थाम्पसन प्रेस को जो कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य सरकारों का जिक्र किया है। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य जो कि···

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जब तक मैं अपनी को पूरी नहीं कर लेता। व्यवस्था के किसी प्रश्न पर विचार नहीं हो सकेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। बताइये, आपका क्या प्वांइन्ट आफ आर्डर है।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, माननीय आरिफ मोहम्मद खां साहब सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के अच्छे जानकार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बताइये कि किस नियम प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, क्या उल्लंघन हुआ है।

श्री हरीश रावत : उन्होंने श्री सन्तोष मोहन देव जी को चैलेंज किया और कहा···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने कहा न कि उन्होंने सन्तोष मोहन देव जी का नाम मेरी परमीशन से लिया है, स्पीकर की परमीशन से कहा है।

श्री हरीश रावत : उन्होंने इस मामले को बिना नोटिस दिये हुए उठाया और आपकी ओथोरिटी को चैलेंज किया।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री हरीश रावत : वे सन्तोष मोहन देव जी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी पहले से नोटिस नहीं दिया है। यदि नोटिस दिया भी है तो देर से दिया है, आप रिकार्ड को चैक कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है आप बैठिये। आप क्यों खड़े हो रहे हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अध्यक्षपीठ पर छोड़ दीजिए : व्यवस्था को कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी, आप बताइये, आपका क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री राम धन (लालगंज) : अध्यक्ष जी, इस सदन में एस. सी. और एस. टी. के मैम्बर्स की संख्या 130 है। मगर जहां तक सवाल है कि जब एस. सी. और एस. टी. के मेम्बर्स बोलने के लिए उठते हैं, या तो उनका माईक काट दिया जाता है या उनका गला दबा दिया जाता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन दबाता है उनका गला ?

श्री राम धन : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि हम एस. सी. और एस. टी. के मैम्बर्स को भी हाउस में बोलने का पूरा मौका दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया कि राम धन जी का कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा। आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री पीयूस तीरकी (अलीपुरद्वार) : मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे भाषण समाप्त करने के लिए कहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद् खां : मैं आपकी अनुमति से अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, आप सभा का कार्यवाही वृतांत देख सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से चकित हूँ कि महम के हीरो के हितों को बचाने की कोशिश की जा रही है···

श्री हरीश रावत : वह अपना नेता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे खुशी है कि बात खुल गई है। जो कुछ मेहम में हुआ है, अब वे उसका बचाव कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि वे उसका बचाव कर रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी है। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरा केवल यही कहना है कि फरीदाबाद में जो कुछ हो रहा है और महम के हीरो द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उनकी तुलना पश्चिम बंगाल या केरल की घटनाओं से की जाती है, तो माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर पहले चर्चा कराए जाने के लिए लोक सभा सचिवालय को सूचना क्या नहीं दी है ? (व्यवधान)

मैं महसूस करता हूँ कि यह एक अति महत्वपूर्ण और बुनियादी मामला है। प्रेस की आजादी खतरे में है। (व्यवधान)

मैं पंडित नेहरू की टिप्पणी से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ :—

"आजादी खतरे में है। अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें।"

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है यह निन्दनीय है कि सरकार इसके बचाव की कोशिश कर रही है।

मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें या इस पर चर्चा कराएं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस देश की गंभीर समस्या की तरफ दिलाऊं उससे पहले मैं पूरे सदन के साथ-साथ आपको भी यह बताना चाहती हूं कि जब मैंने "जीरो-आवर" के शुरू होते ही देश की एक खास एवं गम्भीर समस्या को आपके सामने रखने की कोशिश की, तो आपने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आपने अपनी बात को उठाने के लिए न लिखा था और न कहा था, यह मैं आपको बता दूं। इसलिए आप "जीरो-ओवर" की बात मत उठाइये। आप अपनी बात कहिये जिसके लिए मैं आपको अब अनुमति दी है।

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, यह दुख की बात है। मैं आपके नियमों की बात तो मान सकती हूं, मैं आपके अगर किसी नियम को तोड़ती हूं, तो वह ठीक नहीं है। लेकिन जीरो-आवर के लिए लिखकर देने के बावजूद भी, मेरा नाम लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप अपनी बात पर आइये।

कुमारी मायावती : जिस प्रकार से मेरे भाई राम धन जी ने कहा है यदि आप मुझे मौका नहीं देंगे, तो उनका कहना मैं उचित समझती हूं और ऐसा करने से तो आपकी नियत का पता चलता है कि आप लोक सभा में दलित और शोषित समाज की बात दबाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप राम धन जी का उदाहरण मत दीजिये, आप अपनी बात पर आइये।

कुमारी मायावती आप इससे मेरी नहीं, बल्कि देश की सम्पत्ति का और देश का भी जरूर नुकसान करेंगे। देश की सम्पत्ति का जितना खर्च इस सदन को चलाने पर होता है, यह बात सदन के ध्यान में है क्योंकि बोलने का मौका न मिलने पर, जब में लोक सभा की कार्यवाही आगे नहीं चलने दूंगी, तो इससे देश का कितना नुकसान होगा ?

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती जी, आप अपनी बात पर आइये।

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर आती हूं और आपका ध्यान इस देश की गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं कि इस देश के अन्दर राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे देश के अन्दर श्री वी. पी. सिंह की सरकार के दौरान जो साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, अभी तक ये ठण्डे नहीं हुए हैं और तुरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अस्थि कलश यात्रा निकालने का काम शुरू कर दिया और बड़े दुख की बात तो यह है कि **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, यह क्या हो रहा है। ये हमारी पार्टी का नाम लेकर कैसे बोल सकती हैं ? **(व्यवधान)**

कुमारी मायावती : मेरे जिला बिजनौर के अन्दर जहां मुसलमानों के साथ बड़े पैमाने पर ज्यादती हुयी है, वह मैंने ही नहीं देखी है बल्कि श्री राजीव गांधी, श्री पासवान व रसीद मसूद

जी ने भी देखी है, अर्थात तकरीबन सभी पार्टियों के लोगों ने देखी है। वहां उस जिले में अस्थि-कलश यात्रा के लिए 8 दिन का प्रोग्राम बनाकर यह यात्रा निकाली जा रही है। इससे मुझे लगता है कि इस यात्रा में दंगे भी हो सकते हैं और यदि इस यात्रा के दौरान दंगे हुए, तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर होगी और सरकार ने इसे नहीं रोका, तो सरकार पर होगी। अध्यक्ष जी, मेरी आपके मार्फत प्रधानमन्त्री जी से यह गुजारिश है कि जो इस देश के अन्दर साम्प्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं या साम्प्रदायिक तनाव को खत्म करना चाहते हैं और धर्म-निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जब श्री वी. पी. सिंह की सरकार थी उस दौरान मैंने और मेरी तरह इस किस्म की सोच रखने वाले लोगों ने श्री वी. पी. सिंह को यह कहा था कि आपको आडवाणी जी की रथ यात्रा को सोमनाथ से आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और पहले ही दिन उसे रोक देना चाहिए था। श्री वी. पी. सिंह ने ऐसा नहीं किया जिसके कारण पूरे देश में धार्मिक प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान हुआ। यही कारण था कि श्री वी. पी. सिंह की इस प्रकार से दोगली नीति के कारण ही उनकी सरकार गिरी। इसलिए मैं प्रधानमन्त्री जी से यह गुजारिश करना चाहती हूं कि अब जो दूसरा कदम आडवानी जी ने और उनके लोगों ने उठाया है या बी जे पी के लोगों ने उठाया है, मैं ऐसा समझती हूं कि यह कदम अस्थि कलश यात्रा को लेकर साम्प्रदायिक तनाव को पैदा करने के लिए उठाया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि यह अस्थि कलश यात्रा नहीं रोकी गई या उस पर सरकारी रोक नहीं लगाई गई तो इस देश के अन्दर बड़े पैमाने पर किसी न किसी समय साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। मैं अब पूछना चाहती हूं कि इस अस्थि कलश को रोकने के लिए आप इस मामले में क्या कदम उठाना चाहते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इस मामले में मुझे जरूर कुछ न कुछ जवाब दें जिससे मैं बिजनौर के लोगों को और सारे देश के लोगों को आपके द्वारा उठाए गये कदमों की जानकारी दे सकूं। अन्त में, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। प्रधान मन्त्री जी कोरियन डैलीगेशन से मिलने वाले हैं इसलिए उनको बयान देना है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी बयान दें उससे पहले अभी जो बात कही गई है, जो न केवल यहां से कही गई है लेकिन भजन लाल जैसे माननीय सदस्य ने भी कही है, उसके बारे में भी बताएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं आपको ऐलाऊ नहीं करूंगा, आपके कहने पर तो नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

———

प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने के कथित प्रयास और फरीदाबाद में थामसन प्रेस की बिजली काटने के समाचार के बारे में (जारी)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : मैं सार्क के बारे में वक्तव्य दूं उससे पहले विरोधी दल के नेता माननीय दण्डवते जी, गुजराल जी और नरसिंह राव जी ने जो सवाल उठाया है प्रेस की स्वतन्त्रता पर भजन लाल जी, सन्तोष मोहन देवजी ने भी उठाया है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ता, मैं आपके जरिए केवल एक ही बात सदन और देश को बताना चाहता हूँ कि प्रेस की स्वतन्त्रता के ऊपर कोई भी आंच आए तो हम सबके लिए दुख और लज्जा की बात है। प्रेस की स्वतन्त्रता हमेशा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, आरोप, प्रत्यारोप में मैं नहीं जाऊंगा। एक विशेष घटना की ओर आज माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया हैं। मैं हरियाणा सरकार से उस बारे में जानकारी करूंगा और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रेस की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखने के भारत सरकार कदम उठाएगी। इस सवाल के ऊपर सदन कोई बहस करना चाहे और आप अनुमति दें, कोई समय मिले तो उस पर पूरी बहस विस्तार से करें क्योंकि मैं मानता हूं कि यह मौलिक सवाल है और इस सवाल पर हमारी ओर से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं कम से कम यह बता दूं कि

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. बेंजामिन (बपतला) : श्रीमन, कलकत्ता संबंधी मामला भी उठाया गया था। उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : दो महीने के अन्दर, मैं नहीं जानता, मैंने कम से कम किसी प्रेस वाले से या किसी प्रेस सम्पादक से या किसी के बारे में मैंने कोई शिकायत न की है न मुझे कोई शिकायत है कि कौन सरकार के बारे में क्या लिखता है, कौन प्रशंसा करता है या प्रस्तुत करता है।

यह उनकी आजादी है, जो चाहें सो करें। मैं यह भी मानता हूँ कि आजादी के बारे में हमारे मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कोई ऐसी दुविधा पैदा नहीं होने देगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं पांचवें बसेस सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य देने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : उन्हें कामगारों पर हुए हमले के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिएगा।

(व्यवधान)

———

मंत्री द्वारा वक्तव्य

12.56 म- प.

माले में हुआ पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : 21 से 23 नवम्बर, 1990 के बीच आयोजित पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं मालदीव गया था। इस शिखर सम्मेलन के परिणाम माले घोषणा में तथा इस शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में निहित हैं। इन दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1905/91]

मालदीव में अपने प्रवास के दौरान मैंने बंगलादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति इरशाद से, मालदीव के राष्ट्रपति गयूम से, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री नवाब शरीफ से तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्री विजयतुंग से अलग-अलग बातचीत की। माले में मुझे भूटान के महामहिम नरेश तथा नेपाल के प्रधान मंत्री भट्टाराई से भी भेंट करने का सुअवसर मिला लेकिन इन दोनों नेताओं के साथ विस्तृत बातचीत नई दिल्ली में की गई जहां के इस शिखर सम्मेलन के तुरन्त बाद बाद पहुँच रहे थे।

भारत ने इस शिखर सम्मेलन में और शिखर सम्मेलन से पूर्व होने वाली बैठकों में कई पहल कदमियों को जो सभी स्वीकार की गई और जिन्हें माले घोषणा तथा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में स्थान दिया गया।

हमारे सुझाव पर सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी किया गया है।

सम्मेलन में हमारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ कि क्षेत्रीय परियोजनाएं तय करने और उनके विकास के लिए एक कोष की स्थापना की जाए जिसके लिए वित्त की व्यवस्था सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंक करें। हम इन बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में बुलाएंगे जिसमें इस कोष के संचालन का ठीक-ठाक तरीके तय किए जाएंगे।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर मंत्री स्तर की दूसरी बैठक की भी मेजबानी करेगा जिसमें उरूग्वे व्यापार वार्ता के निष्कर्षों की समीक्षा की जाएगी और पर्यावरण एवं विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के आगामी सम्मेलन के में सदस्य देशों की नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस बात पर सहमति हुई कि मंत्री स्तर की यही बैठक क्षेत्रीय संसाधन जुटाने के लिए एक कार्य नीति तैयार करेगी जिससे इस क्षेत्र में व्यक्तिगत और समष्टिगत आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा और वह सुदृढ़ होगी।

हमने यह सुझाव भी दिया और इस पर निर्णय भी हो गया कि कुटीर उद्योग और हस्त शिल्प के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में सामूहिक आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार हो।

इस शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जायें अर्थात् पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र, भारत में सार्क प्रलेखन केन्द्र और नेपाल में सार्क क्षय रोग केन्द्र। हम भारत में सार्क प्रलेखन केन्द्र की स्थापना की दिशा में आवश्यक कदम शीघ्रतापूर्वक उठा रहे हैं।

इस सार्क शिखर सम्मेलन को कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही। हम इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने पर सहमत हुए। हमने अपने समाचार पत्र संघों के बीच और अधिक सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाने का फैसला किया। हमने 1990 के दशक को बालिका दशक घोषित किया। हमने सार्क यात्रा दस्तावेज लागू किया जिससे कुछ वर्गों के लोग बीजा के बिना यात्रा कर सकेंगे। हमारे विदेश मंत्रियों ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रपति गयूम के साथ मेरी बहुत सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण बातचीत हुई। चूंकि हमारे बीच कोई द्विपक्षीय समस्या नहीं है, इसलिये हमने आपसी सहयोग की कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया और इनके बारे में हम पूरी तरह एकमत थे। राष्ट्रपति गयूम ने भारत यात्रा का मेरा निमंत्रण कृपा पूर्वक स्वीकार किया। वे बहुत शीघ्र हमारे देश की यात्रा पर आयेंगे।

प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत में मैं उनके रचनात्मक रवैये से प्रभावित हुआ। उनके साथ बातचीत से यह प्रकट हुआ कि वे इस बात को भली-भांति जानते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों की विषमता कितनी महंगी पड़ सकती है। और इस बात को भी कि सहयोगपूर्ण संबंध कितने लाभकारी हो सकते हैं।

मैंने उनकी भावनाओं की पूरी कद्र करते हुए ऐसे ही विचार व्यक्त किए और अपने दोनों देशों के बीच विश्वास और भरोसा पुनः कायम करने में उनका सहयोग मांगा।

मैंने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में आतंकवाद को सीमा पार से लगातार मिल रहे समर्थन के बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की। मैंने बलपूर्वक यह बात कही कि हमारे संबंधों में यह एक गम्भीर अड़चन है। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए और इन विभिन्न अनसुलझे मसलों पर बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू होनी चाहिए।

हमारी इस बैठक के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक हुई है तथा हमारे संबंधों के बीच के तनाव को कम करने के लिए परस्पर विश्वास बढ़ाने की दिशा में कई उपायों पर उनमें सहमति की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने सर क्रीक में भू-सीमा को अंकित करने, तुलबुल नौवहन परियोजना जैसे मसलों पर बातचीत पुनः शुरू करने का समय आदि तैयार करने तथा उपायोगों की बैठकें बुलाने के संबंध में निर्णय लिया है।

प्रधान मंत्री विजयतुंग के साथ अपनी मुलाकात में मैंने श्रीलंका में जातयी संघर्ष निरन्तर चलने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की जिसमें दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं जिनमें असैनिक लोग भी शामिल हैं और जिसकी वजह से भारत में शरणार्थियों का आना बढ़ गया है।

मैंने इस बात पर भी बल दिया कि श्रीलंका की सरकार को भारत में श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों को रोकने और जो लोग यहां आ गए हैं उन्हें वापस लौटाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए तथा अपने यहां ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए जिससे कि वे शीघ्र श्रीलंका लौट सकें। हमने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

1-00 म. प.

अपनी बात खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि भारत सार्क के अन्तर्गत दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए व्यष्टिगत और समष्टिगत आत्मनिर्भरता के निर्माण के लिए और बहुपक्षीय वार्ताओं में अपनी बात मनवाने की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। संसार मे आर्थिक एकीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति के संदर्भ मे इस प्रकार का सहयोग आज और भी आवश्यक हो गया है। माले शिखर सम्मेलन को अपनी ठोस उपलब्धियां हैं। सार्क अब व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, मुद्रा, वित्त और पर्यावरण जैसे ठोस आर्थिक क्षेत्रों मे सहयोग के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तत्पर है। जरूरत इस बात की है कि हममें इन क्षेत्रों मे विश्वास के साथ राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की क्षमता हो। अपने आकार, अपने संसाधन और विकास के अपने स्तर के अनुरूप भारत निरन्तर जिम्मेदारी निभाता रहेगा और जहां जरूरी होगा वहां त्याग भी करेगा ताकि सार्क क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रभावकारी और सम्पूर्ण उद्यम बन सके।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की ओर से 23 नवम्बर, 1990 को जारी माले घोषणा

बंगलादेश जन गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य श्री हुसैन मोहम्मद इरशाद, भूटान नरेश महामहिम नरेश जिग्मे सिग्ये वांगचुक, भारत गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य श्री चन्द्रशेखर, मालदीप गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य मोमून अब्दुल गय्यूम, नेपाल के प्रधान मंत्री परम सम्माननीय कृष्ण प्रसाद भट्टाराई, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य श्री मोहम्मद नवाज शरीफ और लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्री दीनगिरी बंदा विजेतुंग 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले मे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवें शिखर सम्मेलन के मिले।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात को दोहराया कि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने अपना यह दृढ़ मत दोहराया कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व कायम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस क्षेत्र के देशों के बीच पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और अच्छी प्रतिवेशिता के संबंध कायम किए जाएं। उन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की और समान उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्क के तत्वावधान में अपने सहयोग को और बढ़ाने का पुनः संकल्प लिया।

3. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने बलपूर्वक यह बात कही कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सिद्धान्तों का सख्ती से अनुपालन करते हुए, खासतौर पर सम्प्रभुतात्मक

समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, शक्ति का प्रयोग न करने, दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के सिद्धान्तों के प्रति विशेष सम्मान करते हुए इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और सौहार्दता संवर्धित करना चाहते हैं।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 1985 में सार्क की स्थापना तथा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्ययोजना शुरू करने से इस क्षेत्र के लोगों में उत्साह बढ़ा है और आशा जागी है तथा दक्षिण एशिया में एक जागरूकता भी आ गई है जो क्षेत्रीय सहयोग की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है और धीरे-धीरे विकसित भी हो रही है। उन्होने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता में सद्भाव, विश्वास और समझ-बूझ की जो रचनात्मक स्थिति विद्यमान है, उसका वे अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तथा सार्क को एक ऐसा सक्रिय माध्यम बना देंगे जो अपने उद्देश्यों में सफल हो सके तथा जिससे पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग और पारस्परिक लाभ पर आधारित एक व्यवस्था कायम हो सके।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया में बच्चों की स्थिति पर विचार किया और यह देखा कि हाल ही मे जो विश्व बाल सम्मेलन हुआ था उससे इस दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों को एक नई प्रेरणा मिली है। उनका यह विश्वास था कि विश्व शिखर सम्मेलन की संगत सिफारिशों का, दक्षिण एशिया के संदर्भ में एक कार्य योजना में लाभप्रद तरीके से इस्तेमाल करके इसके कार्यान्वियन पर हर वर्ष विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्य योजना के मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त विशेषज्ञों के एक दल द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिनका चयन सार्क महासचिव कर सकते हैं। इस कार्य-योजना का स्वास्थ्य एवं जनसंख्या संबंधी कार्यकलाप विषयक तकनीकी समिति भी निरीक्षण कर सकती है। उन्होने बाल अधिकार संबंधी अभिसमय पारित किए जाने तथा उसे लागू किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि जो सदस्य राज्य अभी तक इस अभिसमय के पक्षकार नहीं बने हैं वे शीघ्र ही इसके पक्षकार बनेंगे।

6. शासनाध्यक्षों अथवा राज्याध्यक्षों ने जून, 1990 में इस्लामाबाद में आयोजित "विकास में महिलाओं के योगदान" के संबंध में सार्क की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सिफारिशों की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि वर्ष 1990 को "सार्क बालिका वर्ष" के रूप में मनाने पर सदस्य राज्यों ने सामूहिक तौर पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यह निर्णय किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1991-2000 ईसवी का दशक "सार्क बालिका दशक" के रूप में मनाया जाना चाहिए।

7. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच बढ़ते हुए गठजोड़ पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 1989 को नशीली औषधियों के प्रयोग और उनके अवैध व्यापार के लिए सार्क वर्ष के रूप में मनाए जाने से इस भीषण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से बहुत जोरदार प्रभाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता को भी

बहुत सराहा गया है कि इस समस्या को जड़मूल से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप "नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसिज" संबंधी सार्क अभिसमय पर माले में हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने सदस्य राज्यों का आह्वान किया कि इस अनुसमय के अनुसमर्थन के लिए शीघ्र उपाय करें ताकि इसे लागू किया जा सके। वे इस ओर से पूर्णतः आश्वस्त थे कि इस अभिसमय से इस क्षेत्र में सार्क के प्रयासों को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी।

8. उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण के संरक्षणों और परिरक्षणों के कारणों और परिणामों से संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन को पूरा करने की समय-सीमा के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि "ग्रीन-हाउस इफैक्ट" और इसके प्रभाव पर अध्ययन शुरू करने से संबद्ध रीति को जो निकट भविष्य में अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि यह अध्ययन छठे शिखर सम्मेलन में विचारार्थ पूरा हो जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर गौर किया कि सघन वर्षा के क्षेत्रों का विश्वभर में लगातार विनाश होने की वजह से जलवायु संबंधी परिवर्तनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावित अध्ययन में इस पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इन अध्ययनों से पर्यावरण एवं प्राकृतिक विपदा-प्रबंध के क्षेत्र में सार्थक सहयोग की एक कार्य योजना तैयार हो सकेगी।

9. इस बात को मानते हुए कि पर्यावरण प्रमुख सार्वभौम चिन्ता का विषय बन गया है, राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर-सरकारी पैनल द्वारा अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के सम्बन्ध में की गई पूर्व सूचना पर गौर किया। उन्होंने विश्व समुदाय से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त वित्त जुटाएं तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएं ताकि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन और समुद्रीय स्तर के ऊंचा हो जाने से उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सदस्य देशों को इस मसले पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थितियां समन्वित करनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 1992 को "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने संतोष के साथ इस बात पर गौर किया कि व्यापार, विनिर्माण एवं सेवाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्ययन पूरा हो गया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन मन्त्रिपरिषद द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र के लोगों की समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यात्रा दस्तावेजों के बारे में मन्त्रिपरिषद की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह योजना शुरू करने का फैसला किया।

12. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि सदस्य राज्यों को मजबूर होकर अपने दुर्लभ संसाधनों को आतंकवाद को दबाने के लिए लगाना पड़ रहा है। उन्होंने आतंकवाद के दमन के सम्बन्ध में सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए तेजी से

सक्षम उपाय करने का आह्वान किया। उन्होंने सदस्य राज्यों से अभिसमय के अनुसार सहयोग जारी रखने का भी अनुरोध किया।

13. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि आज उनके देश अगली सहताब्दी की दहलीज पर खड़े हैं जबकि संसार आज जबरदस्त परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है जिन्हें लोकतन्त्र, मुक्ति और मानवाधिकारों का प्रयोग करने, सैद्धान्तिक बाधाओं को दूर करने तथा सार्वभौम तनाव को कम करने तथा सार्वभौम संघर्ष के लिए तथा निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति तथा बहुत सी क्षेत्रीय और सार्वभौम समस्याओं के निराकरण के रूप में अभिव्यक्ति मिल रही है। उन्होंने सार्वभौम अर्थव्यवस्था में उदारता की प्रवृत्ति का तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में एकधार होने की प्रवृत्ति का स्वागत किया। उन्होंने सार्वभौम उत्पादन खपत और व्यापार की प्रणाली की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का तथा विश्व अर्थव्यवस्था ढांचे की बढ़ती हुई बहुरुपता तथा अपनी प्रौद्योगिक गति और प्रतियोगी रुख को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों की मण्डियों के एकीकरण की प्रवृत्ति पर भी गौर किया। इन परिवर्तनों ने नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं तथा दक्षिण एशियाई देशों और शेष विकासशील विश्व के लिए नए अवसर दिए हैं। राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट थे कि इन उद्देश्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से चलने के लिए उनका आपसी सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

14. विकासशील देशों की दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा के लिए जैव-प्रौद्योगिकी और औषधीय प्रयोजनों के अत्यावश्यक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में सहयोग को और विशेष रूप से आनुवंशिक संरक्षण के विशिष्ट ज्ञान के आदान-प्रदान तथा जनन-द्रव्य बैंकों के रख-रखाव को बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं देने के प्रस्ताव का स्वागत किया और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि विभिन्न सार्क देशों के पास उपलब्ध आनुवंशिक संसाधनों की सूची बनाने में सहयोग करने से पारस्परिक लाभ होगा। विकासशील देशों के लिए आनुवंशिक बैंक की स्थापना के लिए 15 विकासशील देशों के समूह (जी-15) के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस उद्यम में सहयोग देने को तैयार हो गए।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए एक कोष की स्थापना करने के विचार का स्वागत किया। इस कोष से क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाने और उनका विकास करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। वे इस बात पर सहमत हुए कि सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंकों के प्रतिनिधि कोष के स्रोतों को ठीक-ठीक रूपरेखा तैयार करने के लिए और ऐसे तरीके निकालने के लिए परस्पर विचार-विमर्श करेंगे जिससे इन्हें संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके। उन्होंने भारत द्वारा इस बैठक की मेजबानी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने खाड़ी में घटित हाल की घटनाओं को तनाव-शैथिल्य, सहयोग और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने वर्तमान प्रवृत्ति के विपरीत अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रुप में लिया। उन्होंने इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के पालन की पुनः पुष्टि की। इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कुवैत से इराकी सेनाओं की शीघ्र और बिना किसी शर्त पर वापसी की मांग की

और वहाँ की वैध सरकार की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि खाड़ी संकट से उनकी अर्थ-व्यवस्था पर भयंकर आघात पहुंचा है। प्रेषणों में आई भारी कमी, उनके निर्यात को नुकसान पहुंचने और तेल की कीमतों के बढ़ जाने से उनके भुगतान सन्तुलन की स्थिति को धक्का लगने के कारण उन्हें जो हानि हुई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने इन प्रतिकूल परिणामों से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए पारस्परिक सहयोग की सम्भावनाओं को स्वीकार किया।

17. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र में छोटे राज्यों की रक्षा और सुरक्षा के लिए मालदीव की सरकार ने जो पहलकदमी की थी और जिसका सभी ने समर्थन किया था, उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का भी व्यापक समर्थन मिला है। वे इस बात पर सहमत हुए कि छोटे राज्यों की अपनी विशेष किस्म की समस्याएं हैं, इसलिए उनकी स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए विशेष उपायों की जरुरत है।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने आशा व्यक्त की कि शस्त्र नियन्त्रण पर दो महा शक्तियों के बीच वार्ता का निष्कर्ष उनके नाभिकीय अस्त्रागारों में भारी कमी किए जाने की सहमति के रुप में होगा जिसके माध्यम से बाद में नाभिकीय शस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा। सार्वभौम शस्त्र कटौती के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का स्वागत करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास तथा भरोसे को बढ़ाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच के सम्बन्धों का उल्लेख किया तथा सभी राष्ट्रों से विशेषत: जिनके पास भारी मात्रा में नाभिकीय तथा परम्परागत शस्त्रागार हैं, से मांग की कि वे अतिरिक्त वित्तीय साधनों, मानव शक्ति तथा सृजनात्मक कार्यों को विकास की दिशा में लगाएं। उन्होंने रासायनिक अस्त्रों पर रोक लगाए जाने तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का समर्थन किया। इस सम्बन्ध में, उन्होंने आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि को व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध संधि में परिवर्तित किए जाने से सम्बन्धित संशोधनों पर विचार करने के लिए जनवरी, 1991 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाए जाने का स्वागत किया।

19. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, संसाधनों के प्रतिकूल प्रवाह, व्यापार में अत्यधिक अवरोध, गम्भीर विदेशी ऋण समस्याओं तथा अधिक ब्याज दर की है। अत: सार्क देशों के लिए अधिक रियायती साधनों तथा प्रौद्योगिकी और साथ ही उनके निर्यात के लिए मंडियां उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं को कम महत्व नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आपसी हितों पर आधारित सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता की मांग की तथा यह अनुभव किया कि परस्पर आश्रित सम्मान प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उत्तर दक्षिण विचार-विमर्श किया जाए।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर इस्लामाबाद में हुई प्रथम मंत्री स्तर की बैठक की उपयोगिता को दोहराया। वे इस बात पर सहमत हुए कि उरूग्वे दौर के परिणामों की समीक्षा करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिसमें पर्यावरण तथा विकास से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 शामिल है, स्थिति को समन्वित करने के लिए 1991 में भारत में मन्त्री स्तर की ऐसी दूसरी बैठक आयोजित की जाए।

21. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समता के प्रयासों को जारी रखने के लिए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने स्वावलम्बन के उद्देश्यों के लिए मंत्री स्तरीय बैठक की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मंत्रियों को क्षेत्रीय साधनों को संचालित करने की नीति तैयार किए जाने का निदेश दिया। इससे क्षेत्र में अलग-अलग और सामूहिक स्वावलम्बन को उत्साह और बल मिलेगा।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने पेरिस घोषणा (1990) तथा अल्पविकसित देशों से संबद्ध द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों द्वारा स्वीकार की गई कार्ययोजना को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन में सहयोग देने की मांग जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने साउथ एशिया के लोगों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी जानकारी तथा सामग्री का अनुकूलन उपयोग करके बेहतर आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया तथा निर्णय किया कि 1991 का वर्ष "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जाए।

24. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने नोट किया कि सार्क क्षेत्र में लाखों अपंग रह रहे हैं तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी जरूरी है। उन्होंने वर्ष 1993 "सार्क अपंग व्यक्तियों का वर्ष" मनाने का फैसला किया।

25. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न थे कि पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन और मालदीव की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ एक ही समय सम्पन्न हुई। इससे उन्हें मालदीव की सरकार तथा लोगों के प्रति अपनी एकजुटता की भावना प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका विचार था कि माले शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को समेकित करने और सार्क के संस्थागत आधार को मजबूत करने में सहायता मिली है।

26. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1991 में छठे सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया।

27. बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारियों को शानदार ढंग से निभाने के लिए हार्दिक सराहना की। उन्होंने मालदीव की सरकार का तथा लोगों का उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं तथा बैठक के दौरान उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए आभार प्रकट किया।

माले में आयोजित पांचवे सार्क शिखर सम्मेलन के अन्त में 23 नवम्बर, 1890 को जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

बंगला देश के राष्ट्रपति, भूटान के नरेश, भारत के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवे शिखर सम्मेलन के लिए

एकत्र हुए। उनकी यह बैठक हार्दिकता, सौहार्दता तथा पारस्परिक सद्भाव के वातावरण में हुई।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति अपनी वचन-बद्धता की पुनः पुष्टि की और सार्क के तत्वावधान में अपने पारस्परिक सहयोग को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। उन्होंने माले घोषणा जारी की।

3. उन्होंने नारकोटिक ड्रग्स और साईको ट्रोपिक सब्सटैंस विषयक सार्क अभिसमय पर माले में मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया तथा इस अभिसमय का शीघ्र अनुसमर्थन करने के उपाय करने का वचन दिया।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात का फैसला किया कि वे एक "विशेष सार्क यात्रा दस्तावेज" शुरू करेंगे जिसके धारकों को इस क्षेत्र में यात्रा के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्षों को तथा उन पति/पत्नियों और आश्रित बच्चों को यह दस्तावेज प्राप्त करने का हक होगा।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रि-परिषद के इस निर्णय की पुष्टि की कि 1991 की पहली छमाही में संगठित पर्यटन को सर्वाधिक करने से संबद्ध योजना शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सदस्य राज्यों के पर्यटन उद्योगों के बीच संस्थागत सहयोग के प्रस्ताव का भी स्वागत किया ताकि इस क्षेत्र से बाहर के पर्यटकों और बड़ी मात्रा में आकृष्ट किया जा सके।

6. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी सदस्य राज्यों ने और अपने यहां व्यापार, विनिर्माण और सेवा संबंधी राष्ट्रीय अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन का कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

7. उन्होंने यह फैसला किया कि कुटीर उद्योग और दस्तकारी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की दिशा में तत्काल उपाय शुरू किये जाने चाहिए जिससे कि क्षेत्र के भीतर सामूहिक आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए संघ तैयार हो सके। उन्होंने सार्क महासचिव को निदेश दिया कि वे सार्क क्षेत्र से 2-3 विशेषज्ञों का चयन करके एक दल का गठन करें। जो एक दस्तावेज तैयार करे। जिसमें संयुक्त उद्यमों की स्थापना के तौर-तरीके सुझाए गए हों, वित्तीय स्रोत बताए गए हों और अन्य तमाम ब्यौरे दिए गए हों जिस पर मंत्रिपरिषद अपनी अगली बैठक में विचार कर सके।

8. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय आर्थिक कोष की स्थापना के प्रस्ताव पर गौर किया तथा स्थायी समिति को यह निर्देश दिया कि वह इस प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें दे जिस पर मंत्रि-परिषद के अगले अधिवेशन में विचार किया जा सके।

9. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सामूहिक प्रचार-तंत्र के क्षेत्र में सार्क के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया और सार्क महासचिव को यह निर्देश दिया कि वे

सार्क तत्वावधान में इस क्षेत्र के पत्रकार परिसंघों/एसोसिएशनों, समाचार अभिकरणों और सामूहिक प्रचार-तंत्रों के बीच और अधिक पारस्परिक कार्यकलाप को सुविधाजनक बनाए।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सूचना के आदान-प्रदान और रिपोर्टों के आदान-प्रदान तथा अध्ययनों, प्रकाशनों को यूरोपीय समुदाय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियां) के साथ प्रारम्भ में सहयोग के निर्धारित क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान करने का अधिकार सचिवालय को दिए जाने का स्वागत किया।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापित करने का काम ठीक चल रहा है। उनका यह मत था कि इस केन्द्र से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में योगदान मिलेगा।

12. उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, एक व्यापक रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय योजना, "सार्क 2000-बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति के संदर्भ में" को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

13. उन्होंने निदेश दिया कि आयोजकों को "गरीबी निवारण" संबंधी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए जिससे कि समुचित सिफारिशें तैयार की जा सकें।

14. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यह फैसला किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ईसवी सन् 1991-2000 का दशाब्द "सार्क बालिका दशाब्द" के रूप में मनाया जाएगा। वे सार्क बालिका अपील से बहुत प्रकाशित हुए जिसमें बालिकाओं ने अपील की है कि उन्हें स्नेह मिलना चाहिए तथा उनकी समुचित देखभाल होनी चाहिए और जिसमें उन्होंने अपने बालपन का अधिकार भी मांगा है। उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराया कि सामान्यतः सभी बालकों का कल्याण, और विशेषतः बालिकाओं का कल्याण, उनकी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रहेगा।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर सार्क सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच नियमित विचार-विमर्श के महत्व पर बल दिया जिससे कि, जहां तक मुमकिन हो, समान हित-चिन्ता के मामलों पर वे एकजुट रवैया अख्तियार कर सकें। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर मंत्रिस्तर की दूसरी बैठक 1991 में भारत में करने का फैसला किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया के लोगों को रहन-सहन की बेहतर परिस्थितियां मुहैया कराने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया और यह निर्णय लिया कि "बेघरों" की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए वर्ष 1991 "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने यह भी फैसला किया कि इस विचार के आधार पर प्रत्येक देश अपने-अपने यहां कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा अपने अनुभवों को एक-दूसरे के साथ अदल-बदल करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र के लोग "सार्क शरण-स्थल वर्ष" से व्यावहारिक लाभ उठा सकें।

17. उन्होंने यह फैसला किया किया कि प्राकृतिक विनाश के कारण और परिणाम तथा पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण से संबद्ध क्षेत्रीय अध्ययन तथा "ग्रीन हाउस इफैक्ट" संबंधी

अध्ययन तथा सार्क क्षेत्र पर इसका प्रभाव अगले शिखर सम्मेलन से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक ये अध्ययन कार्य पूरे नहीं हो जाते, सदस्य राज्यों को इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने तय किया कि वर्ष 1992 को वे "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाएंगे।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सार्क क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों अपंग व्यक्तियों के दुख-दर्द को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करने तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1993 को "सार्क अपंग-व्यक्ति वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

19. उन्होंने यह निर्णय किया कि 1991 को सार्क शरण स्थल वर्ष, 1992 को सार्क पर्यावरण वर्ष तथा 1993 को सार्क अपंग-व्यक्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। इन क्षेत्रों में सार्क देशों के लोगों का अधिकतम लाभ पहुंचाने तथा लोगों को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से क्रमश: श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्यकलाप की योजनाएं परिचालित करेंगे।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि "सार्क कृषि सूचना केन्द्र ने ढाका में अपना काम शुरु कर दिया है। उन्होंने यह निश्चय किया कि क्रमश: नेपाल और भारत में सार्क उपयोग केन्द्र तथा सार्क दस्तावेज केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। उन्होंने निदेश कि इन दोनों केन्द्रों का स्थापना की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की चाहिए।

21. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सार्क के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली बैठकों में अधिक से अधिक काम करने की ओर कार्यात्मक शैली कायम की जानी चाहिए। उन्होंने पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष और बंगलादेश के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इस दिशा में सदस्य राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरु किया जाना चाहिए।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष को यह निदेश दिया कि वे सार्क की गतिविधियों को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में अपनी सिफारिशें तैयार करें जिससे कि एसोसिएशन को अधिक कारगर तरीके से चलाया जा सके।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क सचिवालय के प्रारंभिक वर्षों के दौरान इसके प्रथम महासचिव की हैसियत से राजदूत अबुल एहसान ने जो अग्रणी कार्य किया है, उसकी सराहना की। उन्होंने राजदूत अबुल एहसान के उत्तराधिकारी के रूप में राजदूत श्री कांत किशोर भार्गव का स्वागत किया तथा सार्क की चालू गतिविधियों में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

24. उन्होंने इस सुखद संयोग पर बहुत खुशी जाहिर की कि सार्क का पांचवां शिखर सम्मेलन मालदीव की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है और इस संयोग के कारण ही उन्हें मालदीव की जनता और मालदीव की सरकार के साथ अपनी एकजुटता खुद अभिव्यक्त करने का मौका मिला।

25. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने श्रीलंका की सरकार के इस प्रस्ताव को साभार स्वीकार किया किया सार्क का छठा शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित करके उसे इसकी मेजबानी का अवसर प्रदान किया जाए।

26. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा सार्क के पांचवें शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से इस बैठक की कार्रवाई संचालित करने की भूरि-भूरि प्रशंसा की उन्होंने मालदीव गणराज्य की सरकार और वहां की जनता द्वारा शानदार स्वागत सत्कार किए जाने पर तथा इस सम्मेलन के लिए बहुत ही अच्छे प्रबन्ध किए जाने पर अपना हार्दिक आभार प्रकट किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के बारे में किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है। अगर आप सभी मुझसे सहयोग करेंगे, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप सभी को बोलने का अवसर प्राप्त हो। श्री पीयूष तीरकी

(व्यवधान)

1.03 म. प.

देश में विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के बारे में

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो ट्राइबलों के विषय में सारे हिन्दुस्तान में घटनाएं घट रही हैं, इसके विषय में प्रधान मन्त्री जी जरा सुन लेते तो बहुत अच्छा था, ट्राइबलों की समस्या है······

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ट्राइबल्स के बारे में सुनता लेकिन साउथ कोरिया के स्पीकर आधे घण्टे से बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें।

श्री पीयूष तीरकी : अभी जितने भी डवलपमैंट वर्क हो रहे हैं, चाहे बिहार में हों, उड़ीसा में हों, कर्नाटक में हों, गुजरात में हों या मध्य प्रदेश में हों, ट्राइबल इलाके में बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं, कारखाने बन रहे हैं, डवलपमैंट वर्क हो रहा है, उनमें सारी ट्राइबलों की जमहन ली जा रही है और ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। उनके रीहैबिलिटेशन के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन 40 वर्षों में, जिनको हम आदिवासी कहते थे, आज वह अन्तवासी की जगह आ गए हैं। आज सारे पेपरों में निकला हुआ है स्टेट्समैन में भी निकला हुआ है कि ट्राइबलों का जो मौलिक अधिकार है, उससे भी उनको वंचित किया जा रहा है, उनके जीने के अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। अभी ट्राइबलों को, आप जानते हैं, शेडयूल्ड एरिया कहा गया है, शेडयूल्ड एरिया में वे लोग वास करते हैं, लेकिन शेडयूल्ड एरिया के क्या माने है कि फिफ्थ शेडयूल में हैं, सिक्सथ शेडयूल में हैं, वह शेडयूल एरिया के मालिक हो गए हैं, वहां पर सारे लुटेरों को, पुलिस के अत्याचारों और जितने भी बनियों को, सूदखोरों को, लुटेरों को, ठेकेदारों को और फारेस्ट डिपोर्टमेंट के सारे कर्मचारियों को लूट करने की पूरी छूट दी गई है

उसका आप जायजा जरुर लें। मैं इस सरकार से और इस सदन से कहना चाहता हूँ, यहां ट्राइबलों का सवाल बहुत कम आता है, जब शेडयूल्ड कास्ट्स, ट्राइबल की बात होती है तो ज्यादातर शेडयूल्ड कास्ट्स पर एट्रासिटी तक विषय सीमित रह जाता है इसलिए इस सदन के माननीय सदस्यों से मैं अर्ज करता हूँ कि ट्राइबल समस्या पर गौर करें और उनके साथ जो कुछ भी घटनाएं सारे देश में घट रही हैं, सारे प्रान्तों में घट रही हैं, इस सदन में आज उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक और भी बात है......

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में कहें तो अच्छा होगा।

श्री पीयूष तीरकी : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

विषय इतना गम्भीर है कि शेडयूल्ड ट्राइब्स के जो कमिश्नर हैं, उन्हें भी एटानी जनरल को लिखना पड़ा है कि वह आकर देखें कि मानवाधिकार ट्राइबलों का छीना जा रहा है, उसको इस सदन मे पेश करें, यहां तक गम्भीर चीज सामने आई है इसलिए यह इस देश की सबसे गम्भीर समस्या बन चुकी है। इस बारे में दो लाइन वहां के पुलिस कमिश्नर, श्री बी डी शर्मा ने लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात में जो नर्मदा वैली है, वहां पर एजिटेटर्स डिसप्लेस्ड हो चुके हैं। इनमें आदिवासी और दूसरे लोग भी हैं। वहां गुजरात के बार्डर पर इन का धरना हुआ है। धरना यहां तक हुआ है कि इन को गुजरात में जाने का अधिकार नहीं है। वहां की पुलिस और यहां के प्रशासन ने उनको बार्डर पर रोका हुआ है। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे हम लोग पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बार्डर पर खड़े हुए हैं। वहां पर कई दिनों से, आठ-दस दिनों से, बाल-बच्चे हैं... (व्यवधान)... मैं सही बात कहता हूं... (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष महोदय, मैं आब्जरवर के रूप में गया था। यह पांच हजार आदिवासियों का सवाल है, औरतें, बाल-बच्चे और बूढ़े इस नरक में मध्यम प्रदेश की सीमा पर पड़े हुए हैं। ऐसा सुना गया था। हमको कमिश्नर ने भेजा तो हम गए और उनके साथ मिले। वहां पर धारा 144 लगी हुई है, हमें अनुमति बहुत मुश्किल से मिली। हम दो किलोमीटर तक गए, लेकिन उधर कोई आदमी नहीं मिला वहां पुलिस कमिश्नर ने कैम्प लगाये हुये हैं। वहां घोड़ा होम गार्ड वाहिनी, राईफल वाहिनी और महिला पुलिस करीब चार हजार वहां तैनात है वहां आदिवासियों को जाने से रोका जा रहा है। क्या आदिवासियों से सत्याग्रह करने का अधिकार छीन लिया गया है। वहां महिलाओं को पीटा गया। बाबा आम्टे की हालत खराब है, उनको दाखिल नहीं किया गया है। वहां जितने भी आदिवासी लोग है, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी डिमांड है कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, उनको रिव्यू किया जाये। आदिवासियों को पूर्ण रूप से बसाया नहीं जाता है, उनको जमीन नहीं दी जाती है। जगह, जमीन, पानी, जंगल, पहाड़ इन पर आदिवासियों का अधिकार है। इस अधिकार को, चाहे जो भी सरकार आए, उनसे नहीं छीनना चाहिए। इन के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को अपनी ओर से आगे आना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आप और सारा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि देश में जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा, देश का कर्तव्य है, यह सदन जोकि देश का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व संस्था है—उसे देश के आठ प्रतिशत जनसंख्या वाले इन बेजुबान जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस अपील के साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, श्रीमन्, बाबा आमटे, जोकि गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ पद यात्रा पर, बड़ी संख्या में जन जातीय लोगों से टकराव का रास्ता अपनाया गया है। इन शांतिपूर्ण पदयात्रियों पर बल प्रयोग किया गया है। मुझे किसी भी राज्य सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। वास्तव में, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं परियोजना के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन मैं और सारी सभा, यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहती है कि जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की जाए और उन पर कोई प्रभाव न पड़े। श्रीमन्, इन आन्दोलनकारियों के विरुद्ध बल प्रयोग किया जा रहा है, संविधान और जनजातीय लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : बात को दोहराये नहीं, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : श्रीमन्, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मानव अधिकारों का हनन हुआ है और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। दोनों राज्यों के राज्यपालों पर आदिवासी लोगों के हितों पर ध्यान देने का विशेष दायित्व है। बड़ी हैरानी की बात है, यह मामला प्रधानमन्त्री जी के देश के राष्ट्रपति के दोनों राज्यों के राज्यपालों के और महान्यायवादी के ध्यान में भी लाया गया था। सब कुछ निरर्थक रहा? इसलिये मैं, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि प्रधानमन्त्री जी को शीघ्र ही गुजरात और मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्रियों के बीच एक संयुक्त संगोष्ठी कराने की पहल करनी चाहिये। जिससे कोई समाधान हो सके और आदिवासियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, आप एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर 40 फीसदी शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स की आबादी है और आदिवासी क्षेत्रों में एक भयानक आग लगी हुई है। उस आग को बुझाने के लिये, उस स्थिति पर काबू पाने के लिये न केन्द्र की सरकार और न ही राज्य की सरकार महसूस कर रही है। जो उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र है, मध्यप्रदेश का बस्तर जिला, महाराष्ट्र का गढ़-चिरौली जिला, आन्ध्र प्रदेश का आदिलाबाद, ये ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलवादी मूवमेंट जोरों से चल रहा है और आगे भी उसकी तेजी होने वाली है। इस वक्त देश में एक कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। जो कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत स्पेशल आफिसर की पोस्ट है, कमिश्नर फार शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स की, उसने जो 28वीं और 29वीं रिपोर्ट दी थी, जिसके बारे में सदन में कोई डिस्कशन नहीं हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा और उस पत्र में आदिवासियों की जो स्थिति है उसका जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसी पत्र को रिट मान लिया, यद्यपि रिट अभी एडमिशन स्टेज पर है लेकिन कांस्टीटयूशनल स्थिति यह है कि कांस्टीटयूशन के अन्तर्गत जो पद है वह कमिश्नर फार शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्स का है। चीफ जस्टिस को जो उन्होंने पत्र लिखा, उस पर चीफ

जस्टिस ने एडमिशन का नोटिस दिया, ये सारी बातें सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से हैं लेकिन इस सम्बन्ध में इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो तिरकी जी ने बताया और 28वीं और 29वीं रिपोर्ट में कमिश्नर ने कहा है। कि जो इस देश में प्रोजेक्ट बनाये गये, जहां से आदिवासियों को उजाड़ा गया, उनका आज तक पुनर्वास नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आपके राज्य में, जहां से आप आते हैं वहां पर राउरकेला प्लांट जब स्थापित हुआ था तो इस देश के प्रधान मन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि आदिवासियों को वहां से जब उजाड़ा जायेगा तो उन्हें पुनर्वास दिया जायेगा और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को राउरकेला प्लांट में नौकरी दी जायेगी। मैंने वहां पर जाकर जांच की लेकिन आज तक वहां के आदिवासियों के परिवारों के सदस्यों को नौकरियां नहीं दी जा सकीं। उन्हें राउरकेला से सौ किलोमीटर दूर दक्षिण में, जो उनके पुनर्वास करने की योजना बनाई गई, उसमें भी कुछ नहीं किया गया। उसी तरह से यह जो नर्मदा घाटी की योजना है या दूसरी योजनायें, जो केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वहां से आदिवासियों को उजाड़ दिया जाता है, लेकिन न तो उनके पुनर्वास की और न ही उनको नौकरी देने की बाती है।

इसलिये बाबा आमटे जी ने यह आंदोलन चलाया। (व्यवधान)

श्री पीयूस तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, 4 लाख लोग विस्थापित होंगे।

श्री रामधन : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा योजना से जितने लोग विस्थापित होंगे, उनको बताने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई है और गुजरात तथा मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है इसलिए आदिवासियों की रक्षा के लिए और ऐसे प्रोजेक्ट न बनाए जाएं, जहां पर आदिवासियों को उजाड़ा जाना हो, जहां पर आदिवासी बेघरबार हों, भूखों मरने लगें।

अध्यक्ष महोदय, आज जो इस देश की स्थिति है, जल, जमीन और जंगल का झगड़ा आदिवासियों की समस्या बना हुआ है। आदिवासियों को वन संपदा से, फारेस्ट प्रोड्यूस से जो हिस्सा मिलता था, वह भी समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं, कि इस देश में ऐसे कानून बनाए जाएं, जिनसे आदिवासियों की रक्षा हो सके।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्द भाई सोमा भाई चावड़ा (पाटण) : महोदय, मैं आप से नर्मदा नदी परियोजना के विरोध और समर्थन से उत्पन्न हुई कठिन स्थिति के बारे में दिये गये ध्यानाकर्षण नोटिस के बारे में पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं चाहूंगा।

श्री खेमचन्द भाई सोमा भाई चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, रामधन जी ने गुजरात के बारे में कहा।

[अनुवाद]

आदिवासियों के पुनर्वास के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को निकाल दिया गया था, गुजरात सरकार उन्हें पांच एकड़ सिंचाई भूमि दे रही है। (व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : क्या आप हमें ब्लूप्रिंट देंगे यह सत्य नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तीरकी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्द भाई सोभाभाई चावड़ा : यह बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है······

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तीन दिन पहले यह बात कह चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्द भाई सोमा भाई चावड़ा : महोदय जो कुछ उन्होंने कहा है। मैं वह नहीं कह रहा हूं उन्होंने कहा है कि जिन आदिवासियों, को बेदखल कर दिया था उनके लिए कुछ नहीं, किया गया है। मेरा मुद्दा यह है कि गुजरात सरकार द्वारा बेदखल आदिवासियों के प्रत्येक परिवार को पांच एकड़ सिंचित भूमि दी जा रही है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : कौन से जिले में, किसी जिले का नाम आप बताइये।

अध्यक्ष महोदय : पीयूष जी, आप इस तरह से बीच में व्यवधान नहीं कर सकते, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री खेमचन्द भाई सोमा भाई चावड़ा : दूसरे बेदखल किए गए श्रमिकों को पांच एकड़ सिंचित भूमि दी जा रही है, तीसरा बेदखल आदिवासियों के प्रत्येक बड़े लड़के को भी पांच एकड़ सिंचित भूमि दी गई है। न केवल यही, प्रत्येक परिवार को 750 रुपये भी दिये गए हैं और उन आदिवासियों के परिवारों को अनुदान के रूप में 5000/- रुपये दिये गये हैं। महोदय, ऐसी कई योजनाएं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पर प्रत्येक बात को बताना आवश्यक नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। यह ठीक है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्द भाई सोमा भाई चावड़ा : महोदय, जो कुछ बाबा आमटे कर रहे हैं वह

राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं (व्यवधान) मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस परियोजना को लाने में 40 वर्ष लगे है और और अन्तराज्यीय न्यायाधिकारण ने 1979 में निर्णय दिया था···

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी : महोदय, उन्होंने कहा है कि यह एक राष्ट्र विरोधी आन्दोलन है (व्यवधान) वह आदिवासी नहीं है। उन्हें जाकर स्थान देखना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय 4 लाख आदिवासियों की स्थापना क्या एंटीनेशनल है। पहले उनको बसाया जाना चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। क्या इतनी बड़ी समस्या एंटी नेशनल है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं ?

(व्यवधान)

श्री सोमचन्द भाई सोमा भाई चावड़ा : आप संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त कीजिए जो उस मोके पर जाकर अध्ययन करें। (व्यवधान) अगर मैं गलत हूँ तो मैं किसी भी दण्ड के लिए तैयार हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार वही बात क्यों कर रहे है ? कृपया अब अपनी भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सोमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा : महोदय, न्यायाधिकरण ने दस वर्षों का समय लिया और इसके बाद स्वीकृति के लिये योजना आयोग ने सात वर्ष लिये तथा तब, विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति दी। इस मामले में निर्णय लेने में चालीस वर्ष लगे। वे लोग जो इस बारे में कुछ नहीं जानते उत्तेजित हो रहे हैं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए मैंने अपनी बात आपकी सुन ली है अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : व्यवस्था का प्रश्न है, महोदय बहुत माननीय और आदरणीय नेता, श्री आमटे जो सभा में उपस्थित नहीं है पर माननीय सदस्य द्वारा अपने भाषण में आरोप लगाया है। मैं चाहता हूं उसे वक्तव्य को निकाल दिया जाये।

अध्यक्ष : अगर श्री सामटे को कोई अप्रतिष्ठाजनक बात कही गई है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि डी.टी.सी. के 50 हजार कर्मचारियों और दिल्ली के 90 लाख लोगों की समस्याओं के प्रति मैंने पहले भी ध्यान दिलाया था। एक बार पुनः मैं आपका ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, डी.टी.सी. के 50 हजार कर्मचारियों और दिल्ली की 90 लाख जनता की जो समस्याएं हैं, लोगों के प्रति डी.टी.सी. का जो व्यवहार हो रहा है, अगर आप टोटल फलोट देखें— 1987-88 में 5500 बसें थी, जो 1990 में कम होकर 5000 रह गयी हैं, जबकि सातवें प्लान के आखिर में 7500 बसें बढ़नी चाहिए थी जहां 2500 बसें बढ़नी चाहिए थी वहां 500 कम हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, 1987-88 में यह घाटा 78.88 करोड़ रुपये का था जो इस वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ होने की उम्मीद है। मेरा कहना है कि जहां पर बसें कम हो रही हैं और घाटा बढ़ रहा है वहां पर जनता के कष्टों में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि डी.टी.सी. के कर्मचारियों के साथ हड़ताल के दौरान तीन वायदे किए थे। यह अन्तिम पत्र है जो मुझे श्री के.पी. उन्नीकृष्णन ने 27 सितम्बर, 1990 को लिखा था। उस समय डी.टी.सी. के कर्मचारियों ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की थी चौथे पे-कमीशन के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह मामला आप बार-बार उठा चुके हैं। आप विषय पर आईये।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा कहना है कि उन्नीकृष्णन साहब ने एक वायदा किया था डी टी.सी. कर्मचारियों के साथ कि यह मामला कैबिनेट के पास गया है, चौथे पे-कमीशन की रिपोर्ट अक्तूबर तक उन पर लागू हो जाएगी।

[अनुवाद]

"दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के मामले में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये हमने कैबिनेट को सिफारिश की है और मुझे आशा है कि जब इसकी सरकारी रूप से घोषणा की जायेगी तो अगले कुछ हफ्तों में निर्णय ले लिया जायेगा।"

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि अक्तूबर के अन्दर पे-कमीशन की अनाउंसमैंट होनी थी, आज

जनवरी हो गया है, मैं जानना चाहूँगा कि चौथे पे-कमीशन की सिफारिशें 50 हजार डी.टी.सी. के कर्मचारियों पर लागू होंगी ?

आखिर में एक छोटी सी बात और है, वह यह कि 550 शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स अस्थायी कर्मचारियों को निकाल दिया था, उन्हें वापिस कब लिया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में कावेरी जल मामले को उठाना चाहता हूं। सौभाग्य से, माननीय प्रधान मन्त्री ने पहले ही आश्वासन दिया है कि वह जल छोड़ने के लिए अनुदेश जरी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बारे में और क्या कहना है ?

श्री अन्बारासु इरा : मैं एक अन्य विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो कल समाचार पत्र 'हिन्दु' में निम्न शीर्षक के अन्तर्गत आया था। तमिल उग्रवादियों को तमिलनाडु से जाने के लिए कहा जा रहा है।" महोदय, श्रीलंका के शरणार्थियों को भारत सरकार के आदेशों और निर्देशों के तहत तमिलनाडु में रखा गया था। उन्हें शरणार्थियों को दर्जा दिया गया है मुख्य मन्त्री को उन्हें तब तक तमिलनाडु से जाने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है जब तक श्रीलंका में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और उन्हें आतंकवादियों का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने लिट्टे को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के आदेश दिये थे। लिट्टे को गिरफ्तार करने के नाम पर तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री अन्य ग्रुप के लोगों को गिरफ्तार कर रहे है जो भारत के समर्थक है अर्थात् ई. एम. डी. एल. एफ., टी. यू. एल. एफ. ई. पी. तथा अन्य निर्दोष लोग और बी. आर. बूढ़े और बच्चे भी गिरफ्तार किये जा रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने लिट्टे के उन लोगों को छोड़ दिया है जो अपराधों के मामलों में शामिल है। इ. एन. डी. एल. एफ. और ई. पी. आर. एल. एफ. के लोगों को राष्ट्रीय अधीन जेल में बन्द किया गया था। जबकि लिट्टे के लोगों को जिन्होंने श्री पदमनभान की हत्या की थी, को छोड़ दिया गया था। शरणार्थियों को जो अन्य ग्रुप से संबंधित थे, को नई बनी सेन्ट्रल जेल पूजल मे रखा गया था और उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई थी जबकि सारी सुविधाएं लिट्टे को दी गई थी और उन्हें पुलिस ट्रेनिंग कालेज बेल्लोर में रखा गया था।

इसलिये, मैं माननीय मंत्री से तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा किये गये पक्षपात पूर्ण रवैये को रोकने के लिये की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहूँगा। नियम 193 के अधीन चर्चा के लिये मैंने नोटिस दे रखा है, इसलिये, मैं विदेश मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वह नियम 193 के अन्तर्गत एक विस्तृत चर्चा कराने की अनुमति दें।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मैं वित्त मन्त्री जो सौभाग्यवश यहां मोजूद हैं, का ध्यान जम्मू और कश्मीर से आए हुए शरणार्थियों की गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, यह दुःख की बात है कि एक वर्ष के पश्चात् ऐसी स्थिति हो गई है। हमारे अपने ही राज्य के लोग भारत में शरणार्थी बन गए हैं। उनकी समस्या का अभी भी समाधान नहीं हुआ है। जब तक उस पर यह संकट है, उनके हित में थोड़ा बहुत तो कुछ आसानी से किया ही जा सकता है।

शरणार्थियों के वे बच्चे जिन्हें सामान्तया इंजीनिरी कालेजों में दाखिला, मिल जाता था, दुर्भाग्य से, जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुसार अब प्रवेश के अधिकारी नहीं हैं। वहां हमारी सरकार है, वहां हमारे राज्यपाल हैं; वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। लगभग 37 सीटें यूं ही बेकार जाती हैं। ऐसे लोगों की एक सूची बनाई जानी चाहिए और उन्हें विभिन्न राज्यों के भारतीय इंजीनियरी कालेजों में दाखिला मिल जाना चाहिए।

महोदय, आप उनकी दशा जानते हैं। कई लोगों ने दिल्ली में निवास किराए पर लिया हुआ है किन्तु वे अपनी उस बचत का उपयोग नहीं कर पाए, जो जम्मू और कश्मीर के बैंकों में जमा है। ये लोग निवेदन कर रहे हैं कि जहां तक आयकर का प्रश्न है, उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए। यदि आप उन्हें वे अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दे सकते जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं, क्योंकि वे भी तो राज्य सरकार कर्मचारी हैं, तो कम से कम उनकी दशा सुधरने तक आप उन्हें कर में रियायत तो दे सकते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात उनके पुनर्वास की है। उन्होने निवेदन किया है कि जम्मू और कश्मीर में ही एक क्षेत्र चुन लिया जाना चाहिये, जहां पर एक कालोनी या कस्बा बनाया जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनकी यह खेदजनक स्थिति कब समाप्त होगी और कब हम अपने इन लोगों को वापस जम्मू और कश्मीर भेज पाएंगे।

महोदय वास्तव में, आज हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य समझना इस बात पर निर्भर करता है कि जम्मू और कश्मीर में विभिन्न धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले लोग शान्तिपूर्वक रह सकें। हमें ऐसी स्थितियां पैदा करनी है। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि उनसे भेंट करने के उपाय किए जाएं। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह उन प्रतिनिधियों से मिलें और उनकी समस्याएं सुलझाएं। मैं चाहता हूं कि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कृपया वित्त मन्त्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करने दें। यह ठीक रहेगा और यह अच्छा सन्देश भी होगा। उन्हें उत्तर देने की अनुमति दें। वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

वित्त मन्त्री जी कुछ तो कह दें कि मैं देखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कब मना कर रहा हूं। वह बैठे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. बेंजामिन (अगरतल्ला) : श्री साठे ने अभी जो कुछ कहा मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। पंजाब से आए लोगों को भी समान सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मानदण्ड समान होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह भादू (बीकानेर) : देश के दूसरे हिस्सों में लोग आये हैं उनको भी इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए चाहे देश के किसी भी हिस्से से आये हों।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : जहां तक कश्मीरी शरणार्थियों का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य श्री साठे को सुझाव देना चाहता हूं ? कि यदि वह इसकी व्यवस्था कर सकें तो मैं शरणार्थियों के प्रतिनिधि-मण्डल से मिलने को तैयार हूं। मैं समस्या पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मुझे मेरे चुनाव क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक बार और कुछ ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर मिट्टी के तेल की अत्यन्त कमी है। न तो आदिवासी क्षेत्रों में और न अन्य क्षेत्रों में ही मिट्टी का तेल उपलब्ध है। रात में लगभग कोई भी घर रोशन नहीं होता।

दूसरे, वन विभाग की कड़ाई के कारण लोगों को ईंधन के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। इण्डेन गैस की आपूर्ति भी रुक गई है। इसलिए देश के उस भाग में बहुत गम्भीर स्थिति व्याप्त है। मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार तुरन्त पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराए और स्थायी उपाय करे। पर्यावरण एवं वन मन्त्री यहां हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह उचित मात्रा में ईंधन की लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिससे ग्रामवासियों को वनों में घुसकर उन्हें नष्ट करने पर मजबूर न होना पड़े। इण्डेन गैस की आपूर्ति जो रुकी पड़ी है उसे पुन: शुरू किया जाये।

श्री एम. एम. पल्लम राजू (काकीनाडा) : मैं इस सदन और सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं जिससे हमारे उर्वरक उद्योग के रुग्ण होने का खतरा है और इससे हमारी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महोदय यह विषय उस कच्चे माल के आयात से सम्बन्धित है जो उर्वक उद्योग के लिए आवश्यक है और इसकी आपूर्ति में लगातार बाधा पड़ रही है और उद्योग को पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती।

मेरा दूसरा प्रश्न फोस्फोरिक एसिड और अमोनिया के आयात के बारे में है, जिसकी डायमोनियम फोस्फेट के उत्पादन में कावश्यकता है। ऐसी कई उर्वरक कम्पनियां हैं जो कई उत्पादों का उत्पादन करती हैं, जबकि कई कम्पनियां केवल डायमोनियम फौस्फेट का उत्पादन करती हैं। तैयार उत्पाद की अपेक्षा कच्चे माल के आयात पर अधिक खर्च आता है। किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में, सरकार ने डायमोनियम फोस्फेट के भी उत्पादन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी सतर्कता से निर्णय लिया है। यदि कच्चे माल की आपूर्ति में बार बार व्यवधान डाला जाता है और इसकी आपूर्ति अपर्याप्त है, तो वह उर्वरक उद्योग के लिए खतरा है और इससे हमारे कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करता कि वे इसकी ओर ध्यान दें और तुरन्त कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा पैदा की गयी गर्मी के बावजूद बाहर जो सर्दी है और जो शीत लहर चल रही है, उसमें हजारों लोग

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्रों, हरियाणा और पंजाब के अलावा दूसरे इलाकों से पीड़ित हो रहे हैं, उनके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बर्फ की चट्टान खिसकने से अकेले मेरी कांस्टीट्यन्सी में 12 लोग मरे हैं और इसी प्रकार से हालत गढ़वाल में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दूसरे हिस्सों में है। हजारों गरीब लोग, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है वे दु:ख में रह रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में सदन में बहस की जानी चाहिये। मैंने इस मामले में कालिंग अटेंशन का नोटिस भी दिया है। मेहरबानी करके उस पर चर्चा की जाये।

(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, जहां इस वर्ष भारी हिमपात से सारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में जान-माल की बहुत ज्यादा क्षति हुई है, उसमें हिमाचल प्रदेश अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश के जितने जन-जातीय क्षेत्र हैं उनमें इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि उनका संपर्क देश के बाकी भागों से आज तक टूटा हुआ है। वहां कितनी क्षति हुई है, उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यालय शिमला में है, वहां पर लोगों को बिना पानी, बिजली और टेलीफोन के एक सप्ताह तक रहना पड़ा है और वहां की सरकार के अनथक प्रयत्नों के बावजूद आज भी वहां पर सारी की सारी सप्लाई रैस्टोर करने में बहुत कठिनाई आ रही है और आज हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय संकट में है।

मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और देश के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, सब को एक स्पेशल ग्रांट दी जाये ताकि ऐसी असाधारण स्थिति से वहां की सरकारें निपट सकें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आज नागरिकों की स्वतंत्रता के बारे में संविधान की धारा 19 में उल्लिखित अधिकारों की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी अभी भारत सरकार के यहां दिल्ली में यह समाचार आया है कि साध्वी रिदम्बरा को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, धारा 153ए के अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक ओर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर राष्ट्र की जानी-मानी साध्वी सन्यासिनी हैं। बहुत सुन्दर वक्ता, राष्ट्रभक्त हैं जिनका केवल एक यह अपराध है कि उन्होंने राष्ट्र के अन्दर भारत माता की सेवा करने के लिए अयोध्या जाकर राम मन्दिर के निर्माण में कार्य किया और आज वह राष्ट्र को बता रही हैं कि अयोध्या के अन्दर 20 तारीख को व 2 तारीख को गोली काण्ड से 40 आदमी मारे गये। हमारे प्रधान मंत्री ने इस सदन के अन्दर यह कहकर के गुमराह किया कि केवल मरने वाले की संख्या 16 थी जबकि रिदम्बरा ने बताया कि यह संख्या 40 थी। यह कोई अपराध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पास इसकी सूची को प्रस्तुत किया है और मेरे पास उस···

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं आपकी आज्ञा से वह सूची सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 40 आदमी मरे हैं और उस सूची में 40 लोग है . इसलिए अनुरोध है कि साध्वी रिदम्बरा को गिरफ्तार न किया जाये यदि उस को गिरफ्तार किया जायेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी आप बिना परमिशन खड़े हो जाते हैं। श्री शास्त्री जी।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन यह करूं कि मुझे अभी एक महीना पहले मैसिव हर्ट अटैक हुआ है और मुझे अभी भी यहां दर्द है। अगर मुझे बार-बार बैठाया जायेगा तो मुझे तकलीफ हो सकती है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको लिखकर दे दिया है तो उसके अनुसार समय देख लिया करें ताकि मुझे बार बार यह नहीं कहना पड़े कि मैं मृत्यु के मुंह से निकलकर आया हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो दूसरे लोगों ने कह दी है। मैंने आपको नोटिस इसलिए दिया कि मध्य प्रदेश से लगभग पांच हजार आदिवासी पैदल चलकर के झाबुआ, गुजरात की सीमा पर पहुँचे हैं। जबकि सरदार सरोवर गुजरात में बन रहा है लेकिन विस्थापित होने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोग। मैं मध्य प्रदेश का हूं इसलिए पीड़ित हूँ, इसीलिये मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, अन्यथा मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की पीड़ा है इसलिए मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमन्, पांच हजार लोग वहां पहुंचे हुए हैं। बाबा आमटे उन का नेतृत्व कर रहे हैं। बाबा आमटे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हैं, यह दुनिया में कोई नहीं कहेगा। निस्वार्थ भाव से 40 वर्षों से वे मानवता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने "भारत जोड़ो" के लिए उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत की यात्रा की। इतना ही नहीं श्रीमन्, उनको "रैमन मैग्सेसे अवार्ड" मिला हुआ है। दुनिया के अन्दर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में ये लोग जा रहे हैं लेकिन न तो गुजरात की सरकार, न मध्य प्रदेश की सरकार और न केन्द्रीय सरकार उनसे बात करना चाहती है। यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब बाबा आमटे ग्राम भद्रा नदी के किनारे बेहोश होकर गिर गए। वे बीमार व्यक्ति हैं हमारे जैसे, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है, वे केवल लेटकर चल सकते हैं, पैदल चल ही नहीं सकते, यानि एम्बुलेंस में चलते हैं। गुजरात के एक आयुक्त ने उनको आदेश दे दिया कि आप पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं, एम्बुलेंस में नहीं जाएंगे। वह तो पैदल जा ही नहीं सकते, वे ऐम्बुलेंस में ही जाते हैं। यह तो भारतीय संविधान के अन्दर फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं।

अगर कहीं गोली चलने लगती है, नर-संहार होता है तो सरकार कहती है कि हम बात-चीत करने के लिये तैयार हैं। जो लोग नरसंहार करते हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है लेकिन जो गांधीवादी रास्ते पर चल रहे हैं, हाथ बांधकर पीछे चल रहे हैं, न किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को लूट नहीं रहे हैं, न कहीं आग लगा रहे हैं, उन लोगों को रोक दिया गया है और बार्डर सील कर दिया गया है जैसे हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का हो।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठ जाएं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : श्रीमन्, अगर गोली चलाने वालों से नरसंहार करने वालों से

बात हो सकती है तो बाबा आमटे और वहां आदिवासियों के नेताओं से बातचीत क्यों नहीं की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठ जाएं, हम ने सुन लिया।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मुझे कह लेने दीजिए। आज से कुमारी मेधापाटकर तथा उनके पांच सहयोगी आमरण अनशन पर बैठे हैं और बाबा आमटे की स्थिति गम्भीर है। ऐसी हालत में मेरा अनुरोध है, मैं तो कहना चाहता था जब प्राइम मिनिस्टर यहां थे, क्योंकि प्रधान मंत्री जी काफी उदार हैं, वे सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। इन लोगों से तो कम से कम बात करें। मैं स्वयं बांधों के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिंचाई योजनाओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं यह चाहता हू कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास का मामला है, उनकी अन्य शिकायतें हैं, उनसे कम से कम बात तो करें, केन्द्रीय सरकार बात करे। गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार बात करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.45 म. प. तक के लिये स्थगित होती है।

1.45. म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 45 म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.49 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.49 म. प. पर. समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई।]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। श्री पी. आर. कुमारमंगलम।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के विवाद का निपटारा न किया जाना

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सेलम) : मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के विवादों का निपटारा न होने तथा प्रबन्धकों द्वारा उनके कथित रूप से तंग किए जाने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही।"

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों के विवाद का निपटारा न किए जाने और प्रबन्धन द्वारा उनके कथित उत्पीड़न से संबंधित है सबसे पहले मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि चूंकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक सांविधिक निकाय है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के संघ के साथ उनकी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से विचार विमर्श करता है, इसलिये सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। यद्यपि शुरू में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भर्ती किये गए नए कर्मचारियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों पर लागू वेतनमानों को अपनाया था, लेकिन 1986 से कुल मिलाकर यह भारतीय रिजर्व बैंक प्रबन्धन और इसके कर्मचारी यूनियनों के साथ हुए समझौतों का पालन कर रहा है वेतन, भत्ता और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन की मांगों के चार्टर के सम्बन्ध में बैंक प्रबन्धन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी संघ के बीच जनवरी और जून 1990 के दौरान पांच बार विचार-विमर्श हो चुका है। जबकि कई मुद्दों पर सहमति हो गयी है, कुछ छोटे मुद्दों पर, जो मुख्यतः समूह "ग" के कर्मचारियों के वर्गीकरण और समूह "ख" के कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में ग्रेड 'क' के पदों में पदोन्नतियों के अवसरों से सम्बन्धित थे, मतभेदों के कारण समझौता नहीं हो सका।

समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाने के बाद पश्चात् कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता और घोर दुर्व्यवहार की विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी। इसके कारण बैंक के 21 कर्मचारियों को चार्जशीट किया है। इनमें 16 वे कर्मचारी भी शामिल है जिन्हें निलम्बित किया गया है। उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

हाल ही में निलम्बनों के मामलों की समीक्षा करने पर, प्रबन्धन ने 16 में से 14 कर्मचारियों के निलम्बन रद्द कर दिये है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि बाकी दो मामलों के बारे में पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज है।

जिन दो मुद्दों पर समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हुआ था वे ये थे।

(1) समूह "ग" के कर्मचारियों का वर्गीकरण; और

(2) समूह "ख" (लिपिकीय कर्मचारी) के कर्मचारियों के लिए अधिकारी संवर्ग में ग्रेड "क" में पदोन्नति के अवसर।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रबन्धन अपने कर्मचारियों से, जिन्होंने समझौता वार्ता बन्द कर दी है, फिर से वार्ता शुरू करने को तैयार है। मुझे विश्वास है कि लम्बित मामलों को सद्भावना से समझौते द्वारा तय किया जा सकता है, कर्मचारी सकारात्मक रुख अपनाएंगे और वार्ता के लिए तैयार हो जाएंगे तथा माननीय सदस्य भी कर्मचारियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और उन्हें इस बारे में उचित परामर्श देंगे। वास्तव में मतभेद इतने छोटे हैं कि एक परस्पर सम्मत हल पर पहुंचने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्तव्य के बाद आपका कोई प्रश्न है?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो यह प्रश्न किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, कि क्या मैं इस वक्तव्य के पश्चात कुछ कहना चाहता हूं। इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विचार में मुझे आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के ध्यान में कतिपय पुरानी बातें लानी होंगी।

वर्ष 1986 में एक समझौता हुआ था और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और इसके प्रबन्धकों के बीच यह पहला समझौता था। यह समझौता ऐसे ही नहीं हो गया था। यद्यपि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में पहले कृषि पुनर्वित विकास निगम तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि-ऋण विभाग को दूसरे में मिलाकर 12 जुलाई, 1982 को हुई थी। यह समझौता इसलिए सम्भव हो पाया था। क्योंकि इस मामले में तत्कालीन वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री ने प्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी ली थी। प्रबन्धकों ने उस समय यह रवैया अपनाया था कि कुछ विशेष कर्मचारियों को वाणिज्यिक बैंकों के वेतनमान दिए जायेंगे, कतिपय कर्मचारी जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से स्थानान्तरित किया गया था, क्योंकि मूल रूप से वे भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी थे, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का वेतनमान दिया जाएगा, अधिकारियों को रिजर्व बैंक का वेतनमान दिया जायेगा, इस प्रकार अधिकारियों और कर्मचारियों तथा कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच खुले रूप से भेदभाव किया गया। एक बार फिर ध्याना-कर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस संसद के ध्यान में लाया गया, तो उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी. पी. सिंह जो उस समय वित्त मन्त्री थे, ने स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप किया और एक त्रि-पक्षीय चर्चा हुई और इस प्रकार समझौता हुआ। अन्यथा, कोई भी समझौता नहीं होता और इस नवजात बैंक में, केवल प्रबन्धकों के जिद्दीपन तथा इसकी कार्य प्रणाली के अनुचित और निरकुंश तरीकों के कारण एक संकट पैदा हो जाता और आप जानते हैं—यह एक बड़ कृषि बैंक था जो कृषि पुनर्वित्त सम्बन्धी कार्य करता है और कोई छोटा-मोटा नहीं है।

महोदय, समझौते को अवधि के दौरान सरकार ने यूनियन से बात करने की पहल की थी और निर्णय लिया था कि वह भारतीय रिजर्व बैंक की शैली पर वर्ग 'ग' अर्थात् चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वर्गीकरण करना नहीं चाहती।। सरकार आर. बी. आई. के वेतनमान तो देना चाहती थी। लेकिन वह उन्हें उन श्रेणियों में नहीं रखना चाहती थी, जिससे कि वे सूबेदारों की भांति व्यवहार करें। क्योंकि सरकार चपरासियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों या 'ग' वर्ग के कर्मचारियों को एक काम से दूसरे कार्य में बदलना चाहती थी और वह उनसे यह सुनना नहीं चाहती कि वे यह काम नहीं करेंगे और वे केवल वही काम करेंगे। ऐसा सरकार और प्रबन्धकों के विशेष अनुरोध पर किया गया है। सरकार से मेरा अभिप्राय केवल सरकारी अधिकारियों से नहीं, मेरा अभिप्राय मंत्रियों से भी है—यूनियन ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और कहा—"हमें दुबारा वर्गीकरण करना होगा। कम से कम हमारे पास पदोन्नति के कुछ अवसर जरूर होने चाहिए और नौकरी में गतिशीलता भी बनी रहे। हम समझते हैं कि यह बैंक के हित में है" आज वे प्रबन्धक या सरकार कह रहे हैं कि यह गलत है। यह सब क्या है? आप प्रत्येक समझौते में बदल क्यों जाते हैं? आप समझौता रद्द करना चाहते हैं, जबकि यह आपकी इच्छा से आपकी पहल से किया गया। आज बैंक सरकार पर, और अन्य किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। हम समझते हैं कि मंत्री जी को बता दिया है कि यह यूनियन है, जो यह कहती है वे पुनः वर्गीकरण पर सहमत नहीं होंगे और आर. बी. आई. की शैली के लिए पुनः कहेंगे। सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है जब आर. बी. आई. से कानूनी सलाह मांगी गई थी तो आर.

बी. आई ने बैंक-मैनेजमेन्ट को स्पष्ट किया था कि मैनेजमेंट की यह दलील, कि 1986 के समझौते से इनकार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लघन किया है सहन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक या दो मिनट दीजिए। यद्यपि मामला इतना बड़ा नहीं है तथापि इसे जटिल बना दिया गया है, क्योंकि अधिकारी वर्ग ने मंत्रियों को गलत तसवीर पेश की है और दुर्भाग्य से मंत्रीगण इसे समझ नहीं पाये। इस बारे में मैं तत्कालीन वित्तमन्त्री प्रो. मधु दण्डवते के पास, न केवल एक बार बल्कि चार बार गया था और फिर मैं प्रधानमन्त्री से इस संबंध मे एक बार नहीं, बल्कि दो बार मिला था। केवल इतना ही नही, हमने लोकसभा में भी याचिकायें दी। यूनियन के दो हजार सदस्यो ने जिसमें नाबार्ड के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों समेत वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' के कर्मचारी भी शामिल थे, इस पर हस्ताक्षर किए थे और याचिका में यह मांग की थी कि कुछ लोगों, यदि प्रधान मन्त्री नहीं तो कम से कम लोक-सभा के अध्यक्ष को इस मामले के बीच मे पड़कर इसे सुलझाना चाहिए। प्रबन्धक-मंडल तानाशाही है, जो अनुचित श्रम प्रक्रिया पर विश्वास करते हुए यूनियन को नष्ट करने के लिए आतुर हैं समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है, क्योंकि प्रबन्धक उन्हें किसी प्रकार के वेतनमान देने से इनकार कर रहे है। वे इसलिए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते क्योंकि वे यूनियन को तोड़ना चाहते है। यही इस मामले की पृष्ठ भूमि है।

यह सच है कि वर्ष 1985 के समझौते के बाद उन्होंने संधिवार्ताएं की थीं। लेकिन जो चिन्ता का विषय है और जो सभा के ध्यान में नहीं लाया गया है तथा मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि अप्रैल 1990 के दौरान, 21 और 22 अप्रैल 1990 को बैंक ने पहल की और उन्होने 'एक समान पात्रता मानदंड से सम्बन्धित ग्रुप 'ग' के कर्मचारियों के पूर्व समझौते को रद्द करने का प्रस्ताव किया और वे 60 : 40 के अनुपात के लिए सहमत हुए। अगली चर्चा में, उन्होने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया और कहा कि वे इसे स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थे और वे केवल 50 : 50 के अनुपात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ऐसा बोर्ड ने कहा है। उन्होंने आगे कहा है कि वे पात्रता मानदण्ड पर अपना निर्णय नहीं बदलेंगे।

विवरण में, मंत्री जी ने कहा है कि वर्ग 'ख' के लिपिक कर्मचारियों से अधिकारी संवर्ग के वर्ग 'क' में पदोन्नति के अवसरों के मामले में कुछ समस्याएं हैं। यह असत्य कथन है। मैं सखेद बता देना चाहता हूं कि वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है।

3.00 म. प.

लिपिकीय वर्ग 'ख' से वर्ग 'क' से संबंधित मामलों का समाधान हो गया है। हमने कहा था 70:30 तब उन्होंने कहा था 50:50 : तब उन्होंने बाद में कहा 60:40। हमने जोर दिया कि आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जिससे समस्ना समाप्त हो गई। वर्ग 'ख' में गैर-लिपिकीय में यह समस्या विद्यमान है। हम कहते हैं कि उन्हें लिपिकीय संवर्ग के समकक्ष समझा जाना चाहिए।

गैर-लिपिकीय और लिपिकीय में क्लर्क, स्टेनोग्राफर और टाईपिस्ट आदि शामिल हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि दोनों को पदोन्नति के लिए परीक्षा मे बैठने की पात्रता (योग्यता) के लिए

समकक्ष समझना चाहिए। यह अपने आप हो जाने वाली पदोन्नति नहीं है। उसके लिए वे अपना महत्व दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कुछ नहीं किया जायेगा। इस बात को आपके नोटिस में भी नहीं लाये हैं। माननीय मंत्री महसूस करेंगे, कि उन्हें किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्रालय में अधिकारी यह सब कुछ जानते हैं अथवा नहीं, लेकिन मैं यह अवश्य जानता हूं कि 'नाबार्ड' मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी है,

अगला मुद्दा वर्गीकरण का है, जिसे आर. बी. आई. की सलाह पर पहले ही सुलझाया जा चुका है। जब आर. बी. आई. का विधि-विभाग स्पष्ट रूप से यह कहता है और जो रिकार्ड में दर्ज है कि यह विधि-सम्मत है और बाध्यकारी है, तो आप कर्मचारियों को वर्गीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं यह नहीं जानता कि मैनेजमेंट किस मुंह से हमें यह बता. येगा कि आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक उत्पीड़न का सम्बन्ध है उसकी भी एक कहानी है, जो महत्वपूर्ण है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सुविज्ञ सदस्य हैं। आप दो मिनट चाहते थे और मेरे विचार से उससे चौगुना समय आपको दिया जा चुका है लेकिन मैं नियम 197 (2) के इस भाग को आपके ध्यान में लाना चाहूंगा :—

> "ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अंत में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जायेगा।"

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : मैं आभारी हूं कि आप नियम मेरे ध्यान में लाये हैं। मैं एक घंटा भी प्रश्न पूछ सकता हूं। व्यवस्था इसी प्रकार की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कोई चर्चा नहीं।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मंत्री को इन तथ्यों की जानकारी है जो मैंने बताये हैं और क्या वह जानते हैं कि आंदोलन तभी शुरू हुआ जब प्रबन्धक अपने वायदे से पीछे हट गए और न कि इसलिए कि कर्मचारी इसे चाहते थे। आंदोलन मई के महीने में शुरू हुआ था, जब प्रबन्धक अपने उस वायदे से हट गए थे जो उन्होंने अप्रैल में किया था। आंदोलन उग्र नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पूर्व निर्णय दिया कि कर्मचारियों ने अनुशासन हीनता के विभिन्न कार्य किये और दुर्व्यवहार किया और जिसके फलस्वरूप उन्हें आरोप पत्र (चार्जशीट) दिये गये।

3.03 म. प.

[डा. तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

मैं नहीं जानता कि उन्हें मालूम है कि या नहीं, कि केवल झूठे आरोप लगाये गये हैं, तथा प्रबंधकों के उच्च-स्तर से और मंत्रालय तथा मंत्री जी से भी सच्चाई छिपायी गई है। वह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दो निलम्बित कर्मचारियों से संबंधित तथ्यों को उनके ध्यान में लाने के लिए वे किस प्रकार लड़ते रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह इस तथ्य से अवगत है या नहीं कि वास्तव में

23 मई को जिस कर्मचारी को निलम्बित किया गया था, उसने न केवल प्रबन्धकों को, बल्कि पुलिस को भी यह प्रतिवेदन दिया था कि संबंधित अधिकारी—मैं उसके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं है—उसने न केवल एक कर्मचारी को बल्कि 70 कर्मचारियों को दुष्परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि वह उन्हें पीटने के लिए गुन्डे लायेंगे। बदले की भावना से उस अधिकारी ने यूनियन के अधिकारियों के विरुद्ध यह शिकायतें की हैं कि उसे यूनियन के पदधारी द्वारा धमकी दी गयी है। दोनों असंज्ञेय मामले हैं। दोनों मामले दर्ज किये गये। लेकिन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि 70 कर्मचारियों ने भी शिकायत की थी। मैंने मन्त्री जी को भी शिकायत की एक फोटो कापी दी है। लेकिन इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रबन्धक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वे निलम्बन वापिस नहीं लेंगे। आपने जांच क्यों नहीं करवाई? अधिकारियों को आरोप पत्र दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। और हम देखेंगे कि कितने लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों को धमकी दी गई थी तथा कितने कर्मचारी कहना चाहते हैं कि उन्हें अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई थी। मैं आपको एक निजी अनुभव सुनाता हूं। समझौते की बातचीत के दौरान, मेरी न केवल एक बार, बल्कि दस बार बेइज्जती की गई थी। मैंने यह बात पूर्व वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते को लिखित रूप में दी थी कि यह बैंक मैनेजमेंट समझौते की बातचीत के दौरान बेइज्जती किये जाने में विश्वास रखता है। वे यह नहीं देखते कि आप एक सांसद है या कोई और हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और बोलने का ढंग बहुत खराब होता है। मेरे विचार से एक चींटी जितना तुच्छ आदमी भी अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कर सकता है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि केवल एक ही तरीके से समाधान हो सकता है और वह तब, जबकि दोनों तरफ से वास्तविक रूप से दे और लें की नीति अपनाई जाए। अगर मन्त्री जी सोचते हैं कि वे, मैनेजमेंट से कुछ लेकर यूनियन को देने जा रहे हैं तो यह उनका भ्रम है। कर्मचारियों की यह अन्तिम अपील है। हमने प्रत्येक उपाय करके देख लिया है हमने संसद के उच्चतम विधान मण्डल को भी याचिका दी है। इसके बाद आप हमसे यह आशा नहीं कर सकते हैं कि हम युक्तिसंगत बने रहें। यदि अधिकारी वर्ग और मैनेजमेंट तथा सरकार और मन्त्री एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं तो इस मामले को सुलझाया जा सकता है। मैं यह कह सकता हूं कि मामला बिल्कुल साधारण सा है। यह केवल आरोपों को वापिस लेने, निलम्बन वापिस लेने और छोटे मामलों को निपटाने के मामलों से सम्बन्धित है। यदि इस सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो मेरे विचार से सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह नौकरशाही के प्रति असहाय है और उनसे बंधी है। तो फिर उन्हें ही शासन करने दें। यदि राजनीतिज्ञ वास्तविकता को समझ नहीं सकते, तो नौकरशाही सरकार ही बना दी जाये।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : चेयरमैन साहब, मैं इस स्टेटमैंट को पढ़ने से पहले माननीय यशवन्त सिन्हा को जैंटलमैंट मिनिस्टर मानता था लेकिन अब इस स्टेटमैंट को पढ़ने के बाद लगता है कि वह भी केवल मिनिस्टर हैं, नहीं तो एक व्यक्ति जो मिनिस्टर बनने से पहले ट्रेड यूनियन बैकग्राउण्ड का भी रहा है, वह व्यक्ति (व्यवधान)

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : महोदय, यह मंत्रियों पर आरोप है। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री हरीश रावत : मंत्री तो है परन्तु कभी-कभी उन्हें सज्जन भी लेना चाहिए।

राव बीरेन्द्र सिंह : इसका तात्पर्य यह कि वर्तमान मंत्री सज्जन हैं। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। संसद में उचित भाषा का प्रयोग कीजिए **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है ·· **(व्यवधान)**

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि आप उचित भाषा का प्रयोग नहीं करोगे तो आपको निस्संदेह सलाह लेनी पड़ेगी · **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : महोदय, यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। श्री राव, आप मुझे इस तरह शिक्षा नहीं दे सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। मैं नहीं चाहता कि यहां सदस्यों के बीच कोई सीधी बातचीत हो।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह संसद में बातचीत करने का अपमानजनक तरीका है···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि कोई असंसदीय बात कही जाएगी तो उसे कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : महोदय, इसमें असंसदीय बात क्या है ?

सभापति महोदय : मैंने कहा है कि यदि कोई असंसदीय बात हुई, तो उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : महोदय वह इस प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। मैं और कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। कृपया विषय के सम्बन्ध में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आप बैकग्राउण्ड नहीं समझते जब सदर बाजार वाले लोगों को विक्टोमाइज किया जा रहा था तब भी मैंने बात करने की कोशिश की तो मिनिस्टर का एटीट्यूड जो था वह उन्होंने अब फिर रिफलैक्ट करने की कोशिश की। इस तरह के बिहेवियर से हम लोग डरने वाले नहीं हैं।

[अनुवाद]

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या हम उस घटना की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री हरीश रावत : जी हां, हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से भी चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री रावत, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सभापति महोदय, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि एक मिनिस्टर जो ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड वाले हो, मैं इनसे उम्मीद नहीं करता था कि ऐसा कानून का सहारा लेकर नाबार्ड मैनेजमेंट को, वहां मिसडीड्स को वे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इन मुद्दों के बारे में मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ये छोटे मुद्दे हैं और कहा है कि इनको सार्ट-आउट किया जा सकता था। मैं यह समझ पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं कि इन मुद्दों को निपटाने में नाबार्ड के मैनेजमेंट को पांच बार कर्मचारियों से बातचीत करनी पड़ी और अन्त में ऐसी स्थिति पहुंच गई कि कर्मचारियों को वर्चुअली उनके खिलाफ सत्याग्रह प्रारम्भ करना पड़ा। उस सत्याग्रह के पार्ट हम लोग थे, मैं था और कुमारमंगलम साहब भी थे। हम उनके इतने एहसानमंद हैं कि उन्होंने कम से कम हम लोगों के खिलाफ कम्पलेंटस दर्ज नहीं करवाई। यह नहीं कहा कि उन आपराधिक मामलों में, जिनको आपके द्वारा उन्होंने कहलवाया था, समझौता वार्ता में गतिरोध पैदा हो जाने के बाद कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता और घोर दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया। शायद हो सकता है, उन्होंने यह समझा हो कि उनका नाम लेगें तो मंत्री जी हम को डाटेंगे। पता नहीं इस मामले में आपकी कृपा मानें या उनकी कृपा माने लेकिन यह पहले से निर्धारित कर देना और ऐसे मामले में निर्धारित कर देना जैसे कर्मचारियों से स्वयं मैनेजमेंट ने बात कर रखी हो। बातचीत को ब्लाक करने के लिए कर्मचारियों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना एक प्रकार से मैनेजमेंट की आब्जेक्शनेबल कन्डक्ट है। मैं सबसे पहले आपसे यह कहना चाहता हूं कि कम से कम इस तरह का एक्शन लेने वाले मैनेजमेंट के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? दूसरी बात आपने स्वयं कहा है कि बहुत छोटे मामले हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब बातचीत फिर से शुरू होगी तो कम से कम आप उनको एडवाइज करने की कृपा करें कि इन छोटे मुद्दों को तो वे हल करें। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से सोलह कर्मचारियों को विक्टिमाइज करना पड़ा जिनमें से दो लोग अभी भी बाहर हैं। उनके खिलाफ अभी भी कई केसेंज दर्ज कर रखें हैं। जिन दो कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक केस पैंडिंग हैं, उनके केसेज विड्राल करने के विषय में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ताकि जब हम उनके सामने बातचीत करने के लिए जायें तो सद्भावपूर्ण तरीके से बात कर सकें। कृपया इन दो बिन्दुओं के बारे में मंत्री महोदय जवाब दें।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति महोदय, मैं दोनों माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय के बारे मे व्यापक जानकारी दी है। मैं इस बात को शुरू में ही स्वीकार करना

चाहता हूँ कि मैंने ऐसे दावे नहीं किए हैं। जहां तक अन्य बातों का संबंध है, मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य को राज्य सभा की तरह माननीय सदस्य समझता हूँ क्योंकि संसद के दोनों सदनों सदस्य मंत्री बनते हैं। मैं नहीं समझता कि मंत्री बनने के बाद उनका 'माननीय' शब्द समाप्त हो जाता है। इतना कहने के पश्चात मैं अपनी व्यक्तिगत बातचीत का, जिसका श्री कुमारमंगलम ने उल्लेख किया है, जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री कुमारमंगलम और श्री रावत ने मुझसे इस विषय पर सम्पर्क स्थापित किया था, एक प्रमुख मुद्दा जिसके बारे में मुझे बताया गया था। नाबार्ड के 16 कर्मचारियों को निलंबित करने के बारे में था। मुख्य रूप से मुझ से इस बात के लिए अनुरोध किया गया था कि मैं निलंबन आदेशों और आरोप पत्रों को रद्द करने के लिए कार्यवाही करूं। मैंने इसके बारे में पूछताछ की थी। मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि 'नाबार्ड' एक स्वायत्तशासी संस्था है और यह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। सामान्यत: वित्त मंत्रालय भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अब यह मामला संसद में उठाया गया। इसलिए यह हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया है। जब मैंने इस विषय पर बातचीत की थी, तब मैंने अपना विचार स्पष्ट कर दिया था। मैं श्री रावत का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी ओर से कुछ ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों के बारे में, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, जानकारी दी है। ट्रेड यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन की कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जिनके विरुद्ध हिंसा का कोई आरोप नहीं है और सबसे पहले मैंने यह कहा था कि हम उन सभी कर्मचारियों के निलंबन आदेश को तत्काल रद्द करना चाहिए, जिन्होंने किसी भी आंदोलन में तो भाग लिया था, परन्तु उनके विरुद्ध कोई हिंसा का आपराधिक आरोप विचाराधीन नहीं है। मुझे यह बताया गया था कि इन 16 कर्मचारियों में से 14 कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं था। अन्य दो कर्मचारियों के भी जिनका श्री कुमारमंगलम ने जिक्र किया है, विरुद्ध आपराधिक शिकायतें दर्ज की गयी थी। मेरे पास उनका संक्षिप्त ब्यौरा है। प्रभावित व्यक्तियों ने इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करायी थीं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : उक्त महिला ने उस शिकायत को वापस ले लिया है।

श्री यशवन्त सिन्हा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने इसके बारे में पूछताछ की थी। इसे प्रमाणित नहीं किया गया है। मैं इस बात को जिम्मेदारी की भावना से कह रहा हूँ। तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है।

जब मैंने कुछ बारीकी से जांच की तो मुझे प्रतीत हुआ कि इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ था कि नाबार्ड ने पूरे देश में उस विषय पर आंदोलन किया था जिसे हल करने में कोई कठिनाई नहीं थी।

इसलिए मैंने कर्मचारियों से पुनः बातचीत करने की अपील की थी : मैं फिर जिम्मेदारी की भावना से कह रहा हूँ कि यदि कर्मचारी बातचीत के लिए तैयार हो जायेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उन मुद्दों को सुलझा लेंगे जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। यदि इन मुद्दों के तत्काल और सन्तोषजनक समाधान के लिए मेरे और मंत्रालय के किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम तैयार हैं।

———

सभापति महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू होगी । श्री बी. एन. रेड्डी बोलेंगे ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नई राष्ट्रीय आवास नीति बनाई जाने की मांग

श्री बी. एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख मकान बनाने की योजना बनायी थी, परन्तु 10 लाख मकान भी बनाए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप मकानों की भारी कमी हो गयी है । आवास समस्या के समाधान के लिए सरकार को उत्पादन, प्रशासन और प्रबन्ध क्षेत्र के भारतीय और-विदेशी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करनी चाहिए । उचित मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराया जाना चाहिए । सरकारी संगठनों के समान इस कार्य के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना चाहिए निजी तथा सरकारी संगठनों को समान आधार पर आवास परियोजनाएं सौंपी जानी चाहिए और सरकार को धन, सामग्री, मशीनरी तथा लागों को प्रशिक्षण देना चाहिए । आवास निर्माण का औद्योगिकीकरण करने से मितव्ययता, गुणवत्ता और गति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और तत्काल नई संशोधित नीति की घोषणा करनी चाहिए ।

(दो) कडूर-चिकमगलूर-बेलूर-सकलेसपुर के बीच लिंक रेल लाइन बनाई जाने की मांग

डा. डी. एम. पुट्टे गोडा (चिकमगलूर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान कडूर-चिकमगलूर-बेलूर-सकलेसपुर के बीच लिंक रेल लाइन बनाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

चिकमगलूर को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग पिछले 50 वर्षों से की जा रही है । अभी तक केवल सर्वेक्षण किए गये है लेकिन उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है । 80 किलोमीटर लम्बी यह रेल लाइन चिकमगलूर जिला मुख्यालय, बेलूर, जो प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है, और हसन-मंगलौर रेल मार्ग पर स्थित सकलेसपुर को जोड़ेगा । चिकमगलूर भारत का सबसे बड़ा काफी उत्पादक जिला है । यहां मसाले भी भारी मात्रा में पैदा होते हैं, जिनका निर्यात किया जाता है । परन्तु रेलवे लाइन के अभाव में यह जिला अभी भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस रेलवे लाइन को मंजूरी देने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए और इसे 1991-92 के रेल बजट में सम्मिलित किया जाए ।

(तीन) आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में अन्नावरम में एक उच्च शक्तिवाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की मांग

श्री एम. एन. पल्लम राजू (काकीनाडा) : महोदय, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी जिला, इस राज्य का सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल 11 हजार वर्ग कि. मी. और इसकी जनसंख्या लगभग 80 लाख है । अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह जिला कृषि पर आधारित है, इसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है । अन्य जिलों की तुलना में इस जिले में साक्षरता स्तर ऊंचा है और लोगों

में राजनैतिक जागरूकता है। साथ ही ग्रामीण लोग शिक्षित होना चाहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति में और साक्षरता में वृद्धि करने के लिए टेलीविजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस जिले में एक किलोवाट के कम शक्ति वाले तीन ट्रांसमीटरों के काम करने के बावजूद जिले के अधिकांश भागों को दूरदर्शन प्रसारण का लाभ नहीं मिल पाता है। विद्यमान ट्रांसमीटरों से और अन्नावरम तथा जग्गमपेटा जैसे प्रमुख नगरों में भी दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं।

इन क्षेत्रों को टेलीविजन की सुविधा प्रदान करने हेतु मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अन्नावरम में, जो ऊंचाई पर होने के कारण उपयुक्त स्थान है, एक 10 किलोवाट का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाए। इससे इस जिले के अधिकांश क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकेंगे और ग्रामीण लोगों को शिक्षा करने में मदद मिलेगी।

(चार) देश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली और डीजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन का महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बिजली तथा डीजल का घोर अभाव चल रहा है। जहां 24 घण्टे में किसानों को केवल 6 घण्टा भी बिजली नहीं मिल रही है, वहीं डीजल भी जिस मात्रा मे एक सप्ताह के लिए दिया जा रहा है, वह सिंचाई तथा ट्रैक्टर द्वारा जुलाई के लिए केवल एक ही दिन के लिए होता है। इससे खेती बाधित हो रही है और यही स्थिति रही तो आने के दिन किसानों के लिए बहुत संकट के होंगे। भविष्य की चिन्ता में किसानों मे घोर असंतोष तथा हाहाकार मचा हुआ है।

अतः मैं मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां बिजली तथा डीजल का अभाव है, तुरन्त डीजल व बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के समूचे उत्तराखण्ड क्षेत्र को मण्डल आयोग की परिधि में लाए जाने की मांग

श्री एम.एस.पाल (नैनीताल) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

समस्त उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) के संसदीय क्षेत्र को मण्डल आयोग की परिधि में रखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड संसदीय क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक व शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र चीन व नेपाल की सीमा से लगा है। यहां के लोग बड़ी कठिन जिन्दगी व्यतीत करते हैं। आने जाने व शिक्षा के बहुत सीमित साधन हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस बात को अपने निर्णय में

माना है। अतः केन्द्र व राज्य सरकार की सेवाओं के लिए पूरे संसदीय क्षेत्र को मंडल आयोग की परिधि में रखा जाए।

(छ) हाल ही में पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी द्वारा पकड़े गए गुजरात के मछुआरों को मुक्त कराए जाने की मांग।

[अनुवाद]

श्री गोविन्दभाई कानजीभाई शेखड़ा (जूनागढ़) : महोदय, 9 दिसम्बर, 1990 को मैरिन पाकिस्तान सिक्योरिटी ने गुजरात के 140 मछुआरों को मछली पकड़ने वाली 20 नावों और 2 करोड़ की कीमत की सम्पत्ति सहित पकड़ लिया। यह दुर्घटना गुजरात राज्य के कच्छ जिले के जखाऊ बन्दरगाह के निकट समुद्री क्षेत्र में हुई।

दो मछुआरों ने, जो पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी द्वारा पकड़े गए समूह से निकट भागे थे भारतीय समुद्री क्षेत्र से पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी द्वारा गैरकानूनी तरीके से इस कर्मीदल के पकड़े जाने सम्बन्धी विवरण दिया है। जहां तक गरीब मछुआरों की सुरक्षा का प्रश्न है यह घटना बहुत गम्भीर है।

पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी द्वारा पकड़े गए कर्मीदल के सभी सदस्यों और उनकी सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए तुरन्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। मशीन मछुआरों के परिवार के सदस्य बहुत परेशानी में हैं।

ऐसी ही घटना छः महीने पहले भी हुई थी। उस समय, भारत सरकार ने गैरकानूनी तरीके से पकड़े गए मछुआरों को छुड़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए थे। अतः यही समय है जब पाकिस्तान मैरिन सिक्योरिटी द्वारा गैर कानूनी रूप से गरीब मछुआरों को पकड़ने से रोकने के लिए एक स्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह तट के पास तुरन्त और अधिक तट संरक्षक तैनात करें जिससे मछुआरों में विश्वास की भावना जागृत हो।

एक दीर्घावधिक उपाय के रूप में मैं सुझाव देता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता किया जाना चाहिए।

(सात) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तत्वाधान में तमिलनाडु में डिंडिगुल में कपड़ा मिल आरम्भ किए जाने की मांग

श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडिगुल) : महोदय, तमिलनाडु में मेरे चुनाव क्षेत्र डिंडिगुल में बड़ी मात्रा में कपास उत्पन्न होती है। कपास के अधिक उत्पादन के लिए उस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु उपयुक्त है। वर्तमान में डिंडिगुल जिले में निजी क्षेत्र में कपास और कपड़े की लगभग 52 मिलें हैं जो बड़ी संख्या में अधिकार डिंडीगुल जिले से बाहर से कर्मचारी नियुक्त करते हैं।

क्षेत्रीय लोगों जो मिलों के लिए कच्चा माल जैसे कपास उत्पन्न करते हैं उनमें असन्तोष फैल रहा है और वे बहुत अधिक चिन्तित हैं क्योंकि वे मिलों में रोजगार के अवसरों से वंचित हैं क्षेत्रीय

कपास उत्पादकों के असन्तोष से डिंडगुल के कपास उत्पादन के प्रभावित होने की आशंका है। क्षेत्रीय लोगों में फैल रहे असन्तोष को दूर करने के लिए, मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीत वस्त्र निगम के तत्वावधान में तमिलनाडु में डिंडिगुल में सहकारिता के आधार पर कपड़ा मिल आरम्भ किए जाने के लिए तुरन्त कदम उठाएं जांए जिससे कपास के क्षेत्रीय उत्पादकों को काम दिया जा सके।

(आठ) देश में विशेषकर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में किसानों को बीज, उर्वरक और डीजल उपलब्ध कराए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्रीरामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, हमारा देश किसानों का देश है। किसी न किसी प्रकार से 80% लोग खेती में लगे हुए हैं। खेती हमारे देश में जीविका का मुख्य साधन है। देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन का बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय बोवनी एवं सिंचाई का समय है, परन्तु उ प्र. के अजमगढ़ जिला जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर्याप्त मात्रा में अच्छा बीज, खाद एवं सिंचाई के लिए डीजल एवं पेट्रोल नही मिल रहा है, जिससे किसानों के समक्ष भयानक संकट उत्पन्न हो गया है। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह कर रहा हूं कि किसानों को बीज, खाद एवं डीजल तथा पेट्रोल अविलम्ब उपलब्ध करायें।

3.25 म. प.

लोकदायित्व बीमा विधेयक-(जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय (डा. तम्बि दुरै) : अब अगला विषय उठाने जा रहे हैं : विधेयकों पर विचार तथा पारित किया जाना। अब हम 4 जनवरी, 1991 को श्रीमती मेनका गांधी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे :

"कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय किसी दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजन के लिए लोक दायित्व बीमा का और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को विचार विमर्श के लिए लिया जाये।"

इस विधेयक के लिए दो घण्टे का समय दिया गया है। हमने पहले ही 52 मिनट ले लिए हैं। केवल एक घण्टा रह गया है। इस विधेयक को आज पारित किया जाना है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सभापति महोदय के साथ सहयोग करें और बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहे और नियत समय के अन्दर ही अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

अब श्री कुमार मंगलम् जारी करें। कम से कम शब्दों में अपनी बात करने का प्रयत्न करें।

श्री पी. आर. कुमार मंगलम (सेलम) : सभापति महोदय मैं संक्षेप में कहूंगा। महोदय, जब मैं पिछली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ था, मैंने स्पष्ट रूप से इस विधेयक का स्वागत किया था। हम इस विधेयक का केवल एक नवीन कदम, के रूप में ही नहीं अपितु एक क्रांतिकारी कदम के रूप में स्वागत करना चाहते हैं क्योंकि भोपाल गैस दुर्घटना के साथ परिसंकट पदार्थ के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। हमने देखा है कि यह विषय लम्बित पड़ा है। राहत की केवल आवश्यकता ही नहीं है अपितु यह एक सराहनीय कदम भी है। महोदय, प्रस्तावित विधेयक के उपखंड 8 (1) के अधीन यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिकर का दावा करने का अधिकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी बाबत प्रतिकार का दावा करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा। फिर भी उपखण्ड 8(2) के अधीन यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का सन्दाय करने का दायी है, वहां ऐसे प्रतिकर की रकम में से इस अधिनियम के अधीन संदत्त राहत की रकम को घटा दिया जायेगा। मेरे विचार में, यह अनुचित है क्योंकि अनुसूची में मृत्यु और घातक दुर्घटनाओं के लिए केवल 25,000 रुपयों और अन्य मामले में 12,500 रुपयों का प्रावधान है। यह बहुत अनुचित है क्योंकि यह रकम इतनी कम है कि इसे वास्तव में राहत के रूप में ही लिया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कई मामलों में जब मृत्यु हो जाती है—विशेषकर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन—आम तौर से ऐसा होता है अन्त्येष्ठि और अन्य सम्बन्धित खर्चों को प्रतिकर के हिस्से के रूप में राहत नहीं माना जाता। इससे सदा प्रसंग से निबटा जाता है। यदि इसका निबटारा उसी स्तर पर किया जाने वाला है कि यह राहत तुरन्त उपलब्ध कराई जा रही है, मैं निवेदन करता हूं उपखंड (2) से खंड 8 तक को समाप्त कर दिया जाये यदि माननीय मन्त्री इस पर विचार कर सकें तो यह एक सराहनीय कदम होगा तब, दी जाने वाली रकम से कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह इतनी अपर्याप्त नहीं लगेगी। यदि इसे प्रतिकर का हिस्सा बनाया जा रहा है, जैसाकि वर्तमान विधेयक में उपबन्धित किया गया है, तो इस रकम को निश्चित रूप से बढ़ा दिया जाना चाहिए। आखिरकार, रेलवे में यह रकम एक लाख रुपये हैं। हवाई सेवाओं के लिए, यह 2,00,000 रुपये हैं। 25,000 रुपये हैं। 25,000 रुपये की रकम जो उपलब्ध कराई जाती है वह आज कल रुपये की कीमत को ध्यान में रखते हुए नगण्य है और वास्तव में प्रतिकर अथवा राहत है जो आजकल दिया जाता है। यदि यह प्रतिकर का हिस्सा होने वाला है तो, आवश्यक रूप से मेरा यह विचार है। अन्यथा मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। महोदय, ऐसे कई संशोधन हैं जिन्हें माननीय मन्त्री ने मान लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक से बहुत से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती मेनका गांधी जी द्वारा बिल लाया गया है, वास्तव, में उपयुक्त है। राजस्थान के कोटा महानगर से मैं आता हूं। कोटा नगर राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इण्डस्ट्रीयल काम्प्लेक्स है, विशेष रूप से डी सी एम कन्सर्न के कोटे में और श्रीराम कैमिकल्स आदि हैं और जो उद्योग हैं तो उन कैमिकल्स के कारण आए दिन इस प्रकार का भय बना हुआ था कि किसी भी प्रकार से

कभी न कभी कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए जो भोपाल गैस त्रासदी को याद दिलाए। पिछले वर्ष कोटा नगर में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। अभी डी सी एम ने भोपाल त्रासदी के कारणों को देखते हुए काफी प्रयत्न तो किये हैं। आज भी जब हम कोटा नगर के इण्डस्ट्रीयल एरियाज में निकलते हैं तो भिन्न-भिन्न प्रकार की गैसों का रिसाव आरम्भ होता है। ऐसा महसूस होता है कि ये गैस दम घोंटू के रूप में न परिवर्तित हो जाए, अब तक आस-पड़ौस में रहने वाले लोगों के दूसरे लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजे का कोई प्रोविजन नहीं था और कोई कानून भी नहीं था, उसके कारण आज यह स्थिति बनी है। यह बहुत उचित प्रयत्न है। कोटा नगर के पास अणुशक्ति प्रोजेक्ट भी हमारा है। जब अणुशक्ति को देखते हैं तो भय पैदा होता है कि कहीं यह स्थान भी कभी भगवान न करे कि ऐसा दिन आए। लेकिन प्रकृति हमारे प्रति अन्याय करेगी तो इसका भी कोई कारण नहीं है। अणुशक्ति होने से समय-समय पर तात्कालिक उपाय करने की कोशिश की गई है। मेरा निवेदन है कि चरनोबिल जैसी घटना न घटे। तुरन्त सहायता मुहैया कराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिये समुचित योजना बनायी थी। राजस्थान संभवत: सड़कों के मामले में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है वहां कभी भी बड़ी दुर्घटना को रोक सकते हैं। विद्युत क्षेत्रों के लिये और सैनिक क्षेत्रों के लिए और सैनिक क्षेत्रों के लिए हमने सड़कों का प्रोविजन किया हुआ है। जो अणुशक्ति प्रोजेक्ट है तो उसी प्रकार से रेडियस एरियाज से सड़कों के लिए विशेष सहायता देकर केन्द्र सरकार को सड़कों का जाल बिछाना चाहिए। जैसे ही सहायता पहुंची तो कहा गया कि आठ महीने के अन्दर सड़कों को चेंज करा लिया जायेगा दुर्भाग्य यह है कि पाँच-सात साल तक कच्चे रास्ते से होकर गाड़ियां सही रूप में नहीं पहुँच पायी। मैं निवेदन करूंगा कि इसका और विस्तृत दायरा ले केवल कामगारों या आस पास के लिए ही नहीं बल्कि जो बड़ी दुर्घटना घट सकती है तो इस एक्ट में कोई न कोई निश्चित रूप से सहायता को तय करना चाहिए। कोई अंगुली कट जाए या कोई लकवे से पीड़ित हो जाए तो जो मुआवजे की राशि होती है वह हमको तय करनी चाहिए। आज भी हिन्दू-मुस्लिम रायट्स होते हैं तो हत्या होने पर 25, 50 हजार या एक लाख देते हैं। कहीं एक लाख रुपये तक दे देना है। हमको इस एक्ट में यह प्रोविजन करना चाहिए और अलग-अलग बिन्दुओं पर व्यक्तियों का कितना क्षय हुआ है, कितना नुकसान हुआ है उसके आधार पर मुआवजा राशि निश्चित रूप से तय करनी चाहिए। इसी प्रकार से क्षतिपूर्ति के लिये इस एक्ट में कोई विशेष प्रोविजन नहीं बताया है कि कितनी क्षतिपूर्ति कितने-कितने नुकसान के आधार पर होनी चाहिए इसको भी इस एक्ट के दायरे में लाना चाहिए। कोटा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट और गैसेज की फैक्टरीज लगी हुई हैं उनसे बीमारी होने की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि कोटा में जब चौथा यूनिट लग जायेगा उस दिन से कभी भी वहां पर तेजाब की बारिश हो सकती है। जिसके कारण पेड़ झुलस जायेंगे, आदमी झुलस जायेंगे और मर जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस एक्ट में इसको भी देखना चाहिए और इसके दायरे में इसको निश्चितरूप से लेना चाहिए। जिससे लोगों को राहत पहुंच सके। मेनका गांधी जी ने जो यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं अभिनन्दन करता हूं और लोगों को राहत देने की दृष्टि से यह एक्ट लाकर उन्होने बहुत सराहनीय कार्य किया है इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक

का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री को इस विधेयक की चर्चा के लिये पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

अपना समर्थन देने से पहले, मैं विशेष रूप से इस पर विचार-विमर्श करने के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, मैं यह नहीं समझ पाता कि धारा 4 और 3 में केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों को इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया है। आज हम देखते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों के एक बड़े भाग द्वारा ही अधिकतर परिसंकटमय और दूषण फैलाने वाली गतिविधियां की जाती हैं। जब टाटा और अन्य उद्योगों को इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में लिया गया है तो मैं समझ नहीं पाता कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार उपक्रमों और उनके उद्योगों को इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया है।

उन्होंने धारा 14 में एक संशोधन किया है, कि "यदि किसी स्वामी" के स्थान पर "यदि कोई नियोजक" लिखा जाये। मेरे विचार में इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा (4) में यह कहा गया है, "प्रत्येक नियोजक किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई प्रारम्भ करने के पूर्व···" इसका अर्थ है कि इसका उत्तरदायित्व नियोजक का होता है और यह "यदि कोई स्वामी" कैसे हो सकता है। इसलिए धारा 4 पूर्णतया सही है और धारा 14 में से इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे इस संशोधन पर बल न दें।

खण्ड 7.1 के अनुसार:

"धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर स्वामी और बीमा कर्त्ता को आवेदन की सूचना देने और पक्षकारों को जिसके अन्तर्गत बीमाकर्त्ता भी है) सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्···" बीमाकर्त्ता को नोटिस क्यों दिया जाना चाहिए? इसका अर्थ है वे बड़े वकील नियुक्त करेंगे और धन कमाएंगे। किन्तु गरीब प्रभावित व्यक्ति बहुत लम्बे समय तक कष्ट सहेगा। मेरे विचार में बीमाकर्त्ता को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 7.7 के अनुसार:

> "किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे पहुंची हानि या किसी संपत्ति को नुकसान के बारे में राहत के लिए कोई दावा यथासंभव शीघ्र निबटाया जाएगा।"

यहां भी साधारण जनता को ही परेशानी भुगतनी होगी। समय के बारे में कहा गया है कि "शीघ्रातिशीघ्र" जिसका मतलब है कि कोई समय सीमा नहीं है। इसके लिये कोई निर्धारित समय सीमा होनी चाहिये। उससे ही संभव हो सकता है।

खंड 8 (2) में कहा गया है कि "इस नियम के अंतर्गत दी गई राहत राशि से प्रतिपूर्ति राशि कम हो जाएगी।" आपने सुझाव दिया है कि यदि कोई किसी अन्य स्त्रोत से राहत राशि प्राप्त करता है उसे घटा दिया जाएगा। उसे कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो व्यवस्था की है उसकी राशि इतनी कम है उससे इलाज का खर्च भी पूरा नहीं किया जा सकता है। आपका कहना है कि अधिकतम निर्धारित राशि जो कि 12,500 रुपये हैं, वह पर्याप्त है। चिकित्सीय खर्च की अदायगी की अनुसूची में हर स्थिति में 12,500 रुपये की अधिकतम राशि निर्धारित है। मेरे विचार में राहत के लिए जो राशि आप देंगे उसमें अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि को घटाने की आवश्यकता नहीं है। इसे कम करने की आवश्यकता नहीं है।

खंड 13 (1) में आपने कहा "संघीय सरकार के कर्मचारी।" यह बहुत ही अस्पष्ट है चूंकि संघीय सरकार का मतलब और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या उड़ीसा का गंजम जिला या कोई अन्य स्थान। यह बहुत ही अस्पष्ट है।" आप विशेषकर राज्य सरकार के अधिकारियों को यह शक्ति दें। इसे उस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। इसीलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि राज्य सरकार को विशेष रूप से यह शक्तियां, दी जानी चाहिए। उन्हें यहां विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

आपने परामर्श दात्री समिति के गठन का भी सुझाव दिया है। एक ऐसी समिति होगी जो केवल कर्मचारियों के लिए होगी इसमें लोक प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि इसके प्रबंध बोर्ड में संसद के दो सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये जो उसकी देख-रेख कर सके।

मेरे विचार में ये कुछ मुद्दे हैं जिनका सुधार किया जा सकता है और जिससे लाभ भी मिल सकता है। यद्यपि विलम्ब हो गया है परन्तु मेरे विचार में यह "कभी नहीं से देर भली" वाली कहावत चरितार्थ करती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, लोक दायित्व बीमा विधेयक, 1991 का मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए मंत्री महोदया को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मेरे इसमें कुछ सुझाव है। मुझे इस विधेयक में कुछ कमियां भी लगती हैं। पृष्ठ-2 पर क्लाज-4 पर सब क्लाज-3 है, इसके अधीन केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह ओनर को इसमें केन्द्रीय सरकार या प्रदेश सरकार या राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के नियंत्रण या स्वामित्व में किसी निगम या किसी लोकल अथॉरिटी को एग्जम्प्शन दे सकता है, यह प्रावधान मुझे बिलकुल अनावश्यक लगता है। मौत तो चाहे प्राइवेट कारखाने के कारण हो या केन्द्रीय सरकार के किसी कारखाने के कारण या निगम के कारण हो। मैं मंत्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें। यह प्रावधान जो रखा गया है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई कारपोरेशन, लोकल अथॉरिटी को जो प्रावधान दिया है, उस पर ध्यान नहीं था। मैं पुन: पृष्ठ-2 के क्लाज-4 के बारे में कह रहा हूं और चाहूंगा कि जो आप विधेयक लायी हैं, इस कानून का सब पर लागू होना आवश्यक है चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या निगम हो या लोकल अथॉरिटी हो। धारा 18 के अधीन आपने प्रावधान किया है कि कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या फिर जैसा कि आपने भाग (ख) में कहा है कि 60 दिन का नोटिस निश्चित नियमानुसार देकर शिकायत करनी होगी, परिवाद पर ही करेगा। नोटिस पीरियड बहुत लंबा है और इसके लिए कॉगनिजेंस लेने की जो क्लॉज लगाई गई हैं, अदालत को कॉगनिजेंस लेना चाहिए जब भी कोई प्रभावी व्यक्ति उसके लिए शिकायत करें। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि आपने जो राहत राशि रखी है वह बहुत कम है। 25,000 मृत्यु के केस में है, 12,500 चिकित्सा

के और 6,000 संपत्ति के नुकसान के बारे में। और जब आप इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसमें आप स्वयं लिख रहे हैं कि प्रभावी लोग अधिकतर कमजोर वर्ग के होते हैं और अगर वह कमजोर वर्ग के होते हैं तो जैसे पहले भी एक माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया था कि हवाई जहाज में कोई मरता है तो आप लाखों का हरजाना देते हैं। क्या कमजोर वर्ग का है इसलिए कम हरजाना रखा गया है ? क्योंकि अधिकतर प्रभावी लोग कमजोर वर्ग के होते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि हरजाना की राशि बढ़ाई जाए। चिकित्सा के लिए 12,500 का प्रावधान भी कम है और 6000 रु. में आजकल आप कौन सी क्षतिपूर्ति कर पाएंगे संपत्ति की, यह भी बड़ी विचित्र बात है। यह राशि भी बढ़नी चाहिए और मुझसे पूर्व वक्ता ने भी क्लाज 7 सब सेक्शन (7) में कहा है जिसमें कहा गया है कि-जितनी जल्द हो सके निपटाया जाए। कौन निर्णय करेगा कि कितना समय इसमें लगना है ? यह उचित है इसलिए समयबद्ध होना चाहिए, समय निश्चित होना चाहिए। 60 दिन या 30 दिन मे एक महीने में कुछ-न-कुछ निश्चित करिए और इन्हीं सुझावों के साथ मैं बिल का तो समर्थन करता हूं लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जो बहस यहां हो रही है उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं और जो चिदंबरम जी व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं वह इससे मिलता जुलता होगा, इन चारों सुझावों पर मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, लोक दायित्व बीमा विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। यह अच्छा बिल है मगर जल्दी लाया जाना चाहिए था। मेरा यहां पर यह भी निवेदन है कि पाॅल्यूशन की रोकथाम के लिए और इससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कानून तो रोज बनते हैं पर जनता को अभी तक इसका किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के रूप में भोपाल गैस त्रासदी का मुआवजा प्रभावी लोगों को आज तक नहीं मिला है और इस मामले की अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार ने इस सारे मामले को मुकदमेबाजी में अटका रखा है और बिल्कुल सोच नहीं ले रही है और मुआवजा भी कम है। यह सर्वविदित है कि यूनियन कार्बाइड 70 करोड़ तक का मुआवजा देने को तैयार थी परन्तु फैसला 45 करोड़ डालर पर किया गया। इसी प्रकार से देश में अभी तक ऐसी कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है जिनका विश्व में अधिकतर देशों में प्रयोग वर्जित है, पर भारतवर्ष में उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विधेयक में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि ऐसी जो कीटनाशक दवाएं हैं या जो फल या अन्य चीजें खाने से बीमारी फैलती है, उनसे पीड़ित लोगों को भी उचित मुआवजा मिले। इसी प्रकार से माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन यह है कि गैस, पेट्रोल, तेजाब और ज्वलनशील टैंकरों की ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों का नुकसान होता है। कानून बनने के बावजूद अधिकतर ऐसी कंपनियां हैं वह उपचार के चार्ट टैंकरों के साथ उपलब्ध नहीं करा पाती अथवा ट्रांसपोर्टर इन टैंकरों के चार्ट को लेकर नहीं चलते। इनका पालन सख्ती से होना चाहिए।

मैं जयपुर की समस्या की ओर भी निवेदन करूंगा कि टोंक फाटक के पास, पुलिया के पास गैस के, पेट्रोल के, मिट्टी के तेल की टंकियां और बड़े-बड़े टैंकर्स बने हुए हैं। पास में ही सचिवालय भी है, रेलवे लाइन भी है, बड़ी-बड़ी कालोनियां भी है। यदि उन टैंकर्स को वहां से नहीं हटाया गया, जो पेट्रोल के हैं, डीजल के हैं, गैस के हैं, तो मैं समझता हूं कि जयपुर शहर में भी भोपाल से ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। केन्द्रीय सरकार को उन टैंकरों को जो बस्ती के बीच में आ गये हैं, वहां से हटाना चाहिये क्योंकि वहां पर सचिवालय है, मंत्रियों के घर हैं, जनता बहुत रहती है

बड़े-बड़े आफिस हैं और उद्योग हैं जिसके कारण भोपाल जैसी दुर्घटना जयपुर शहर में न हो, अन्यथा वहां पर यदि कभी दुर्घटना हो गयी, तो तबाही आ जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह मेरी इन बातों की ओर ध्यान दे और मैं इसीलिये यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा लाए गए लोकदायित्व बीमा विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूँ। इस पर हमारे माननीय सहयोगी श्री मनोरंजन भक्त ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनका मैं समर्थन करता हूँ। मूल विधेयक में जैसा कि केन्द्र सरकार को सभी मामलों में शिकायत दर्ज कराने की शक्ति देने की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को भी सौंपा जाना चाहिए ताकि और शीघ्रतापूर्वक उपचारात्मक कार्रवाही की जा सके। दूसरी बात यह है कि जैसा कि विधेयक में व्यवस्था की गई है बीमा कर्ता को सामने आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में बीमा कम्पनियों उच्च कोटि के वकीलों को अपनी अपने निजी लाभ के लिये नियुक्त कर सकती है। वास्तव में बीमा कर्त्ता मालिक की ओर से बेनामी के तौर पर भी कार्य कर सकता है तीसरी बात यह है कि सरकारी संस्थाओं को भी बीमा योजनाओं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निजी संगठनों की भांति क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है ? इस तरह के भेदभाव को भी दूर करने की आवश्यकता है। अन्त में, मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि विधेयक की मूल धारा 4(1) और 4(2) में व्यवहार किया गया शब्द 'बीमाकर्ता' को 'मालिक' में बदलने की आवश्यकता नहीं इसके अतिरिक्त यह विधेयक घातक उद्योगों में दुर्घटना के शिकार लोगों और विषैली रासायनिक वस्तुओं के उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों की बहुत दिनों से चली आ रही मांगों को भी यह पूरा करता है। इसी सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से काफी राहत मिली है चूंकि तीन-चार वर्षों तक इस पर विचार किया जाता रहा और पिछले वर्ष तक मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए लम्बित रखा रहा।

जहां तक निजी सम्पत्ति के नुकसान का संबंध है प्रतिभूती राशि 6000 रुपए है जो वास्तव में बहुत कम है। यह कोशिश की जानी चाहिए इस नगण्य राशि को यदि अधिक नहीं तो थोड़ा सा बढ़ाया जा सके।

इसके अलावा जो खंड इस विधेयक में शामिल किए गए हैं उसमें गरीब मजदूरों को दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में जल्द से जल्द क्षति पूर्ति देने के मामले में प्राथमिकता सम्बन्धी भेदभाव उन व्यक्तियों के मामले में हैं जो ट्रेन दुर्घटना अथवा हवाई दुर्घटना में मारे जाते उनके लिए दो लाख से चार लाख रुपये की क्षति पूर्ति राशि दी जाती है। लेकिन जब कोई मजदूर किसी औद्योगिक दुर्घटना में मारा जाता है तो उनके नजदीकी संबंधियों को 5000 से 6000 रुपये की थोड़ी सी राशि दी जाती है। इसलिए इस अन्यायपूर्ण स्पष्ट भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए तथा इसके खंडो और विचारों का समर्थन करते हुए मैं

सरकार से निवेदन करता हूं कि इन प्रासंगिक बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे ताकि विधेयक को और भी व्यवहारिक और प्रभावी बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री थानसिंह जाटव (बयाना) : सभापति महोदय, यह पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस बिल 1990 जिसको अब 1991 किया गया है, श्रीमती मेनका गांधी, मन्त्री महोदय द्वारा लाया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके काफी प्रोवीजन्स हैं लेकिन इनमें संक्षेप में सुझाव के रूप में कुछ अमेंडमेन्ट मैंने दिए हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें क्लोज 2 में जो "ऐक्सीडेंन्ट" वर्ड है, उसके साथ-साथ "इनसीडेंन्ट" और "अकरेन्स" भी जोड़ देना चाहिए क्योंकि ऐक्सीडेंन्ट और इनसीडेंट और अकरेन्स में बहुत फर्क है। वह फर्क भी उनको, जो लोग प्रभावित होते है उस फर्क के कारण, उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लोज 2 क (डी) मे हैजर्डस सब्स्टेंन्स की डेफीनेशन दी हुई है, वह ऐनवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 के अन्तर्गत बताई गई। इस एक्ट में जो डेफीनेशन हैजर्डस सबस्टेंन्स की दी है उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सबस्टेंन्स हैं जो हैजर्डस हो सकते हैं और इस एक्ट में शामिल नहीं हैं। इस लिए एक सूची इस बिल के साथ और इस एक्ट के साथ लगाई जाए जिसमें हैजर्डस जो सबस्टेंन्सेस उनकी सूची भी मिल हो। क्लोज 3 के सब-क्लोज (2) में "रोंगफुल एक्ट" लिखा हुआ है। इस रोंगफुल एक्ट को हटा दिया जाए क्योंकि इसकी डेफीनेशन और इसका आरग्यूमेंट वकील लोग इस तरह करेंगे कि कम्पनी का कोई रोंगफुल एक्ट नहीं था। इसमें केवल "नेगलेक्ट" और "डिफोल्ट" के साथ "ओमीशन" वर्ड जोड़ा जाए और रोंगफुल एक्ट को काटा जाए। इसकी वार्डिंग यह होगी कि

[अनुवाद]

"किसी अनुचित कार्य, लापरवाही या किसी व्यक्ति के गलती के कारण एक दावा किया गया है।"

[हिन्दी]

मेरा निवेदन है कि इसमें "ओमीशन" वर्ड जोड़ा जाए और "रोंगफुल एक्ट" वर्ड काटा जाए। क्लोज 4 में प्रोवीजोन है 41 वीं लाइन पर। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कम्पनी पालिसी ले सकती है लेकिन एक साल के अन्दर उसको लेना लाजमी है। मेरा निवेदन है कि एक साल के अन्दर यदि कोई दुर्घटना हो गई तो फिर उसके क्लेम का निपटारा कैसे होगा इसलिए मेरा सुझाव है कि जल्द से जल्द और तीन महीने के अन्दर यह ले लिया जाना चाहिए, इंश्योरेंश हो जाना चाहिए।

4.00 म. प.

सब-क्लाज 3 को डिलिट कर दिया जाए क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कारपोरेशन एण्ड लोकल एथारिटीज कम्पनियां हैं और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको एगजम्ट न करके उनको उसमें शामिल किया जाए जिससे उनकी और शासन वालों की लायबिल्टी बने।

क्लाज 7 का सब-क्लाज 6 देखें, इसमें "इंश्योरेंस एज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू आर आफ

पब्लिक डिमांड" दिया हुआ है। इसको और हटा दिया जाये क्योंकि एरियर्स आफ लैंड रेवन्यू के जरिए वसूल करना बहुत कम्बसर है। इसलिए इसको "अटैचिंग दी प्रापर्टी" लिख कर पूरा किया जाए और इस मामले की "एज एक्जपीडिशिलो एज पासिबल" के बजाय 15 दिन के अन्दर निपटाया जाये। 15 दिन शब्द रखे जाए और इसी तरह से क्लाज 8 में दिया है कि

[अनुवाद]

"ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि "कम कर दी जाएगी'... के स्थान पर इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई राहत राहत राशि को क्षतिपूर्ति की राशि में से नहीं घटाया जाएगा, अतः स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

इसमें कलेक्टर को अधिकार दिया गया है वह ठीक है, जहां पर "एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू' वर्ड है, उसे हटा दिया जाए। मुआवजे की राशि आपने बहुत कम रखी है। डैथ होने पर 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाये। रूल ऐसे बनाए जायें जिस में कोई लैकूना न रहे। अगर प्रापर्टी का नुकसान होता है तो उसका 1/6 हिस्सा दिया जाए और अगर वह उससे कम कीमत की हो तो 6 हजार तक दिया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैंने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री महोदया उनको स्वीकार करेंगी।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : सभापति महोदय, वित्तमन्त्री यहां उपस्थित हैं और मैं नहीं समझता कि मंत्रियों को आपस में जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालनी चाहिए। उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिए और यदि संभव हो तो सरकारी संशोधन लाना चाहिये और यदि संभव हो तो सरकारी संशोधन लाना चाहिए। हमारी पहली आपत्ति धारा 3 और धारा चार के बारे में है। वित्त मंत्री महोदय भी विधेयक पर गौर करेंगे। धारा चार और उपधारा 8 तीन के अंतर्गत केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को इसे वे अधिनियम के कार्य क्षेत्र से अलग रखने की शक्ति इस आधार प्राप्त कर रही है पर जो कि मेरे विचार से निरर्थक है अर्थात् उनमें से प्रत्येक को कोष का गठन करना पड़ेगा।

अब आप इस्पात कम्पनियों की तरफ ध्यान दीजिए। टाटा की इस्पात की प्रमुख कम्पनी है है तथा 'सेल' एक प्रमुख इस्पात कम्पनी है। बोकारो राऊरकेला अथवा भिलाई फंड का गठन करके केन्द्र सरकार से छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। टाटा की कम्पनियों को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए जबकि उन्होंने कोष का फंड का गठन कर लिया है? मेरे विचार से यह एक प्रकार की अधिकारिक गड़बड़ी है जिससे अधिनियम का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। देश के अधिकांश प्रतिष्ठान केन्द्र सरकार के हैं और सरकारी क्षेत्र में हैं।

4.03 म. प.

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

निजी नियोजक तथा निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान की तरह उन्हें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें भी इस अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाए। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये कि उन्होंने कोष का गठन कर लिया है परन्तु उसमें धन नहीं है तथा उन्हें सरकार से छूट के लिए लिए अनुरोध नहीं करना चाहिये। यह बात दिखावटी है और यह समाप्त होना चाहिए। यदि सरकारी क्षेत्र प्रतियोगिता का सामना करते हुए कार्य करते हैं तो उन्हें भी ये जिम्मेदारियां स्वीकार करनी चाहिए जैसे कि अन्य क्षेत्रों ने स्वीकार किया है। यदि लोक दायित्व बीमा विधेयक प्रत्येक के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करता है तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि जिससे इस दिखावटी तर्क के कारण कि वे कोष का गठन करेंगे, छूट दी जानी चाहिए यह कैसा कोष है और उन्हें अकेले-अकेले ही इसके गठन की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए ;

मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए यदि वह तत्काल संशोधन नहीं ला सकतीं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि वह धारा चार के उपधारा तीन को लागू नहीं करेंगे और किसी भी छूट नहीं देंगे।

इसकी मूल आपत्ति यह है कि बीमा कर्त्ता की बात क्यों सुनी जाए। इस विधेयक का तात्पर्य क्या है ? यह विधेयक 'त्रुटिविहीन' सिद्धांत पर आधारित है। जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है और मंत्री महोदय ने भी कहा है। धारा तीन के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है कि यह त्रुटिविहीन' दायित्व है। मैंने किसी की त्रुटि को बताना नहीं चाहता।

यह कठोर दायित्व का सिद्धान्त है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तथा यदि घातक पदार्थ से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसकी क्षति-पूर्ति की जाए। बीमा कर्ता का उल्लेख कहां से हुआ ? उसे अपनी किस्त मिल जाती है। ज्यों ही आप बीमाकर्त्ता को दाग करने की अनुमति देते हैं तो मन्त्री मैं महोदय को बता दूं कि दावे को निपटाने में 10 अथवा 15 वर्ष लग जाते हैं। मोटर दुर्घटना के दावे में बीमाकर्त्ता को दावे की अनुमति होती है आपके और मेरे अनुभव में मोटर दुर्घटना का ऐसा कौन सा दावा है जो दस वर्षों में निपटाया गया है ? इसे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में भेज दिया जाता है। इस न्यायाधिकरण से इसे उच्च-न्यायालय में भेज दिया जाता है और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाता है। इस मुकद्दमे को कौन लड़ता है ? मालिक मुकद्मा नहीं लड़ता है इसलिए उसे कोई चिन्ता नहीं होती है क्योंकि वह बीमाकृत होता है। मुकद्मा बीमा कम्पनी द्वारा लड़ा जाता है। बीमा कम्पनी उच्च कोटि के वकील नियुक्त करती है और 12,000 अथवा 15,000 रुपये के लिए बेचारे दावेदार से मुकद्मा लड़ती है। यह मुकद्मा 15 वर्षों तक चलता है। मेरे विचार से बीमाकर्त्ता को इस विधेयक से दूर रखा जाना चाहिए। बीमाकर्ता लाबी ने इस बात को इस विधेयक में सम्मिलित किया है। बीमाकर्ता को इस विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय से यह कहते हुए मुझे खेद है कि हम इस खंड का समर्थन नहीं कर सकते हैं। जहां तक अन्य खण्डों का सम्बन्ध है हम उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है परन्तु हम बीमाकर्ता को इस विधेयक में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं है। बीमाकर्ता को इससे निकाल दिया जाना चाहिए। मैंने मंत्री महोदय को पहले ही सुझाव दिया है कि उन्हें पृष्ठ 4 की पंक्ति 3 में 'बीमाकर्ता' और कोष्ठक में 'बीमाकर्ता समेत' शब्दों को निकालने के लिए सरकारी संशोधन लाना पड़ेगा। इन सभी बातों में बीमाकर्ता के लिए कोई स्थान नहीं होता है।

अन्तिम संशोधन के बारे में मैं उनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस अधिनियम को व्यवहारिक ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

धारा 19 के अन्तर्गत शक्ति सौंपने के बारे में मेरा सुझाव है कि यह शक्ति राज्य सरकार को दी जानी चाहिए। क्या केन्द्र सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में, जिनकी सख्या हजारों में है, शिकायतें दर्ज करेगी। प्रत्येक मामले की शिकायत इन न्यायालयों में दर्ज करना केन्द्र सरकार के लिए किस प्रकार सम्भव है? आपको राज्य सरकार का विश्वास करना पड़ेगा, उन्हें अधिकार दीजिए और उन्हें इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दीजिए कि उन्होंने कितने दावे स्वीकार किए और कितनी शिकायतें दर्ज की। अन्यथा सरकार को केवल शिकायतें दर्ज करने के लिए ही हजारों अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा सम्भव नहीं है। सरकार को यह शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करनी पड़ेगी। उनके अधिकारी उन्हें यह सलाह दे सकते हैं कि 'प्राधिकार' शब्द में 'राज्य सरकार' सम्मिलित है। परन्तु ऐसा हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्हें यह नेक सलाह दी जाए कि 'राज्य सरकार' तथा "किसी व्यक्ति" को सम्मिलित किया जाए। यह शक्ति राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए। मुझे आशा है कि वह इस बात को स्वीकार करेंगे और एक सरकारी संशोधन लायेंगे।

हम विशेषत: यह कहना चाहते हैं कि दावेदार और मालिक के बीच बीमाकर्ता को नहीं आना चाहिए। इन बातों में बीमाकर्ता के लिए कोई स्थान नहीं है उसे इससे दूर रखा जाना चाहिए।

इन सुझावों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : सभापति महोदय, लोक दायित्व बीमा विधेयक जो लाया गया है, इसका उद्देश्य बड़ा ही नेक है और निश्चित रूप से इससे बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को राहत मिल सकेगी इस प्रकार के परिसंकटमय पदार्थों के उठाई धराई के क्रम में कोई व्यक्ति आहत होता है, क्षतिग्रस्त होता है लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को छोड़ दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के तहत काम करने वाली किसी संस्था में यदि उठाई धराई के क्रम में कोई व्यक्ति आहत होता हो तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व केन्द्रीय सरकार या उसके अन्तर्गत काम करते वाली संस्था नहीं लेना चाहती, इसीलिए इस विधेयक के निर्माताओं की नीयत पर संदेह होने लगता है कि किस प्रकार का प्रावधान है कि जो हम चाहते हैं कि सब पर लागू हो लेकिन केन्द्रीय सरकार और उसके अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगा इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस विधेयक की सीमा में केन्द्रीय सरकार और उसके अन्तर्गत कार्यरत जो संस्थान हैं, जो कम्पनीज हैं, जो फैक्टरियां हैं, उनको भी शामिल किया जाय।

दूसरी बात, जो इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे कहनी है, वह यह है कि कार्यरत कर्मचारी या कर्मकार शब्द जिसके लिए प्रयुक्त किया गया गया है, उनकी क्षति का तो इसमें प्रावधान है लेकिन हम लोग यह जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर जब से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, देश में जब से हिंसा में विश्वास करने वाले लोगों का कार्यक्षेत्र बढ़ा है, इस देश में तब से

ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं कि बम या विस्फोट पदार्थ या इस प्रकार की चीजें लापरवाही से सड़कों पर छोड़ी गई हैं जिनकी उठाई-धराई दायित्व सरकारी कर्मचारियों पर और विशेषकर पुलिस कर्मचारियों पर है। कई ऐसी घटनायें सामने आई हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर बम या इस प्रकार की चीजें जिनके स्वामित्व के बारे में पता नहीं है. उनकी उठाई-धराई के क्रम में हमारे कई कर्तव्यनिष्ट पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। यह विधेयक ऐसे लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं रखे हुए है। श्रीमती मेनका जी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि इस विधेयक में निश्चित रूप से ऐसा भी संशोधन होना चाहिए कि जो कर्तव्यपरायण सरकारी अधिकारी इस प्रकार के परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई के क्रम में आहत होते हैं, उनकी भी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस विधेयक के अन्तर्गत जिस प्रकार के पदार्थों को परिसंकटमय गिनाया गया है, उनमें नामत: उल्लेख आतिशबाजी और पटाखे उद्योग से जुड़े हुए लोग नहीं है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह बात उनके ध्यान में रही होगी और पिछले कई वर्षों में यह उद्योग कुटीर उद्योग की तरह से फैला है और अधिकांश हिंसक घटनायें वहीं हुई हैं, जहां ये आतिशबाजी या छोटे बम-पटाखे बनाने के काम हुआ करते हैं। उन के लिए आपने अगर अनदेखी की है, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विधेयक की सीमा में उनका विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।

जहां तक दावों के सम्बन्ध में समय सीमा का प्रश्न है, पृष्ठ 4 पर धारा-7 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें आपने कहा है-"किसी व्यक्ति की मृत्यु या उससे पहुंची क्षति या किसी सम्पत्ति के नष्ट होने के बारे में राहत के लिए कोई दावा यथा संभव शीघ्र निपटाया जाएगा।" शब्द "यथा संभव शीघ्र" की ओर सदन का ध्यान जाना चाहिए और मंत्री जी को इस बारे में समझाना चाहिए, नहीं तो "यथासंभव शीघ्र" ऐसा शब्द है, जिसकी कोई अब महत्ता नहीं रह गई और लोग उससे तरह-तरह के अर्थ ग्रहण करते हैं और उससे कभी भी निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी।

आपने यह भी कहा है कि यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उसके संबंध में पांच वर्ष के भीतर सूचना देनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इतना लम्बा समय देने का कोई औचित्य है। दुर्घटना जब भी हो, उसके सम्बन्ध में दावा करने के लिए अधिक से अधिक पन्द्रह दिन का समय दिया जाना चाहिए। पांच वर्षों के बाद अधिकांशत: नकली दावे ठोके जायेंगे और सरकारी विभागों में अनेक प्रकार से भ्रष्टाचार पैदा होगा। इसलिए आपत्तियां पन्द्रह दिन के भीतर मांगे और आपत्तियों का निपटारा अधिक से अधिक साठ दिनों के भीतर होना चाहिये।

श्री जग पाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, यह पब्लिक लायबिलिटी इंशोरेंस बिल, 1991 जो मंत्री जी द्वारा सदन में लाया गया है, मैं उसका हाफ-आर्टेडली स्वागत करता हूं, क्योंकि इस बिल में पब्लिक अंडरटेकिंग्स को शामिल नहीं किया गया है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भी हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में संशोधन लायें और इसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स को शामिल किया जाना चाहिए, नहीं तो जो मजदूर पब्लिक अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं, उनके साथ डिसक्रिमिनेशन होगा।

दूसरी इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके टाइम-बाउन्ड इंशोरेंस देने का कोई प्रावधान नहीं

है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि आपने उन कारखानों के मैनेजमेंट पर कलेक्टर पर, जिसके ऊपर आपने जिम्मेदारी छोड़ी है, उनकी मर्जी पर आपने उन कर्मचारियों को छोड़ दिया है कि उन को कितने समय मे उनका कम्पेंसशन या इंशोरेंस मिल। मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस बिल के अन्दर यह प्रावधान होना चाहिए कि किसी कर्मचारी का अगर का अगर हाथ कट गया, टांग कट गई या उंगली कट गई या किसी अन्य प्रकार से कोई इन्जरी हो गई तो आपके इस बिल के अनुसार उसका महीने मे या तीन महीने मे, जिम्मेदारी कलेक्टर का या मैनेजमेंट की या चेयरमैन की होनी चाहिए, वे इतने दिनों के अंदर उस मजदूर को इंश्योरेंस या कम्पेनसेशन दिलायेंगे। मैं समझता हूं कि अभी तक हम लोगों के सामने जो कर्मचारी लोग ट्रेड यूनियन से राजनीति में आये है, इसका हमारे सामने बड़ा कटु अनुभव है कि मजदूर दुर्घटना के बाद लगातार अपने कोर्टस के चक्कर काटता रहता है और मैनेजमेंट की या सरकार के किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिये मरने के बाद उनका परिवार कोर्ट्स के, लेबर कोर्ट्स के या हमारे यहां जो जिला स्तर पर जो लेबर कोर्ट होती है, उनके चक्कर काटता रहता है और मजदूर या उनके परिवार के लोग तबाह होते रहते हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसमें कम से कम ये प्रावधान लायें कि एक महीने के अन्दर उस मजदूर को कम्पेनसेशन दिला पायेंगे और इसकी जिम्मेदारी मजदूर को नही होगी बल्कि आपके इस कलेक्टर की होगी जिसके ऊपर आपने जिम्मेदारी छोड़ी है या मैनेजमैंट की होगी।

सभापति जी, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर इन दो चीजों पर विचार होना चाहिये ताकि मजदूरों को समय के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार ये सब सुविधायें मिल सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परंतु दुर्भाग्यवश इस विधेयक में भी, अभी मेकियावेली कानून लागू है। आप जानते हैं कि मेकियावेली का कहना है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। खंड चार के उपखंड (3) में कहा है कि संघीय सरकार राज्य सरकार, किसी भी निगम अथवा स्थानीय प्राधिकरण को विमुक्त कर दिया जाएगा। लोकतंत्र में यह दोहरी नागरिकता (भेद भाव पूर्ण) नीति कब तक चलती रहेगी? किसी भी क्षेत्र में देखें, वहां दोहरी नागरिकता का दृष्टिकोण है। सदैव एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग विद्यमान रहता है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी प्रतिष्ठानों से व्यापारिक एवं व्यवसायिक घटानों जैसा कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन चूंकि वे सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उनके मौलिक उत्तरदायित्व से वंचित रखने का क्या औचित्य है? मुझे यह तर्क समझ में नहीं आ रहा है।

मैंने, अपने मित्र श्री चिदम्बरम की बातें सुन ली हैं और उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं श्री चिदम्बरम की टिप्पणी में इतना जोड़ना चाहता हूँ, और निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस उपधारा विशेष में सरकार की ओर से एक संशोधन लाना चाहिए

इसी प्रकार, खंड (ग्यारह) के उप-खंड (3) में यह कहा गया है :

"यदि उस व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी दुर्घटना के निवारण के लिए ऐसा करना समीचीन हैं, तो वह उपधारा (2) के अधीन अभिगृहित परि-संकटमय पदार्थ का ऐसी रीति से जो वह ठीक समझे : व्ययन कर सकेगा।"

यह दूसरा संदिग्ध अधिकार है जो जांच करने वाले अथवा अधिग्रहण प्राधिकारी को दिया गया है। कई मामलों में हम जानते हैं कि पी. डी. प्रणाली द्वारा चीनी को नमक में बदल दिया जाता है। जब चीनी पकड़ी जाती है, तो पुलिस स्टेशन में यह नमक में बदल दी जाती है। जब उर्वरक पकड़ा जाता है तो पुलिस स्टेशन में वह कुछ और वस्तु में बदल दिया जाता है। हमारे प्रति-दिन के जीवन में अजीबो गरीब घटनाएं घट रही हैं। हम यह सब कुछ देख रहे हैं। इसलिये परि-संकटमय पदार्थ कौन-कौन से है, इसका स्पष्ट और विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ पदार्थ परिसंकटमय हो सकते है। यह सभी को पता है। लेकिन आप जानते हो हैं कि हर जगह स्वार्थ है निहित तत्व है। आप एक पदार्थ विशेष को परिसंकटमय घोषित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि 'हम इसे नष्ट करने जा रहे हैं। लेकिन नष्ट करने के बदले आप इसे काला बाजार में बेच सकते हैं। इसलिए इस नष्ट करने की विधि को स्पष्ट किया जाना चाहिए, इसका साफ-साफ पता लगाया जाना चाहिये ताकि भविष्य में धोखेबाजी की गुंजाइश न रहे तथा किसी भी तरह से गोपनीय ढंग से कोई कार्य नहीं किया जाए। चूंकि विभिन्न व्यावसायिक घरानों में प्रतिस्पर्धा है, इसलिये प्रताड़ित करने सम्बन्धी घटनाएं भी संभव है। एक आदमी अपने हित के लिये दूसरे का उपयोग कर सकता है।

विधेयक के पृष्ठ चार पर खंड 7 के उपखंड (7) में निम्नलिखित बातें कही गई है :

"किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे पहुंची क्षति या किसी संपत्ति को नुकसान के बारे में राहत के लिये कोई दावा यथा संभव शीघ्र निपटाया जाएगा।"

इसके लिये निर्धारित समय सीमा होनी चाहिये। आपके लिये दस दिन कम हो सकते हैं, पर कोई व्यक्ति किसी न किसी तर्क पर इसे लम्बे समय तक खींच सकता है। न्याय में विलम्ब का अर्थ है न्याय से वंचित करना।

इसलिये विधेयक को विशिष्ट और निश्चित रूप से परिभाषित होना चाहिये और इसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिये। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है उन पर वह विचार करें।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदया चर्चा का जवाब देंगी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : चर्चा का जवाब देने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सदस्यों को बोलने के लिये और अधिक समय दें।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं समझता हूं कि सभी सदस्य बोल चुके हैं इतना ही ठीक है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं समझती हूं कि कल्याण के और उपाय किये जाने चाहिये।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : माननीय मंत्री महोदय द्वारा चर्चा का उत्तर दिये जाने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के प्रस्ताव कौन हैं ? जो विधेयक परिसंचालित किया गया था उसमें प्रस्तावक श्री नीलमणि राउत राय हैं। विधेयक जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसकी प्रस्तावक श्रीमती मेनका गांधी, पर्यावरण और वन मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि विधेयक का प्रस्तावक कौन है और हम किस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : मेरे विचार से विधेयक को प्रस्तावित करने वाले मंत्री। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह भी मंत्री रही है। (व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : मैं उन माननीय सदस्यों की आभारी हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मुझे आशा है कि कल्याण कारी उपायों के कार्यान्वयन में हमें इन सुझावों से सहायता मिलेगी। विधेयक में लोगों की परेशानी विशेषत: कमजोर वर्गों की पीड़ा कम करने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों का भय भी दूर करना है, जो चिकित्सा के बारे में चिंतित हैं, दुर्घटना के शिकार लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करायी जाएगी। (व्यवधान)

हमने साधारण बीमा कम्पनी और अन्य संगठनों से विगत तीन वर्षों तक व्यापक विचार विमर्श किया था। यह विधेयक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित योजना पर आधारित है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस योजना को जारी रखा जाए, ताकि पीड़ितों तो तत्काल राहत प्रदान की जा सके।

श्री मानधाता सिंह (लखनऊ) : मेरा अनुरोध है कि उनके स्पष्टीकरण की उपेक्षा न की जाए।

सभापति महोदय : जी नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मांन्धाता सिंह : वह चाहते हैं कि उन्हें सीख दी जाए। क्या लोक सभा सचिवालय इतना निर्धन है कि वह इस पर श्रीमती मेनका गांधी का नाम मुद्रित करके इसका नया प्रकाशन नहीं कर सकता है ? हम इसके बारे में आपका विनिर्णय जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपने आज की कार्यसूची पढ़ी है ? कृपया इसे पढ़िए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मान्धाता सिंह : मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को पढ़िए।

सभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आज की कार्य-सूची पढ़िए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री मान्धाता सिंह : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कार्य-सूची पर ध्यान दीजिये। यह ठीक है। मंत्री महोदय अपनी बात जारी रख सकते हैं।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : कार्यसूची में श्री नीलमणि राउत राय का नाम भी है। परंतु मंत्री महोदय। विधेयक पर चर्चा कर रहा हैं। इसमें शुद्धि की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : आप शोर क्यों मचा रहे हैं ?

श्री मान्धाता सिंह : उन्हें स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : जी नहीं, कार्य-सूची ठीक है। आप कार्य-सूची पढ़िए।

श्री श्रीकान्त जेना : कार्य-सूची से कोई सदस्य यह किस प्रकार जान सकता है कि विधेयक के अन्दर क्या कुछ है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपने कार्य-सूची को पढ़ा है ?

श्री श्रीकान्त जेना : जी नहीं।

सभापति महोदय : जब आपने कार्य-सूची को नहीं पढ़ा है तो आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। कार्य-सूची पढ़ने के बाद यदि मैं विधेयक पर गौर करूं तो श्री नीलमणि राउत राय का नाम उसमें सम्मिलित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यही कार्य-सूची में दर्शाया गया है अथवा नहीं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संशोधन के बाद इसे परिचालित क्यों नहीं किया गया।

(व्यवधान)

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। यह विधेयक 31 मई को तत्कालीन पर्यावरण मन्त्री श्री नीलमणि राउतराय ने प्रस्तुत किया था। नयी मन्त्री महोदया प्रस्तुत कर रही हैं जब तक इस लोक सभा का कार्यकाल है, तब तक विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, इसी विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। यह विधेयक कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित है और श्रीमती मेनका गांधी इसे प्रस्तुत कर रही हैं।

सभापति महोदय : इतना ही नहीं, उन्होंने इस विधेयक को 4 जनवरी को भी प्रस्तुत किया था ? कार्य सूची में यह स्पष्ट है कि श्रीमती मेनका गांधी इस विधेयक को 4 जनवरी को प्रस्तुत करेंगी। इसमें अप्रासंगिक बात कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस सभा का समय बहुत ही कीमती है। प्रत्येक मिनट पर बहुत धन

खर्च होता है। कृपया समय बर्बाद न करें, यह आदेश है। उन्होंने यह विधेयक 4 जनवरी को प्रस्तुत किया था।

श्री श्रीकान्त जेना : आपको मालूम ही है कि प्रत्येक विधेयक को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है। जब विधेयक को एक मंत्रिमंडल ने स्वीकृत कर दिया है तो उसे दूसरा मंत्रीमंडल कैसे प्रस्तुत कर सकता है ? और उसे अब कैसे पुरःस्थापित किया जा सकता है ?

श्री मान्धाता सिंह : मंत्रिमंडल के निर्णय जारी रहते हैं।

सभापति महोदय : इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : यह औचित्य का प्रश्न है।

सभापति महोदय : औचित्य का बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं है। सब कुछ ठीक तरह से है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि वह संविधान को पुन: लिखने का प्रयास कर रहें है। ग्यारह महीनों के छोटे से अन्तराल में जब वह सरकार में थे, तब उन्हें कम से कम एक बार तो संविधान को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए था। ध्यान दिलाने लायक बात यह है कि सरकार तो लगातार बनी रहती है। उन्हें कम से कम अब तो संविधान पढ़ ही लेना चाहिए।··· **(व्यवधान)** मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है।

सभापति महोदय : वह मेरी अनुमति से बोल रहें हैं। यदि आप कुछ कहना चाहतें है तो आप श्री चिदम्बरम के बाद अपनी बात कह सकते हैं। अभी मैंने श्री चिदम्बरम को अनुमति दे रखी है।

श्री पी. चिदम्बरम : जिस तरह मेरे मित्र को कोई गलत या सही ब्यान देने का अधिकार है, उसी तरह मुझे भी गलत या सही ब्यान देने का अधिकार है। यह आपको निर्णय करना है कि मेरी बात सही है या उनकी बात सही है। मेरे अनुसार उन्होंने गलत ब्यान दिया है। यदि वह यह समझते है कि मेरी बात गलत है तो वह आपको अपील कर सकतेहैं। आप अपना निर्णय दे सकते हैं। विधेयक को 31 मई 1990 को तत्कालीन मंत्री द्वारा पुन: स्थापित किया गया था। सरकार में कोई गतिरोध नहीं आया है। मंत्री बदल सकते है लेकिन भारत सरकार वही रहती है। जैसा कि विधेयक में भी दिया गया है, जो मंत्री उस समय पद पर होता है, वही विधेयक पुनः स्थापित करता है। इसमें अब संशोधन नहीं किया जा सकता है विधेयक में इस आधार पर शुद्धि नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसे उस समय में प्रभारी मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। इसमें शुद्धि नहीं की जा सकती है। आप 31 मई की पूर्व प्रभावी तिथि से मंत्री नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। मंत्री ने 3 जनवरी को विधेयक के पक्ष में अपनी दलील दे रही हैं। विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद बहस करके आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहें है ? आप अपना समय क्यों नष्ट कर रहें है ? **(व्यवधान)**

श्री मान्धाता सिंह : उन्होंने हम पर यह छींटाकशी की है कि हमने संविधान नहीं पढ़ा है।

इस बात को या तो वापिस लिया जाये या इसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाना चाहिए। हम श्री चिदम्बरम द्वारा हम पर की गई छींटाकशी सहने को तैयार नहीं है। आप उन्हें या तो अपने शब्द वापिस लेने के लिए कहिये या फिर उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

डा. विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : हम यह जानते हैं कि विधेयक को पिछले वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था। यह सही है ·· (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री ए. चार्ल्स : क्या मैं जान सकता हूँ कि अध्यक्षपीठ के निर्णय को वह किस नियम के अन्तर्गत चुनौती दे रहे हैं ? क्या कोई सदस्य अध्यक्षपीठ के निर्णय को चुनौती दे सकता है ?

सभापति महोदय : कोई भी सदस्य अध्यक्षपीठ के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी सुनने में कोई हर्ज नहीं है।

डा. विप्लव दास गुप्त : मेरा यह अनुरोध है कि श्री चिदम्बरम को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सदन में संविधान पर बोलने वाले केवल वही एक मात्र योग्य व्यक्ति हैं। उन्हें अपने बारे में इतनी बढ़-चढ़ कर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम जो कह रहे हैं वह बहुत सीधी सी बात है, हम यह कह रहे हैं कि यह सही है कि कार्य सूची में यह दिया गया है कि इस विधेयक को श्रीमती मेनका गांधी प्रस्तुत करेंगी। लेकिन हम विधेयक में पाते हैं कि यहां दूसरा ही नाम दिया हुआ है। हम इस बात से सहमत है कि संसद में किसी तरह का गतिरोध नहीं आया है। हम इस बात से भी सहमत है कि मंत्री द्वारा पहले पुरः स्थापित विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा एक मात्र प्रश्न यह है क्या संसदीय सचिवालय का कार्यकरण इतना अजीब है कि एक साधारण सी शुद्धि भी नहीं की जा सकती है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : डा. विप्लव दासगुप्त, मैंने आपकी बात सुन ली है।

व्यवधान

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपका विनिर्णय क्या है ?

सभापति महोदय : मैं आपको अपना विनिर्णय दूंगा। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते।

श्री उत्तम राठौड़ हिंगोली : यह विधेयक मंत्री जी के नाम पर पुरःस्थापित किया गया था राज्यमंत्री के नाम पर नहीं। यह विधेयक बहुत पहले पुरःस्थापित किया गया था। अतः मेरे विचार से उठाई गई आपत्ति गलत है। दूसरा ·····

डा. विप्लव दासगुप्त : क्या गलत है ?

श्री उत्तम सिंह राठौर : आप यह मत सोचिये कि आप सब कुछ जानते हैं।

माननीय मंत्री कह रहे हैं कि वह पहली बार विधेयक प्रस्तुत कर रही है। हमें उनकी बात को शिष्टता से सुनना चाहिए।

सभापति महोदय : मैंने काफी सुन लिया है। इस विधेयक को मई में पुरःस्थापित किया गया था। उसके बाद सरकार बदल गई थी। वर्तमान मंत्री ने 4 जनवरी, 1991 को इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया था। सब कुछ ठीक है। सभा का समय व्यर्थ नष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, कोई आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई आक्षेप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री चिदम्बरम ने अपने शब्द वापिस ले लिये है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभा का कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। यदि कुछ आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : जो कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है।

सभापति महोदय : आमतौर पर यही होता है अगर कुछ आपत्तिजनक होता है तो सभा का कार्यवाही वृतांत देखा जाता है और निर्णय लिया जाता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बात की जांच की जाएगी कि टिप्पणी किस संदर्भ में की गई है और उसका तात्पर्य क्या है तथा क्या ये नियमों के विरुद्ध है। यदि यह सभा के नियमों के विरूद्ध है तो निश्चय ही इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

(व्यवधान)

डा. बिप्लव दासगुप्त : शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे उनके पास ही सारा ज्ञान का भण्डार है···

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : कृपया इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री चिदंबरम् ने कहा है कि कुछ सदस्यों ने संविधान नहीं पढ़ा है···(व्यवधान)

डा. बिप्लव दासगुप्त : इस देश में केवल वही संविधान विशेषज्ञ है और कोई नहीं

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य, श्री चिदम्बरम्, ने विधेयक को पढ़े बिना और जो कुछ मंत्री महोदया कह रही हैं उसे जाने बिना उनका समर्थन किया है। यही वह कर रहे हैं···(व्यवधान)

डा. बिप्लव दासगुप्त : हमें इसलिए ठेस पहुंची है क्योंकि श्री चिदम्बरम द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियाँ पहली बार नहीं की गई है। वह इस प्रकार की टिप्पणियां पिछले एक वर्ष से लगातार कर रहे है। वे जानबूझकर आक्रामक और अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं।···(व्यवधान) उनके मन में अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान नहीं है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि श्री चिदम्बरम ने सदस्यों के बारे में आम बात कही है तो भी इसकी जांच की जायेगी। मैं प्रक्रिया और पूर्वोद्धारण के बारे में सचिवालय से सलाह भी लूंगा। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मैं इसकी जांच सचिवालय से करवाऊंगा और इस विषय में निर्णय लिया जायेगा। आमतौर पर यही किया जाता है।

(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं का समर्थन करती हूं कि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि अधिक होनी चाहिए। माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं यह विधेयक दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को तुरन्त अन्तरिम सहायता देने के बारे में है तथा पीड़ित व्यक्ति पूर्ण मुआवजे के हकदार होगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने मुआवजे की राशि के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करने का मामला उठाया है। इस उद्देश्य के लिए मैं सरकार की ओर से संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं यह सुझाव भी स्वीकार कर रही हूं कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन घटनाओं को दुर्घटना माना जाना चाहिए और मैं श्री अनिल शास्त्री, जो वित्त मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं, द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करती हूं।

मैं यह भी सुझाव स्वीकार कर रही हूं कि उन लोगों के साथ किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए जो बीमा नहीं करवाते या अन्यथा जो विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं। मैं इस उद्देश्य से सरकार की ओर से संशोधन प्रस्तुत कर रही हूं···(व्यवधान)

महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम हैं कि 1986 में गैस रिसाव का मामला हुआ था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति जो परिसंकटमेय पदार्थों की उठाई धराई का कार्य करते है वह किसी प्रकार की प्रकार की क्षति हो जाने पर सामाजिक रूप से मुआवजे के हकदार हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं खोना चाहिए कि कम से कम दुर्घटना में शिकार लोगों को तुरन्त अन्तरिम राहत मिल जाए। यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है या इस प्रकार कदम उठाने में देरी

करते हैं जिससे गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति को राहत मिले। मैं अनुरोध करूंगा कि देश के हित को देखते हुए तथा देश के गरीब लोगों के लिए इस विधेयक को अविलम्ब पारित किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एस. बेंजामिन (बपतला) : महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रकासम और गुंटूर जिलों में कपास उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक है। वे सामान्य कृषि श्रमिकों में से श्रमिक ले लेते हैं। उनका न तो उत्पादकों की तरफ से और न ही श्रमिकों की तरफ से कोई बीमा होता है। कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हुए कई लोग मर जाते हैं। कपास के खेतों में कीटनाशी दवाइयां छिड़कते समय कई श्रमिकों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन श्रमिकों का इस वर्तमान विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत शामिल किया गया है या नहीं क्योंकि कृषि को उद्योग के रूप में नहीं माना गया है। उनका कोई बीमा नहीं होता है और गरीब लोगों को बिना किसी मुआवजे के कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर खंडवार विचार शुरू करने से पहले श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत विचारार्थ प्रस्ताव पर एक संशोधन है। मैं इसे सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उस पर 5 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी परिसंकट मेय पदार्थ को उठाई धराई के समय किसी दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजन के लिए लोकदायित्व बीमा का और उससे संसक्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, विधेयक पर खंडवार चर्चा करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि संशोधनों की प्रतिलिपियां कहां हैं।

सभापति महोदय : सरकारी संशोधन को खंड विशेष पर विचार के समय लिया जाएगा आपको इस बात को समझना चाहिए।

श्री गुमान मल लोढा : इसे पहले दिया जाना चाहिए। जब तक हमें संशोधन नहीं दिया जाता हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : कई मामलों में, जब इस सभा से सुझाव दिए जाते हैं तो सरकार स्वयं इस सभा में संशोधन प्रस्तुत कर सकती है।

श्री गुमान मल लोढा : लेकिन कम से कम अब इसे दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इसे पहले ही परिचालित किया जा चुका है। माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

खंड 2—परिभाषा

सभापति महोदय : श्री अनिल शास्त्री क्या आप खंड 2 मे संशोधन का प्रस्ताव कर रहे है।

श्री अनिल शास्त्री (वाराणसी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"दुर्घटना" के पश्चात् "अथवा घटना" अन्तःस्थापित किया जाये।" (4)

1984 में भोपाल में घटी दुर्घटना के पश्चात् यह आशा की जा रही थी कि यह बीमा विधेयक जल्द ही प्रतुस्त होगा। लेकिन यह अत्याधिक संतोष की बात है कि छह् वर्षों के पश्चात् विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया गया। मुझे यह कहने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पर्यावरण मंत्री श्रीमती मेनका गांधी की पर्यावरण के प्रति लगन जो उनकी इस धरती पर और इस विश्व में जीवन को संरक्षित रखने की लगन के कारण ही उपजी है उसी के कारण ही संसद में यह विधेयक प्रस्तुत हो सका है।

पर्यावरण के प्रति खतरे को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। भोपाल दुर्घटना के अनुभव के कारण ही मैंने दुर्घटना की जगह घटना शब्द अन्तःस्थापित करने के संशोधन का प्रस्ताव किया है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रसायन या जोखिमपूर्ण वस्तुओं के कार्य में लगी कोई इकाई का मालिक या निर्माता इस आधार पर न बच जाये कि सभी सावधानी बरतने के पश्चात् घटना घट गयी। अतः मालिक द्वारा सभी सावधानियां बरतने के बाद भी यदि कोई घटना घटती है तो मैं यह चाहूंगा कि लोगों को इस विधेयक के अन्तर्गत संरक्षण मिले। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि श्रीमती मेनका गांधी की पर्यावरण के प्रति वचनबद्धता के कारण ही यह विधेयक प्रस्तुत हो सका है। अतः मै आशा करता हूं कि वह इसे आधे-अधूरे मन से नहीं करेंगी और आपके माध्यम से मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि "दुर्घटना" शब्द के स्थान पर "घटना" शब्द अन्तः-स्थापित करने वाले मेरे संशोधन पर कृपया विचार करें।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं इस संशोधन पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाता है। केवल संशोधन के प्रस्तुतकर्त्ता को ही बोलने की अनुमति होती है।

श्री राम नाईक : नियमों के अनुसार किसी भी संशोधन का विरोध या समर्थन किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय नियम मौजूद हैं। नियमों के अनुसार उन्हें इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री कुमारमंगलम नियमों में किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, यह एक बहुत महत्व का अमेंडमेंट है और इस अमेंडमेंट के कारण भोपाल ट्रेजेडी वालों को तो लाभ होगा ही लेकिन आगे भी इस प्रकार की बातें हो सकती हैं, तो "एक्सीडेंट" शब्द के बदले में "इन्सीडेंट" होने के कारण जिसका नुकसान हुआ है उसको लाभ मिलेगा और इसलिए यह महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है। इसको मैं समर्थन देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मुझे संशोधन स्वीकार है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"दुर्घटना" के पश्चात "अथवा घटना" अन्तःस्थापित किया जाये। ( )

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है अतः मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है।

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

सभापति महोदय : श्री थान सिंह जाटव अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

खंड 6 तक कोई संशोधन नहीं है अतः में खड 4 से 6 सभा के मतनान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड—7 राहत का अधिनिर्णय

सभापति महोदय : श्रीमती मेनका गांधी।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 15 के अन्त में निम्नलिखित में जोड़ा जाये :

"और धारा 6 की उपधारा (i) के अधीन राहत के लिए आवेदन की प्राप्ति के तीन मास के भीतर ऐसे दावे के निपटाए जाने का हर प्रयास किया जायेगा। (16)

सभापति महोदय : श्री बनातवाला।

श्री जी. एस. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 15

"अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और राहत के लिए आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर" (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 15,—

"अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये—

"और राहत के लिए आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर दावे का निपटान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। (6)

यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने योग्य बात है। मैंने संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं

संशोधन में यह अपेक्षा की गई थी कि राहत के आवेदन को यथा सम्भव तीन माह के अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए। अब मन्त्री महोदया ने मेरा संशोधन लगभग स्वीकार कर लिया है। मेरे "प्रयास" के शब्द के स्थान पर उन्होंने "सभी प्रयास किए जाएंगे जैसी बेहतर अभिव्यक्ति जोड़ दी है।" मन्त्री द्वारा अधिकारिक संशोधन के माध्यम से मेरे संशोधन को स्वीकारने को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या श्री जी. एम. बनातवाला को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 5 और 6 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4, पंक्ति 15 के अन्त में निम्नलिखित में जोड़ा जाएगा :

"और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन राहत के लिए आवेदन की प्राप्ति के तीन मास के भीतर एसे दावे के निपटाए जाने का हर प्रयास किया जाएगा।" (16)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड 7 संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम : इससे पहले की खंड संख्या 7 को आप मतदान के लिए रखें मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री "बीमाकर्ता" शब्द हटाने के लिए एक और संशोधन प्रस्तुत कर रही है ?

उन्होंने सुझाव स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

सभापति महोदय : क्या आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

आपने केवल संशोधन संख्या 16 परिचालित किया है। लेकिन आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 33,— 34—

(i) और बीमाकर्ता

(ii) (जिसके अन्तर्गत बीमाकर्ता भी है) का लोप किया जाए। (33)

सभापति महोदय : कृपया सभा को लिखित रूप में दीजिए।

श्रीमती मेनका गांधी : मैंने लिखित रूप में दे दिया है।

सभापति महोदय : यह अभी तक कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आपको कोई आपत्ति है।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह केवल तकनीकी बात है। यह एक विधेयक है। यह कुछ और नहीं है।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठाते हैं तो माननीय मन्त्री उस सुझाव को स्वीकार करते हुए मौखिक संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : हम सहमत हैं, हम आपसे एक संसोधन चाहते हैं। लेकिन भविष्य में विधि और न्याय मन्त्री, जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें इसकी पहले ही व्यवस्था कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप कृपया समझिए। यह लोकतन्त्र में एक अच्छी प्रक्रिया है। संशोधन प्रस्तुत करने की मन्शा नहीं थी। लेकिन जब माननीय सदस्यों ने कुछ अच्छे संशोधन सुझाये तब कल उन्हें परिचालित किये जाने के लिए समय ही नहीं बचा था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। यह सामान्य प्रक्रिया है कि सभा में अच्छे सुझाव स्वीकार कर लिये जाते हैं और सरकार उन सुझावों पर मौखिक संशोधन प्रस्तुत करती है। यह अच्छी प्रथा है।

श्री राम नाईक : मैं सभा के नियमों और प्रक्रियाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री का इस संशोधन को प्रस्तुत करने की मंशा नहीं थी। यह संशोधन सभा में हुई चर्चा के आधार पर प्रस्तुत किया गया। मेरे प्रिय मित्र, क्या यह अच्छी प्रथा नहीं है?

श्री राम नाईक : जी, हां :

सभापति महोदय : अब मैं श्रीमती मेनका गांधी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 33, 34—

(i) "और बीमाकर्ता"

(ii) "(जिसके अन्तर्गत बीमाकर्ता भी है)" का लोप किया जाए (33)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 मृत्यु आदि के लिए प्रतिकर का दावा करने के अन्य अधिकार के बारे में उपबन्ध

सभापति महोदय : श्री थानसिंह जाटव—उपस्थित नहीं है। श्री जी. एम. बनातवाला, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"पृष्ठ 4,—

पंक्ति 20 से 24 का लोप किया जाये।" (7)

मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री इस बात को मानेंगे कि इस विधेयक के अधीन दी जाने वाली नगण्य राहत को प्रतिकर राशि में से नहीं घटाया जाना चाहिए जो किसी अन्य विधि के लागू होने के कारण देय हो सकता है।

श्रीमती मेनका गांधी : आरम्भ में, मैंने इसे काफी स्पष्ट कर दिया था। यह केवल अन्तरिम राहत है। इसलिए, मैं इससे सहमत नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : मैं श्री जी. एम. बनातवाला से अपना संशोधन वापस लेने का निवेदन करता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं अपने संशोधन पर आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संख्या 7 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

5.00 म. प.

सभापति महोदय : खण्ड 9 पर कोई संशोधन नहीं है। महोदय, मैं खण्ड 8 और 9 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 और 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : अब खण्ड 10, श्री मानसिंह जाटव उपस्थित नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 11

सभापति महोदय : अब खण्ड 11, श्री मानसिंह जाटव उपस्थित नहीं है ।

खण्ड 12 और 13 पर कोई संशोधन नहीं है ।

इसलिए, मैं खण्ड 11 से 13 एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंट 11 से 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

"खण्ड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये ।"

खण्ड 14

धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उल्लंघन या धारा 12 के अधीन निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

श्रीमती मेनका गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 1—

"(1) "यदि कोई स्वामी" के स्थान पर

"(1) जो कोई"। प्रतिस्थापित किया जाए : (2)

पृष्ठ 6, पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम का न हो ।" (17)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 1—

"(1) यदि कोई स्वामी" के स्थान पर

"(1) जो कोई" प्रतिस्थापित किया जाए।"

पृष्ठ 6, पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की कोई बात उस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध के लिए दोष व्यक्ति का तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम का न हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : विधेयक के खंड 15 से 15 से 20 पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : उन्होंने कहा था कि वे धारा 19 में एक सरकारी संशोधन पेश करेंगे जिसमें शब्द 'राज्य वार' जोड़ दिया जाएगा। आपने सभी खण्ड एक साथ रख दिए हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने उसे पेश नहीं किया है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैंने कहा है ...."किसी अन्य अधिकारी प्राधिकारी या अन्य अधिकरण सहित।" मेरे विचार में 'अधिकरण' में राज्य सरकार निहित होगा।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : इसमें यह निहित नहीं होगा :

श्रीमती मेनका गांधी : क्या हम इसे विषय की चर्चा के अधीन रख दें।

सभापति महोदय : श्री चिदम्बरम, समस्या यह है, कि बिना दिए हुए, हम कैसे जान सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : वे अब संशोधन दे सकती है।

श्रीमती मेनका गांधी : हम नियमों मे इस का ध्यान रख सकते हैं।

सभापति महोदय : क्योंकि वे यह संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं, इस पर नियमों के अनुसार चर्चा हो सकती है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 से 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : अब खंड 21।

श्री थान सिंह जाटव : उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 22 और 23 पर कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं इन्हें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 और 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 30—

"12,500 रुपए" के स्थान पर

"समुचित समझे जाने वाले" प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

पृष्ठ 8, पंक्ति 32—

"25,000 रुपए" के स्थान पर "एक लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये। (10)

पृष्ठ 8, पंक्ति 33—

"12,500 रुपए की अधिकतम" के स्थान पर "और समुचित समझे जाने वाले" प्रतिस्थापित किया जाये । (11)

"पृष्ठ 8, पंक्ति 37,—

"12,500 रुपए की अधिकतम राशि तक" के स्थान पर समुचित समझे जाने वाले "एक लाख रुपए" प्रतिस्थापित किया जाये । (12)

पृष्ठ 8, पंक्ति 41,—

"25,000 रुपए" के स्थान पर "एक लाख रुपए" प्रतिस्थापित किया जाये । (13)

पृष्ठ 8, पंक्ति 44 ता 45,—

"जो अधिक से अधिक तीन मास तक की होगी" का लोप किया जाये । (14)

पृष्ठ, पंक्ति 49,—

"6,000 रुपए" के स्थान पर "एक लाख रुपए" प्रतिस्थापित किया जाये । (15)

सभापति महोदय : श्री थानसिंह जाटव—उपस्थित नहीं है ।

श्री जी. एम. बनातवाला । महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी उचित चिकित्सा संबंधी व्यय का भुगतान किया जाना चाहिए तथा इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं लगाई जानी चाहिए । उनके चिकित्सा संबंधी समस्त व्यय को राहत के रूप में दिया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसी घातक दुर्घटना के लिए 25,000 रुपए की यह राशि बहुत कम है तथा इसीलिए मैंने इसके लिये एक लाख रु. की राशि देने का सुझाव दिया था । तीसरे, यह अत्यन्त हास्यास्पद है कि सम्पत्ति को हुए नुकसान के मामले में राहत-राशि केवल 6,000 रु. तक ही सीमित रखी जानी चाहिए । सम्पत्ति को हुए नुकसान के मामले में राहत-राशि मात्र 6,000 रु. रखना अत्यन्त हास्यास्पद है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस राशि में उचित वृद्धि की जाए । मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि यदि किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए शारीरिक रूप से अपनी मजदूरी अर्जित करने में अयोग्य हो जाता है तथा उसे मजदूरी का नुकसान होता है तथा प्रभावित व्यक्ति की अर्जन क्षमता पर इससे असर पड़ता है तब उस समय तक राहत-राशि प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि वह मजदूर अपने काम पर जाने की स्थिति में हो जाए ; इसे सीमित नहीं दिया जा सकता । अन्यथा, कठिनाई लगातार बनी रहेगी तथा राहत केवल एक भ्रांति बनकर रह जानी है । अतएव मैं अनुरोध करूंगा कि मजदूरी में नुकसान के मामले में सम्पूर्ण नुकसान का भुगतान राहत के रूप में दिया जाना चाहिए ।

श्री एस. बेंजामिन : मेरा यह सुझाव है कि कीटनाशी दवाओं के उपभोग से अनेक व्यक्ति मरे हैं तथा इन व्यक्तियों को निर्धारित राशि से अधिक राशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाना चाहिए ।

श्रीमती मेनका गांधी : माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने राहत-राशि को बढ़ाने हेतु एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। यह समझ लिया जाना चाहिए कि ये केवल अन्तरिम तथा तत्काल सहायता है तथा यह राहत-राशि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार प्रदान की जाती है। यह न्यायालय द्वारा दिलायी जाने वाली प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्तरिम तथा तत्काल राहत राशि अपर्याप्त है तथा हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इसे वापस ले लें।

श्री जी. एम. बनातवाला : जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करतीं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 9 से 15 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 9 से 15 सभा के मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड-1 संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1990" के स्थान पर "1991" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्रीमती मेनका गांधी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

सभापति महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : मैं कुछ कहना चाहता हूं । सर्वप्रथम मैंने मंत्री जी से कहा था तथा अनेक माननीय सदस्यों ने भी यह स्पष्ट किया था कि हम उस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते जिसके अन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छूट दी जा सकेगी । मैं यह मानता हूं कि उन्होंने विधेयक में उन सब को छूट नहीं दी है परन्तु उन्होंने उन सब को छूट देने की शक्ति ले ली है । जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा था कि इस शक्ति का उपयोग कभी-कभार ही किया जाएगा तथा वह यह आश्वासन देंगी कि इस अधिकार का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाएगा । मैं समझता हूं कि यह अधिक उचित होगा यदि वह यह आश्वासन दें ताकि कार्यवाही-वृत्तान्त में उनके द्वारा दिया गया वह आश्वासन शामिल हो सके कि वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण को इसके अन्तर्गत छूट नहीं देंगी तथा इस अधिकार का बहुत कम ही प्रयोग किया जाएगा । मैं सोचता हूं कि अपने निर्णात्मक जवाब में उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए ।

मैंने माननीय मंत्री जी को यह भी स्पष्ट किया था कि धारा 19 में अत्यन्त गंभीर त्रुटियां हैं । मैंने उनमें से एक त्रुटि "राज्य सरकार" शब्द को शामिल किए जाने के सम्बन्ध में पहले ही स्पष्ट कर दी है । मैं समझता हूं कि उन्हें यह परामर्श दिया जा रहा है कि "एजेंसी" अथवा "प्राधिकरण" शब्दों में ही "राज्य-सरकार" भी निहित होगा । मुझे इस पर आपत्ति है । मैं समझता हूं कि उन्हें श्री स्वामी के परामर्श सहित कोई कानूनी सलाह लेनी चाहिए तथा यदि उनके विचार से "राज्य सरकार" शब्द के बारे में अलग से स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए । अभी कोई देर नहीं हुई है । वह राज्य सभा में इस संशोधन को प्रस्तुत कर सकती है तथा यदि आवश्यक हो तब इसे दुबारा यहां लोकसभा में ला सकती हैं । मेरे विचार से "राज्य-सरकार" शब्द का इसमें उल्लेख किया ही जाना चाहिए ।

धारा 19 में एक और अन्य स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है । धारा 22 के अन्तर्गत अधिकार को छोड़कर । 23 के स्थान पर "22" एक मुद्रण की त्रुटि है क्योंकि 22 के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि उनका इरादा 21 अथवा 23 के बारे में उल्लेख करने का था । क्योंकि केवल 22 के अन्तर्गत ही ऐसा प्रावधान किया गया है ।

"इस अधिनियम के उपबंध और उसके अन्तर्गत बनाये गये कोई भी नियम इससे असंगत होने के बावजूद भी प्रभावी होंगे ।"

धारा 19 के अन्तर्गत जब शक्ति (अधिकार) प्रत्यायोजित किये जाते हैं तो उसको अलग नहीं आ सकता हो सकता है मैं गलती भी कर रहा हूं लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं । यह धारा 21 है या 23 है लेकिन धारा 22 का हवाला देना स्पष्ट रूप से प्रींटिंग की गलती है । यदि

यह इसको स्पष्ट करती हैं तो मैं उनका आभारी होऊंगा। यदि यह गलती है तो उन्हें इसे ठीक करना चाहिए।

श्रीमती मेनका गांधी : यह एक गलती है और इसे ठीक करके 23 कर दिया गया है।

प्रो. राम गणेश कापसे (ठाणे) : अब यह ठीक है।

श्रीमती मेनका गांधी : दूसरा मुद्दा यह है कि उन्होंने मुझसे आश्वासन देने के लिए कहा है जो मेरे विचार से पर्याप्त है। मैं आश्वासन देती हूं कि बहुत कठोर मामले के सिवाय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के प्रतिष्ठानों को भी छूट नहीं दी जायेगी।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : उन्होंने अपना उत्तर समाप्त कर दिया है। आप पहले पूछ सकते थे। साधारणत: इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। क्या आप इसके लिए जोर देना चाहते हैं ?

श्री पी. सी. थामस : मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि शब्द दुर्घटना के स्थान पर 'घटना' रखा गया है। मेरे विचार से अधिनियम का क्षेत्र इस अर्थ में थोड़ा व्यापक हो गया है। मैंने केवल एक उदाहरण की ओर ध्यान दिलवाया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ लोगों को निरन्तर चोट लगती रहती हैं। मैं केवल एक घटना बताना चाहूंगा जो एक बड़ी फैक्टरी में कुछ वर्ष पहले हुई थी। 'फैक्ट' कोचीन डिवीजन एक बड़ी फैक्टरी है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। फैक्टरी के अपशिष्ट पदार्थ नदी में डाल दिये जाते हैं जिससे पास के क्षेत्रों में धान की खेती करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। जब अपशिष्ट पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है तो यह लगातार होती रहती है। इन लोगों को प्रत्येक बार उपज के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे विचार से जो नया शब्द जोड़ा गया है, उसमें इन लगातार होने वाले नुकसानो को भी शामिल किया जाना चाहिए। यदि मंत्री महोदय के मन में यह बात है तो यह बहुत अच्छा है। यदि नहीं तो मेरे विचार से विधेयक में कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिए ताकि फिर से ऐसी घटनाएं न हों।

सभापति महोदय : विधेयक में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए यह समय नहीं है।

श्री पी. सी. थामस : मैं मंत्री महोदय द्वारा इस प्रभावशाली विधेयक को लाने की सराहना करता हूं। मैं उनके एक अन्य पहलू की सराहना करता हूं जो मैंने उनमें विधेयक को पारित करते समय देखी है। जैसे कई संशोधन हैं जो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। उन्हें स्वीकृत किया गया है : मेरे विचार से यह एक अच्छी प्रक्रिया है। मैं इसके लिए एक बार फिर उनकी सराहना करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती मेनका गांधी : मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय : अब सभा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक पर विचार करेगा। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी।

5.17 म. प.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

> "कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों का अवधारण करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, यह विधेयक 31 मई 1990 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह सदन जानता है कि राष्ट्रपति जी ने पिछले वर्ष 12 मार्च को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में बड़े पैमाने पर निर्वाचन सुधार करने के सरकार के निर्णय का हवाला दिया था। यह सदन भी जानता है कि पूर्व प्रधान मंत्री ने 9.1.1990 को एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में निर्वाचन सुधारों से संबंधित मामलों पर संसद में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी। उसी मीटिंग में सर्वसम्मति के आधार पर पूर्व सरकार ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की और निर्वाचन सुधारों के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जांच करने वाले विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति ने अप्रैल 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की अधिकतम सिफारिशें पूर्व सरकार ने स्वीकार कर ली थी और समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए चार विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक 1990, एक ऐसा विधेयक है जिसे अब सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अन्य तीन विधेयक अर्थात संविधान (सत्तरवां संशोधन) विधेयक 1990, संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1990 और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1990 जिसे राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, सदन में विचार के लिए लम्बित हैं सिवाय अन्तिम विधेयक के जिसे अब राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया है, सदन के समक्ष शीघ्र ही लाया जायेगा।

मैं सदन के विचाराधीन वर्तमान विधेयक के मुख्य प्रस्तावों पर बोलूंगा। चुनाव सुधारों से संबंधित समिति ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित कतिपय सिफारिशें की थी। सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समान होनी चाहिए। सरकार ने यह भी निर्णय

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लिया था कि चुनाव आयुक्तों का वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होनी चाहिए।

चुनाव आयुक्तों को देय पेंशन उनके अवकाश के हक आदि से संबंधित उपबंधों के अलावा विधेयक में यह भी प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त छः वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक दोनों में से जो भी पहले हो, कार्यभार संभालेगा। इसी तरह चुनाव आयुक्त छः वर्ष तक या बासठ वर्ष आयु तक, इसमें से जो पहले हो, कार्यभार संभालेगा विधेयक के खण्ड 8 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अन्य सेवा शर्तों से संबंधित जैसे यात्रा भत्ता बिना किराये के आवास तथा ऐसी निशुल्क आवास पर आयकर छूट तथा अन्य सुविधाएं आदि के प्रावधानों को लागू करने की मांग करता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (सेवा शर्तों) के अधिनियम 1958 के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में लागू होती है। इसी तरह चुनाव आयुक्त से सम्बन्धित उपलिखित सुविधाएं उसी प्रकार लागू होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 के अन्तर्गत एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उपलब्ध है।

पूर्व सरकार द्वारा स्थापित की गई चुनाव संबंधी समिति ने मामलों पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय का पदाधिकारी उच्च स्तर का होना आवश्यक है जिससे कि वह सभी मामलों पर आदेश देने में समर्थ हो। वर्तमान समय में उनकी जिम्मेदारियों में अत्याधिक वृद्धि तथा उन्हें अर्धन्यायिक कार्यों को भी करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखकर उनके वेतन तथा अन्य लाभों आदि पर भी विचार किया गया है। इसलिए मुझे आशा है कि इस विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से समर्थन किया जायेगा।

मैं सदन द्वारा इस विधेयक पर विचार करने की प्रशंसा करता हूं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : कार्य प्रक्रिया क्या है ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री वक्कम पुरुषोत्तम) : इन सभी चीजों के लिए समय है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उचित समय नहीं है।

श्री मान्धाता सिंह : महोदय, मंत्री जी असफल हो गए ··· (व्यवधान) मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं (व्यवधान) आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं।

श्री मान्धाता सिंह : प्रत्येक सदस्य को स्पष्टीकरण लेने का अधिकार है।

सभापति महोदय : इसके लिए एक प्रक्रिया है। आपको समय मिलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सेवा की शर्तों का अवधारण करके और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : मान्यवर सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों मे चुनाव सुधार प्रक्रिया का जो स्वरूप चल रहा था, उसके अन्तर्गत सरकार द्वारा यह बिल प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान में चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग आजादी के तुरंत बाद से होती आई है और आजादी के 42 वर्षों मे जो कुछ हुआ, उसको ध्यान मे रखते हुए इस समय आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को अपने हिसाब से लागू करें। वास्तव में बहुत से सुधारो के बारे मे बताया गया है कि और माध्यमों से कई बातें रखी जाएंगी और निश्चित रूप से जो मुख्य प्रक्रिया का हिस्सा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके नीचे विभिन्न राज्यों के, इस ओर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रक्रिया की शुरूआत हुई है तो जिलास्तर, जो इसकी मुख्य कड़ी है, उसके बारे बारे में जब आप समावेश करें तो निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान मे रखें। आजकल देख रहे हैं, एक जनवरी से पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें काफी कुछ अनियमितताएं सामने आ रही हैं, वेत भी दूर होंगी जब इसका स्वरूप दूसरे ढंग का होगा। जिस प्रकार से न्यायिक संस्थाएं हैं और उनका काम चलता है, उसी प्रकार से जिला स्तर पर निर्वाचन कार्यालयों को जिला-अधिकारियो के माध्यम से अलग करके प्रदेश और केन्द्र सरकार द्वारा उनका संचालन किया जाएगा, तभी वास्तव मे एक सही एनरोलमेंट हो पाएगा और जिस प्रकार की लोकतंत्रीय व्यवस्था को हम वास्तव में चलाना चाहते हैं, उसके अनुरूप हम कर पाएंगे। मैं इतना अवश्य कहता हूं कि जिस व्यवस्था का संचालन करने के लिए प्रक्रिया बनाई है, इसमें निश्चित रूप से जैसा कि अभी एक माननीय मित्र ने कहा कि स्पष्टीकरण दें कि जो नियुक्तियां होंगी, वे किस आधार पर और किस प्रकार से होंगी और इस बात को भी सुनिश्चित करें कि इस पद की समाप्ति के बाद कोई और जगह के लिए विचार न किया जाए या राजनीतिक लाभ की हो। निश्चित रूप से इस प्रकार का बात दिमाग में आने के बाद दूसरी सोच की बात आएगी। वास्तव में निर्माण प्रक्रिया का मामला सामान्य प्रक्रिया से अलग रख कर इस रूप मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि देश के अन्दर उस पर कोई अंगुली न उठाए। निश्चित रूप से, आज इस अवसर पर जो प्रक्रिया की शुरूआत हुई है और जो इस बिल के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है, उसका स्वागत करते हुए मैं यह आशा करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो अन्य सुधार विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किए जाएगे, जिनकी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चर्चा भी हुई है, उनको लेकर आयेंगे और उसके बारे में सदन की राय के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इतना कह कर इस बिल का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 11 अप्रैल, 1991 तक राय जनाने के लिए परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय, मैं सामान्यतः इस विधेयक की संस्तुति करता हूं। यह एक व्यापक विधेयक है और मेरे विचार से, इसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों को पहली बार नियमित किया गया है। इस संबंध में, मैं एक या दो बातें कहना चाहूंगा। खण्ड 4 में यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे और चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की आयु में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं यह सुझाव दूंगा कि दोनों की आयु समान होनी चाहिए अर्थात् 65 वर्ष, जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में किया गया है। इसलिए दोनों की आयु में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विभिन्न दलों के बीच कुछ चर्चा हुई है और यह सहमति हुई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय सभी दलों के मतों पर विचार किया जाएगा। यहां मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा। अगर ऐसा हो था, तो फिर श्री शेषन को किस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचित किया गया। क्या श्री शेषन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति के समय पूरी प्रक्रिया व कायदे का पालन किया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्माननीय कार्यालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यालय है जो देश में महत्वपूर्ण चुनाव करवाएगा। इस विधेयक में जिन अन्य मामलों का उल्लेख किया गया है वे भी स्वीकार्य हैं और मैं सोचता हूं कि इस विधेयक में जिन सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है उन्हें सदन अनुमोदित कर देगा। इसलिए, मेरे द्वारा दिए गए सुझाव और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित टिप्पणी को छोड़कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, चुनाव आयुक्त और उसके कार्यों पर विचार करने का यह एक बहुत ही असंतोषजनक तरीका है। इस विधेयक के प्रस्तावक मेरे माननीय मित्र ने हमें बताया है कि कैसे दो वार्ताएं की गई और इसका परिणाम यह है कि उसमें से यह रहस्य निकला है। राज्य सभा में दो विधेयक हैं? सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि वे वहां से पारित होकर कब यहां आएंगे। यह सिर्फ एक प्रशासनिक विधेयक है जिसका संबंध चुनाव आयुक्त की सुविधा या असुविधा से है उसकी आयु 65 होनी चाहिए इससे अधिक नहीं, उसका पूरा कार्यकाल दस वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इत्यादि।

5.30 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह इन दोनों के बीच एक तरह का समझौता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। वास्तव

में, केन्द्र में तीन चुनाव आयुक्त होने चाहिए और यह विचाराधीन रहा है और काफी लम्बे समय तक इस पर एक राष्ट्रीय बहस चलती रही है। आज तक भी इस पर सर्वसम्मति नहीं है। अभी तक, यहां एक ही चुनाव आयुक्त ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा कार्य किया है, उस स्तर के कई अधिकारियों से बेहतर। किन्तु साथ ही, स्थितियां जटिल होती जा रही हैं। चुनाव प्रचार आज वैसा नहीं रहा जैसा तीस या चालीस वर्ष पहले होता था। आज, बहुत भ्रष्टाचार है। बहुत हिंसा है और अन्य समस्याएं हैं और जनता की ओर से बहुत हस्तक्षेप हैं कई बार पुलिस की ओर से भी हस्तक्षेप होता है असामाजिक तत्वों का भी उपद्रव होता है। ये सभी बातें राज्य स्तर और केन्द्र स्तर दोनों पर ही होती हैं। इसके प्रशासनिक, वैधानिक साम्प्रदायिक पहलू भी है। क्या एक व्यक्ति के लिए इन सभी बातों को संभालना संभव है। प्रायः इन सब बातों को रिपटाते हैं, कभी एक ही दिन में, एक के बाद एक और उसकी विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतत्रता से भी टकराहट होती है।

काफी समय से यह मांग की जाती रही है कि कम से कम तीन व्यक्ति होने चाहिये; तथापि कानून निर्माताओं का यह निष्कर्ष था कि सिर्फ एक व्यक्ति ही रहेगा और एक को भत्ते, सेवा अवाध की और बाकी सभी सुविधाएं मिलेंगी। मैं इस प्रकार की खण्डों में की गई प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हूं। काफी समय बीत चुका है। अब हमें चुनाव सुधारों पर एक व्यापक तरीके से गहन विचार करना होगा। हमने इस पर एक राष्ट्रीय बहस की थी। समाचारपत्रों में लेखों की भरमार थी और फिर निजी संस्थानों ने भी चर्चा की। संबद्ध मंत्रालय को ये सभी उपलब्ध थे। हर मंत्री को इस समस्या का सामना करना पड़ा और फिर भी आज तक भी हमारे पास इस सब बहस का कोई संतोषजनक उत्तर नही है। ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ एक से ही संतुष्ट हैं और तीन या दो क्यों नहीं हो सकते ? दो, तो संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में मतभेद हुआ तो किसी तीसरे को होना पड़ेगा। इस सरकार द्वारा या उससे भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। हम इस मामले को अपेक्षित गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

मुझे अत्यन्त दुःख है कि, कुछ समय पूर्व, श्री पेरी शास्त्री का निधन हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया, और उनके स्थान पर अपने विवेक से सरकार ने एक महिला को कार्यकारी चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। उन्हें इस पर पुरुष व महिला के प्रश्न पर विचार करना चाहिए था। हमारे देश में काफी समय से महिला के अधिकारों के बारे में भी बहस हो रहा है। उन्हें इस पर पर्याप्त गंभीरता से विचार करना चाहिए था और किसी को भी और वह भी एक महिला को अस्थायी तौर पर नियुक्त नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद उस महिला को हटा कर किसी और को नियुक्त नहीं करना चाहिए था। यह एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है; केन्द्रीय सरकार, संघीय सरकार से इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं की जाती। वह स्वाभाविक ही था कि महिला संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या आप उन्हें दोष दे सकते है ? क्या आप सरकार के कदम को उचित ठहरा सकते हैं। हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए था। किन्तु ना तो पूर्ववर्ती सरकार ने और ना ही इस सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र महिला संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों का कोई संतोषजनक उत्तर देने में सफल होंगे।

अब यदि वह यह समझते हैं कि जो व्यक्ति अस्थायी तौर पद इस पद पर है वह इतना सक्षम नहीं है और उसे हटा देना चाहिए। यदि तब भी उन्हें अस्थायी तौर पर किसी व्यक्ति को पद भार देना पड़ा तो उन्होंने किसी महिला को यह पद क्यों दिया, उन्हें आम परम्परा अपनाकर किसी पुरुष को उस पद पर नियुक्त करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने प्रामाणिक संकट पैदा किया है और सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे गैर-जिम्मेदार हैं बल्कि मेरा यह कहना है कि यह सरकार की गैर जिम्मेदारी कार्य-वाही और रवैया है। दुर्भाग्यवश मेरे माननीय मित्र जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील बनने का प्रयास कर रहे हैं और वही प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरे विचार से वह अपनी सफाई में कुछ कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक व्यक्ति से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। यह भी मुख्य दायित्व है। राज्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और अधिकांश राज्यों में चुनाव-अभियान मे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। प्रात सुबह ही भिन्न-भिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, मद्रास, पश्चिम बंगाल और असम में स्थिति खराब हो रही है और जो नीतियां अपनाई जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है। सरकार अपने विरुद्ध गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और फिर भी यह अपना दायित्व नहीं समझती है। चुनाव आयुक्त को इन सभी बातों पर गौर करना है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि जो यह विशाल तंत्र पूरे देश में बनाया जाता है, सुचारू रूप से, अपक्षपात पूर्ण और गैर राजनीति ढंग से काम करे तथा राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के नियंत्रण और प्रभाव से मुक्त तथा हिंसा के खतरे से दूर रहे। इसलिए मेरा यह कहना है कि कम से कम तीन व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय, ओजस्वी और युवा मित्र को मंत्रालय सम्बन्धी अनुभव पर कुछ और विचार करना चाहिए और इसकी तुलना में अधिक तर्कसंगत और सही जानकारी सभा में शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करनी चाहिए।

5.37 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) मैं कार्य मंत्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

7.38 म. प.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) विधेयक-(जारी)

श्री एम. रमन्ना राय (कासरगोड) : उपाध्यक्ष महोदय, हम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और अन्य सुविधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं विस्तृत संशोधन और चर्चा की आशा कर रहा हूं। यह अच्छा अवसर है जब विस्तृत संशोधन लाया गया है। इस देश

की प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करता है कि हमारी चुनाव व्यवस्था लोगों की इच्छा का उचित तथा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 9 संसदीय चुनाव और राज्य विधान सभाओं के कुछ चुनाव कराने के बाद भी बहुत अधिक अस्पष्टता है। पिछले संसदीय चुनावों में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र जहां से श्री राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा था, में उत्पन्न समस्याओं का कोई जवाब नहीं है। मेहम की समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : त्रिपुरा के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री एम. रमन्ना राय : त्रिपुरा और पूरे देश में चुनाव के नाम पर धांधलेबाजी और अवैध गतिविधियां होती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि इन सभी मामलों में मुख्य चुनाव आयुक्त अक्षम रहता है। वह कुछ नहीं कर पाता और प्रभावित पक्ष से न्याय भी नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है ? इस बात पर विचार करने का यह सुअवसर है कि चुनाव आयोग प्रभावित पक्ष के साथ न्याय क्यों नहीं कर पाता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय देश की जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विस्तृत विधान लाएंगे।

हम सभी जानते हैं कि इतने वर्षों और लोक सभा के नौ चुनाव करवाने के बाद भी पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बिना किसी भय अथवा पक्षपात के मतदान नहीं कर पाते है, वह अपने मालिकों, गुनड़ों राजनीतिक दलों और पुलिस से डरते हैं। वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इसका क्या उपाय है ? सरकार ने अब तक इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

अब हम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों और अन्य चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के बराबर दर्जा देने का प्रस्ताव है। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। शिकायत यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कैसे होता है और कैसे उसकी नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयुक्तों का चयन और नियुक्ति कैसे की जाती है ? क्या इन के लिए चयन और नियुक्ति करने के लिए कोई उचित व्यवस्था है ? प्रो. रंगा ने कहा है कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है। वास्तव में यह हमारे लोकतंत्र पर आघात है। अब यह कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के बराबर और चुनाव आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के बराबर और चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्याय-धीशों के बराबर पारिश्रमिक, वेतन और अन्य सुविधाएं तथा भत्ते दिए जाये। मेरा प्रश्न यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की क्या योग्यता निर्धारित की गई है ? क्या यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना जाना है अथवा नियुक्त करना है उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाएं ? क्या यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति विधिवेत्ता हो और अन्य चुनाव आयुक्त भी विधिवेत्ता हों ? क्या उन्हें वकील नहीं होना चाहिए ? मुझे अब ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त एक विधि स्नातक भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायधीश के रूप में कैसे चुना जा सकता है अथवा नियुक्त किया जा सकता है। मैं विधि मंत्री से इसका उत्तर चाहता हूं।

मेरा सुझाव है कि प्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति करने के स्थान पर यह चुनाव आयुक्त उच्चतम और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायधीशों में से चुने जाने चाहिएं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायधीशों में से चुना जाना चाहिए। इसी प्रकार चुनाव आयुक्त भी उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायधीशों में से चुने जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करने में क्या बाधाएं हैं? कार्य करने की यह सही पद्धति है। उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायधीशों में से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन एक सही व्यवस्था होगी। मेरा सुझाव यही है। उनसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आशा की जाती है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार अर्थात् एक राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त अधिकारी स्वतन्त्र रूप से कार्य कैसे कर सकता है। यह अति विकट स्थिति है। मेरा यह कहना है कि उनकी सेवा निवृत्ति के बाद क्या होगा? चूंकि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के बराबर एक वरिष्ठ अधिकारी है और वह सेवा-निवृत्ति के बाद अन्य कार्य भी ढूढेगा। उदाहरण के लिए वह यह अवश्य चाहेगा कि उसे राजदूत अथवा राज्यपाल अथवा जांच आयुक्त नियुक्त किया जाये। इसलिए जहां तक सेवा-निवृत्ति के बाद राज्यपाल, जांच आयुक्त और राजदूत केपदों पर नियुक्ति का संबंध है उसे अयोग्यता माना जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं। जहां तक अन्य बातों का संबंध है उनमें उचित और विस्तृत संशोधन किया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयुक्तों को सेवा-निवृत्ति के बाद नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कुछ संशोधन लाए।

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रणाली में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है और विशेष रूप से निर्वाचन आयोग को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है जिससे कि चुनाव स्वतन्त्र और प्रभावी तरीके से संचालित किए जा सकें। आप से हम सहमत हैं, कि जो अभी बिल लाया गया है इसमें कोई विरोध नहीं। उचित है, लेकिन इसमें एक जो मुख्य कमी है जैसा अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त जिनकी नियुक्तियां होती हैं इसमें जरूर ऐसी कमजोरी रखी गई है और इससे यह पता लगता है कि जो भी सरकार हो वह मनमानी से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगी और इससे नतीजा यह होता है कि देश की जनता में हर वर्ग में चुनाव आयुक्त के प्रति कुछ शंकाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि चुनाव जो निर्वाचन आयुक्तों का हो उसके लिए कुछ नियम ऐसे बनाए जाएं जो सर्वमान्य हों और दूसरी बात चुनाव आजकल जिस तरीके से हो रहे हैं, गरीब लोग वोट ही नहीं डाल पाते। हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के वोट दूसरे लोग डाल देते हैं, फर्जी तरीके से डाल देते हैं और निर्वाचन आयोग में शिकायतें भी आती हैं लेकिन यहां से भी कोई सुधार या कोई रिलीफ मिलन की संभावना नहीं है। इस लिए मेरा एक अनोखा सुझाव है, जरूर, लेकिन मेरा सुझाव है और पूरे हाउस से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करे कि जो भी चुनाव आयोग में आयुक्त या मुख्य आयुक्त नियुक्त किये जाएं, उसमें हरिजन, आदिवासी और निर्बल लोगों के प्रतिनिधि जरूर रखें। इनसे एक विश्वास की भावना पूरे देश में करोड़ों-करोड़ गरीब लोगों में,

जिनके वोट नहीं पड़ पाते उनमें एक विश्वास की भावना पैदा होगी और साथ ही साथ यह प्रभावकारी तरीके से निर्वाचन आयोग काम कर सकेगा। इसी के साथ-साथ चुनाव जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, धन शक्ति और बाहु शक्ति के जरिए चुनाव प्रभावित किए जाते हैं इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग के पास हम महसूस करते हैं कि अभी भी कोई ऐसे अधिकार नहीं हैं कि वह उनको रोक सके। इसलिए व्यापक चुनाव कानून में जब सुधार के प्रयास किए जाएंगे तब यहां पर चर्चा होगी।

यह जो बिल अभी आया है इससे हम सहमत होते हुए भी यह कहना चाहते हैं कि मंत्री जी ने चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है। शायद व्यक्त करें, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वे व्यक्त करेंगे क्योंकि कानून में कुछ लिखा नहीं है और हर सरकार जो आयेगी वह यही चाहेगी कि उसको अधिकार मिले रहें। इसलिए हमारी यह भावना है कि ऐसा कुछ बनाइए कि चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूरे देश की जनता, दबे-पिसे लोग, गरीब, हरिजन एवं आदिवासियों का विश्वास ज्यादा मजबूत हो सके, जिससे हमारे देश का लोक तन्त्र अधिकाधिक सुदृढ़ हो सके। इसलिए जैसा कि मैंने पहले सुझाव दिया है, उसको मैं अब पुन: दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि आप हरिजन आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के लोगों को जजों में नहीं रखते हैं, राजदूतों में नहीं रखते हैं, तो कम से कम इनमें तो रखिए। यदि इसके लिए किसी कानून की जरूरत, हो, तो वह बनाइए या फिर उनको रखना आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि चुनाव ज्यादा निष्पक्ष, निर्भीक एवं प्रभावी तरीके से हो सकें।

श्री धर्म पाल शर्मा (उधमपुर) : गांव वालों को रखना चाहिए।

श्री राम सजीवन : मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो गांवों से भी दूर जंगलों में रहते हैं। ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिससे देश की करोड़ों करोड़ जनता का विश्वास इस चुनाव-प्रणाली में मजबूत हो सके और हमारा लोकतंत्र उसके जरिए ज्यादा मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक स्वागत योग्य विधेयक है। मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं केवल कुछेक सुझाव देने के लिए ही खड़ा हुआ हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने चुनाव सुधारों का जिक्र किया है। यह एक अत्यन्त ही व्यापक प्रश्न है। यदि कोई यह समझता है कि वह इस पर चर्चा करेंगे तब संभवतः चर्चा काफी बोझिल हो जाएगी।

परन्तु चुनाव आयोग के संदर्भ में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि (1) चुनाव आयुक्तों की संख्या। (2) मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति; (3) मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लेने के पश्चात उन पर लगाए गए प्रतिबन्ध तथा (4) चुनाव आयोग के कर्मियों को और अधिक स्वतन्त्रता देने हेतु पर्याप्त प्रावधानों की आवश्यकता है।

हमने हमेशा से ही एक बहुउद्देश्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। उस आधार पर उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वह एक बहुउद्देशीय चुनाव आयोग की आवश्यकता पर विचार करे। मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त उसमें दो अथवा उससे अधिक चुनाव आयुक्त भी होने चाहिए।

तत्पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न भी सामने आता है तथा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यथा शीघ्र इन पहलुओं के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें। इस हेतु एक तंत्र गठित किया जाना चाहिए जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करेगा। वर्तमान विधेयक द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों को उच्च न्यालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समकक्ष लाया जा सकेगा।

संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले मे भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ऐसे ही अन्य न्यायाधीशों से जिन्हें वह उचित तथा योग्य समझता है उनसे परामर्श करने के पश्चात नियुक्ति करेगा। अतः ये प्रावधान कमजोर हो सकते हैं परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में किन्हीं प्रावधानों में किसी स्तर तक परामर्श लेने का उल्लेख किया गया है। परन्तु यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त का मामला है। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस पहलू विशेष की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उचित संशोधन लाया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहूँगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पद से हटने पर उस व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य पदभार ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि वे अपने पद से हटने पर संघ सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में कोई पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मामले में भी यही स्थिति है। हमें अब बताया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों को नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सेवा शर्तों के समान लाने का प्रयत्न किया गया है। यहां पर मैं यह कहूंगा कि संविधान में यह प्रावधान है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद से हटने पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में कोई पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। अतः सरकार को मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए भी इस प्रकार का प्रावधान करने के लिए कोई संशोशन प्रस्तुत करना चाहिए। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यथाशीघ्र एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे जिसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटने पर संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी पदभार ग्रहण करने के अयोग्य करार दिया जाना चाहिए।

यह परम्परा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अवकाशग्रहण करने के पश्चात अथवा अपने पद से मुक्त होने के पश्चात सामान्यतः किसी भी सरकारी कार्यालय में नियुक्ति नहीं की जाती है। परन्तु इन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जब कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। अतएव मैं यही कहूंगा कि

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पदत्याग करने के पश्चात उसके द्वारा किसी अन्य पदभार ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी कोई आवश्यक संशोधन लाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं चुनाव आयोग कर्मियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। यह आवश्यक है कि चुनाव आयोग कर्मियों को राज्य सरकार कर्मियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कभी-कभी आप राज्य सरकार के कर्मियों में से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को ले लेते हैं तथा बाद में उन्हें अपनी सेवाओं में वापस आना पड़ता है। यह एक अच्छी प्रक्रिया नही है। मैं किसी पर कोई व्यंग्य करना नहीं चाहता। मैंने इन मुद्दों को केवल इसलिए उठाया था जिससे कि एक स्वस्थ तथा एक लोकतांत्रिक तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

मुझे आशा है कि मैंने जिन मुद्दों को यहां पर उठाया है, सरकार उन पर ध्यान देगी। जहाँ तक विधेयक तथा इसके प्रावधानों का सम्बन्ध है, वे स्वागत योग्य है। उनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयत्न किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसने एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं किया है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को इस पद की स्वतंत्रता का आभास भी हो। मैं सरकार को बधाई देता हूं तथा विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक मुझे स्मरण है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कलकत्ता के निकट एक रेलवे दुर्घटना हुई थी। रेलवे मंत्री जो यहां पर उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्वयं एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ठीक है। उसका स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री।

6.00 म. प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्व रेलवे के बजबज-सियालदह सेक्शन पर 6 जनवरी, 1991 को हुई दुर्घटना

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : 6.1.91 को 22.26 बजे पूर्व रेलवे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बारे में मुझे बहुत दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है। जब गाड़ी नं. एस. जी.-45 बज बज-सियालदह ई. एम. यू. स्थानीय गाड़ी सियालदह खंड के विद्युतीकृत उपनगरीय खंड के बज बज-सियालदह दोहरी बड़ी लाइन पर लेक गार्डन और बेलीगंज के बीच चल रही थी तब यह नैहाटी माल के पिछले हिस्से से टकरा गयी। ई. एम. यू. स्थानीय गाड़ी के मोटरमैन और

माल गाड़ी के गार्ड सहित 9 व्यक्ति मारे गये और 5 अन्य घायल हुए जिसमें एक गम्भीर रूप से घायल हुआ।

दुर्घटना के बारे में सूचना मिलते ही चिकित्सा दल और मंडल के अधिकारियों सहित सियालदह के मंडल रेल प्रबंधक, सड़क मार्ग से घटना-स्थल के लिए तुरन्त रवाना हो गये और 23.20 बजे घटना-स्थल पर पहुँच गये। अपने विभागाध्यक्षों के साथ पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक भी बचाव और राहत प्रबंधों को देखने के लिए घटना-स्थल पर पहुंच गये।

घायल यात्रियों में से दो यात्रियों को बी. आर. सिंह रेलवे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया और अन्य तीन को इलाज के लिए आर. के. मिशन अस्पताल, सियालदह में ले जाया गया। एक घायल व्यक्ति की प्रथम उपचार के बाद छुट्टी कर दी गयी।

सदस्य/बिजली रेलवे बोर्ड भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये हैं।

मैं भी अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो रहा हूँ।

मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

पूर्वी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों के प्रति सभी रेल कर्मचारियों और मेरे सहयोगी श्री भक्त चरण दास की ओर से मैं हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानु-भूति प्रकट करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने में हमारे साथ हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसेन (मुर्शिदाबाद) : आप सहायता के रूप में उन्हें कितना एमाउन्ट दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जनेश्वर मिश्र : जो नियम हैं, उसी के हिसाब से देंगे। बाकी इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आपका क्या तात्पर्य है? उसमें एक प्रावधान दिया हुआ है कि इसके लिए तत्काल सहायता दी जानी चाहिए। जो भी वक्तव्य यहां दिया गया है उसमें यही घोषणा की गई है।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सामान्यत: एक लाख रु. तुरन्त दिए जाते हैं जो कि नियमों के अनुसार नहीं हैं। यह राशि तुरन्त दी जानी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह स्पष्ट है कि यह पद्धति असफल हो चुकी है।

श्री अजीत पांजा : मैं जानता हूं कि नियमों में हर पक्ष का ध्यान रखा जाएगा। परन्तु प्रत्येक मृतक के परिवार को एक लाख रु. तुरन्त दिए जाने चाहिएं। सामान्यत: यह एक स्थानीय रेलगाड़ी होती है जिसमें अधिकतर मध्यम वर्ग के निर्धन व्यक्ति यात्रा करते हैं, अत: एक लाख रु. की क्षतिपूर्ति राशि तुरन्त दी जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : श्री पांजा द्वारा दिए गए वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूं।

श्री अजीत पांजा : यह राशि तुरंत दी जानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : एक लाख रु. की क्षतिपूर्ति राशि तुरन्त दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : कम्पेनसेशन तो दो लाख रुपये का है, वे तो एक लाख की ही मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी तय करना पड़ता है और इसमें समय लगता है।

[अनुवाद]

श्री अजीत पांजा : तुरंत ही एक लाख रु. दिए जाने चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, उस पर विचार किया जाएगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि यह पद्धति की असफला है। अतः मन्त्री जी से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि यह सब कैसे हुआ है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

श्री अजीत पांजा : जांच जारी रहे परन्तु एक लाख रु. तुरन्त ही दिए जाने चाहिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पांजा जी, मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी ने आपकी बातों को नोट कर लिया है तथा वह आपकी बातों पर उचित ध्यान देंगे।

अब सभा कल 11 बजे म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

60.4 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 जनवरी, 1991/18 पौष, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-6।

पी० एल० एस० 48/13/6/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।